



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 212]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 4, 2018/ज्येष्ठ 14, 1940

No. 212]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 4, 2018/JYAISTHA 14, 1940

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

(भारतीय मानक ब्यूरो)

बघिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2018

फा. सं. बीएस/11/11/2018 —भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 12 और 13 के साथ पठित धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 को, उन बातों के सिवाय अधिकान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्यकारिणी समिति, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिचाषाएँ — इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) “अधिनियम” से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 अभिप्रेत है।

(ख) “नियम” से भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2017 अभिप्रेत है।

(ग) “प्रथम पक्ष” से वह व्यक्ति या संगठन अभिप्रेत है, जो अनुरूपता निर्धारण के लिए माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा अभिप्रेत है।

- (घ) "अनुसूची" से इन विनियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।
- (ङ) "स्कीम" से अनुसूची ॥ से संलग्न स्कीम अभिप्रेत है।
- (च) "विनिर्दिष्ट अपेक्षा" से वह आवश्यकता या प्रत्याशा अभिप्रेत है, जो उस माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा से पूरा होना अपेक्षित है और उनमें अनिवार्य अपेक्षाएँ शामिल हैं।
- (छ) "तृतीय पक्ष" से वह व्यक्ति या निकाय अभिप्रेत है जो अनुरूपता निर्धारण के लिए माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा उपबंध करने वाले व्यक्ति या संगठन से स्वतन्त्र है और जिसका उपयोगिता के रूप में कोई हित न जुड़ा हो।
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और पदों का, जो परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम या नियमों में परिभाषित हैं, क्रमशः वहीं अर्थ होगा, जो अधिनियम और नियमों में उनका है।
3. अनुरूपता निर्धारण स्कीम – (1) अनुरूपता निर्धारण स्कीम अनुसूची – (1) में यथा विनिर्दिष्ट होगी और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात् :-
- (क) विस्तारक्षेत्र;
- (ख) चयन, अवधारण, पुनर्विलोकन, निर्णय, अनुप्रमाणन और निगरानी;
- (ग) मानक चिन्ह का डिजाइन, उपयोग और नियंत्रण, यदि लागू हो;
- (घ) निरीक्षण और परीक्षण योजना या क्वालिटी मैनेजमेंट, अंशशोधन की अनुसूची और अभिलेख, जिनका रखरखाव प्रथम पक्ष द्वारा किया जाना है;
- (ङ.) अनुज्ञसि या अनुरूपता प्रमाणपत्र के पहले या प्रचालन के दौरान देय फीस।
- (2) विभिन्न प्रकार की अनुरूपता निर्धारण स्कीमें अनुसूची-॥ में यथा-विनिर्दिष्ट होंगे।
4. मानक चिन्ह का उपयोग करने या लगाने के लिए अनुज्ञसि मंजूर करने का आवेदन- (1) धारा 13 के अधीन मानक चिन्ह का उपयोग करने या लगाने के लिए अनुज्ञसि मंजूर करने हेतु आवेदन अनुसूची-॥ में विनिर्दिष्ट प्ररूप में व्यूरो को दिया जाएगा।
- (2) अनुज्ञसि मंजूर करने और फीस से अंतर्गत प्रक्रिया अनुसूची-॥ के स्कीम में यथा विनिर्दिष्ट होगी।
- (3) उपविनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर व्यूरो आवेदन में दिए गए विशिष्टियों के सत्यापन के लिए पूछताछ कर सकता है और ऐसी अन्य पूछताछ कर सकता है, जो आवश्यक समझी जाएँ।
- (4) व्यूरो अनुज्ञसि मंजूर करने से पहले आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को व्यक्तिगत रूप से व्यूरो के समक्ष उपस्थित होने के लिए कह सकता है।
- (5) उपविनियम (4) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकृत प्रतिनिधि भारत का रहने वाला होगा।
- (6) ऐसा आवेदन, जो हर तरह से पूरा नहीं है या जो उपविनियम (1) और (2) की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है, व्यूरो द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।

परंतु, आवेदन को अस्वीकार करने से पहले ऐसी आपत्तियाँ, जो व्यूरो द्वारा उपदर्शित की जाएँ, व्यूरो से सुसंगत पत्र-व्यवहार, की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर इन्हें दूर करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

परंतु, पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर व्यूरो आगे समय बढ़ा सकता है, जो कि 30 दिन से अधिक न हो, जैसा कि व्यूरो ऐसी आपत्तियों को हटाने में आवेदक को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक समझता हो।

परंतु, व्यूरो आवेदक को या तो व्यक्तिगत रूप से या उसके द्वारा, उसकी ओर से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुनने का उपयुक्त अवसर देगा और आवेदक अथवा उसके प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, द्वारा दिए गए किसी तथ्य अथवा स्पष्टीकरण पर विचार करेगा।

5. मानक चिन्ह का उपयोग करने या लगाने के लिए अनुज्ञासि मंजूर करना – (1) आवेदक अनुज्ञासि मंजूर करने के लिए पात्र है, इससे संतुष्ट होने के बाद व्यूरो द्वारा अनुसूची ॥ में लागू स्कीम में विनिर्दिष्ट प्ररूप में मानक चिन्ह का उपयोग करने या लगाने के लिए अनुज्ञासि मंजूर की जाएगी ।
 - (2) उप-विनियम (1) के अधीन अनुज्ञासि अनुसूची ॥ में लागू स्कीम में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय के अधीन मंजूर की जाएगी ।
 6. मानक चिन्ह का उपयोग करने या लगाने के लिए शर्तें – (1) मानक चिन्ह का डिजाइन अनुज्ञासि में दी गई अनुकृति के समान होगा ।
 - (2) जब तक कि व्यूरो द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, फोटोग्राफीय रूप से छोटा या बड़ा किया गया मानक चिन्ह उपयोग किया जा सकता है ।
 - (3) अनुज्ञासिधारी, माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा की भारतीय मानक के अनुरूपता के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा, जिस संदर्भ में मानक चिन्ह लगाई या प्रयुक्त की है ।
 - (4) अनुज्ञासिधारी उन माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा पर मानक चिन्ह का उपयोग नहीं करेगा, जो अनुरूप नहीं हैं या अनुज्ञासि के विस्तार क्षेत्र से बाहर है ।
 - (5) ऐसा माल या वस्तुएँ, जिन पर मानक चिन्ह लगाई गई है और जो संबंधित मानक के अनुरूप नहीं है, उनके बारे में व्यूरो अनुज्ञासिधारी या उसके प्रतिनिधियों को गैर-अनुरूपता वाले माल या वस्तुओं को वापस मंगवाने के लिए निदेश दे सकता है ।
 - (6) यथास्थिति अनुज्ञासि के आस्थगन या निलम्बन के दौरान, और इसके समाप्ति अथवा निरस्तीकरण के बाद किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा पर मानक चिन्ह का उपयोग नहीं किया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा ।
 - (7) अनुज्ञासिधारी अनुरूपता निर्धारण स्कीम के उपबंधों का अनुपालन करेगा, जिसके अधीन अनुज्ञासि मंजूर की गई है, जिसमें लेवलिंग और मुहरांकन की अपेक्षाएँ भी शामिल हैं ।
 - (8) व्यूरो द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट रिकार्ड का रखरखाव अनुज्ञासिधारी द्वारा किया जाएगा ।
 - (9) अनुज्ञासिधारी व्यूरो को अपने परिसर पर किए जाने वाले निरीक्षण या लेखा परीक्षा या मूल्यांकन, जो भी लागू हो, के संबंध में पूरी सहायता उपलब्ध कराएगा ।
 - (10) अनुज्ञासिधारी व्यूरो द्वारा अपेक्षित होने पर उत्पादन के बारे में और मानक चिन्ह उपयोग करने या लगाने के बारे में सूचना देगा ।
 - (11) यदि माल या वस्तु पर मानक चिन्ह का उपयोग करने या लगाने के लिए अनुज्ञासि मंजूर की गई है, तो अनुज्ञासिधारी उन प्रेषितियों, वितरकों, डीलरों अथवा रिटेलरों की सूची उपलब्ध कराएगा, जिन्हें मानक चिन्ह लगे माल या वस्तुओं की आपूर्ति की गई है ।
 - (12) व्यूरो के पूर्व-अनुमोदन के बिना अनुज्ञासि किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं की जाएगी ।
 - (13) यदि मानक चिन्ह लगे माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के बारे में कोई शिकायत होती है तो व्यूरो अनुज्ञासिधारी या उसके प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, को मानक चिन्ह लगा माल या वस्तुओं की मरम्मत करने, उन्हें बदलने या पुनःप्रसंस्करण करने के निदेश दे सकता है ।
 - (14) व्यूरो को अनुज्ञासि के किसी शर्त में अनुज्ञासिधारी को 30 दिन की सूचना देकर संशोधन करने का अधिकार है ।
7. अनुज्ञासि की विधिमान्यता

मानक चिन्ह का उपयोग करने या लगाने के लिए अनुज्ञसि अनुसूची ॥ में लागू स्कीम में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य होगा ।

8. मानक चिन्ह का उपयोग करने या लगाने के लिए अनुज्ञसि का नवीकरण – (1) अनुज्ञसि के नवीकरण के लिए अनुसूची-॥ में लागू स्कीम में यथा विनिर्दिष्ट आवेदन निर्धारित फीस के साथ निर्धारित प्ररूप में ब्यूरो को किया जाएगा ।

(2) उपविनियम (1) के अधीन अनुसूची-॥ में दी गई लागू स्कीम में यथा विनिर्दिष्ट आवेदन ब्यूरो को अनुज्ञसि की विधिमान्यता की समाप्ति से पहले भेजना होगा ।

(3) अनुसूची-॥ में विनिर्दिष्ट लागू स्कीम के अनुसार उपविनियम-। के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर ब्यूरो अनुज्ञसि का नवीकरण कर सकता है या उसको पुनः प्रमाणित कर सकता है ।

(4) नवीकरण के लिए आवेदन, यदि विधिमान्यता की अवधि समाप्त होने से पूर्व नहीं किया जाता है, तो विधिमान्यता की तारीख से लेकर 90 दिनों के लिए अनुज्ञसि का नवीकरण आस्थगित किया जा सकता है ।

परंतु, यदि आस्थगन की अवधि के भीतर नवीकरण के लिए आवेदन के साथ अपेक्षित फीस प्राप्त नहीं होती है, तो इसकी विधिमान्यता की समाप्ति के बाद अनुज्ञसि समाप्त हो जाएगी ।

(5) यदि नवीकरण का आवेदन अनुज्ञसि की विधिमान्यता की समाप्ति के बाद किया जाता है, तो आवेदन के साथ रु 5000/- का निलम्बन फीस ली जाएगी ।

(6) यदि नवीकरण का आवेदन और फीस प्राप्त हो गई है और अनुज्ञसि निलम्बनाधीन है तो निलम्बन रद्द होने तक अनुज्ञसि का नवीकरण नहीं किया जाएगा ।

(7) यदि इसकी विधिमान्यता की समाप्ति तक निलम्बन रद्द नहीं होता है, तो अनुज्ञसि की विधिमान्यता की तारीख से लेकर 180 दिन की अवधि के लिए अनुज्ञसि का नवीकरण आस्थगित किया जा सकता है ।

(8) यदि ऐसी विसंगतियाँ, जो अनुज्ञसि के निलम्बन का कारण हैं, को आस्थगन की अवधि के दौरान हटा दिया जाता है, तो अनुज्ञसि का नवीकरण इसकी विधिमान्यता की तारीख से किया जा सकता है ।

(9) यदि ऐसी विसंगतियाँ, जो अनुज्ञसि के निलम्बन का कारण हैं, आस्थगन की अवधि के दौरान हटाई नहीं जाती हैं, तो अनुज्ञसि इसकी विधिमान्यता की तारीख के बाद समाप्त हो जाएगी ।

9. मानक चिन्ह का उपयोग करने या लगाने के लिए अनुज्ञसि के विस्तार क्षेत्र में परिवर्तन – (1) अनुज्ञसि के विस्तार क्षेत्र में परिवर्तन के लिए अनुसूची ॥ में लागू स्कीम में यथा विनिर्दिष्ट आवेदन निर्धारित प्ररूप में फीस के साथ ब्यूरो को किया जाए ।

(2) उपविनियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर ब्यूरो ऐसी पूछताछ, जो उचित समझी जाए, करने के बाद अनुसूची ॥ में लागू स्कीम में विनिर्दिष्ट प्ररूप में अनुज्ञसि के विस्तार क्षेत्र का विस्तार कर सकता है ।

(3) किसी भी समय यदि ब्यूरो के पास अनुज्ञसि का विस्तार क्षेत्र कम करने के कारण हैं, तो अनुज्ञसिधारी को एक महीने का नोटिस देने के बाद ब्यूरो ऐसा कर सकता है ।

10. मानक चिन्ह का उपयोग करने या लगाने के लिए अनुज्ञसि का निलम्बन – (1) यदि पर्याप्त साक्ष्य हैं कि माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा, जिसके लिए अनुज्ञसि दिया गया है, विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है, तो ब्यूरो लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञसि निलम्बित करेगा ।

(2) यदि अनुज्ञसिधारी ने अपेक्षित फीस नहीं दिया है तो ब्यूरो अनुज्ञसि रद्द करेगा ।

(3) उपविनियम (2) के अधीन अनुज्ञसि निलम्बित करने से पहले अनुज्ञसिधारी को 21 दिन का नोटिस दिया जाए ।

(4) अनुज्ञसि के निलम्बन की सूचना मिलने के बाद अनुज्ञसिधारी तुरंत मानक चिन्ह का उपयोग बंद कर देगा और इसकी सूचना ब्यूरो को देगा ।

(5) इस संतुष्टि के बाद कि अनुज्ञसिधारी ने जरूरी सुधारात्मक कार्रवाई या फीस का भुगतान कर दिया है, तो व्यूरो निलम्बन प्रतिसंहृत सकता है।

(6) अनुज्ञसि का निलम्बन या निरसन, जैसा भी मामला हो, अनुसूची ॥ में लागू स्कीम में यथा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(7) यदि मानक चिन्ह लगे माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा की क्वालिटी के बारे में शिकायत स्थापित होती है तो अनुज्ञसि निलम्बित किया जा सकता है और अनुज्ञसिधारी के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करना अपेक्षित होगा।

(8) उपविनियम (6) के अधीन निलम्बन रद्द करने की अनुमति केवल सुधारात्मक कार्रवाई के संतोषजनक सत्यापन के बाद की जाएगी।

11. मानक चिन्ह का उपयोग करने या लगाने के अनुज्ञसि का निरस्तीकरण – (1) व्यूरो लिखित में न्यूनतम 21 दिन का लिखित आदेश देकर अनुज्ञसि निरस्त कर सकता है, यदि- (क) अनुज्ञसिधारी अनुज्ञसि की किसी भी शर्त का अनुपालन करने में विफल रहता है;

(ख) अनुज्ञसि गलती से जारी किया गया है।

(2) उपविनियम (1) के अधीन नोटिस प्राप्त होने पर अनुज्ञसिधारी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर व्यूरो द्वारा विचार किया जा सकता है और अनुज्ञसिधारी को या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई का उपयुक्त अवसर दिया जाएगा।

(3) अपराध शमन करने के मामले में अनुज्ञसि के निरस्तीकरण के लिए प्रसंस्कृत नहीं किया जाएगा।

(4) यदि नोटिस की अवधि की समाप्ति तक कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है, तो व्यूरो अनुज्ञसि निरस्त कर सकता है।

(5) यदि अनुज्ञसि एक वर्ष से अधिक के लिए निलम्बित है या अनुज्ञसिधारी ने अनुज्ञसि निरस्त करने का अनुरोध किया है, तो व्यूरो बिना कोई अन्य नोटिस दिए अनुज्ञसि निरस्त कर सकता है।

12. अनुरूपता प्रमाणपत्र मंजूर करने के लिए आवेदन -

(1) यदि मानक चिन्ह का उपयोग किए बिना अनुरूपता सिद्ध करना चाहित है तो अनुसूची ॥ में लागू अनुरूपता निर्धारण स्कीम में विनिर्दिष्ट प्ररूप में व्यूरो को धारा 13 के अधीन अनुरूपता का प्रमाणपत्र मंजूर करने के लिए आवेदन किया जाए।

(2) अनुरूपता प्रमाणपत्र मंजूर करने की प्रक्रिया अनुसूची ॥ में लागू अनुरूपता निर्धारण स्कीम में लागू विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

(3) उप-विनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने के बाद व्यूरो आवेदन में दिए गए विशिष्टियों के सत्यापन के लिए पूछताछ कर सकता है और ऐसी अन्य पूछताछ भी कर सकता है, जो यह आवश्यक समझे।

(4) व्यूरो अनुरूपता प्रमाणपत्र मंजूर करने से पहले आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को व्यूरो के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कह सकता है।

(5) ऐसा आवेदन, जो सभी पहलुओं से पूर्ण नहीं है, अथवा उप-विनियम (1) और (2) की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है, को व्यूरो द्वारा अस्वीकृत किया जाएगा।

परंतु, आवेदन अस्वीकृत करने से पहले, व्यूरो द्वारा संबंधित पत्र की प्राप्ति की तारीख के 30 दिन के भीतर, व्यूरो ने जो आपत्तियाँ बताई हैं, उनको दूर करने का अवसर आवेदक को दिया जाएगा।

परंतु, पर्याप्त कारण प्रदर्शित किए जाने पर व्यूरो जैसा उचित समझे, आवेदक को ऐसी आपत्तियाँ दूर करने के लिए समर्थ बनाने में 30 दिन का और अधिक समय आपत्ति दूर करने के लिए दे सकता है।

परंतु, व्यूरो आवेदक को या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा उसके द्वारा उसकी ओर से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुनने का उपयुक्त अवसर देगा और आवेदक अथवा उसके प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, द्वारा दिए गए किसी तथ्य अथवा स्पष्टीकरण पर विचार करेगा।

13. अनुरूपता प्रमाणपत्र मंजूर करना

(1) व्यूरो संतुष्ट होने के बाद कि आवेदक अनुरूपता प्रमाण पत्र मंजूर करने के लिए पात्र है, अनुसूची-॥ में लागू स्कीम में विनिर्दिष्ट प्ररूप में मंजूर करेगा।

(2) जब निम्नलिखित के संदर्भ में मानक अथवा मानक के एक भाग अथवा आवश्यक अपेक्षाओं के प्रति अनुरूपता प्रदर्शित की जानी है, तो अनुरूपता का प्रमाणपत्र दिया जा सकता है।

(क) माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति, सेवा अथवा खेप या लॉट में माल और वस्तुएँ।

(ख) आपूर्तिकर्ता की अनुरूपता की घोषणा के आधार पर माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा।

(ग) प्रयोगशाला में प्रारंभिक परीक्षण के आधार पर माल या वस्तुओं का टाइप अनुमोदन परवर्ती उत्पादन पर उपयोग सहित अथवा रहित।

(घ) कोई अन्य परिस्थिति, जिसमें व्यूरो की कार्यकारिणी समिति यह विनिश्चय करती है कि अनुरूपता का प्रमाण पत्र मंजूर किया जा सकता है।

(3) उपविनियम (1) के अधीन अनुरूपता प्रमाण पत्र मंजूर करना अनुसूची-॥ में लागू स्कीम में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय के अनुसार होगा।

14. अनुरूपता प्रमाणन की शर्तें – (1) अनुरूपता प्रमाण पत्र धारक वह सभी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा, जिसके संबंध में अनुरूपता प्रमाण पत्र जारी किया गया है, की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की अनुरूपता के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) अनुरूपता प्रमाण पत्र धारक वह सभी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति अथवा सेवा, जो अनुरूपता प्रमाणपत्र के अनुरूप नहीं हैं, अथवा विस्तार क्षेत्र से बाहर हैं, के संबंध में अनुरूपता प्रमाण पत्र का उपयोग अनुरूपता प्रमाणपत्र के आस्थगन, निलम्बन, निरस्तीकरण होने के बाद, जैसा भी मामला हो, नहीं किया जाएगा।

(3) किसी भी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में अनुरूपता प्रमाण पत्र का उपयोग अनुरूपता प्रमाणपत्र के आस्थगन, निलम्बन, निरस्तीकरण होने के बाद, जैसा भी मामला हो, नहीं किया जाएगा।

(4) अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक, अनुरूपता प्रमाणपत्र स्कीम के अधीन मंजूर किए गए प्रमाणपत्र, के सभी उपबंधों, लेबलिंग तथा मुहरांकन अपेक्षाओं सहित अनुपालन करेगा।

(5) अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक व्यूरो द्वारा समय-समय यथा विनिर्दिष्ट अभिलेखों का रखरखाव करेगा।

(6) अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक अपने परिसर में निरीक्षण, लेखा परीक्षा या निर्धारण, जैसा भी लागू हो, करने के संबंध में व्यूरो की पूरी सहायता करेगा।

(7) अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक प्रमाणपत्र अनुरूपता के अधीन शामिल उत्पाद संबंधित सूचना व्यूरो द्वारा जब और जो भी अपेक्षित हो, मंजूर करेगा।

(8) यदि अनुरूपता प्रमाणपत्र माल और वस्तुओं के संबंध में मंजूर किया गया है, तो अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक उन प्रेपितियों, वितरकों अथवा डीलरों या रिटेलरों, जैसा भी मामला हो, जिन्हें अनुरूपता प्रमाणपत्र लगा सामान या वस्तुओं की आपूर्ति की गई है, की सूची उपलब्ध कराएगा।

(9) अनुरूपता प्रमाणपत्र व्यूरो के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी व्यक्ति को अन्तरित नहीं किया जाएगा।

(10) यदि अनुरूपता प्रमाणपत्र के अधीन शामिल किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के बारे में कोई शिकायत सिद्ध हो जाती है, तो अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करेगा, ताकि भविष्य में ऐसी शिकायतें पुनः उजागर न हों।

(11) ब्यूरो अनुरूपता प्रमाणपत्र की शर्तें, अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक को 30 दिन की सूचना देकर संशोधित करने का अधिकार रखता है।

15. अनुरूपता प्रमाणपत्र की अवधि – (1) अनुरूपता प्रमाणपत्र अनुसूची || की स्कीम में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

(2) यदि अनुरूपता प्रमाणपत्र एक खेप अथवा लॉट के माल या वस्तु के संबंध में मंजूर किया गया है, तो यह प्रमाणपत्र केवल एक बार के लिए होगा और ऐसे मामले में अनुरूपता प्रमाणपत्र की अवधि लागू नहीं होगी।

16. अनुरूपता प्रमाणपत्र का नवीकरण – (1) अनुरूपता प्रमाणपत्र का नवीकरण आवेदन ब्यूरो की अनुसूची || के उपयुक्त अनुरूपता निर्धारण स्कीम में यथा-विनिर्दिष्ट निर्धारित प्ररूप एवं फीस सहित किया जाएगा।

(2) उपविनियम (1) के अधीन आवेदन ब्यूरो को अनुरूपता प्रमाणपत्र की विधिमान्यता तारीख से पहले अनुसूची || में लागू स्कीम में यथा विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों अनुसार किया जाएगा।

(3) उप-विनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर अनुसूची || में लागू अनुरूपता निर्धारण स्कीम के अनुसार ब्यूरो अनुरूपता प्रमाणपत्र का नवीकरण या सुधार कर सकता है।

(4) यदि विधि मान्यता के समाप्त होने से पहले अपेक्षित फीस के साथ नवीकरण का आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो इसकी विधिमान्यता की तारीख से लेकर 90 दिन की अवधि के लिए अनुरूपता प्रमाणपत्र का नवीकरण आस्थगित किया जाएगा।

परंतु, आस्थगन की अवधि में अपेक्षित फीस के साथ नवीकरण का आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो इसकी विधिमान्यता की तारीख के बाद अनुरूपता प्रमाणपत्र समाप्त हो जाएगा।

(5) यदि अनुरूपता प्रमाणपत्र की विधिमान्यता के बाद नवीकरण का आवेदन किया जाता है तो आवेदन के साथ रु 5000/- का अतिरिक्त निलम्बन फीस दिया जाएगा।

(6) यदि नवीकरण आवेदन प्राप्त होता है और अनुरूपता प्रमाणपत्र निलम्बनाधीन है, तो निलम्बन के दूर किए जाने तक अनुरूपता प्रमाणपत्र का नवीकरण नहीं किया जाएगा।

(7) यदि इसकी विधिमान्यता के अंत तक निलम्बन हटाया नहीं जाता है तो इसकी विधिमान्यता की तारीख से लेकर 180 दिन तक की अवधि के लिए नवीकरण आस्थगित किया जा सकता है।

(8) यदि आस्थगन की अवधि के दौरान उन विसंगतियों को दूर कर लिया जाता है, जो अनुरूपता प्रमाणपत्र के निलम्बन का कारण थीं, तो अनुरूपता प्रमाणपत्र इसकी विधिमान्यता की तारीख से नवीकृत किया जाए।

(9) यदि आस्थगन की अवधि के दौरान ऐसी विसंगतियाँ, जो अनुरूपता प्रमाणपत्र के निलम्बन का कारण थीं, दूर नहीं की जातीं, तो अनुरूपता प्रमाणपत्र इसकी विधिमान्यता की तारीख के बाद समाप्त हो जाएगा।

(10) यदि अनुरूपता प्रमाणपत्र एक खेप अथवा लॉट की माल या वस्तु के संबंध में मंजूर किया गया है तो यह प्रमाणपत्र केवल एक बार के लिए ही होगा और ऐसे मामले में अनुरूपता प्रमाणपत्र की अवधि लागू नहीं होगी।

17. अनुरूपता प्रमाणपत्र के विस्तार क्षेत्र में परिवर्तन - (1) अनुरूपता प्रमाणपत्र के विस्तार क्षेत्र में परिवर्तन के लिए अनुसूची || में लागू स्कीम में यथा-विनिर्दिष्ट निर्धारित प्ररूप और फीस के साथ में ब्यूरो को आवेदन किया जाएगा।

(2) उपविनियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर ब्यूरो ऐसी पूछताछ, जो उचित समझी जाए, करने के बाद अनुसूची || में लागू स्कीम में निर्दिष्ट प्ररूप में अनुरूपता प्रमाणपत्र के विस्तार क्षेत्र में वृद्धि कर सकता है।

(3) किसी भी समय यदि व्यूरो के पास अनुरूपता प्रमाणपत्र का विस्तार क्षेत्र घटाने के कारण हैं, तो व्यूरो अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक को एक महीने का नोटिस देने के बाद ऐसा करेगा।

18. अनुरूपता प्रमाणपत्र का निलम्बन – (1) व्यूरो लिखित आदेश में अनुरूपता प्रमाणपत्र का निलम्बन कर सकता है, यदि व्यूरो के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं कि माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा, जिसके लिए प्रमाणपत्र दिया गया है, विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं।

(2) यदि अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक ने अपेक्षित फीस नहीं दिया है तो व्यूरो द्वारा अनुरूपता प्रमाणपत्र को निलम्बित किया जाएगा।

(3) उपविनियम (2) के अधीन अनुरूपता प्रमाणपत्र निलम्बित करने से पहले अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक को 21 दिन का नोटिस दिया जाएगा।

(4) अनुरूपता प्रमाणपत्र के निलम्बन की सूचना मिलने के बाद अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक तुरंत अनुरूपता प्रमाणपत्र का उपयोग बंद करेगा और इसकी सूचना व्यूरो को देगा।

(5) व्यूरो स्वयं की संतुष्टि के बाद, कि अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक ने सुधारात्मक कार्रवाई की है अथवा फीस का भुगतान कर दिया है, निलम्बन वापिस ले सकता है।

(6) अनुरूपता प्रमाणपत्र का निलम्बन या प्रतिसंहरण, जैसा भी मामला हो, अनुसूची || में लागू स्कीम में यथा-विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(7) यदि अनुरूपता प्रमाणपत्र में शामिल माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा की क्वालिटी के बारे में शिकायत सिद्ध हो जाती है तो अनुरूपता प्रमाणपत्र निलम्बित किया जा सकता है और अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करना अनिवार्यतः अपेक्षित होती।

(8) उपविनियम (7) के अधीन निलम्बन हटाने की अनुमति सुधारात्मक कार्रवाई के संतोषजनक सत्यापन के बाद दी जा सकती है।

(9) यदि एक खेप अथवा लॉट के माल या वस्तुओं के संबंध में अनुरूपता प्रमाणपत्र मंजूर किया गया है, तो यह एक बार के लिए ही प्रमाणपत्र होगा और ऐसे मामले में अनुरूपता प्रमाणपत्र का निलम्बन या प्रतिसंहरण लागू नहीं होगा।

19. अनुरूपता प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण – (1) व्यूरो, अधिकतम 21 दिन का नोटिस देकर अनुरूपता प्रमाणपत्र निरस्त कर सकता है, यदि – (क) अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक अनुरूपता प्रमाणपत्र की किसी भी शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहता है;

(ख) अनुरूपता प्रमाणपत्र गलती से जारी किया गया है।

(2) उपविनियम (1) के अधीन नोटिस प्राप्त होने पर अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर व्यूरो द्वारा विचार किया जा सकता है और अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक को व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई का उपयुक्त अवसर दिया जाएगा।

(3) अपराध शमन करने के मामले में अनुरूपता प्रमाणपत्र निरस्तीकरण के लिए प्रसंस्कृत नहीं किया जाएगा।

(4) यदि नोटिस की अवधि की समाप्ति होने पर कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो व्यूरो अनुरूपता प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है।

(5) यदि अनुरूपता प्रमाणपत्र एक साल से अधिक के लिए निलम्बित है, अथवा अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक ने अनुरूपता प्रमाणपत्र निरस्त करने का अनुरोध किया है, तो व्यूरो विना कोई नोटिस दिए अनुरूपता प्रमाणपत्र निरस्त कर सकता है।

अनुसूची-

अनुरूपता निर्धारण स्कीम के प्रकार

(विनियम 3(1) देखें)

प्रसंस्करण	गतिविधियाँ (यथा लागू)	माल और वस्तुओं का प्रमाणन					प्रसंस्करण/ सेवा प्रमाणपत्र	प्रबंध पद्धति प्रमाण पत्र	कोई अन्य अनुरूपता निर्धारण स्कीम
		प्रकार ए	प्रकार बी	प्रकार सी	प्रकार ढी	प्रकार ई			
चयन	विनिर्दिष्ट अपेक्षाएँ, नमूने लेना, आयोजन तथा तैयार करना, अनुप्रयोग	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
निर्धारण	परीक्षण, निरीक्षण, डिजाइन एप्राइजल, निर्धारण लेखा परीक्षा	प्रारंभिक परीक्षण	खेप/लॉट परीक्षण	क) प्रारंभिक परीक्षण ख) बाजार के आवधिक परीक्षण	क) उत्पादन प्रक्रिया का निर्धारण एवं प्रारंभिक परीक्षण ख) फैक्टरी से नमूनों का आवधिक परीक्षण ग) आवधिक निर्धारण	क) सेवा वितरण प्रक्रिया का प्रारंभिक निर्धारण ख) सेवा वितरण प्रक्रिया का आवधिक निर्धारण ग) आवधिक निर्धारण	क) प्रसंस्करण /सेवा वितरण का प्रारंभिक निर्धारण ख) प्रसंस्करण /सेवा वितरण का आवधिक निर्धारण	क)प्रबंध पद्धति का प्रारंभ तथा आवधिक लेखा परीक्षा	
समीक्षा	निर्दिष्ट आवश्यकता ओं के स्वरूप अनुरूपता अनुपालन के साक्ष्य की जाँच	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	अपेक्षाओं के अनुसार
विनिश्चय	प्रदान करना, नवीकरण, विस्तार कम करना, निलम्बन, रद्द	✓	प्रदान करना, रद्द करना	✓	✓	✓	✓	✓	

सत्यापन	अनुज्ञसि या अनुरूपता प्रमाणपत्र जारी करना	अनुरूप ता प्रमाण पत्र	अनुरूप ता प्रमाण पत्र	✓	✓	✓	✓	✓	
निगरानी	बाजार निगरानी			✓		✓			
	कारखाना निगरानी				✓	✓			
	निर्धारण						✓		
	लेखा परीक्षा							✓	

अनुसूची-।**स्कीम-।****भारतीय मानक**

के अनुसार माल और वस्तुओं पर मानक मुहर उपयोग करने

या लगाने के लिए अनुज्ञसि मंजूर करने हेतु

अनुरूपता निर्धारण स्कीम (अनुसूची-।) के अनुसार टाइप ई स्कीम पर आधारित)

विस्तार क्षेत्र

1. (1) इस स्कीम के अधीन जो कि टाइप ई पर आधारित है, निर्माण परिसर में निर्मित और संबद्ध भारतीय मानक(कों) की सभी अपेक्षाओं के अनुरूप माल या वस्तुओं, इसके बाद इनका उत्पाद के रूप में उल्लेख किया जाएगा, के लिए व्यूरो द्वारा मानक चिन्ह का उपयोग करने या लगाने हेतु अनुज्ञसि मंजूर किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण – उप-अनुच्छेद (।) के प्रयोजन हेतु निर्माण परिसर(रों) से अभिप्रेत, ऐसे परिसर से है, जो या तो आवेदक के स्वामित्व में हो अन्यथा उसका हो, जहाँ निर्माण गतिविधि का कुछ हिस्सा किया जाता है तथा वह परिसर शामिल हो जिसमें अंतिम निर्माण गतिविधि पूरी की जाती है और जहाँ मानक चिन्ह का उपयोग किया जाना है अथवा इसे लगाया जाना है।

(2) अनुज्ञसि मंजूर करना और उसका प्रचालन अनुच्छेद-३ में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा।

परिभाषाएँ

2. (क) “निरीक्षण और परीक्षण की स्कीम” से व्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट और प्रयोगशाला स्थापित करके अनुज्ञसिधारी द्वारा अपनाई जाने वाली उत्पादन की प्रसंस्करण में विभिन्न अवस्थाओं पर नियंत्रण लगाने की स्कीम अभिप्रेत है।

(ख) “तृतीय पक्ष प्रयोगशाला” से व्यूरो द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला, व्यूरो द्वारा पैनलबद्ध प्रयोगशालाएं अथवा व्यूरो की कार्यकारणी समिति द्वारा विनिश्चित अन्य किसी प्रयोगशाला अभिप्रेत है।

स्कीम की प्रक्रियाएँ

3. (1) चयन – (क) विनिर्माता पहचान करेगा कि,-

(i) लागू भारतीय मानक, जिसके प्रति वह अनुज्ञसि प्राप्त करने का इच्छुक है;

(ii) विनिर्माण परिसर(रों) में उपलब्ध मशीनरी तथा- इस स्कीम से संलग्न प्ररूप-। में एक सूची तैयार करे तथा विनिर्माण गतिविधि का कोई भाग यदि आउटसोर्स किया जाता है, उस गतिविधि में प्रयुक्त मशीनरी के विवरण पृथक् प्ररूप में दर्शाया जाएगा;

(iii) संबद्ध भारतीय मानक, संबद्ध निरीक्षण और परीक्षण स्कीम के अनुसार परीक्षण करने के लिए परीक्षण उपस्कर तथा इस स्कीम के प्ररूप-॥ में उपलब्ध उपस्करों की एक सूची तैयार करना;

(iv) ऐसे परीक्षण, जिसमें उप-संविदा कराने की अनुमति है और जो विनिर्माता के पास उपलब्ध नहीं हैं, कारखाने के बाहर परीक्षण सुविधा की पहचान करेगा, जहाँ ऐसे परीक्षण किए जा सकते हैं और उसकी सूचना ब्यूरो को देगा;

(v) उत्पाद की प्रकृति, अनुज्ञासि का वांछित विस्तार क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अथवा नमूने लेने के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विनिर्माता द्वारा परीक्षण के लिए अपेक्षित नमूनों की संख्या निर्धारित की जाएगी।

परंतु, यदि नमूने के मार्गदर्शी सिद्धांत ब्यूरो की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, तो विनिर्माता द्वारा ये अपनाये जाएंगे।

(g) अंतिम उत्पाद संबद्ध भारतीय मानक के अनुरूप हो, यह सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए प्रतिदिन होने वाले उत्पादन में कार्यान्वयन के लिए विनिर्माता में इस स्कीम के साथ संलग्न प्ररूप-III में प्रस्तावित नियंत्रण के स्तर प्रस्तुत कर सकता है;

(h) यदि ब्यूरो ने कुछ विनिर्दिष्ट उत्पादों के लिए निरीक्षण और परीक्षण की स्कीम विनिर्दिष्ट की है तो विनिर्माता के लिए उसका अनुपालन आवश्यक होगा;

(i) विनिर्माता यह सुनिश्चित करेगा कि संबद्ध भारतीय मानक की सभी अपेक्षाओं के प्रति अनुरूपता के लिए उत्पाद का परीक्षण किया गया है और इस स्कीम के साथ संलग्न प्ररूप-IV में परीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगा;

(j) ऐसे मामले, जहाँ किसी परीक्षण की अवधि एक मास से अधिक है और आवेदक एक निर्माता इकाई है, तो उत्पाद का परीक्षण पूरी अवधि अथवा एक मास की अवधि के लिए कारखाने में अथवा तृतीय पक्ष प्रयोगशाला में किया जा सकता है;

(k) विनिर्माता अनुज्ञासि के लिए इस स्कीम के साथ संलग्न प्ररूप-V में आवेदन कर सकता है तथा ब्यूरो अनुज्ञासि मंजूर करने के लिए निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाविधि अथवा उनका संमिश्रण अपनाएगा, अर्थात् :

(1)(l) आवेदक, आवेदन के साथ तृतीय पक्ष प्रयोगशाला से जारी उत्पाद की पूर्ण परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;

(l) ब्यूरो उत्पादन प्रक्रिया के सत्यापन के लिए कारखाने के दौरे की तथा तृतीय पक्ष प्रयोगशाला परीक्षण के लिए सत्यापन नमूना लेने की व्यवस्था करेगा;

(III) सत्यापन नमूने की परीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना अनुज्ञासि मंजूर किया जाएगा तथा परीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद अनुज्ञासि की समीक्षा की जाएगी;

(ii) (i) जब आवेदक के पास या तो इन-हाउस अथवा कारखाने से बाहर पूरी परीक्षण सुविधाएँ उपलब्ध हों, तो ब्यूरो उत्पादन प्रक्रिया के सत्यापन तथा कारखाने में उत्पाद के परीक्षण के लिए कारखाने के दौरे की व्यवस्था करेगा;

(ii) कारखाने में नमूनों के परीक्षण के आधार पर अनुज्ञासि मंजूर किया जाएगा;

(iii) ब्यूरो उत्पादन प्रक्रिया के सत्यापन तथा तृतीय पक्ष प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए नमूना लेने के लिए दौरे की व्यवस्था करेगा और इस नमूने की परीक्षण रिपोर्ट के माध्यम से अनुरूपता के प्रदर्शन के बाद अनुज्ञासि मंजूर किया जाएगा;

(j) विदेशी विनिर्माता के मामले में, भारत में स्थित एक प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि को इस योजना के साथ संलग्न प्ररूप-VI में नामित किया जाएगा।

(2) अवधारण – (क) आवेदन की प्राप्ति के बाद ब्यूरो यह जाँच करेगा कि आवेदक ने आवेदन के साथ सभी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं।

(घ) यदि खंड (क) के अधीन आवेदन पूर्ण है, तो ब्यूरो आवेदक के साथ परामर्श करके कारखाने के दौरे की तारीख नियत करेगा।

(ग) कारखाने दौरे के दौरान ब्यूरो द्वारा निम्नलिखित गतिविधियाँ की जाएँगी, अर्थात्—

(i) विनिर्माता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन;

(ii) विनिर्माता द्वारा प्रस्तुत नियंत्रण के चरणों की पर्याप्तता पर विचार-विमर्श, यदि लागू हो;

(iii) विभिन्न चरणों पर लगाये नियंत्रण के स्तरों सहित संयंत्र लेआउट तथा विनिर्माण प्रक्रिया का सत्यापन;

- (iv) विनिर्माण मशीनरी तथा परीक्षण उपस्कर, क्वालिटी नियंत्रण के प्रभारी व्यक्ति(यों) की सक्षमता, भंडारण सुविधाओं तथा स्वास्थ्यकर स्थितियों का सत्यापन, यदि लागू हो;
- (v) परीक्षण उपस्कर अंशशोधन सहित उपलब्ध बुनियादी ढांचे की स्थिति का सत्यापन;
- (vi) कारखाना परीक्षण तथा तृतीय पक्ष प्रयोगशाला परीक्षण के लिए नमूने लेना, यदि लागू हो;
- (g) यदि कारखाने के दौरे के दौरान कोई अपर्याप्तता पाई जाती है तो इस स्कीम के साथ संलग्न प्ररूप-VII में विनिर्माता को उसे लिखित में सूचित किया जाएगा।
- (3) समीक्षा – (क) अनुच्छेद 3 के उप-अनुच्छेद (2) की खंड (ग) के अधीन कारखाने के दौरे की रिपोर्ट की विनिर्दिष्ट गतिविधियों के आधार पर समीक्षा की जाएगी।
- (ख) उत्पाद के परीक्षण परिणामों की समीक्षा उनके सही होने और भारतीय मानक से अनुरूपता के लिए की जाएगी और यदि किसी परीक्षण की अवधि एक मास से अधिक है तो अनुज्ञसि प्रदान करने के लिए उस परीक्षण के लिए विनिर्माता की परीक्षण रिपोर्ट पर विचार किया जा सकता है और तृतीय पक्ष प्रयोगशाला रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी समीक्षा की जा सकती है।
- (4) विनिश्चय - अनुज्ञसि मंजूर करने का विनिश्चय तब लिया जाए, जब ब्यूरो संतुष्ट है कि विनिर्माता के पास निरन्तर आधार पर क्वालिटी वाले उत्पाद विनिर्मित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा हो तथा परीक्षण के परिणाम संबद्ध भारतीय मानक के साथ उत्पाद की अनुरूपता की पुष्टि करते हैं।
- (5) सत्यापन – (क) ब्यूरो स्कीम में संलग्न प्ररूप-VIII में विनिर्माता को अनुज्ञसि का विस्तार क्षेत्र, अनुज्ञसि संख्या, विनिर्माता का पता, अनुज्ञसि की विधिमान्यता, मुहरांकन फीस, भारतीय मानक के ब्यौरे और मानक चिन्ह की अनुकृति दर्शाते हुए अनुज्ञसि मंजूर करेगा।
- (ख) विदेशी विनिर्माता के मामले में, ब्यूरो इस स्कीम के साथ संलग्न प्ररूप-X में दिए गए वचनबद्धता बांड सहित इस स्कीम के साथ संलग्न प्ररूप-IX में अनुज्ञसि मंजूर करने के लिए करार जारी करेगा, जो विदेशी विनिर्माता अथवा उसके प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि द्वारा, जो भी मामला हो, एक सौ रुपये के गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर विधिवत् किया गया हो।
- (ग) विदेशी विनिर्माता के मामले में, इस स्कीम के साथ संलग्न प्ररूप-XI के अनुसार दस हजार यू.एस. डॉलर की निष्पादन बैंक गारंटी विनिर्माता द्वारा दी जाएगी, जो भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी बैंक की शाखा द्वारा जारी की गई हो।
- (घ) इस अनुज्ञसि के विस्तार क्षेत्र में शामिल उत्पाद के प्री-डिस्पेच परीक्षण के आधार पर भारतीय मानक से अनुरूपता दर्शाते हुए ब्यूरो परीक्षण प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।
- (6) निगरानी – (क) ब्यूरो अनुज्ञसिथारी के परिसर पर पुर्वानुमति अथवा पुर्वानुमति के बिना निरीक्षण कर सकता है।
- (ख) उत्पाद के साथ जुड़े जोखिम को ध्यान में रखकर निरीक्षण का विनिश्चय लिया जाएगा और ऐसे निरीक्षण के दौरान पाए गए विचलन को इस स्कीम के साथ संलग्न प्ररूप-VII में अनुज्ञसिथारी को सूचित किया जाएगा।
- (ग) ब्यूरो परीक्षण के लिए निरीक्षण के दौरान नमूने ले सकता है।
- (घ) ब्यूरो बाजार से नमूने ले सकता है और परीक्षण अनुरोध के साथ तृतीय पक्ष प्रयोगशाला को परीक्षण के लिए नमूने भेज सकता है और यदि किसी कारण से बाजार से नमूने लेना संभव नहीं हो तो डिस्पैच बिंदु से नमूने लिए जा सकते हैं।
- (ङ.) ब्यूरो अधिमानतः संगठित क्रेताओं से फाइबैक प्राप्त कर सकता है।

शिकायत

4. (1) मानक चिन्ह लगे उत्पाद की क्वालिटी के बारे में प्राप्त किसी शिकायत की ब्यूरो पावती भेजेगा और जॉच-पड़ताल करेगा।
- (2) परीक्षण समय को छोड़कर, जहाँ उत्पाद का परीक्षण किया जाना है, शिकायत बंद करने की कार्यवाही नब्बे दिन के भीतर पूरी की जाएगी।

फीस

5. (1) आवेदन फीस, नवीकरण आवेदन फीस तथा वार्षिक अनुज्ञासि फीस प्रत्येक के लिए एक हजार रूपये होगा।
 - (2) मानक चिन्ह का उपयोग करने के लिए उपावंध-॥ में यथानिर्दिष्ट मुहरांकन फीस लिया जाएगा।
 - (3) वास्तविक मुहरांकन फीस अथवा न्यूनतम मुहरांकन फीस, जो भी अधिक है, प्रत्येक वर्ष अनुज्ञासिधारी द्वारा देय होगा।
- टिप्पण 1:** पहले साल के लिए मुहरांकन फीस का निर्धारण पहले नौ मास के दौरान चिन्ह लगी मात्रा (इकाई) को इकाई दर से गुणा करके परिकलित किया जाएगा।
- टिप्पण 2:** पश्चात्-वर्ती वर्षों के लिए वास्तविक मुहरांकन फीस पहले नौ मास के बाद वर्ष दर-वर्ष आधार पर किया जाएगा।
- (4) अनुज्ञासि रद्द होने के मामले में व्यूरो द्वारा मुहरांकन फीस वापस नहीं दिया जाएगा।

परंतु, यदि कोई भारतीय मानक वापस लिया जाता है और किसी अन्य मानक द्वारा उसे अधिक्रमित नहीं किया जाता,

तो समानुपातिक मुहरांकन फीस वापस किया जाएगा।

- (5) अनुज्ञासि के विस्तार क्षेत्र में विस्तार के मामले में प्रति किस्मों अथवा किस्मों के प्रति समूह, जहाँ समूहबद्ध करने के मार्गदर्शी सिद्धांत उपलब्ध हैं, पॉच हजार रूपये की राशि प्रभारित की जाएगी।
- (6) निगरानी निरीक्षण अथवा शिकायत की जॉच के दौरान किए गए निरीक्षण के अलावा किसी भी निरीक्षण के लिए प्रतिदिन सात हजार रूपये का फीस लिया जाएगा।
- (7) जब प्री-डिस्पैच निरीक्षण के आधार पर परीक्षण प्रमाण पत्र जारी करना अपेक्षित हो, तो ऐसे निरीक्षण के लिए प्रतिदिन आवेदक द्वारा दस हजार रूपये का फीस लिया जाएगा।
- (8) निगरानी अथवा शिकायत की जॉच-पड़ताल के दौरान लिए गए नमूनों के अलावा नमूनों के परीक्षण की फीस आवेदक अथवा अनुज्ञासिधारी, जो भी मामला हो, द्वारा वहन किया जाएगा।

लेबलिंग तथा मुहरांकन अपेक्षाएँ

6. (1) प्रत्येक उत्पाद अथवा पैकेज, जैसा भी मामला हो, पर उपावंध-॥ में विनिर्दिष्ट अनुसार मानक चिन्ह लगाई जाएगी।
- (2) मानक चिन्ह पर अनुज्ञासि संख्या और भारतीय मानक का संदर्भ स्पष्टतः दिखने वाले तरीके से और अनुज्ञासि में यथा-विनिर्दिष्ट अनुसार लगाया जाएगा।
- (3) यदि मानक चिन्ह के नीचे अनुज्ञासि संख्या नहीं दी जा सकती है, तो उसे मानक चिन्ह के बिल्कुल पास, उपयुक्त रूप से रेखिक रूप में दी जाएगी।
- (4) भारतीय मानक की अपेक्षाओं के अनुसार उत्पाद के ब्यौरे, जिनमें किस्म, लॉट अथवा खेप संख्या, विनिर्माण की तारीख अथवा सप्ताह, विनिर्माता का पूरा पता, उत्पाद, पैकेजिंग पर अथवा उत्पाद पर लगे लेबल पर अंकित किया जाएगा।
- (5) मुहरांकन के ब्यौरे पर व्यूरो की वेबसाइट का संदर्भ हो, ताकि उपभोक्ता मानक चिन्ह लगे उत्पाद की प्रामाणिकता का सत्यापन कर सके।
- (6) यदि उत्पाद अथवा पैकेजिंग पर मानक चिन्ह नहीं लगाई जा सकती है, तो इसे परीक्षण प्रमाणपत्र पर लगाया जाए।
- (7) व्यूरो द्वारा किसी विशेष उत्पाद के लिए संबद्ध निरीक्षण और परीक्षण स्कीम में अतिरिक्त लेबलिंग और मुहरांकन की अपेक्षाएँ विनिर्दिष्ट की गई हैं तो उनका अनुपालन किया जाएगा।

अनुज्ञासि की शर्तें

7. अनुज्ञासि की शर्तें इन विनियमों के विनियम 6 में दिए गए अनुसार होंगी।

अनुज्ञासि की विधिमान्यता

8. (1) मानक चिन्ह का उपयोग करने के लिए अनुज्ञासि शुरूआत में कम से कम एक वर्ष के लिए और दो वर्ष की अवधि तक के लिए दिया जाएगा।
- (2) अनुज्ञासि कम से कम एक वर्ष के लिए तथा पॉच वर्षों तक की अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।

(3) अनुज्ञासि के विधिमान्यता अवधि के लिए न्यूनतम मुहरांकन फीस का भुगतान अग्रिम में किया जाएगा।

अनुज्ञासि का नवीकरण

9. (1) मानक चिन्ह के उपयोग करने के लिए अनुज्ञासि का नवीकरण करने का आवेदन, अनुज्ञासि की समाप्ति से दो मास पूर्व, व्यूरो को इस स्कीम में संलग्न प्ररूप-XII में किया जाएगा।

(2) व्यूरो इस स्कीम के साथ संलग्न प्ररूप-XIII में अनुज्ञासि का नवीकरण करेगा।

(3) अनुज्ञासि का नवीकरण इन विनियमों के विनियम 8 के अनुसार किया जाएगा।

(4) यदि वास्तविक मुहरांकन फीस न्यूनतम मुहरांकन फीस से अधिक है तो आवेदक द्वारा फीस के अंतर का भुगतान वार्षिक रूप से किया जाएगा।

(5) जहां उत्पादन की मात्रा बहुत अधिक है, वहाँ व्यूरो अनुज्ञासिधारी को वास्तविक मुहरांकन फीस का भुगतान त्रैमासिक आधार पर देने का निर्देश दे सकता है।

अनुज्ञासि के विस्तार क्षेत्र में परिवर्तन

10. (1) मानक चिन्ह का उपयोग करने के लिए अनुज्ञासि के विस्तार क्षेत्र में परिवर्तन के लिए आवेदन इस स्कीम के साथ संलग्न प्ररूप-XIV में पैरा 5 के उप-पैरा (5) में विनिर्दिष्ट फीस के साथ व्यूरो को किया जाएगा।

(2) अनुज्ञासि के विस्तार क्षेत्र के लिए आवेदन या तो तृतीय पक्ष प्रयोगशाला द्वारा जारी उत्पाद की पूर्ण परीक्षण रिपोर्ट के साथ अथवा व्यूरो को परीक्षण के लिए नमूने लेने के अनुरोध के साथ किया जाएगा।

(3) यदि निरीक्षण और परीक्षण स्कीम अथवा बुनियादी डांचा, जिनमें विनिर्माण मशीनरी तथा परीक्षण उपस्कर शामिल हैं, में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तथा अनुज्ञासि के विस्तार क्षेत्र का विस्तार, नमूने लेने के मार्गदर्शी सिद्धांत के उसी समूह में है, तो अनुज्ञासि का विस्तार क्षेत्र बढ़ाने के लिए परीक्षण रिपोर्ट(टों) की आवश्यकता नहीं है।

(4) व्यूरो इस स्कीम के साथ संलग्न प्ररूप-XV में अनुज्ञासि के विस्तार क्षेत्र में परिवर्तन करेगा।

निलम्बन

11. (1) यदि किसी समय, भारतीय मानक के अनुरूप उत्पाद की अनुरूपता के अनुरक्षण में कठिनाई हो, अथवा परीक्षण उपस्कर काम करना बंद कर देता है अथवा बाढ़, आग भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रबंधन द्वारा घोषित तालाबंदी सक्षम न्यायालय अथवा सांविधिक निकाय द्वारा प्रचालन बंद करने का निर्देश दिया जाता है, तो अनुज्ञासिधारी व्यूरो को सूचना देते हुए स्वयं मानक चिन्ह का उपयोग निलम्बित कर देगा।

(2) जैसे ही कमियाँ दूर कर ली जाती हैं, निलम्बन को समाप्त किया जा सकता है और व्यूरो को तुरंत, किंतु निलम्बन की समाप्ति के 7 दिन विपश्चात्, सूचना भेजी जाएगी।

(3) नए परिसर में विनिर्माण-यूनिट स्थानांतरित करने पर व्यूरो को सूचना देते हुए अनुज्ञासिधारी को स्वयं मानक चिन्ह का उपयोग निलम्बित करना होगा।

(4) व्यूरो द्वारा पुराने परिसर के सत्यापन के बाद एवं नए परिसर में उत्पादन प्रक्रिया के सत्यापन के बाद निलम्बन समाप्त किया जाएगा।

(5) व्यूरो के पास यदि पर्याप्त कारण हैं कि मानक चिन्ह लगा उत्पाद संबद्ध भारतीय मानक के अनुरूप नहीं है तथा ऐसा प्रमाण सीमित नहीं है, अपितु उसमें निम्नलिखित में से एक अथवा अधिक कारण शामिल हो सकते हैं, तो किसी भी समय व्यूरो अनुज्ञासि रद्द कर सकता है और अनुज्ञासिधारी को अपने उत्पाद पर मानक चिन्ह न लगाने का निर्देश दे सकता है:-

(i) संबद्ध भारतीय मानक के अनुसार उत्पाद की गैर-अनुरूपता दर्शाती लगातार परीक्षण रिपोर्ट;

(ii) परीक्षण कार्मिक की अनुपलब्धता जबकि, मानक चिन्ह का उपयोग किया जा रहा है;

(iii) गैर-अनुरूप उत्पादों पर मानक चिन्ह का उपयोग;

(iv) निरीक्षण और परीक्षण स्कीम के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण विचलन;

(v) व्यूरो के पूर्व-मूल्यांकन के बिना विनिर्माण प्रक्रिया में बड़े संशोधन;

- (vi) विना सूचना दिए विनिर्माण इकाई को नए पते पर स्थानांतरित करना;
- (vii) विना सूचना दिए विनिर्माण इकाई छह मास से अधिक अवधि के लिए बंद होना;
- (viii) व्यूरो द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेश का अनुपालन न किया जाना;
- (ख) यदि लाइसेंस निलम्बनाधीन है, तो अनुजस्तिधारी मानक चिन्ह का उपयोग करना अथवा लगाना तथा मानक चिन्ह लगे हुए उत्पाद का बाहर भेजना बंद करेगा और इस संबंध में व्यूरो को तुरंत पुष्टि भेजनी होगी, जिसके बाद सुधारात्मक कार्यवाही की पुष्टि की जाएगी।
- (ग) व्यूरो सुधारात्मक कार्यवाही के सत्यापन के लिए फैक्टरी के दौरे की व्यवस्था कर सकता है और अनुजस्तिधारी ने निम्नलिखित कार्यवाही की है, से स्वयं संतुष्ट होने के बाद निलम्बन समाप्त करने की अनुमति दे सकता है:-
- आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की है; और
 - संबद्ध भारतीय मानक से उत्पाद की अनुरूपता के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध कराए हैं।
- (6) यदि आवेदक द्वारा अपेक्षित फीस का भुगतान नहीं किया गया है तो व्यूरो 21 दिन का नोटिस जारी करके अनुजस्ति को निलम्बित कर सकता है और अनुजस्तिधारी को उत्पाद पर मानक चिन्ह का उपयोग न करने के निदेश दे सकता है।
- (7) व्यूरो बकाया प्राप्त होने पर उप-पैरा (6) के अधीन जारी निलंबन को रद्द कर सकता है।

अनुजस्ति रद्द करना

12. व्यूरो इन विनियमों के विनियम 11 के अनुसार अनुजस्ति को रद्द करेगा।

क्रम सं.	भारतीय मानक संख्या	इकाई	बड़े उच्चम	मूल्य लघु मध्यम उच्चम	इकाई दर स्लैब-1	स्लैब-1 मात्रा पर लागू है	इकाई दर स्लैब-2	स्लैब-2 मात्रा पर लागू है	इकाई दर स्लैब-3 शेष प्रमात्रा के लिए	तारीख में प्रभावी	उपायबंध-
											(स्कीम 1 के पैरा 5 के उप-पैरा (2) दबें)
1	आईएस 1:1968	1 ध्रज	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.36	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016	
2	आईएस 21:1992	1 टन	₹ 64,000.00	₹ 52,000.00	₹ 160.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016	
3	आईएस 44:1991	एक कि.ग्रा.	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.07	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016	
4	आईएस 73:2013	एक मीट्रिक	₹ 72,000.00	₹ 58,000.00	₹ 24.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	18052016	
5	आईएस 133:भाग 1:2013	1 लीटर	₹ 72,000.00	₹ 58,000.00	₹ 0.26	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016	
6	आईएस 158:2015	1 लीटर/ 1 कि.ग्रा.	₹ 60,000.00	₹ 48,000.00	₹ 0.26	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016	
7	आईएस 164:2015	1 लीटर/1 कि.ग्रा.	₹ 64,000.00	₹ 52,000.00	₹ 0.26	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016	
8	आईएस 168:1993	एक लीटर	₹ 56,000.00	₹ 45,000.00	₹ 0.25	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	6092016	
9	आईएस 175:1989	100 मीटर	₹ 87,000.00	₹ 70,000.00	₹ 14.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016	
10	आईएस 177:1989	100 लिनियर	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 6.25	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016	
11	आईएस 191:2007	1 टन	₹ 86,000.00	₹ 69,000.00	₹ 36.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	26122016	
12	आईएस 204:भाग 1:1991	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 8.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016	
13	आईएस 204:भाग 2:1992	100 पीस	₹ 47,000.00	₹ 38,000.00	₹ 8.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016	
14	आईएस 205:1992	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 5.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016	
15	आईएस 208:1996	100 पीस	₹ 47,000.00	₹ 38,000.00	₹ 8.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016	
16	आईएस 210:2009	1 टन	₹ 49,000.00	₹ 40,000.00	₹ 72.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016	
17	आईएस 245:1988	1 टन	₹ 52,000.00	₹ 42,000.00	₹ 25.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016	
18	आईएस 251:1998	1 टन	₹ 47,000.00	₹ 38,000.00	₹ 1.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016	
19	आईएस 252:2013	1 टन	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 15.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016	

20	आईएस 253:2014	1 टन	₹ 64,000.00	₹ 52,000.00	₹ 2.15	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
21	आईएस 261:1982	1 टन	₹ 53,000.00	₹ 43,000.00	₹ 35.35	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
22	आईएस 265:1993	1 कि.ग्रा.	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 0.26	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
23	आईएस 266:1993	1 कि.ग्रा.	₹ 73,000.00	₹ 59,000.00	₹ 0.26	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
24	आईएस 269:2015	1 टन	₹ 72,000.00	₹ 58,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
25	आईएस 276:2000	एक मीट्रिक टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 37.10	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
26	आईएस 277:2003	1 टन	₹ 47,000.00	₹ 38,000.00	₹ 4.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
27	आईएस 278:2009	1 टन	₹ 50,000.00	₹ 40,000.00	₹ 66.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
28	आईएस 280:2006	1 टन	₹ 65,000.00	₹ 52,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
29	आईएस 281:2009	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.15	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
30	आईएस 285:1992	1 टन	₹ 59,000.00	₹ 48,000.00	₹ 50.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
31	आईएस 299:2012	1मीट्रिक टन	₹ 71,000.00	₹ 57,000.00	₹ 11.85	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
32	आईएस 302:भाग 2:खंड 59:1999	1 पीस	₹ 59,000.00	₹ 48,000.00	₹ 0.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	26052016
33	आईएस 302:भाग 2:खंड 3:2007	1 पीस	₹ 73,000.00	₹ 59,000.00	₹ 1.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	17072017
34	आईएस 302:भाग 2:खंड 30:2007	1 पीस	₹ 85,000.00	₹ 68,000.00	₹ 1.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
35	आईएस 302:भाग 2:खंड 201:2008	1 पीस	₹ 66,000.00	₹ 53,000.00	₹ 1.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	17072017
36	आईएस 303:1989	1 वर्ग मीटर	₹ 67,000.00	₹ 54,000.00	₹ 0.15	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
37	आईएस 325:1996	1 कि.वॉट	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
38	आईएस 335:1993	1 कि.लि	₹ 86,000.00	₹ 71,000.00	₹ 8.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
39	आईएस 341:1973	1 लीटर/1 कि.ग्रा.	₹ 90,000.00	₹ 72,000.00	₹ 0.26	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
40	आईएस 362:1991	100 पीस	₹ 47,000.00	₹ 38,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
41	आईएस 363:1993	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 5.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
42	आईएस 366:1991	1 पीस	₹ 87,000.00	₹ 70,000.00	₹ 1.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
43	आईएस 368:2014	1 पीस	₹ 89,000.00	₹ 72,000.00	₹ 1.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	17072017
44	आईएस 369:1992	1 पीस	₹ 1,00,000.00	₹ 80,000.00	₹ 1.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
45	आईएस 371:1999	100 पीस	₹ 61,000.00	₹ 49,000.00	₹ 2.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
46	आईएस 374:1979	1 पीस	₹ 65,000.00	₹ 52,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
47	आईएस 398:भाग 5:1992	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 34.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
48	आईएस 398:भाग 4:1994	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 46.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
49	आईएस 398:भाग 1:1996	1 टन	₹ 53,000.00	₹ 43,000.00	₹ 34.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
50	आईएस 398:भाग 2:1996	1 टन	₹ 53,000.00	₹ 43,000.00	₹ 90.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
51	आईएस 411:1991	100 कि.ग्रा.	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
52	आईएस 418:2004	100 पीस	₹ 1,57,000.00	₹ 1,26,000.00	₹ 1.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
53	आईएस 419:1967	1 लीटर/कि.ग्रा.	₹ 49,000.00	₹ 40,000.00	₹ 0.05	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
54	आईएस 427:2013	1 लीटर/1 कि.ग्रा.	₹ 68,000.00	₹ 55,000.00	₹ 0.26	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
55	आईएस 428:2013	1 लीटर/1 कि.ग्रा.	₹ 68,000.00	₹ 55,000.00	₹ 0.26	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
56	आईएस 432:भाग 1:1982	1 टन	₹ 47,000.00	₹ 38,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
57	आईएस 432:भाग 2:1982	1 टन	₹ 53,000.00	₹ 43,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
58	आईएस 444:1987	100 मीटर	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 25.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
59	आईएस 446:1987	100 मीटर	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 25.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
60	आईएस 447:1988	100 मीटर	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 25.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016

61	आईएस 455:2015	1 टन	₹ 73,000.00	₹ 59,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
62	आईएस 458:2003	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 8.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
63	आईएस 459:1992	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
64	आईएस 513:2008	1 टन	₹ 73,000.00	₹ 59,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
65	आईएस 513:भाग 1:2016	1 टन	₹ 73,000.00	₹ 59,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
66	आईएस 513:भाग 2:2016	1 मीट्रिक टन	₹ 79,000.00	₹ 64,000.00	₹ 4.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	15112017
67	आईएस 539:1974	एक कि.ग्रा.	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.26	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
68	आईएस 550:भाग 1:2014	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 173.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
69	आईएस 553:1984	एक टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 34.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
70	आईएस 573:1992	1 एम.टी	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 44.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
71	आईएस 612:1992	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 20.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
72	आईएस 617:1994	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 42.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	15112017
73	आईएस 623:2008	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
74	आईएस 624:2003	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
75	आईएस 636:1988	100 मीटर	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 17.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
76	आईएस 638:1979	1 टन	₹ 64,000.00	₹ 52,000.00	₹ 200.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
77	आईएस 648:2006	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
78	आईएस 650:1991	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 15.10	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
79	आईएस 651:2007	1 टन	₹ 67,000.00	₹ 64,000.00	₹ 8.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
80	आईएस 694:2010	100 मीटर	₹ 93,000.00	₹ 75,000.00	₹ 1.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
81	आईएस 702:1988	1 टन	₹ 63,000.00	₹ 51,000.00	₹ 17.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
82	आईएस 704:1984	1 पीस	₹ 52,000.00	₹ 42,000.00	₹ 0.14	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
83	आईएस 710:2010	1 वर्ग मीटर	₹ 84,000.00	₹ 68,000.00	₹ 0.18	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
84	आईएस 711:1970	1 टन	₹ 55,000.00	₹ 44,000.00	₹ 8.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
85	आईएस 712:1984	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
86	आईएस 717:1998	1 मीट्रिक टन	₹ 51,000.00	₹ 41,000.00	₹ 5.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	26122016
87	आईएस 723:1972	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 90.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	21122016
88	आईएस 745:2003	1 वर्ग मीटर	₹ 56,000.00	₹ 45,000.00	₹ 0.15	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	25082017
89	आईएस 758:1988	100 वर्ग मीटर	₹ 47,000.00	₹ 38,000.00	₹ 12.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
90	आईएस 774:2004	1 पीस	₹ 74,000.00	₹ 60,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
91	आईएस 778:1984	1 पीस	₹ 57,000.00	₹ 46,000.00	₹ 0.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
92	आईएस 779:1994	1 पीस	₹ 1,30,000.00	₹ 1,04,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
93	आईएस 781:1984	1 पीस	₹ 49,000.00	₹ 40,000.00	₹ 0.45	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
94	आईएस 784:2001	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 8.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
95	आईएस 797:1982	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
96	आईएस 799:1985	100 लीटर	₹ 59,000.00	₹ 48,000.00	₹ 4.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24012017
97	आईएस 814:2004	1000 पीस	₹ 1,09,000.00	₹ 88,000.00	₹ 1.80	60000 इकाई	₹ 0.90	शेष	₹ 0.00	06082017
98	आईएस 848:2006	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 26.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
99	आईएस 863:1988	100 वर्ग मीटर	₹ 47,000.00	₹ 38,000.00	₹ 16.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
100	आईएस 868:1990	100कि.ग्रा	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 20.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
101	आईएस 878:2008	100 पीस	₹ 56,000.00	₹ 45,000.00	₹ 1.10	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
102	आईएस 884:1985	1 पीस	₹ 53,000.00	₹ 43,000.00	₹ 120.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
103	आईएस 899:1971	1 मीट्रिक टन	₹ 72,000.00	₹ 58,000.00	₹ 34.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
104	आईएस 902:1992	1 पीस	₹ 65,000.00	₹ 52,000.00	₹ 11.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
105	आईएस 903:1993	1 पीस	₹ 56,000.00	₹ 45,000.00	₹ 1.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
106	आईएस 907:1984	1 पीस	₹ 61,000.00	₹ 49,000.00	₹ 6.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016

107	आईएस 915:2012	1 फ्लास्क	₹ 52,000.00	₹ 42,000.00	₹ 1.05	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
108	आईएस 916:2000	100 टिन	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 8.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
109	आईएस 928:1984	1 पीस	₹ 83,000.00	₹ 67,000.00	₹ 62.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
110	आईएस 952:2012	1 पीस	₹ 56,000.00	₹ 45,000.00	₹ 8.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
111	आईएस 996:2009	1 पीस	₹ 49,000.00	₹ 40,000.00	₹ 2.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
112	आईएस 1007:1984	1 कि.ग्रा.	₹ 50,000.00	₹ 40,000.00	₹ 0.18	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
113	आईएस 1008:2004	1 कि.ग्रा.	₹ 56,000.00	₹ 45,000.00	₹ 0.18	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
114	आईएस 1011:2002	1 टन	₹ 51,000.00	₹ 41,000.00	₹ 8.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
115	आईएस 1015:2000	100 ब्लेट	₹ 1,10,000.00	₹ 88,000.00	₹ 3.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
116	आईएस 1030:1998	1 मीट्रिक टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 36.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
117	आईएस 1038:1983	1 टन	₹ 53,000.00	₹ 43,000.00	₹ 17.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
118	आईएस 1051:1980	100 लीटर	₹ 61,000.00	₹ 49,000.00	₹ 34.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
119	आईएस 1061:2017	1 किलो लीटर	₹ 72,000.00	₹ 58,000.00	₹ 43.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
120	आईएस 1065:1989	एकटन	₹ 50,000.00	₹ 40,000.00	₹ 8.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
121	आईएस 1069:1993	1 किलो लीटर	₹ 53,000.00	₹ 43,000.00	₹ 6.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
122	आईएस 1079:2017	1 टन	₹ 86,000.00	₹ 69,000.00	₹ 3.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
123	आईएस 1084:2005	एक टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 86.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
124	आईएस 1109:1980	एक टन	₹ 53,000.00	₹ 43,000.00	₹ 85.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
125	आईएस 1117:1975	100 पीस	₹ 53,000.00	₹ 43,000.00	₹ 13.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
126	आईएस 1144:1980	1 टन	₹ 75,000.00	₹ 60,000.00	₹ 9.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
127	आईएस 1155:1968	1 कि.ग्रा.	₹ 54,000.00	₹ 44,000.00	₹ 0.10	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24012017
128	आईएस 1159:1981	1 कि.ग्रा.	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.10	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
129	आईएस 1161:2014	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 8.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
130	आईएस 1165:2002	1 टन	₹ 80,000.00	₹ 64,000.00	₹ 40.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
131	आईएस 1166:1986	1 टन	₹ 79,000.00	₹ 64,000.00	₹ 34.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
132	आईएस 1170:1992	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 91.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
133	आईएस 1180:भाग 1:2014	1 केवीए	₹ 1,42,000.00	₹ 1,14,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
134	आईएस 1221:1991	1 लीटर	₹ 59,000.00	₹ 48,000.00	₹ 0.17	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
135	आईएस 1223:2001	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 12.10	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
136	आईएस 1237:2012	10 वर्ग. मी	₹ 57,000.00	₹ 46,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
137	आईएस 1239:भाग 1:2004	1 टन	₹ 75,000.00	₹ 60,000.00	₹ 8.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
138	आईएस 1239:भाग 2:2011	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 43.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
139	आईएस 1251:1988	1 टन	₹ 47,000.00	₹ 38,000.00	₹ 97.95	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
140	आईएस	100 पीस	₹ 1,67,000.00	₹ 1,34,000.00	₹ 2.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017

	1258:2005								
141	आईएस 1269:भाग 1:1997	100 मी.	₹ 60,000.00	₹ 49,000.00	₹ 0.32	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
142	आईएस 1269:भाग 2:1997	100 मी.	₹ 60,000.00	₹ 49,000.00	₹ 0.32	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
143	आईएस 1293:2005	100 पीस	₹ 78,000.00	₹ 63,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
144	आईएस 1319:1983	एक टन	₹ 64,000.00	₹ 52,000.00	₹ 24.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
145	आईएस 1321:भाग 1:2003	एक टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 86.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
146	आईएस 1322:1993	100 मीटर	₹ 71,000.00	₹ 57,000.00	₹ 4.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
147	आईएस 1328:1996	1 वर्ग मीटर	₹ 66,000.00	₹ 53,000.00	₹ 0.55	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
148	आईएस 1341:1992	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
149	आईएस 1363:भाग 1:2002	1 टन	₹ 59,000.00	₹ 48,000.00	₹ 26.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
150	आईएस 1363:भाग 2:2002	1 टन	₹ 59,000.00	₹ 48,000.00	₹ 26.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
151	आईएस 1363:भाग 3:2002	1 टन	₹ 59,000.00	₹ 48,000.00	₹ 26.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
152	आईएस 1364:भाग 1:2002	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 26.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
153	आईएस 1370:1993	10 वर्ग.मी.	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
154	आईएस 1374:2007	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 5.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
155	आईएस 1381:भाग 1:2003	1 पीस	₹ 50,000.00	₹ 40,000.00	₹ 0.25	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
156	आईएस 1422:1983	100 वर्ग मीटर	₹ 53,000.00	₹ 43,000.00	₹ 11.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
157	आईएस 1470:2013	1 मीट्रिक टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 6.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
158	आईएस 1475:भाग 1:2001	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 17.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
159	आईएस 1488:1989	एक टन	₹ 57,000.00	₹ 46,000.00	₹ 285.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
160	आईएस 1489:भाग 1:2015	1 टन	₹ 68,000.00	₹ 55,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
161	आईएस 1489:भाग 2:2015	1 टन	₹ 64,000.00	₹ 45,000.00	₹ 2.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
162	आईएस 1507:1977	1 टन	₹ 49,000.00	₹ 40,000.00	₹ 196.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
163	आईएस 1534:भाग 1:1977	एक पीस	₹ 39,200.00	₹ 32,200.00	₹ 0.18	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
164	आईएस 1536:2001	1 टन	₹ 85,000.00	₹ 68,000.00	₹ 8.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
165	आईएस 1537:1976	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 8.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
166	आईएस 1538:1993	1 टन	₹ 62,000.00	₹ 50,000.00	₹ 41.35	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
167	आईएस 1551:1991	100 शीट का 1 वाँक	₹ 51,000.00	₹ 41,000.00	₹ 0.36	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
168	आईएस 1554:भाग 1:1988	100 मीटर	₹ 1,85,000.00	₹ 1,48,000.00	₹ 18.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
169	आईएस 1554:भाग 2:1988	100 मीटर	₹ 2,71,000.00	₹ 2,17,000.00	₹ 184.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
170	आईएस	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 8.65	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00

	1580:1991									
171	आईएस 1592:2003	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 8.65	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
172	आईएस 1610:2000	1 पीस	₹ 73,000.00	₹ 42,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
173	आईएस 1626:भाग 2:1994	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 21.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	2062017
174	आईएस 1656:2007	एकटन	₹ 1,33,000.00	₹ 1,07,000.00	₹ 172.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
175	आईएस 1658:2006	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 8.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
176	आईएस 1659:2004	1 वर्ग. मी	₹ 73,000.00	₹ 59,000.00	₹ 0.36	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
177	आईएस 1660:2009	1 टन	₹ 47,000.00	₹ 38,000.00	₹ 17.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
178	आईएस 1664:2002	1 टन	₹ 84,000.00	₹ 68,000.00	₹ 58.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
179	आईएस 1694:1994	1 कि.ग्रा.	₹ 63,000.00	₹ 51,000.00	₹ 1.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
180	आईएस 1695:2014	1 कि.ग्रा.	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
181	आईएस 1697:1994	1 कि.ग्रा.	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
182	आईएस 1698:1994	1 कि.ग्रा.	₹ 62,000.00	₹ 50,000.00	₹ 1.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
183	आईएस 1703:2000	1 पीस	₹ 57,000.00	₹ 46,000.00	₹ 0.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
184	आईएस 1709:1984	1 पीस	₹ 88,000.00	₹ 72,000.00	₹ 0.07	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
185	आईएस 1710:1989	1 पीस	₹ 63,000.00	₹ 51,000.00	₹ 20.00	2750	₹ 10.00	शेष	₹ 0.00	24082016
186	आईएस 1726:1991	1 टन	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 19.35	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
187	आईएस 1729:2002	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 8.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
188	आईएस 1741:1960	एक टन	₹ 66,000.00	₹ 51,000.00	₹ 86.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
189	आईएस 1746:1992	1 कि.ग्रा.	₹ 76,000.00	₹ 61,000.00	₹ 0.26	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
190	आईएस 1759:1986	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 10.25	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
191	आईएस 1783:भाग 1:2014	एक ड्रम	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.35	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
192	आईएस 1783:भाग 2:2014	एक ड्रम	₹ 60,000.00	₹ 48,000.00	₹ 1.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
193	आईएस 1784:1998	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
194	आईएस 1785:भाग 1:1983	1 टन	₹ 76,000.00	₹ 61,000.00	₹ 21.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
195	आईएस 1785:भाग 2:1983	1 टन	₹ 50,000.00	₹ 40,000.00	₹ 19.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
196	आईएस 1786:2008	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
197	आईएस 1804:2004	1 मीट्रिक टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 21.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
198	आईएस 1806:1975	1 टन	₹ 56,000.00	₹ 45,000.00	₹ 34.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
199	आईएस 1824:1978	100 लीटर	₹ 90,000.00	₹ 72,000.00	₹ 34.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
200	आईएस 1825:198 3	1 कैन	₹ 62,000.00	₹ 50,000.00	₹ 2.10	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
201	आईएस	एक किलो लीटर	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 346.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016

	1827:1989									
202	आईएस 1832:1978	एक टन	₹ 55,000.00	₹ 44,000.00	₹ 86.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
203	आईएस 1834:1984	1 टन	₹ 57,000.00	₹ 46,000.00	₹ 70.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	17072017
204	आईएस 1838:भाग 1:1983	1 वर्ग मीटर	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.55	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
205	आईएस 1838:भाग 3:2011	1 वर्ग मीटर	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13072016
206	आईएस 1848:2007	1 टन	₹ 60,000.00	₹ 48,000.00	₹ 8.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
207	आईएस 1855:2003	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 17.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
208	आईएस 1856:2005	1 टन	₹ 56,000.00	₹ 45,000.00	₹ 17.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
209	आईएस 1875:1992	1 टन	₹ 60,000.00	₹ 48,000.00	₹ 3.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
210	आईएस 1879:2010	1 टन	₹ 71,000.00	₹ 57,000.00	₹ 26.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
211	आईएस 1884:1993	1 पीस	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 0.36	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
212	आईएस 1891:भाग 1:1994	1 मीट्रिक टन	₹ 1,56,000.00	₹ 1,25,000.00	₹ 300.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	16022015
213	आईएस 1912:1984	एक टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 17.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
214	आईएस 1919:1982	1 मीट्रिक टन	₹ 68,000.00	₹ 56,000.00	₹ 100.00	600	₹ 50.00	600	₹ 25.00	24082016
215	आईएस 1929:1982	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 22.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
216	आईएस 1932:1986	1 टन	₹ 69,000.00	₹ 56,000.00	₹ 16.00	2000	₹ 8.00	2000	₹ 4.00	20122016
217	आईएस 1943:1995	1 टन	₹ 55,000.00	₹ 44,000.00	₹ 17.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	26122016
218	आईएस 1970:1995	1 स्प्रेयर	₹ 83,000.00	₹ 67,000.00	₹ 9.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
219	आईएस 1971:1996	1 पम्प	₹ 67,000.00	₹ 54,000.00	₹ 5.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
220	आईएस 1989:भाग 1:1986	1 जोड़ा	₹ 67,000.00	₹ 54,000.00	₹ 0.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
221	आईएस 1989:भाग 2:1986	1 जोड़ा	₹ 68,000.00	₹ 55,000.00	₹ 0.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
222	आईएस 1993:2006	1 टन	₹ 51,000.00	₹ 41,000.00	₹ 4.95	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
223	आईएस 1997:2008	1 पीस	₹ 56,000.00	₹ 45,000.00	₹ 1.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
224	आईएस 2002:2009	1 टन	₹ 72,000.00	₹ 58,000.00	₹ 3.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
225	आईएस 2004:1991	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
226	आईएस 2028:2004	1 पीस	₹ 52,000.00	₹ 42,000.00	₹ 0.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
227	आईएस 2029:1998	1 पीस	₹ 52,000.00	₹ 42,000.00	₹ 0.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
228	आईएस 2036:1995	10 किलो ग्राम	₹ 77,000.00	₹ 64,000.00	₹ 1.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
229	आईएस 2039:भाग 1 से 3:1991	1 टन	₹ 74,000.00	₹ 60,000.00	₹ 12.35	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	04072016
230	आईएस 2041:2009	1 मीट्रिक टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
231	आईएस 2046:1995	एक वर्ग मीटर	₹ 1,36,000.00	₹ 1,20,000.00	₹ 0.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
232	आईएस	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.45	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016

	2052:2009									
233	आईएस 2061:1995	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
234	आईएस 2062:2011	1 टन	₹ 62,000.00	₹ 50,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
235	आईएस 2074:भाग 1:2015	1 लीटर/किलो ग्राम	₹ 84,000.00	₹ 68,000.00	₹ 0.26	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
236	आईएस 2076:1981	1 वर्ग मीटर	₹ 84,000.00	₹ 68,000.00	₹ 0.08	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	01042015
237	आईएस 2082:1993	1 पीस	₹ 1,30,000.00	₹ 1,04,000.00	₹ 6.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
238	आईएस 2089:1977	100 वर्ग मीटर	₹ 65,000.00	₹ 52,000.00	₹ 8.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
239	आईएस 2095:भाग 1:2011	1 टन	₹ 51,000.00	₹ 41,000.00	₹ 5.25	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	21122016
240	आईएस 2096:1992	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 10.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
241	आईएस 2097:2012	1 पीस	₹ 91,000.00	₹ 76,000.00	₹ 5.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	2062017
242	आईएस 2098:1997	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 5.25	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
243	आईएस 2124:2000	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
244	आईएस 2141:2000	1 टन	₹ 69,000.00	₹ 56,000.00	₹ 69.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
245	आईएस 2142:1992	1 टन	₹ 51,000.00	₹ 41,000.00	₹ 51.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
246	आईएस 2185:भाग 3:1984	10 घन मीटर	₹ 59,000.00	₹ 48,000.00	₹ 17.30	1000	₹ 8.70	शेष	₹ 0.00	30122016
247	आईएस 2185:भाग 1:2005	1 टन	₹ 82,000.00	₹ 75,000.00	₹ 26.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
248	आईएस 2202:भाग 1:1999	1 वर्ग मीटर	₹ 88,000.00	₹ 71,000.00	₹ 0.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
249	आईएस 2215:2006	1000 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 10.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
250	आईएस 2257:1989	1 लीटर	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.18	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
251	आईएस 2266:2002	1 टन	₹ 75,000.00	₹ 60,000.00	₹ 34.10	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
252	आईएस 2312:1967	1 पीस	₹ 96,000.00	₹ 77,000.00	₹ 2.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
253	आईएस 2339:2013	1 लीटर/ किलो ग्राम	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.26	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
254	आईएस 2347:2017	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.87	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
255	आईएस 2358:1984	एक टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 255.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
256	आईएस 2365:1977	1 टन	₹ 68,000.00	₹ 55,000.00	₹ 34.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
257	आईएस 2373:1981	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 17.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
258	आईएस 2386:भाग 3:1963	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
259	आईएस 2396:1988	100 मीटर	₹ 64,000.00	₹ 52,000.00	₹ 25.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
260	आईएस 2403:2014	100 पीस	₹ 50,000.00	₹ 40,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
261	आईएस 2404:1993	1 टन	₹ 64,000.00	₹ 52,000.00	₹ 20.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
262	आईएस 2414:2005	100 पीस	₹ 73,000.00	₹ 59,000.00	₹ 14.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	17072017
263	आईएस 2415:201	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016

	5									
264	आईएस 2418:भाग 1:1977	1 पीस	₹ 80,000.00	₹ 60,000.00	₹ 0.06	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
265	आईएस 2465:1984	100 मीटर	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.42	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
266	आईएस 2494:भाग 1:1994	100 पीस	₹ 51,000.00	₹ 41,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
267	आईएस 2508:1984	1 कि.ग्रा.	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.18	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
268	आईएस 2512:1978	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.18	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
269	आईएस 2546:1974	1 पीस	₹ 56,000.00	₹ 45,000.00	₹ 1.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
270	आईएस 2547:भाग 1:1976	1 टन	₹ 82,000.00	₹ 66,000.00	₹ 5.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
271	आईएस 2548:भाग 2:1996	1 पीस	₹ 61,000.00	₹ 49,000.00	₹ 0.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
272	आईएस 2552:1989	एक पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.18	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
273	आईएस 2553:भाग 1:1990	1 चर्च मीटर	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.54	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
274	आईएस 2553:भाग 2:1992	1 चर्च मीटर	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 0.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	2062017
275	आईएस 2556:1994	1 टन	₹ 57,000.00	₹ 46,000.00	₹ 36.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
276	आईएस 2556:भाग 1:1994	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 14.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
277	आईएस 2556:भाग 5:1994	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 14.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30082017
278	आईएस 2556:भाग 6:1995	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 14.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30082017
279	आईएस 2556:भाग 7:1995	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 14.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30082017
280	आईएस 2556:भाग 14:1995	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 14.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30082017
281	आईएस 2556:भाग 16:2002	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 14.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30082017
282	आईएस 2556:भाग 2:2004	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 14.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30082017
283	आईएस 2556:भाग 3:2004	1 टन	₹ 52,000.00	₹ 42,000.00	₹ 36.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
284	आईएस 2556:भाग 4:2004	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 14.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30082017
285	आईएस 2556:भाग 8:2004	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 14.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30082017
286	आईएस 2556:भाग 9:2004	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 14.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30082017
287	आईएस 2556:भाग 15:2004	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 14.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30082017
288	आईएस 2556:भाग 17:2004	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 14.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
289	आईएस 2557:1994	एक कि.ग्रा.	₹ 56,000.00	₹ 45,000.00	₹ 0.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
290	आईएस 2558:1994	1 कि.ग्रा.	₹ 65,000.00	₹ 50,000.00	₹ 1.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
291	आईएस 2566:1993	1 टन	₹ 63,000.00	₹ 51,000.00	₹ 17.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	26122016
292	आईएस 2567:1978	100 लीटर	₹ 52,000.00	₹ 42,000.00	₹ 34.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016

293	आईएस 2568:1978	1 टन	₹ 51,000.00	₹ 41,000.00	₹ 60.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
294	आईएस 2569:1978	1 टन	₹ 64,000.00	₹ 52,000.00	₹ 160.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
295	आईएस 2573:1986	1 जोडे	₹ 68,000.00	₹ 55,000.00	₹ 0.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
296	आईएस 2581:2002	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 34.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
297	आईएस 2593:1984	100 मी.	₹ 79,000.00	₹ 64,000.00	₹ 18.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
298	आईएस 2596:2004	100 मीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
299	आईएस 2619:1993	1 मीस	₹ 55,000.00	₹ 44,000.00	₹ 0.16	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
300	आईएस 2641:1989	1 मीस	₹ 55,000.00	₹ 44,000.00	₹ 1.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
301	आईएस 2645:2003	1 टन	₹ 70,000.00	₹ 56,000.00	₹ 70.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
302	आईएस 2653:2004	10000 बॉक्स	₹ 48,000.00	₹ 39,000.00	₹ 8.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
303	आईएस 2681:1993	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.27	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
304	आईएस 2692:1989	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.55	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
305	आईएस 2705:भाग 2:1992	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 7.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
306	आईएस 2712:1998	1000 किलो ग्राम	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 4.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
307	आईएस 2713:भाग 1 to 3:1980	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
308	आईएस 2721:2003	10 वर्ग मीटर	₹ 67,000.00	₹ 54,000.00	₹ 1.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
309	आईएस 2730:1977	1 टन	₹ 50,000.00	₹ 40,000.00	₹ 25.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
310	आईएस 2745:1983	1 पीस	₹ 55,000.00	₹ 44,000.00	1.2	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
311	आईएस 2785:1979	1 टन	₹ 50,000.00	₹ 40,000.00	₹ 34.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
312	आईएस 2791:1992	1 कि.ग्रा.	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.26	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
313	आईएस 2802:1964	100 लीटर	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 10.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
314	आईएस 2830:2012	1 टन	₹ 49,000.00	₹ 40,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
315	आईएस 2831:2012	1 टन	₹ 56,000.00	₹ 45,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
316	आईएस 2871:2012	1 पीस	₹ 93,000.00	₹ 73,000.00	₹ 4.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
317	आईएस 2878:2004	1 पीस	₹ 71,000.00	₹ 57,000.00	₹ 18.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
318	आईएस 2879:1998	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
319	आईएस 2888:2004	1 टन	₹ 54,000.00	₹ 44,000.00	₹ 540.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
320	आईएस 2923:1995	1 कि.ग्रा.	₹ 65,000.00	₹ 52,000.00	₹ 1.45	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
321	आईएस 2925:1984	1 पीस	₹ 70,000.00	₹ 56,000.00	₹ 0.36	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
322	आईएस 2932:भाग 1:2013	1 लीटर	₹ 81,000.00	₹ 65,000.00	₹ 0.26	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
323	आईएस 2933:भाग 1:2013	1 लीटर	₹ 68,000.00	₹ 55,000.00	₹ 0.27	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
324	आईएस	1 पीस	₹ 60,000.00	₹ 48,000.00	₹ 0.27	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017

	2980:1999									
325	आईएस 2993:1998	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
326	आईएस 2997:1964	1 पीस	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 7.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
327	आईएस 3017:1985	1 पीस	₹ 90,000.00	₹ 72,000.00	₹ 0.55	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
328	आईएस 3024:2015	एक मीट्रिक टन	₹ 59,000.00	₹ 48,000.00	₹ 17.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
329	आईएस 3055:भाग 1:1994	1 पीस	₹ 59,000.00	₹ 48,000.00	₹ 0.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
330	आईएस 3055:भाग 2:2004	1 पीस	₹ 59,000.00	₹ 48,000.00	₹ 0.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
331	आईएस 3062:1995	1 स्प्रेयर	₹ 63,000.00	₹ 51,000.00	₹ 4.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
332	आईएस 3074:2013	एकटन	₹ 70,000.00	₹ 56,000.00	₹ 8.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	04072016
333	आईएस 3087:2005	1 वर्ग मीटर	₹ 99,000.00	₹ 80,000.00	₹ 0.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
334	आईएस 3097:2006	1 वर्ग मीटर	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
335	आईएस 3099:भाग 1 to 2:1992	500 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
336	आईएस 3104:भाग 1:1982	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.36	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
337	आईएस 3118:197 8	1 पीस	₹ 1,07,000.00	₹ 86,000.00	₹ 26.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
338	आईएस 3119:1978	1 पीस	₹ 1,08,000.00	₹ 87,000.00	₹ 26.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
339	आईएस 3181:1992	1 वर्ग मीटर	₹ 1,49,000.00	₹ 1,20,000.00	₹ 0.85	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	26052016
340	आईएस/आईएस O 3183:2007	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 8.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
341	आईएस 3183:2007	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 8.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
342	आईएस 3196:भाग 4:2001	1 पीस	₹ 1,36,000.00	₹ 98,000.00	₹ 27.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
343	आईएस 3196:भाग 2:2006	1 पीस	₹ 1,36,000.00	₹ 96,000.00	₹ 3.50	50000	₹ 2.65	शेष	₹ 0.00	28072017
344	आईएस 3196:भाग 1:2013	1 पीस	₹ 1,36,000.00	₹ 96,000.00	₹ 3.50	50000	₹ 2.65	शेष	₹ 0.00	28072017
345	आईएस 3224:2002	1 पीस	₹ 1,03,000.00	₹ 83,000.00	₹ 1.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
346	आईएस 3308:1981	1चन मीटर	₹ 65,400.00	₹ 55,600.00	₹ 240.00	2800 इकाई	₹ 12.00	2800 इकाई	₹ 6.00	
347	आईएस 3309:1992	1 कि.ग्रा.	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.26	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
348	आईएस 3319:1995	1000 पीस	₹ 71,000.00	₹ 57,000.00	₹ 10.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
349	आईएस 3323:1980	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
350	आईएस 3327:1982	1 पेड़ी श्रेष्ठ	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 6.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
351	आईएस 3383:1982	एक टन	₹ 54,000.00	₹ 44,000.00	₹ 45.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
352	आईएस 3390:1988	1 मीटर	₹ 72,000.00	₹ 58,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
353	आईएस 3419:1988	100 पीस	₹ 81,000.00	₹ 65,000.00	₹ 1.15	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
354	आईएस 3443:1980	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 8.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	02062017

355	आईएस 3450:1994	100 शीट का 1 बॉक्स	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.36	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
356	आईएस 3459:2004	1 टन	₹ 71,000.00	₹ 59,000.00	₹ 28.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	27122016
357	आईएस 3462:1986	1 वर्ग मीट्र	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.22	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
358	आईएस 3466:1988	1 टन	₹ 64,000.00	₹ 45,000.00	₹ 2.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
359	आईएस 3470:2002	एक किलो लीटर	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 2.20	10000	₹ 1.73	शेष	₹ 0.00	24082016
360	आईएस 3502:2009	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
361	आईएस 3513:भाग 3:1989	1 वर्ग मीट्र	₹ 71,000.00	₹ 59,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
362	आईएस 3521:1999	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
363	आईएस 3549:1983	100 मीट्र	₹ 89,000.00	₹ 72,000.00	₹ 161.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
364	आईएस 3564:1995	1 पीस	₹ 84,000.00	₹ 68,000.00	₹ 2.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
365	आईएस 3575:1993	एक पीस	₹ 49,000.00	₹ 40,000.00	₹ 0.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
366	आईएस 3589:2001	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 8.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
367	आईएस 3601:2006	1 टन	₹ 73,000.00	₹ 59,000.00	₹ 8.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
368	आईएस 3623:1978	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 26.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
369	आईएस 3626:200 1	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 87.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20062017
370	आईएस 3650:1981	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.32	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
371	आईएस 3652:1995	1 स्प्रेयर	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
372	आईएस 3686:1966	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
373	आईएस 3725:1966	1 कि.ग्रा.	₹ 48,000.00	₹ 39,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
374	आईएस 3735:1996	1 जोड़ा	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.36	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
375	आईएस 3736:1995	1 जोड़ा	₹ 72,000.00	₹ 58,000.00	₹ 1.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
376	आईएस 3745:2006	1 पीस	₹ 55,000.00	₹ 44,000.00	₹ 0.42	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
377	आईएस 3757:1985	1 टन	₹ 48,000.00	₹ 39,000.00	₹ 13.35	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	09092016
378	आईएस 3768:1996	1 मीट्र	₹ 79,000.00	₹ 63,200.00	₹ 3.17	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	19012016
379	आईएस 3812:भाग 1:2013	1 टन	₹ 1,25,000.00	₹ 1,00,000.00	₹ 9.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
380	आईएस 3818:1992	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 8.65	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
381	आईएस 3829:भाग 2:1978	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 103.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
382	आईएस 3829:भाग 3:1985	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 103.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
383	आईएस 3829:भाग 1:1999	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 103.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
384	आईएस 3830:1979	1 पीस	₹ 51,000.00	₹ 41,000.00	₹ 140.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
385	आईएस 3831:1979	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016

386	आईएस 3832:2005	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 17.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
387	आईएस 3854:1997	100 पीस	₹ 69,000.00	₹ 56,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
388	आईएस 3899:1981	1 टन	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 193.35	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
389	आईएस 3902:1975	एक टन	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 172.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
390	आईएस 3903:1984	100 लीटर	₹ 51,000.00	₹ 41,000.00	₹ 34.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
391	आईएस 3906:1995	एक स्प्रेयर	₹ 53,000.00	₹ 43,000.00	₹ 3.45	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
392	आईएस 3975:1999	1 टन	₹ 49,000.00	₹ 40,000.00	₹ 10.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
393	आईएस 3976:2003	1 जोड़ा	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.42	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
394	आईएस 3989:2009	1 टन	₹ 61,000.00	₹ 49,000.00	₹ 8.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
395	आईएस 3992:1982	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
396	आईएस 3993:1993	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
397	आईएस 4003:भाग 1:1978	1 पीस	₹ 53,000.00	₹ 43,000.00	₹ 0.36	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
398	आईएस 4003:भाग 2:1986	1 पीस	₹ 59,000.00	₹ 48,000.00	₹ 5.25	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
399	आईएस 4035:1967	1 बेड	₹ 51,000.00	₹ 41,000.00	₹ 3.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	09062016
400	आईएस 4038:1986	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
401	आईएस 4109:1967	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 59.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
402	आईएस 4123:1982	1 पीस	₹ 53,000.00	₹ 43,000.00	₹ 5.25	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	17072017
403	आईएस 4135:1974	100 वर्ग. मीटर	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 28.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
404	आईएस 4148:1989	100 जोड़े	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.74	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
405	आईएस 4151:1993	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.45	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
406	आईएस 4159:2002	1 पीस	₹ 81,000.00	₹ 65,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
407	आईएस 4199:2001	मीटर एक किलो	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 43.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
408	आईएस 4246:2002	1 पीस	₹ 1,13,000.00	₹ 91,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
409	आईएस 4250:1980	1 पीस	₹ 79,000.00	₹ 64,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
410	आईएस 4266:1967	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 2.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
411	आईएस 4270:2001	1 टन	₹ 71,000.00	₹ 57,000.00	₹ 8.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
412	आईएस 4283:1981	1 पीस	₹ 89,000.00	₹ 72,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
413	आईएस 4308:2003	1 कि.ग्रा.	₹ 61,000.00	₹ 49,000.00	₹ 0.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
414	आईएस 4320:1982	1 टन	₹ 48,000.00	₹ 39,000.00	₹ 250.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
415	आईएस 4328:1967	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
416	आईएस 4351:2003	1 टन	₹ 56,000.00	₹ 45,000.00	₹ 137.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
417	आईएस 4355:1977	1 वर्ग मीटर	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.07	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016

418	आईएस 4375:1975	100 नंबर	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 2.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
419	आईएस 4381:1967	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 8.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
420	आईएस 4398:1994	एक टन	₹ 70,000.00	₹ 56,000.00	₹ 5.85	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06092016
421	आईएस 4432:1988	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
422	आईएस 4447:1994	1 कि.ग्रा.	₹ 59,000.00	₹ 48,000.00	₹ 0.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
423	आईएस 4448:1994	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 260.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	26122016
424	आईएस 4454:भाग 1:2001	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
425	आईएस 4467:1996	एक कि.ग्रा.	₹ 75,000.00	₹ 60,000.00	₹ 0.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
426	आईएस 4505:2015	1 मीट्रिक टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 300.00	1000	₹ 200.00	5000	₹ 100.00	24082016
427	आईएस 4508:1992	1 पीस	₹ 48,000.00	₹ 39,000.00	₹ 0.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
428	आईएस 4509:1992	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
429	आईएस 4521:2001	1 टन	₹ 1,07,000.00	₹ 86,000.00	₹ 103.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
430	आईएस 4533:1995	1 पीस	₹ 77,000.00	₹ 62,000.00	₹ 14.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
431	आईएस 4572:2014	1 मीट्रिक टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 290.00	150	₹ 145.00	शेष	₹ 0.00	24082016
432	आईएस 4588:1986	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 25.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
433	आईएस 4605:1981	100 वर्ग मीट्रिक	₹ 47,000.00	₹ 38,000.00	₹ 9.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	17072017
434	आईएस 4654:1993	1 टन	₹ 56,000.00	₹ 45,000.00	₹ 13.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
435	आईएस 4684:1975	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 24.00	2000	₹ 12.00	शेष	₹ 0.00	24082016
436	आईएस 4751:1994	1 टन	₹ 57,000.00	₹ 46,000.00	₹ 0.08	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
437	आईएस 4752:1994	1 टन	₹ 61,000.00	₹ 49,000.00	₹ 0.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
438	आईएस 4761:1968	1 पीस	₹ 56,000.00	₹ 44,800.00	₹ 0.23	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	21012016
439	आईएस 4766:1982	1 टन	₹ 54,000.00	₹ 44,000.00	₹ 270.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
440	आईएस 4783:1982	एक टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 69.10	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
441	आईएस 4808:1982	100 लीटर.	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 31.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
442	आईएस 4835:1979	1 टन	₹ 1,02,000.00	₹ 85,000.00	₹ 86.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
443	आईएस 4860:1968	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 4.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
444	आईएस 4923:2017	1 टन	₹ 74,000.00	₹ 60,000.00	₹ 8.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
445	आईएस 4947:2006	1 पीस	₹ 79,000.00	₹ 64,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
446	आईएस 4948:2002	1 टन	₹ 53,000.00	₹ 43,000.00	₹ 30.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
447	आईएस 4964:2013	100 वेस्ट्रैम	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 5.25	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
448	आईएस 4984:1995	1 टन	₹ 50,000.00	₹ 40,000.00	₹ 86.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
449	आईएस 4985:2000	1 टन	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 86.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017

450	आईएस 4989:भाग 4:2003	1 कि.ली.	₹ 86,000.00	₹ 74,000.00	₹ 220.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
451	आईएस 4989:2006	1 लीटर	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
452	आईएस 4990:2011	1 वर्ष मीटर	₹ 90,000.00	₹ 72,000.00	₹ 0.25	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
453	आईएस 5022:1989	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
454	आईएस 5029:1979	1 पीस	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 17.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
455	आईएस 5035:1969	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 140.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
456	आईएस 5135:भाग 1:1994	एक डस्टर	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
457	आईएस 5143:1988	1 पीस	₹ 48,000.00	₹ 39,000.00	₹ 0.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
458	आईएस 5175:1992	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 43.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
459	आईएस 5191:1993	1 कि.ग्रा.	₹ 88,000.00	₹ 71,000.00	₹ 0.42	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
460	आईएस 5204:1969	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 36.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
461	आईएस 5206:1983	एक टन	₹ 1,17,000.00	₹ 97,000.00	₹ 60.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
462	आईएस 5244:2014	1 पीस	₹ 2,03,000.00	₹ 1,63,000.00	₹ 79.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
463	आईएस 5277:1978	100 लीटर	₹ 54,000.00	₹ 44,000.00	₹ 34.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
464	आईएस 5278:1969	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 306.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
465	आईएस 5279:1969	100 लीटर	₹ 49,000.00	₹ 40,000.00	₹ 34.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
466	आईएस 5290:1993	1 पीस	₹ 62,000.00	₹ 50,000.00	₹ 5.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
467	आईएस 5291:1969	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 103.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
468	आईएस 5312:भाग 1:2004	1 पीस	₹ 66,000.00	₹ 53,000.00	₹ 6.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
469	आईएस 5342:1996	एक कि.ग्रा.	₹ 65,000.00	₹ 52,000.00	₹ 1.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
470	आईएस 5346:1994	1 कि.ग्रा.	₹ 54,000.00	₹ 44,000.00	₹ 0.45	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
471	आईएस 5382:1985	1 पीस	₹ 76,000.00	₹ 61,000.00	₹ 0.26	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
472	आईएस 5405:1980	1000 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 10.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
473	आईएस 5410:2013	100 कि.ग्रा	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 8.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
474	आईएस 5430:2017	1 टन (डीआरसी कीएप्स)	₹ 57,000.00	₹ 46,000.00	₹ 51.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
475	आईएस 5456:2006	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 26.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
476	आईएस 5470:2002	एक टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 17.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
477	आईएस 5487:1992	एक किलोलीटर	₹ 57,000.00	₹ 46,000.00	₹ 51.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
478	आईएस 5504:1997	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 7.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
479	आईएस 5509:2000	1 वर्ष मीटर	₹ 70,000.00	₹ 56,000.00	₹ 0.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
480	आईएस 5513:1996	1 पीस	₹ 53,000.00	₹ 43,000.00	₹ 6.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016

481	आईएस 5514:1996	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.82	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
482	आईएस 5516:1996	1 पीस	₹ 51,000.00	₹ 41,000.00	₹ 5.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
483	आईएस 5517:1993	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
484	आईएस 5522:2014	एक मीट्रिक टन	₹ 55,300.00	₹ 44,300.00	₹ 17.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	23092016
485	आईएस 5531:2014	1 टन	₹ 77,000.00	₹ 62,000.00	₹ 17.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
486	आईएस 5557:2004	1 जोड़ा	₹ 95,000.00	₹ 76,000.00	₹ 0.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
487	आईएस 5604:1984	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 17.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
488	आईएस 5631:1970	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 2.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	29062016
489	आईएस 5672:1992	1 टन	₹ 77,000.00	₹ 62,000.00	₹ 38.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
490	आईएस 5676:1995	100 जोड़े	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 8.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
491	आईएस 5679:1986	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.55	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
492	आईएस 5719:2005	1 कि.ग्रा..	₹ 68,000.00	₹ 55,000.00	₹ 0.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
493	आईएस 5820:1970	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 40.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
494	आईएस 5852:2004	100 जोड़े	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 4.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
495	आईएस 5872:1990	एकटन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
496	आईएस 5884:1993	1 वर्ग मीटर	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
497	आईएस 5950:1984	100 मी.	₹ 82,000.00	₹ 66,000.00	₹ 1.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
498	आईएस 5982:2003	एक टन	₹ 63,000.00	₹ 51,000.00	₹ 48.00	5000	₹ 24.00	शेष	₹ 0.00	06082017
499	आईएस 5983:1980	1 जोड़ा	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
500	आईएस 5986:2017	1 टन	₹ 70,000.00	₹ 56,000.00	₹ 3.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
501	आईएस 6003:2010	1 टन	₹ 55,000.00	₹ 44,000.00	₹ 10.49	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
502	आईएस 6006:2014	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 20.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
503	आईएस 6014:1978	100 लीटर.	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 30.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
504	आईएस 6022:1994	1 कि.ग्रा.	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
505	आईएस 6031:1997	1 कि.ग्रा.	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.18	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
506	आईएस 6046:1982	एक मीट्रिक टन	₹ 53,000.00	₹ 43,000.00	₹ 2.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
507	आईएस 6047:2009	एक टन	₹ 59,000.00	₹ 48,000.00	₹ 25.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
508	आईएस 6073:2006	10 वर्ग मीटर	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
509	आईएस 6149:1984	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.42	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
510	आईएस 6218:2008	1 जोड़ा	₹ 59,000.00	₹ 48,000.00	₹ 5.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
511	आईएस 6240:2008	1 टन	₹ 77,000.00	₹ 62,000.00	₹ 3.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
512	आईएस 6312:1994	1 नंबर	₹ 85,640.00	₹ 68,512.00	₹ 0.14	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	27112015

513	आईएस 6315:1992	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 5.25	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
514	आईएस 6385:1997	1 कि.ग्रा.	₹ 71,000.00	₹ 57,000.00	₹ 3.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
515	आईएस 6392:1971	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
516	आईएस 6406:1994	1 कि.ग्रा.	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
517	आईएस 6419:1996	किलो ग्राम.	₹ 1,79,000.00	₹ 1,43,200.00	₹ 0.12	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	22062015
518	आईएस 6438:1980	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 69.10	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
519	आईएस 6444:197 9	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 19.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
520	आईएस 6452:1989	1टन	₹ 44,000.00	₹ 38,000.00	₹ 4.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	12022013
521	आईएस 6593:1972	1 पीस	₹ 97,000.00	₹ 78,000.00	₹ 26.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
522	आईएस 6595:भाग 2:1993	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 5.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
523	आईएस 6595:भाग 1:2002	1 पीस	₹ 65,000.00	₹ 52,000.00	₹ 5.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
524	आईएस 6623:2004	1 टन	₹ 48,000.00	₹ 39,000.00	₹ 13.35	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	9092016
525	आईएस 6649:1985	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 13.35	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	9092016
526	आईएस 6685:2009	1 पीस	₹ 1,86,000.00	₹ 1,49,000.00	₹ 1.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30082017
527	आईएस 6701:1985	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.10	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
528	आईएस 6760:1972	1000 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	17072017
529	आईएस 6803:1972	100 वर्ग मीटर	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 8.60	2000	₹ 3.45	शेष	₹ 0.00	24082016
530	आईएस 6901:2009	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
531	आईएस 6908:1991	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 16.00	सभीइका ई	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
532	आईएस 6909:1990	1 टन	₹ 79,000.00	₹ 64,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	21122016
533	आईएस 6911:2017	एक टन	₹ 96,000.00	₹ 77,000.00	₹ 12.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
534	आईएस 6956:2001	1 टन	₹ 63,000.00	₹ 51,000.00	₹ 55.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
535	आईएस 7021:197 3	एक टन	₹ 80,000.00	₹ 64,000.00	₹ 20.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
536	आईएस 7058:2005	100 लीटर	₹ 42,600.00	₹ 36,300.00	₹ 40.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	26092006
537	आईएस 7079:2008	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 8.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
538	आईएस 7083:1973	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 2.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	29062016
539	आईएस 7092:भाग 2:1987	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 87.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
540	आईएस 7098:भाग 1:1988	100 मी.	₹ 1,28,000.00	₹ 1,03,000.00	₹ 12.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	27072017
541	आईएस 7098:भाग 3:1993	1 मी.	₹ 81,000.00	₹ 78,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
542	आईएस 7098:भाग 2:2011	100 मी.	₹ 1,52,000.00	₹ 1,22,000.00	₹ 17.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
543	आईएस 7123:1993	100 लीटर	₹ 46,530.00	₹ 37,224.00	₹ 60.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	01122015

544	आईएस 7142:1995	1 पीस	₹ 1,36,000.00	₹ 96,000.00	₹ 2.65	50000	₹ 1.75	शेष	₹ 0.00	24082016
545	आईएस 7181:1986	1 टन	₹ 72,000.00	₹ 58,000.00	₹ 40.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	26122016
546	आईएस 7224:2006	1 टन	₹ 67,000.00	₹ 54,000.00	₹ 1.73	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
547	आईएस 7231:1994	1 पीस	₹ 72,000.00	₹ 58,000.00	₹ 0.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
548	आईएस 7283:1992	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
549	आईएस 7285:भाग 1:2004	1 पीस	₹ 1,36,000.00	₹ 96,000.00	₹ 10.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
550	आईएस 7312:199 3	1 पीस	₹ 1,36,000.00	₹ 96,000.00	₹ 10.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
551	आईएस 7347:1974	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 2.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
552	आईएस 7372:1995	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
553	आईएस 7378:1974	7378	₹ 51,000.00	₹ 41,000.00	₹ 2.35	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20092016
554	आईएस 7402:2011	एक फिल्टर	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.36	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
555	आईएस 7452:1990	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 13.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
556	आईएस 7454:1991	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 4.35	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
557	आईएस 7466:1994	100 ग्रैम्स	₹ 74,000.00	₹ 61,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
558	आईएस 7532:1974	1 टन	₹ 70,000.00	₹ 56,000.00	₹ 34.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
559	आईएस 7538:1996	1 कि.वॉट	₹ 77,000.00	₹ 62,000.00	₹ 4.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
560	आईएस 7577:1986	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 2.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
561	आईएस 7593:भाग 1:1986	एक स्ट्रेयर	₹ 1,00,000.00	₹ 80,000.00	₹ 7.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
562	आईएस 7620:भाग 1:1986	1 पीस	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 260.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
563	आईएस 7652:1988	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
564	आईएस 7653:1975	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
565	आईएस 7809:भाग 3:खंडा 1:1986	100 रोल	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.90	5000	₹ 0.55	शेष	₹ 0.00	24082016
566	आईएस 7834:भाग 1:1987	100 पीस	₹ 55,000.00	₹ 44,000.00	₹ 11.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
567	आईएस 7834:भाग 3:1987	100 पीस	₹ 57,000.00	₹ 46,000.00	₹ 8.65	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
568	आईएस 7834:भाग 4:1987	100 पीस	₹ 67,000.00	₹ 54,000.00	₹ 6.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
569	आईएस 7834:भाग 8:1987	100 पीस	₹ 60,000.00	₹ 48,000.00	₹ 8.65	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
570	आईएस 7887:1992	1 टन	₹ 66,000.00	₹ 53,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
571	आईएस 7898:2001	1 मशीन	₹ 47,000.00	₹ 38,000.00	₹ 12.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
572	आईएस 7903:2011	100 वर्ना मीटर	₹ 99,000.00	₹ 80,000.00	₹ 7.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
573	आईएस 7904:1995	टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 81.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
574	आईएस 7933:1975	1 कि.ग्रा.	₹ 93,000.00	₹ 75,000.00	₹ 0.54	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016

575	आईएस 7948:1987	100 लीटर	₹ 47,000.00	₹ 38,000.00	₹ 200.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
576	आईएस 8025:1990	1 टन	₹ 48,000.00	₹ 39,000.00	₹ 34.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
577	आईएस 8028:1987	100 लीटर	₹ 48,000.00	₹ 39,000.00	₹ 34.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
578	आईएस 8034:2002	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 17.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
579	आईएस 8035:1999	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
580	आईएस 8041:1990	1 टन	₹ 75,000.00	₹ 60,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
581	आईएस8042:201 5	1 टन	₹ 64,000.00	₹ 45,000.00	₹ 2.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
582	आईएस 8074:1990	100 लीटर	₹ 49,000.00	₹ 40,000.00	₹ 34.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
583	आईएस 8086:1991	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 4.35	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
584	आईएस 8088:1976	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 6.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
585	आईएस 8110:2000	1 मी.	₹ 76,000.00	₹ 62,000.00	₹ 1.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
586	आईएस 8144:1997	1000 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
587	आईएस 8229:1986	1 टन	₹ 48,000.00	₹ 39,000.00	₹ 3.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
588	आईएस 8249:1994	1 टन	₹ 54,000.00	₹ 44,000.00	₹ 17.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
589	आईएस 8275:1976	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 5.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
590	आईएस 8291:1976	100 लीटर	₹ 47,000.00	₹ 38,000.00	₹ 34.50	सभी	₹ 25.90	शेष	₹ 0.00	20122016
591	आईएस 8309:1993	1 टन	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 560.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
592	आईएस 8329:2000	एक टन	₹ 88,000.00	₹ 72,000.00	₹ 17.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
593	आईएस 8391:1987	1 टन	₹ 82,000.00	₹ 66,000.00	₹ 43.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
594	आईएस 8418:1999	1 पीस	₹ 64,000.00	₹ 52,000.00	₹ 4.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
595	आईएस 8421:1977	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 26.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
596	आईएस 8423:1994	100 मीटर	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 13.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
597	आईएस 8442:2008	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 26.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
598	आईएस8446:199 1	एक टन	₹ 57,000.00	₹ 46,000.00	₹ 285.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
599	आईएस 8448:1989	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
600	आईएस 8462:1977	1 पीस	₹ 88,000.00	₹ 71,000.00	₹ 26.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
601	आईएस 8471:भाग 4:1977	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 2,520.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
602	आईएस 8471:2003	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 2,520.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
603	आईएस 8472:1998	1 पीस	₹ 64,000.00	₹ 52,000.00	₹ 4.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
604	आईएस 8481:2005	1 लीटर	₹ 51,000.00	₹ 41,000.00	₹ 0.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06072017
605	आईएस 8498:2013	100 लीटर	₹ 48,000.00	₹ 39,000.00	₹ 38.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
606	आईएस	1 टन	₹ 50,000.00	₹ 40,000.00	₹ 8.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016

	8598:1987								
607	आईएस 8654:2001	1 किलो लीटर	₹ 95,000.00	₹ 76,000.00	₹ 86.00	1000	₹ 51.80	शेष	₹ 0.00
608	आईएस 8707:2013	एक टन	₹ 48,000.00	₹ 39,000.00	₹ 156.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
609	आईएस 8708:2006	एक टन	₹ 53,000.00	₹ 43,000.00	₹ 265.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
610	आईएस 8737:1995	1 पीस	₹ 69,000.00	₹ 56,000.00	₹ 0.42	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
611	आईएस 8749:2002	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
612	आईएस 8783:भाग 4:खंड 1:1995	100 मी.	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.38	100000	₹ 0.19	शेष	₹ 0.00
613	आईएस 8783:भाग 4:खंड 3:1995	100 मी.	₹ 74,000.00	₹ 60,000.00	₹ 1.00	10000	₹ 0.50	सभी	₹ 0.00
614	आईएस 8794:1988	1 टन	₹ 56,000.00	₹ 45,000.00	₹ 56.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
615	आईएस 8808:1999	100 पीस	₹ 64,000.00	₹ 52,000.00	₹ 12.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
616	आईएस 8887:2004	एक टन	₹ 94,000.00	₹ 76,000.00	₹ 49.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
617	आईएस 8931:1993	1 पीस	₹ 53,000.00	₹ 43,000.00	₹ 0.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
618	आईएस 8944:2005	100 लीटर	₹ 52,000.00	₹ 42,000.00	₹ 40.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
619	आईएस 8951:2001	1 मीट्रिक टन	₹ 61,000.00	₹ 49,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
620	आईएस 8952:1995	1 मीट्रिक टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 56.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
621	आईएस 8960:1978	1 टन	₹ 50,000.00	₹ 40,000.00	₹ 50.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
622	आईएस 8978:1992	1 पीस	₹ 1,04,000.00	₹ 84,000.00	₹ 2.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
623	आईएस 9020:2002	1 ब्रैशर	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 25.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
624	आईएस 9079:2002	1 पीस	₹ 87,000.00	₹ 70,000.00	₹ 8.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
625	आईएस 9103:1999	1 कि.मि./1 टन	₹ 65,000.00	₹ 50,000.00	₹ 52.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
626	आईएस 9128:1999	1000 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
627	आईएस 9165:भाग 2:1992	1000 पीस	₹ 73,000.00	₹ 60,000.00	₹ 43.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
628	आईएस 9167:1979	100 पीस	₹ 68,000.00	₹ 56,000.00	₹ 3.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
629	आईएस 9271:2004	1 टन	₹ 81,000.00	₹ 69,000.00	₹ 80.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
630	आईएस 9281:भाग 1:1979	1 पीस	₹ 61,000.00	₹ 49,000.00	₹ 40.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
631	आईएस 9281:भाग 3:1981	1 पीस	₹ 61,000.00	₹ 49,000.00	₹ 40.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
632	आईएस 9282:2002	1 टन	₹ 54,000.00	₹ 44,000.00	₹ 87.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
633	आईएस 9283:2013	1 कि.वॉट	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.75	5000	₹ 1.35	10000	₹ 0.90
634	आईएस 9295:1983	एक टन	₹ 61,000.00	₹ 49,000.00	₹ 8.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
635	आईएस 9354:1980	100 लीटर	₹ 52,000.00	₹ 42,000.00	₹ 34.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
636	आईएस 9356:1980	100 लीटर	₹ 52,000.00	₹ 42,000.00	₹ 38.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00
637	आईएस 9359:1995	एक टन	₹ 53,000.00	₹ 43,000.00	₹ 90.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00

638	आईएस 9360:1980	1 टन	₹ 66,000.00	₹ 53,000.00	₹ 86.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
639	आईएस 9395:1979	1 बेड	₹ 51,000.00	₹ 41,000.00	₹ 50.00	सभी इकाई के लिए	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
640	आईएस 9471:भाग 2:1980	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.03	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
641	आईएस 9471:भाग 3:1980	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
642	आईएस 9471:भाग 4:1980	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
643	आईएस 9471:भाग 5:1980	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
644	आईएस 9471:भाग 6:2000	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
645	आईएस 9471:भाग 7:2000	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.05	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
646	आईएस 9473:2002	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 17.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
647	आईएस 9523:2000	1 मीट्रिक टन	₹ 79,000.00	₹ 64,000.00	₹ 43.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
648	आईएस 9532:1980	एक टन	₹ 51,000.00	₹ 41,000.00	₹ 17.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
649	आईएस 9537:भाग 2:1981	100मी.	₹ 47,000.00	₹ 38,000.00	₹ 2.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
650	आईएस 9537:भाग 3:1983	100 मी.	₹ 51,000.00	₹ 41,000.00	₹ 2.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
651	आईएस 9537:भाग 4:1983	100 मीटर	₹ 52,200.00	₹ 44,200.00	₹ 5.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	1072006
652	आईएस 9550:2001	1 मीट्रिक टन	₹ 83,000.00	₹ 67,000.00	₹ 4.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	26122016
653	आईएस 9562:1980	1 पीस	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 1.45	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
654	आईएस 9573:2012	100मी.	₹ 80,000.00	₹ 64,000.00	₹ 13.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
655	आईएस 9585:1980	1 पीस	₹ 47,000.00	₹ 38,000.00	₹ 0.16	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
656	आईएस 9665:1981	100 लीटर	₹ 59,000.00	₹ 48,000.00	₹ 118.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
657	आईएस 9738:2003	1 मीट्रिक टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 280.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
658	आईएस 9758:1981	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
659	आईएस 9762:1994	100 पीस	₹ 56,000.00	₹ 45,000.00	₹ 5.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
660	आईएस 9763:2000	100 पीस	₹ 71,000.00	₹ 57,000.00	₹ 12.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
661	आईएस 9798:2013	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.44	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
662	आईएस 9825:2003	1000 टेवलेट	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.72	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
663	आईएस 9836:1981	1 पीस	₹ 88,000.00	₹ 72,000.00	₹ 7.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
664	आईएस 9857:1990	100 मीटर	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 4.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
665	आईएस 9890:1981	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
666	आईएस 9968:भाग 1:1988	100 मीटर	₹ 1,11,000.00	₹ 89,000.00	₹ 4.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
667	आईएस 9968:भाग 2:2002	100 मीटर	₹ 1,69,000.00	₹ 1,36,000.00	₹ 93.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
668	आईएस	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016

	9972:2002									
669	आईएस 9974:भाग 1:1981	1 पीस	₹ 88,000.00	₹ 72,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
670	आईएस 10001:1981	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 17.30	1500	₹ 10.40	शेष	₹ 0.00	24082016
671	आईएस 10025:1981	100 लीटर	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 33.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
672	आईएस 10065:1981	एक कि.ग्रा.	₹ 54,000.00	₹ 44,000.00	₹ 0.15	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	18052016
673	आईएस 10080:1982	1 पीस	₹ 53,000.00	₹ 43,000.00	₹ 1.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
674	आईएस 10086:1982	1 पीस	₹ 1,01,000.00	₹ 81,000.00	₹ 3.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
675	आईएस 10124:भाग 1:2009	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 69.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
676	आईएस 10124:भाग 2:2009	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 73.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
677	आईएस 10212:भाग 1:1986	100 बॉक्स	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
678	आईएस 10228:1982	100 बैले	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 12.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
679	आईएस 10238:2001	1 टन	₹ 67,000.00	₹ 54,000.00	₹ 134.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
680	आईएस 10243:1993	100 लिटर	₹ 49,000.00	₹ 40,000.00	₹ 34.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
681	आईएस 10245:भाग 2:1994	एक व्हास उपकरण	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 75.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
682	आईएस 10245:भाग 3:1999	1 व्हास उपकरण	₹ 83,000.00	₹ 69,000.00	₹ 200.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
683	आईएस 10264:1982	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 120.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	26052016
684	आईएस 10322:भाग 5:खंड 1:1985	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
685	आईएस 10322:भाग 5:खंड 2:2012	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
686	आईएस 10322:भाग 5:खंड 3:2012	1 पीस	₹ 1,92,000.00	₹ 1,54,000.00	₹ 1.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	23122016
687	आईएस 10325:2000	1000	₹ 53,000.00	₹ 43,000.00	₹ 84.95	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
688	आईएस 10350:1999	1 कि.ग्रा.	₹ 48,000.00	₹ 39,000.00	₹ 1.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
689	आईएस 10508:2007	1 टन	₹ 57,000.00	₹ 46,000.00	₹ 50.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	6082017
690	आईएस 10532:भाग 2:1983	1 किलो लीटर	₹ 3,28,000.00	₹ 2,63,000.00	₹ 182.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	26122016
691	आईएस 10577:1982	1 टन	₹ 53,000.00	₹ 43,000.00	₹ 26.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
692	आईएस 10592:1982	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 17.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
693	आईएस 10617:2013	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
694	आईएस 10647:1983	एक टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 51.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016

695	आईएस 10658:1999	1 पीस	₹ 86,000.00	₹ 69,000.00	₹ 34.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
696	आईएस 10701:2012	1 वर्ग मीटर	₹ 91,000.00	₹ 73,000.00	₹ 0.15	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
697	आईएस 10702:1992	1 जोड़ा	₹ 71,000.00	₹ 57,000.00	₹ 0.10	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24012017
698	आईएस 10748:2004	1 टन	₹ 78,000.00	₹ 63,000.00	₹ 3.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
699	आईएस 10758:1983	100 लीटर	₹ 62,000.00	₹ 50,000.00	₹ 8.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
700	आईएस 10775:1984	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.45	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
701	आईएस 10805:1986	1 पीस	₹ 56,000.00	₹ 45,000.00	₹ 0.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
702	आईएस 10889:2004	1 मीट्रिक टन	₹ 63,000.00	₹ 51,000.00	₹ 160.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
703	आईएस 10908:1991	100 मीटर	₹ 69,000.00	₹ 56,000.00	₹ 5.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
704	आईएस 11006:2011	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 250.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
705	आईएस 11010:1984	100 लीटर	₹ 52,000.00	₹ 42,000.00	₹ 34.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
706	आईएस 11037:1984	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
707	आईएस 11087:1986	1 टन	₹ 59,000.00	₹ 48,000.00	₹ 43.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
708	आईएस 11169:भाग 1:1984	एक मीटर	₹ 79,000.00	₹ 64,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13072016
709	आईएस 11170:1985	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 17.30	1500	₹ 10.40	शेष	₹ 0.00	24082016
710	आईएस 11188:भाग 1:2014	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 288.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
711	आईएस 11226:1993	एक जोड़ी जूते	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.54	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
712	आईएस 11241:1985	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
713	आईएस 11279:1985	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 2.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
714	आईएस 11313:2007	एक स्त्रेयर	₹ 1,08,000.00	₹ 92,000.00	₹ 12.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
715	आईएस 11378:2002	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 260.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
716	आईएस 11459:1985	1 मशीन	₹ 71,000.00	₹ 57,000.00	₹ 17.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	26122016
717	आईएस 11501:1986	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 17.30	1500	₹ 10.40	शेष	₹ 0.00	24082016
718	आईएस 11513:2017	एक टन	₹ 59,000.00	₹ 48,000.00	₹ 3.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
719	आईएस 11536:2007	एक टन	₹ 1,55,000.00	₹ 1,24,000.00	₹ 172.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
720	आईएस 11552:2008	1 पीस	₹ 99,000.00	₹ 82,000.00	₹ 20.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
721	आईएस 11569:1986	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
722	आईएस 11584:1986	1 क्रेट	₹ 74,000.00	₹ 60,000.00	₹ 0.25	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06072017
723	आईएस 11646:भाग 2:1986	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
724	आईएस 11646:भाग 1:2003	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016

725	आईएस 11652:2000	1 टन	₹ 55,000.00	₹ 44,000.00	₹ 52.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	26122016
726	आईएस 11673:1992	1 कि.ली.	₹ 63,000.00	₹ 51,000.00	₹ 15.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
727	आईएस 11708:1986	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 2.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
728	आईएस 11722:1986	एक टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 26.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
729	आईएस 11785:1986	एक टन	₹ 52,000.00	₹ 42,000.00	₹ 300.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
730	आईएस 11833:1986	1 पीस	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 66.00	800	₹ 33.00	शेष	₹ 0.00	24082016
731	आईएस 11879:1986	1 पीस	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 2.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
732	आईएस 11928:भाग 1 and 2:1987	1 मीटर	₹ 51,000.00	₹ 40,800.00	₹ 0.25	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	19022016
733	आईएस 11995:1987	एक टन	₹ 53,000.00	₹ 43,000.00	₹ 345.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
734	आईएस 11997:1987	100 लीटर	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 56.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
735	आईएस 12016:1987	100 लीटर	₹ 48,000.00	₹ 39,000.00	₹ 69.10	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
736	आईएस 12109:1987	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 2.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
737	आईएस 12225:1997	1 पीस	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 8.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
738	आईएस 12227:2002	1000 पीस	₹ 59,000.00	₹ 48,000.00	₹ 1.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	17072017
739	आईएस 12232:भाग 1:1996	एक	₹ 79,000.00	₹ 64,000.00	₹ 0.95	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	26122016
740	आईएस 12234:1988	1 कि.ग्रा.	₹ 64,000.00	₹ 52,000.00	₹ 0.55	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
741	आईएस 12254:1993	एक जोड़ा	₹ 69,000.00	₹ 56,000.00	₹ 0.44	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
742	आईएस 12299:1998	एक टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 69.10	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
743	आईएस 12330:1988	1 टन	₹ 90,000.00	₹ 72,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
744	आईएस 12337:1988	एक ब्रॉडकास्टर	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.38	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
745	आईएस 12406:2003	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 17.30	2500	₹ 8.70	Rest	₹ 0.00	24082016
746	आईएस 12427:2001	1 टन	₹ 85,000.00	₹ 68,000.00	₹ 86.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
747	आईएस 12444:1988	1 टन	₹ 86,000.00	₹ 69,000.00	₹ 35.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	26122016
748	आईएस 12463:1988	1 कि.ली.	₹ 73,000.00	₹ 60,000.00	₹ 144.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
749	आईएस 12492:1988	100 मीटर	₹ 72,000.00	₹ 61,000.00	₹ 5.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	26122016
750	आईएस 12585:1988	100 मीटर	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 2.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
751	आईएस 12586:1988	1 पीस	₹ 1,36,000.00	₹ 96,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
752	आईएस 12591:2006	एक मीट्रिक टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 5.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	18052016
753	आईएस 12592:2002	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 10.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
754	आईएस 12594:1988	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
755	आईएस 12615:2011	1 कि.वॉट	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016

756	आईएस 12640:भाग 1:2008	1 पीस	₹ 1,12,000.00	₹ 96,000.00	₹ 5.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
757	आईएस 12640:भाग 2:2008	1 पीस	₹ 1,12,000.00	₹ 96,000.00	₹ 5.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
758	आईएस 12650:2003	1 मीट्रिक टन	₹ 59,000.00	₹ 48,000.00	₹ 17.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
759	आईएस 12664:भाग 1:2003	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
760	आईएस 12701:1996	100 लीटर	₹ 80,000.00	₹ 60,000.00	₹ 1.10	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
761	आईएस 12709:1994	1 कि.ग्रा.	₹ 56,000.00	₹ 45,000.00	₹ 0.09	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
762	आईएस 12751:1989	100 लीटर	₹ 59,000.00	₹ 48,000.00	₹ 70.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
763	आईएस 12766:1997	1000 शीट	₹ 68,000.00	₹ 55,000.00	₹ 0.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
764	आईएस 12776:2002	1 टन	₹ 52,000.00	₹ 42,000.00	₹ 17.25	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
765	आईएस 12785:1994	एक फिल्टर	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 5.22	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
766	आईएस 12786:1989	एक कि.ग्रा.	₹ 89,000.00	₹ 72,000.00	₹ 0.10	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
767	आईएस 12817:2013	100 पीस	₹ 48,000.00	₹ 39,000.00	₹ 8.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
768	आईएस 12818:2010	1 टन	₹ 76,000.00	₹ 61,000.00	₹ 170.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
769	आईएस 12823:2015	1 वर्ग. मी	₹ 98,000.00	₹ 79,000.00	₹ 0.27	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
770	आईएस 12866:1989	1 वर्ग. मी	₹ 84,000.00	₹ 66,000.00	₹ 0.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
771	आईएस 12894:2002	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 5.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
772	आईएस 12912:1990	एक टन	₹ 49,000.00	₹ 40,000.00	₹ 449.28	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
773	आईएस 12913:1990	एक टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 449.28	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
774	आईएस 12916:1990	एक टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 728.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
775	आईएस 12931:1990	100 कि.ग्रा	₹ 53,000.00	₹ 43,000.00	₹ 43.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
776	आईएस 12933:भाग 1:2003	1 वर्ग मीटर	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 10.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
777	आईएस 12950:1990	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 16.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
778	आईएस 12981:1991	1 टन .	₹ 64,000.00	₹ 52,000.00	₹ 6.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
779	आईएस 13000:1990	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 14.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
780	आईएस 13010:2002	1 पीस	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 0.42	100000	₹ 0.30	200000	₹ 0.18	24082016
781	आईएस 13021:भाग 1:1991	1 पीस	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 2.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
782	आईएस 13021:भाग 2:1991	1 पीस	₹ 73,000.00	₹ 60,000.00	₹ 2.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
783	आईएस 13049:1991	1 पीस	₹ 62,000.00	₹ 50,000.00	₹ 1.35	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
784	आईएस	1 पीस	₹ 52,000.00	₹ 42,000.00	₹ 3.50	upto	₹ 17.30	300 to 1200	₹ 28.80	30122016

	13095:1991					300				
785	आईएस 13098:2012	1 पीस	₹ 91,000.00	₹ 77,000.00	₹ 0.50	100000	₹ 0.35	100000	₹ 0.15	13112017
786	आईएस 13114:1991	1 पीस	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 0.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
787	आईएस 13152:भाग 1:2013	1 पीस	₹ 50,000.00	₹ 40,000.00	₹ 0.52	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
788	आईएस 13209:1991	एक लीटर	₹ 47,000.00	₹ 38,000.00	₹ 7.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
789	आईएस 13213:1991	100 लीटर	₹ 80,000.00	₹ 64,000.00	₹ 48.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
790	आईएस 13258:भाग 1:2014	1 पीस	₹ 72,000.00	₹ 59,000.00	₹ 2.65	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
791	आईएस 13334:भाग 2:2014	एक टन	₹ 80,000.00	₹ 64,000.00	₹ 25.90	1000	₹ 17.40	1000	₹ 8.60	06082017
792	आईएस 13334:2014	एक टन	₹ 80,000.00	₹ 64,000.00	₹ 34.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
793	आईएस 13340:भाग 1:2012	1 केवीएआर	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 0.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
794	आईएस 13382:2004	1 मीट्रिक टन	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 62.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
795	आईएस 13385:1992	1 पीस	₹ 1,04,000.00	₹ 84,000.00	₹ 58.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
796	आईएस 13386:1992	1 पीस	₹ 1,06,000.00	₹ 85,000.00	₹ 58.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
797	आईएस 13422:1992	100 जोडे	₹ 70,000.00	₹ 56,000.00	₹ 1.74	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	17072017
798	आईएस 13428:2005	1000 लीटर	₹ 1,25,000.00	₹ 1,00,000.00	₹ 20.00	6000	₹ 15.00	4000	₹ 10.00	20122016
799	आईएस 13429:भाग 1:2000	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 6.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
800	आईएस 13457:1992	एक मीट्रिक टन	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 1,124.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
801	आईएस 13466:1992	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 4.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
802	आईएस 13487:1992	1000	₹ 55,000.00	₹ 44,000.00	₹ 8.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
803	आईएस 13488:2008	1 कि.ग्रा.	₹ 74,000.00	₹ 61,000.00	₹ 0.35	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
804	आईएस 13502:1992	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
805	आईएस 13584:1993	1 कि.ग्रा.	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.36	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
806	आईएस 13585:भाग 1:2012	1 केवीएआर	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 0.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
807	आईएस 13592:2013	100कि.ग्रा	₹ 71,000.00	₹ 57,000.00	₹ 20.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	17072017
808	आईएस 13620:1993	1 मीट्रिक टन	₹ 68,000.00	₹ 55,000.00	₹ 4.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	6092016
809	आईएस 13692:1993	एक टन	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 312.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
810	आईएस 13703:भाग 2:खंड 1:1993	100 पीस	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 5.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
811	आईएस 13714:1993	1 पीस	₹ 59,000.00	₹ 48,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20062016
812	आईएस	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 57.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016

	13730:भाग 8:1996									
813	आईएस 13730:भाग 45:1999	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 57.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
814	आईएस 13730:भाग 3:2012	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 57.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
815	आईएस 13730:भाग 13:2014	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 57.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20062017
816	आईएस 13779:19 99	1 पीस	₹ 1,81,000.00	₹ 1,57,000.00	₹ 1.32	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
817	आईएस 13785:1993	01 कि.ग्रा..	₹ 55,000.00	₹ 44,000.00	₹ 2.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
818	आईएस 13787:1993	एक टन	₹ 55,000.00	₹ 44,000.00	₹ 2.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
819	आईएस 13801:2013	10 वर्ग. मी.	₹ 79,000.00	₹ 64,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
820	आईएस 13947:भाग 3:1993	1 पीस	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 0.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
821	आईएस 13947:भाग 4:खंड 1:1993	1 पीस	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 0.27	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
822	आईएस 13958:1994	1 वर्ग मीटर	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
823	आईएस 13983:1994	1 पीस	₹ 1,02,000.00	₹ 82,000.00	₹ 4.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
824	आईएस 13997:2014	1 ड्रम	₹ 53,000.00	₹ 43,000.00	₹ 1.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
825	आईएस 14106:1996	1 पीस	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 8.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
826	आईएस 14151:भाग 1:1999	एक कि.ग्रा..	₹ 1,08,000.00	₹ 87,000.00	₹ 0.18	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
827	आईएस 14151:भाग 2:2008	एक सेट	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 0.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
828	आईएस 14158:1994	100 कि.ग्रा.	₹ 63,000.00	₹ 51,000.00	₹ 414.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
829	आईएस 14166:1994	100 नंबर	₹ 1,21,000.00	₹ 1,01,000.00	₹ 45.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
830	आईएस 14182:1994	एक लीटर	₹ 68,000.00	₹ 56,000.00	₹ 0.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
831	आईएस 14183:1994	एक टन	₹ 53,000.00	₹ 43,000.00	₹ 792.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
832	आईएस 14184:1994	एक टन	₹ 53,000.00	₹ 45,000.00	₹ 57.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	26122016
833	आईएस 14186:1994	एक टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 312.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
834	आईएस 14203:1999	1 पीस	₹ 91,000.00	₹ 75,000.00	₹ 56.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
835	आईएस 14220:1994	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 17.30	200	₹ 10.00	शेष	₹ 0.00	24082016
836	आईएस 14246:2013	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 6.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
837	आईएस 14252:2015	1 मीट्रिक टन	₹ 85,000.00	₹ 68,000.00	₹ 340.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	26122016
838	आईएस 14255:1995	100 मी.	₹ 1,80,000.00	₹ 1,44,000.00	₹ 20.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
839	आईएस 14261:1995	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 60.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016

840	आईएस 14268:1995	1 टन	₹ 1,00,000.00	₹ 84,000.00	₹ 34.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
841	आईएस 14276:1995	1 वर्ग मीटर	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 0.18	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
842	आईएस 14300:1995	100 लीटर	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 36.00	1000	₹ 18.00	शेष	₹ 0.00	24082016
843	आईएस 14333:1996	1 कि.ग्रा.	₹ 1,00,000.00	₹ 84,000.00	₹ 0.22	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
844	आईएस 14394:1996	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 27.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20062017
845	आईएस 14399:भाग 1 और 2:1996	1 कि.ग्रा.	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 0.36	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
846	आईएस 14402:1996	1 कि.ग्रा.	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 0.15	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
847	आईएस 14411:1996	100 लीटर	₹ 48,000.00	₹ 39,000.00	₹ 62.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
848	आईएस 14429:1997	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 10.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
849	आईएस 14433:2007	1 टन	₹ 1,36,000.00	₹ 1,20,000.00	₹ 51.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
850	आईएस 14443:1997	100 कि.ग्रा	₹ 1,31,000.00	₹ 1,09,000.00	₹ 29.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
851	आईएस 14483:भाग 1:1997	1 पीस	₹ 61,000.00	₹ 50,000.00	₹ 1.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
852	आईएस 14490:1997	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 12.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
853	आईएस 14494:1998	100 मीटर	₹ 1,39,000.00	₹ 1,12,000.00	₹ 17.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
854	आईएस 14506:1998	लीटर	₹ 64,000.00	₹ 51,200.00	₹ 0.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	23122015
855	आईएस 14510:1997	1 कि.ग्रा..	₹ 52,000.00	₹ 42,000.00	₹ 6.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
856	आईएस 14543:2004	1000 लीटर	₹ 1,28,000.00	₹ 1,02,400.00	₹ 20.00	6000	₹ 15.00	4000	₹ 10.00	20122016
857	आईएस 14544:1998	1 जोड़ा	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 0.65	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
858	आईएस 14550:1998	100 लीटर	₹ 47,000.00	₹ 38,000.00	₹ 40.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	15112017
859	आईएस 14552:1998	1 कि.ग्रा..	₹ 53,000.00	₹ 43,000.00	₹ 1.35	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
860	आईएस 14561:2014	1 पीस	₹ 91,000.00	₹ 75,000.00	₹ 38.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
861	आईएस 14587:1998	1 टन	₹ 1,18,000.00	₹ 95,000.00	₹ 20.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
862	आईएस 14605:1998	100 पीस	₹ 88,000.00	₹ 73,000.00	₹ 0.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
863	आईएस 14606:1998	एक मीडिया फिल्डर	₹ 1,14,000.00	₹ 93,000.00	₹ 16.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
864	आईएस 14609:1999	1 कि.ग्रा.	₹ 64,000.00	₹ 51,000.00	₹ 0.16	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
865	आईएस 14611.20 16	1 मीट्रिक टन	₹ 1,12,000.00	₹ 96,000.00	₹ 62.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
866	आईएस 14613:1998	किलो ग्राम	₹ 49,700.00	₹ 39,800.00	₹ 0.12	8,00,00 0	₹ 0.04	शेष	₹ 0.00	7032016
867	आईएस 14616:1999	1 घन.मी.	₹ 81,000.00	₹ 69,000.00	₹ 29.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
868	आईएस 14625:2015	100 बोतले	₹ 1,10,000.00	₹ 88,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
869	आईएस 14650:1999	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
870	आईएस	1 मीटर	₹ 1,38,200.00	₹ 1,24,700.00	₹ 3.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	1122006

	14697:1999									
871	आईएस 14724:1999	1 पीस	₹ 87,000.00	₹ 70,000.00	₹ 9.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
872	आईएस 14735:1999	100 पीस	₹ 79,000.00	₹ 64,000.00	₹ 12.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
873	आईएस 14743:1999	1 फिल्टर	₹ 68,000.00	₹ 55,000.00	₹ 8.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
874	आईएस 14746:1999	100 नंबर	₹ 91,000.00	₹ 75,000.00	₹ 8.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
875	आईएस 14756:2000	1 कि.ग्रा.	₹ 51,000.00	₹ 42,000.00	₹ 0.25	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
876	आईएस 14768:भाग 2:2003	100 पीस	₹ 69,000.00	₹ 56,000.00	₹ 4.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
877	आईएस 14769:2000	1 पीस	₹ 64,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
878	आईएस 14772:2000	100 पीस	₹ 52,200.00	₹ 44,200.00	₹ 9.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	1072006
879	आईएस 14806:2000	1 मीट्रिक टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 140.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
880	आईएस 14807:2000	1 मीट्रिक टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 140.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
881	आईएस 14845:2000	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 12.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
882	आईएस 14846:2000	1 पीस	₹ 74,000.00	₹ 60,000.00	₹ 17.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
883	आईएस 14855:भाग 1:2000	1 मशीन	₹ 3,15,000.00	₹ 2,52,000.00	₹ 40.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	6092016
884	आईएस 14862:2000	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
885	आईएस 14871:2000	1 टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 12.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
886	आईएस 14885:2001	1 टन	₹ 1,12,000.00	₹ 96,000.00	₹ 96.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
887	आईएस 14887:2014	1 मीट्रिक टन	₹ 82,000.00	₹ 66,000.00	₹ 150.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
888	आईएस 14898:2001	1 वर्ग मीटर मी.	₹ 71,000.00	₹ 59,000.00	₹ 2.10	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
889	आईएस 14899:2014	1 पीस	₹ 1,36,000.00	₹ 96,000.00	₹ 5.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
890	आईएस 14900:2000	1 मीट्रिक टन	₹ 51,000.00	₹ 41,000.00	₹ 10.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06072017
891	आईएस 14927:भाग 2:2001	100 मी.	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 2.10	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
892	आईएस 14928:2001	1 मीट्रिक टन.	₹ 47,000.00	₹ 38,000.00	₹ 300.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
893	आईएस 14929:2001	1 मीट्रिक टन	₹ 49,000.00	₹ 40,000.00	₹ 260.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
894	आईएस 14930:भाग 2:2001	100 मी.	₹ 89,000.00	₹ 72,000.00	₹ 8.10	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	17072017
895	आईएस 14933:2001	1 मी.	₹ 71,000.00	₹ 59,000.00	₹ 1.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
896	आईएस 14951:2001	1 पीस	₹ 5,97,000.00	₹ 4,78,000.00	₹ 480.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	28072017
897	आईएस 14968:2015	1 मीट्रिक टन	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 150.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
898	आईएस 15041:2001	100 पीस	₹ 62,000.00	₹ 51,000.00	₹ 8.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
899	आईएस 15058:2002	1 टन	₹ 90,000.00	₹ 72,000.00	₹ 160.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016

900	आईएस 15073:भाग 2:2008	100 बॉक्स	₹ 83,000.00	₹ 68,000.00	₹ 10.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
901	आईएस 15100:2001	1 पीस	₹ 71,000.00	₹ 59,000.00	₹ 2.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
902	आईएस 15111:भाग 1:2002	100 पीस	₹ 2,23,000.00	₹ 1,79,000.00	₹ 33.00	5000	₹ 16.50	शेष	₹ 0.00	17072017
903	आईएस 15111:भाग 2:2002	100 पीस	₹ 2,23,000.00	₹ 1,79,000.00	₹ 33.00	5000	₹ 16.50	शेष	₹ 0.00	17072017
904	आईएस 15138:2010	1 टन	₹ 59,000.00	₹ 48,000.00	₹ 18.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
905	आईएस 15155:2002	1 टन	₹ 71,000.00	₹ 59,000.00	₹ 8.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
906	आईएस 15160:2002	100 लीटर	₹ 47,000.00	₹ 38,000.00	₹ 22.00	2000	₹ 11.00	शेष	₹ 0.00	20122016
907	आईएस 15182:2002	100 लीटर	₹ 49,000.00	₹ 40,000.00	₹ 130.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
908	आईएस 15219:2002	1 कि.ग्रा.	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.10	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
909	आईएस 15227:2002	100 लीटर	₹ 47,000.00	₹ 38,000.00	₹ 115.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
910	आईएस 15228:2002	100 लीटर	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 230.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
911	आईएस 15236:2002	100 लीटर	₹ 57,000.00	₹ 46,000.00	₹ 124.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
912	आईएस 15240:2002	100 लीटर	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 50.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
913	आईएस 15265:2003	1 टन	₹ 1,15,000.00	₹ 96,000.00	₹ 180.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
914	आईएस 15298:भाग 4:2010	एक जोड़ा	₹ 84,000.00	₹ 69,000.00	₹ 1.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
915	आईएस 15298:भाग 2:2011	1 जोड़ा	₹ 1,26,000.00	₹ 1,11,000.00	₹ 1.76	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
916	आईएस 15298:भाग 3:2011	1 जोड़ा	₹ 1,46,000.00	₹ 1,29,000.00	₹ 0.74	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
917	आईएस 15322:2003	100 फिल्टरों	₹ 79,000.00	₹ 64,000.00	₹ 1.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24012017
918	आईएस 15323:2003	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
919	आईएस 15328:2003	1 टन	₹ 88,000.00	₹ 72,000.00	₹ 79.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
920	आईएस 15335:2003	100 लिटर	₹ 52,000.00	₹ 42,000.00	₹ 55.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
921	आईएस 15351:2015	100 वर्न मीटर	₹ 68,000.00	₹ 56,000.00	₹ 5.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
922	आईएस 15354:2003	100 नंबर	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 0.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
923	आईएस 15380:2003	1 वर्न मीटर	₹ 71,000.00	₹ 59,000.00	₹ 2.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
924	आईएस 15391:2003	1 मीट्रिक टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 5.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
925	आईएस 15410:2003	100 पीस	₹ 73,000.00	₹ 59,000.00	₹ 52.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
926	आईएस 15449:भाग 1:2004	1 पीस	₹ 75,000.00	₹ 62,000.00	₹ 5.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
927	आईएस 15450:2004	100 मी.	₹ 92,000.00	₹ 79,000.00	₹ 11.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016

928	आईएस 15462:2004	1 मीट्रिक टन.	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 28.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
929	आईएस 15476:2004	1 वर्ष मीट्र	₹ 90,000.00	₹ 74,000.00	₹ 1.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
930	आईएस 15477:2004	1 एम.टी	₹ 82,000.00	₹ 68,000.00	₹ 30.00	2300	₹ 7.50	शेष	₹ 0.00	24082016
931	आईएस 15489:2013	100 लीटर	₹ 1,05,000.00	₹ 84,000.00	₹ 21.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
932	आईएस 15490:2017	1 पीस	₹ 1,36,000.00	₹ 96,000.00	₹ 10.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
933	आईएस 15500:भाग 2:2004	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 5.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
934	आईएस 15500 : भाग 3 : 2004									
935	शीर्ष असेम्बली	1 असेम्बली	₹ 67,000.00	₹ 55,000.00	₹ 4.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
936	हथ्या असेम्बली	1 असेम्बली	₹ 67,000.00	₹ 55,000.00	₹ 2.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
937	सिलींडर असेम्बली	1 असेम्बली	₹ 67,000.00	₹ 55,000.00	₹ 2.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
938	वॉल्व असेम्बली	1 असेम्बली	₹ 67,000.00	₹ 55,000.00	₹ 1.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
939	आईएस 15500 : भाग 4 : 2004									
940	आकृति सं.4.1	100 पीस	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 112.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	19012017
941	आकृति सं.4.2	100 पीस	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 112.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	19012017
942	आकृति सं.4.4	100 पीस	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 10.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	19012017
943	आकृति सं.4.5	100 पीस	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 10.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	19012017
944	आकृति सं.4.6	100 पीस	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 34.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	19012017
945	आकृति सं.4.7	100 पीस	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 41.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	19012017
946	आकृति सं.4.9	100 पीस	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 13.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	19012017
947	आकृति सं.4.10	100 पीस	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 26.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	19012017
948	आकृति सं.4.11	100 पीस	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 12.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	19012017
949	आकृति सं.4.12	100 पीस	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 121.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	19012017
950	आकृति सं.4.13	100 पीस	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 121.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	19012017
951	आकृति सं.4.15	100 पीस	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 69.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	19012017
952	आकृति सं.4.16	100 पीस	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 69.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	19012017
953	आकृति सं.4.17	100 पीस	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 69.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	19012017
954	आकृति सं.4.21	100 पीस	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 13.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	19012017
955	आकृति सं.4.22	100 पीस	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 19.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	19012017
956	आकृति सं.4.23	100 पीस	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 20.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	19012017
957	आकृति सं.4.24	100 पीस	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 15.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	19012017
958	आकृति सं.4.25	100 पीस	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	19012017
959	आकृति सं.4.26	1000 पीस	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 4.26	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	19012017
960	आकृति सं.4.27	1000 पीस	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 4.27	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	19012017
961	आकृति सं.4.28	100 पीस	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 4.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	19012017
962	आकृति सं.4.29	100 पीस	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 7.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	19012017
963	आकृति सं.4.30	100 पीस	₹ 65,000.00	₹ 53,000.00	₹ 7.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	19012017
964	आईएस 15500 : भाग 5 : 2004									
965	आकृति सं.5.1	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 17.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
966	आकृति सं.5.2	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 17.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
967	आकृति सं.5.3	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 17.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
968	आकृति सं.5.4	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 10.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
969	आकृति सं.5.5	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 13.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
970	आकृति सं.5.6	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 13.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
971	आईएस 15500 : भाग 6 : 2004									
972	आकृति सं.6.1	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 2.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016

973	आकृति सं.6.2	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 8.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
974	आकृति सं.6.3	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
975	आकृति सं.6.4	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 7.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
976	आकृति सं.6.5	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 5.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
977	आकृति सं.6.6	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 10.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
978	आकृति सं.6.7	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 13.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
979	आकृति सं.6.8	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 15.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
980	आकृति सं.6.9	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
981	आकृति सं.6.10	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 7.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
982	आकृति सं.6.11	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 2.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
983	आकृति सं.6.12	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 7.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
984	आकृति सं.6.13	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 20.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
985	आकृति सं.6.14	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 17.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
986	आकृति सं.6.15	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 8.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
987	आकृति सं.6.16	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 8.70	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
988	आईएस 15500 : भाग 7 : 2004									
989	आकृति सं.7.1	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
990	आकृति सं.7.2	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
991	आकृति सं.7.3	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 10.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
992	आकृति सं.7.4	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 7.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
993	आकृति सं.7.5	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 7.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
994	आकृति सं.7.6	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
995	आकृति सं.7.7	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
996	आकृति सं.7.8	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 7.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
997	आकृति सं.7.9	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
998	आकृति सं.7.10	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 5.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
999	आकृति सं.7.11	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 5.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
1000	आकृति सं.7.12	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 7.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
1001	आकृति सं.7.13	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 7.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
1002	आकृति सं.7.14	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 7.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
1003	आकृति सं.7.15	100 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 7.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
1004	आईएस 15511:2004	100 पीस	₹ 72,000.00	₹ 58,000.00	₹ 5.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	25052016
1005	आईएस 15532:2004	100 पीस	₹ 72,500.00	₹ 58,000.00	₹ 45.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	15032015
1006	आईएस 15558:2005	1 पीस	₹ 95,000.00	₹ 76,000.00	₹ 2.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	30122016
1007	आईएस 15559:2004	1 कि.ग्रा	₹ 49,000.00	₹ 40,000.00	₹ 25.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
1008	आईएस 15573:2005	1 मीट्रिक टन	₹ 57,000.00	₹ 46,000.00	₹ 10.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
1009	आईएस 15601:2005	1 मीट्रिक टन	₹ 57,000.00	₹ 46,000.00	₹ 45.00	सभीइकाई	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
1010	आईएस 15603:2005	1 एम.टी	₹ 68,000.00	₹ 55,000.00	₹ 170.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
1011	आईएस 15622:2006	10 वर्ग मीटर	₹ 1,13,000.00	₹ 94,000.00	₹ 3.80	27000	₹ 1.90	27000	₹ 0.95	24082016
1012	आईएस 15627:2005	1 पीस	₹ 2,43,000.00	₹ 2,04,000.00	₹ 0.50	100000	₹ 0.35	100000	₹ 0.15	24082016
1013	आईएस 15633:2005	1 पीस	₹ 2,58,000.00	₹ 2,17,000.00	₹ 2.00	100000	₹ 1.50	100000	₹ 1.35	24082016
1014	आईएस 15636:2012	1 पीस	₹ 2,42,000.00	₹ 2,03,000.00	₹ 2.00	100000	₹ 1.50	100000	₹ 1.35	24082016
1015	आईएस 15647:2006	1 मीट्रिक टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
1016	आईएस 15652:2006	1 वर्ग मीटर	₹ 75,000.00	₹ 62,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016

1017	आईएस 15658:2006	100 पीस	₹ 94,000.00	₹ 76,000.00	₹ 2.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	13112017
1018	आईएस 15683:2006	1 पीस	₹ 1,08,000.00	₹ 90,000.00	₹ 9.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
1019	आईएस 15692:2006	1000 मीटर	₹ 52,000.00	₹ 42,000.00	₹ 180.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20161226
1020	आईएस 15694:2006	एक मीटर	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 805.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06092016
1021	आईएस 15757:2007	1 मीट्रिक टन.	₹ 1,54,000.00	₹ 1,24,000.00	₹ 245.00	250	₹ 123.00	250	₹ 62.00	20122016
1022	आईएस 15778:2007	1 टन	₹ 1,89,000.00	₹ 1,58,000.00	₹ 30.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
1023	आईएस 15786:2008	1 वर्ग मीटर	₹ 1,01,000.00	₹ 84,000.00	₹ 0.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
1024	आईएस 15787:2008	100 पीस	₹ 56,000.00	₹ 46,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	19012017
1025	आईएस 15801:2008	1 टन	₹ 1,60,000.00	₹ 1,34,000.00	₹ 20.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
1026	आईएस 15833:2009	1 पीस	₹ 71,000.00	₹ 57,000.00	₹ 0.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	17032017
1027	आईएस 15834:2008	1 पीस	₹ 55,000.00	₹ 44,000.00	₹ 0.40	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	17032017
1028	आईएस 15848:2009	1 टन	₹ 63,000.00	₹ 51,000.00	₹ 17.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	15112017
1029	आईएस 15852:2009	एक मीटर	₹ 65,000.00	₹ 52,000.00	₹ 0.15	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	6092016
1030	आईएस 15853:2009	100 वर्ग मीटर	₹ 66,000.00	₹ 53,000.00	₹ 10.10	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
1031	आईएस 15884:2010	1 पीस	₹ 3,32,000.00	₹ 2,80,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
1032	आईएस 15905:2011	एक टन	₹ 63,000.00	₹ 51,000.00	₹ 9.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
1033	आईएस 15907:2010	1 बेड	₹ 1,06,000.00	₹ 88,000.00	₹ 1.50	60000	₹ 0.75	शेष	₹ 0.00	24082016
1034	आईएस 15909:2015	100 वर्ग मीटर	₹ 1,11,000.00	₹ 92,000.00	₹ 16.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
1035	आईएस 15911:2010	एक टन	₹ 60,000.00	₹ 49,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
1036	आईएस 15914:2011	1 मीट्रिक टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 64.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
1037	आईएस 15939:2011	1 किलो.ग्रा.	₹ 63,000.00	₹ 51,000.00	₹ 0.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	20122016
1038	आईएस 15961:2012	एक मीटर	₹ 61,000.00	₹ 49,000.00	₹ 6.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	23092016
1039	आईएस 15962:2012	1 मीट्रिक टन	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 62.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
1040	आईएस 15965:2012	मीट्रिक टन	₹ 65,000.00	₹ 52,000.00	₹ 6.25	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	23092016
1041	आईएस 15997:2012	एक मीटर	₹ 90,000.00	₹ 72,000.00	₹ 12.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	23092016
1042	आईएस 16008:भाग 1:2016	100 वर्ग मीटर	₹ 93,000.00	₹ 77,000.00	₹ 0.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
1043	आईएस 16008:भाग 2:2016	100 वर्ग मीटर	₹ 1,16,000.00	₹ 93,000.00	₹ 0.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06072017
1044	आईएस 16014:2012	100 कि.ग्रा	₹ 94,000.00	₹ 78,000.00	₹ 15.28	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
1045	आईएस 16088:2012	1 टन	₹ 1,40,000.00	₹ 1,17,000.00	₹ 400.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
1046	आईएस 16098:भाग 1:2013	1 टन	₹ 1,89,000.00	₹ 1,59,000.00	₹ 174.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016

1047	आईएस 16098:भाग 2:2013	100 मी.	₹ 2,09,000.00	₹ 1,76,000.00	₹ 23.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
1048	आईएस 16102:भाग 2:2012	100 पीस	₹ 1,69,000.00	₹ 2,11,000.00	₹ 3.50	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	6092016
1049	आईएस 16103:भाग 2:2012	1 पीस	₹ 4,60,000.00	₹ 3,89,000.00	₹ 4.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
1050	आईएस 16111:20 13	100 मी.	₹ 54,000.00	₹ 43,000.00	₹ 1.00	सभी	₹ 0.00		₹ 0.00	24082016
1051	आईएस 16127:2013	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 4.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
1052	आईएस 16131:2015	1000 मीटर	₹ 57,000.00	₹ 46,000.00	₹ 160.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	26122016
1053	आईएस 16145:2013	1000 मीटर	₹ 54,000.00	₹ 44,000.00	₹ 180.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	26122016
1054	आईएस 16176:2014	1 सेट	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 2.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
1055	आईएस 16186:2014	एक मीटर	₹ 73,000.00	₹ 59,000.00	₹ 7.10	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
1056	आईएस 16190:2014	एक मीटर	₹ 1,85,000.00	₹ 1,48,000.00	₹ 280.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	26122014
1057	आईएस 16208:2015	1 मीट्रिक टन	₹ 1,18,000.00	₹ 95,000.00	₹ 310.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06082017
1058	आईएस 16232:2014	एक मीटर	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 0.80	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	06092016
1059	आईएस 16289:2014	100 पीस	₹ 79,000.00	₹ 63,200.00	₹ 0.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	4032015
1060	आईएस 16352:2015	1 टन	₹ 1,86,000.00	₹ 1,49,000.00	₹ 26.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	26122016
1061	आईएस 16415:2015	1 मीट्रिक टन	₹ 72,000.00	₹ 58,000.00	₹ 3.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	6092016
1062	आईएस 16513:2016	100 वर्ग मीटर	₹ 1,19,000.00	₹ 96,000.00	₹ 2.20	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	6072017
1063	आईएस 16585:2016	1 टन	₹ 51,000.00	₹ 41,000.00	₹ 42.60	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	15112017
1064	आईएस/आईईसी 60079:भाग 11:2006	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 17.30	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
1065	आईएस/आईईसी 60079:भाग 1:200 7	1 पीस	₹ 46,000.00	₹ 37,000.00	₹ 1.75	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
1066	आईएस/आईईसी 60898:भाग 1:2002	1 पीस	₹ 73,000.00	₹ 60,000.00	₹ 0.27	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
1067	आईएस/आईईसी 60947:भाग 3:1999	1 पीस	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 0.90	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
1068	आईएस/आईईसी 60947:भाग 4:खंड 1:2000	1 पीस	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 0.27	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016
1069	आईएस/आईईसी 60947:भाग 5:खंड 1:2003	1 पीस	₹ 58,000.00	₹ 47,000.00	₹ 0.42	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	24082016


*व्याख्या: सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यमों का अर्थ सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (2006 का 27) में दिए गए के अनुसार होगा।

अनुबंध -II

[योजना-I का अनुच्छेद 6 का उप-अनुच्छेद (1) देखें]

मानक मुहर

मानक मुहर हेतु मोनोग्राम का डिजाइन



आकृति 1 मानक चिह्न हेतु मोनोग्राम

मानक चिह्न के मोनोग्राम के चित्रात्मक निरूपण में आकृति 1 में दर्शाई गई शैली में सटीक आरेखण और तालिका 1 में दिया गया सापेक्ष अनुपात

**तालिका 1 मोनोग्राम के अधिमानित आयाम
सभी आयाम मिलीमीटर में**

A	B	a	R	r	अक्षरों के आकार
2.5	1.9	0.2	0.4	-	1.0 मि.मि.
5	3.8	0.4	0.8	0.1	1.0मि.मि.
10	7.5	0.7	1.7	0.2	2.0मि.मि.
20	15	1.5	3.3	0.5	3.0मि.मि.
40	30	2.9	6.7	1.0	4.0मि.मि.
80	60	5.9	13.4	1.9	6.0मि.मि.
160	120	11.7	26.7	3.8	10.0मि.मि.
320	240	23.4	53.4	7.6	16.0मि.मि.

प्ररूप - I

[स्कीम-। के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के खंड (क) का उप-खंड (ii) देखें]

विनिर्माण मशीनरी के संबंध में घोषणा

कोई भी प्रविष्टि न काटी जाए

- ### 1. आवेदन/अनुज्ञासि सं.

- ## 2. नाम/पता

टिप्पणी: यदि अपेक्षित हो, तो अतिरिक्त पृष्ठ लगाएँ

मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण वाली मशीनरी हमारे पास उपलब्ध हैं।	मैंने अपने निरीक्षण के दौरान उक्त दर्शाई गई मशीनों की उपलब्धता सत्यापित की है।
मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि जब कभी किसी कारण से कोई मशीनरी उपलब्ध नहीं होगी, तो मैं भारतीय मानक ब्यूरो के पास पूर्व सूचना भेजूँगा।	
फर्म प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर
<hr/>	
नाम	नाम
पदनाम	पदनाम
	सत्यापन की तारीख

तारीख	
*यदि विनिर्माण क्रियाकलाप का कोई भाग आऊटसोर्स किया गया है, तो आऊटसोर्स क्रियाकलाप प्रयुक्त मशीनरी का विवरण आऊटसोर्स परिसर के पूरे पते सहित अलग प्ररूप में दर्शा कर भेजा जाएगा।	

प्ररूप - 2

[स्कीम-] के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के खंड (क) का उप-खंड (iii) देखें]

परीक्षण उपकरण के संबंध में घोषणा

कोई भी प्रविष्टि न काटी जाए

1.. आवेदन/अनुज्ञासि सं.

2. नाम/पता

क्र.सं.	परीक्षण उपकरण/रसायन और पहचान संख्या (जहाँ लागू हो)	न्यूनतम गणना और रेंज (जहाँ लागू हो)	वैध अंशांकन (जहाँ लागू हो) हाँ/नहीं	प्रयुक्त परीक्षण का खंड संदर्भ	टिप्पणियाँ (उपकरण की संख्या दर्शाएँ)

टिप्पण: यदि अपेक्षित हो, तो अतिरिक्त पृष्ठ लगाएँ

<p>मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण वाले परीक्षण उपकरण हमारे पास उपलब्ध हैं।</p> <p>मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि जब कभी किसी कारण से कोई परीक्षण उपकरण उपलब्ध नहीं होगा तो मैं भारतीय मानक ब्यूरो के पास पूर्व सूचना भेजूँगा।</p> <p>फर्म प्रतिनिधि के हस्ताक्षर</p> <hr/> <p>नाम</p> <p>पदनाम</p> <p>तारीख</p>	<p>मैंने अपने निरीक्षण के दौरान उक्त दर्शाएँ गए परीक्षण उपकरणों का सत्यापन किया है।</p> <p>भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर</p> <hr/> <p>नाम</p> <p>पदनाम</p> <p>सत्यापन की तारीख</p>
---	---

प्ररूप 3

[स्कीम-I के पैरा 3 के उप-पैरा (1) का खंड (ग) निर्दिष्ट करें]

निरीक्षण व परीक्षण के प्रस्तावित नियंत्रण स्तर

आवेदक/अनुज्ञसिधारी का नाम: मैसर्स

आवेदक/अनुज्ञसिधारी का पता

भा. मा.

उत्पाद निरीक्षण व परीक्षण स्कीम (एसआईटी) सं. :

(1)			(2)			(3)		
परीक्षण विवरण			ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट निरीक्षण और परीक्षण योजना के अनुसार के नियंत्रण स्तर			निर्माता द्वारा प्रस्तावित नियंत्रण के प्रस्तावित स्तर		
खंड	अपेक्षा	परीक्षण पद्धति खंड संदर्भ	नमूनों की सं.	आवृत्ति	टिप्पणियाँ	नमूनों की सं.	आवृत्ति	परिवर्तन का औचित्य, यदि कोई हो

फर्म की मुहर

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

तारीख

प्ररूप 4

[स्कीम-I के पैरा 3 के उप-पैरा (1) का खंड (इ) निर्दिष्ट करें]
परीक्षण रिपोर्ट

आवेदक का नाम/अनुज्ञासिथारी : मैसर्स

सीएम/ए- अथवा सीएम/एल

आवेदक/ अनुज्ञासिथारी का पता

तक विधिमान्य

भा. मा.

श्रेणी/प्रकार/किस्म

घोषित मान, यदि कोई हो

खेप/लॉट सं.

क्रम सं.

विनिर्माण की तारीख

कोई अन्य जानकारी

परीक्षण के आरंभ होने की तारीख

परीक्षण के समापन की तारीख

क्रम सं.	परीक्षण	खंड	भा. मा संदर्भ	विनिर्दिष्ट अपेक्षा	अवलोकित मान	टिप्पणियाँ

टिप्पणी : अतिरिक्त पृष्ठ लगाएं, यदि आवश्यक हो

ऊपर उल्लिखित नमूने हमारे परिसर में उत्पादित और परीक्षित नमूने भारतीय मानकों.....की अपेक्षा के अनुरूप/गैर-अनुरूप हैं।

फर्म की मुहर

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

तारीख



प्रृष्ठ 5

[स्कीम । के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के खंड(छ) को देखें]

भारतीय मानक ब्यूरो

उत्पाद प्रमाणन स्कीम

मानक चिन्ह उपयोग करने के लिए अनुज्ञासि प्राप्त करने के लिए आवेदन

फर्म का पूरा नाम

पता					टेलीफोन
कार्यालय					
गांव/शहर	जिला	राज्य	देश	पिनकोड	फैक्स
					ई-मेल
पता					टेलीफोन
कारखाना					
गांव/शहर	जिला	राज्य	देश	पिनकोड	फैक्स
					ई-मेल

	नाम	पदनाम		नाम	पदनाम
प्रबंधन	1 2 3 4		गुणता नियंत्रण प्रभारी	1 2 3 4	
संपर्क व्यक्ति	नाम	टेलीफोन	ई-मेल		
स्केल	वृहद एमएसएमई	पत्राचार का पता	कारखाना कार्यालय	क्षेत्र	सार्वजनिक प्राइवेट

यह आवेदन भारतीय मानक व्यूरो के मानक चिह्न (अंडा) का उपयोग निम्नानुसार करने के लिए किया जा रहा है :

उत्पाद

अपेक्षाएं

भारतीय मानक

भा.मा.
भा.मा.
भा.र
वर्ग


श्रेणी/प्रकार इत्यादि

संदर्भ

उत्पादन की इकाई	वर्तमान संस्थापित क्षमता	मात्रा	राशि (रु.)

फीस का व्यौरा	राशि(रु.)	बीजक सं. तारीख सहित

फर्म की मुहर



फर्म का पैन नं.



हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

आवेदन की तारीख

डी.आई.एन. नं.(निदेशक के मामले में)

पैन नं. (अन्य मामलों में)



महत्वपूर्ण : आवेदन फर्म के सीईओ या उसकी अनुपस्थिति में प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

आवेदन के साथ ये दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा है :

क्रम सं.	दस्तावेज़	हाँ/नहीं/लागू नहीं
1.	कार्यालय का नाम व पता (फर्म रजिस्ट्रार का प्रमाणपत्र अथवा औद्योगिक महानिदेशालय का प्रमाणपत्र अथवा औद्योगिक केन्द्र का प्रमाणपत्र अथवा संगम ज्ञापन आदि)	
2.	कारखाने का नाम व पता (फर्म के रजिस्ट्रार का प्रमाणपत्र अथवा औद्योगिक महानिदेशालय का प्रमाणपत्र अथवा औद्योगिक केन्द्र का प्रमाणपत्र अथवा संगम ज्ञापन अथवा वैध लीज विलेख जिससे कि परिसर में फर्म के कानूनी अधिभोग का पता चलता हो इत्यादि)	
3.	विधिमान्य एमएसएमई प्रमाणपत्र, यदि लागू हो	
4.	प्राधिकृत प्रतिनिधित्व पत्र, यदि आवेदन पर फर्म के सीईओ के अतिरिक्त किसी और के हस्ताक्षर हों	
5.	विनिर्माण प्रक्रिया प्रवाह चार्ट	
6.	विनिर्माण मशीनरी सूची	
7.	क्या कोई विनिर्माण कार्य आउटसोर्स किया गया है	
8.	विनिर्माण कार्य का आउटसोर्सिंग करार, यदि लागू हो	
9.	परीक्षण उपकरणों की सूची	
10.	कारखाने के बाहर कोई परीक्षण व्यवस्था	
11.	परीक्षण उपस्करणों का विधिमान्य अंशशोधन प्रमाणपत्र	
12.	इन-हाउस परीक्षण रिपोर्ट (रिपोर्टें)	
13.	भारतीय मानक के अनुसार तृतीय पक्षकार प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट (रिपोर्टें), यदि लागू हो	

टिप्पण : अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट <https://www.bis.gov.in/> देखें।

प्ररूप 6

[स्कीम-I के पैरा 3 के उप-पैरा (1) का खंड (ज) निर्दिष्ट करें]

विनिर्माता द्वारा नामनिर्देशन के लिए प्ररूप

सेवा में,

महानिदेशक,
भारतीय मानक ब्यूरो,

9, बहादुरशाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली – 110002

विषय : प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि का नामांकन (करार के खंड 3.1 के अनुसार)

महोदय,

करार के खंड 3 की अपेक्षा के संदर्भ में, हम मैसर्स....., भारतीय मानक ब्यूरो के साथ करार वाले विनिर्माता व करार के हस्ताक्षरकर्ता, एतद्वारा श्री..... के सुपुत्र/सुपुत्री श्री/सुश्री.....भारत में,, के निवासी को करार के खंड 3 के संदर्भ में हमारे अधिकृत भारतीय प्रतिनिधि के रूप में नामित करते हैं।

श्री/सुश्री....., करार के निबंधन और शर्तों तथा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016, और उसके अधीन बने नियमों व विनियमों के उपांचांगों के अधीन हमारे लिए और हमारी ओर से उत्तरदायी व्यक्ति होगा। प्ररूप पर उसके हस्ताक्षर इस बात के प्रतीक हैं कि वह करार के नियमों व शर्तों को स्वीकार करता है, उससे सहमत है और पुष्टि करता है। कृपया यह विवेचित करें कि भारत के प्राधिकृत प्रतिनिधि के पक्ष में उसका नामांकन करार के प्रयोजनार्थ तक जारी रहेगा, जब तक कि नियम व शर्तों के अनुसार उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर दी जाती।

भवदीय,

प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर :

नाम :

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

संपर्क विवरण :

मोबाइल सं.

ईमेल :

पूरा डाक पता

पदनाम :

संपर्क विवरण :

मोबाइल सं.

ईमेल :

तारीख :

मुहरबंद :

प्ररूप 7

[स्कीम-I के पैरा 3 के उप-पैरा (2) का खंड (घ) निर्दिष्ट करें]

भारतीय मानक ब्यूरो

.....शाखा कार्यालय

(विसंगति सह परामर्श रिपोर्ट)

आवेदक/अनुज्ञसिधारी का नाम : मै.

सीएम/ए – अथवा सीएम/एल -

सीएम/एल तक विधिमान्य

निरीक्षण की प्रकृति

(सत्यापन/निगरानी/अन्य)

भा. मा

उत्पाद

दौरे की तारीख (खेलें)

क्रम सं.	विसंगति/दिया गया परामर्श	भा. मा. अथवा अन्य कोई संदर्भ, खंड सहित

टिप्पणियाँ/सहमत कार्यवाही (आवेदक/अनुज्ञसिधारी द्वारा)

मैंने इस रिपोर्ट की विषय-वस्तु को पूरी तरह समझ लिया है।
 को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है ii) विसंगति सह सलाह पर कार्यवाही की पुष्टि भारतीय मानक ब्यूरो
 को..... दिनों के भीतर कर दी जाएगी।

हस्ताक्षर.....

नाम

पदनाम

(भारतीय मानक ब्यूरो का प्रतिनिधि)

हस्ताक्षर.....

नाम

पदनाम

(फर्म का प्रतिनिधि)

टिप्पण : यह परामर्श दिया जाता है कि फर्म इस रिपोर्ट की प्रति अनुज्ञासि फाइल में आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही और भविष्य के संदर्भ हेतु संलग्न करें।

प्ररूप 8

[स्कीम-I के पैरा 3 के उप-पैरा (5) का खंड (क) निर्दिष्ट करें]

भारतीय मानक ब्यूरो

मानक चिह्न के उपयोग के लिए अनुज्ञासि

लाइसेंस सं. सीएम/एल-

यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर

मैसर्स

को (जिसे इसमें आगे 'अनुज्ञासिधारी' कहा गया है) इसकी प्रथम अनुसूची के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट मानक चिह्न का, इस अनुसूची के तीसरे स्तंभ में दी गई किस्मों पर, उपयोग करने के लिए यह अनुज्ञासि प्रदान करता है। इन उत्पादित किस्मों पर चिह्न का उपयोग उक्त अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में समय-समय पर संशोधित अथवा पुनरीक्षित/संदर्भित संबद्ध भारतीय मानक (मानकों) के अनुसार/अनुरूप विनिर्मित हो।

2. इस अनुज्ञासि में अनुबंध अनुज्ञासि की शर्तों के लिए अनुज्ञासिधारी उत्तरदायी हैं। यह अनुज्ञासि पहली अनुसूची में यथा-उल्लिखित नाम, कारखाना के पते और अवधि के लिए विधिमान्य होगा और इसे स्कीम-I में निर्दिष्टानुसार नवीकृत कराया जा सकता है।

अनुसूची

(अनुज्ञासि सं सीएम/एल.....)

नाम :

कारखाने का पता

विधिमान्यता.....से.....तक

मानक चिन्ह	भारतीय मानक	अनुज्ञासि का विषय क्षेत्र	चिह्नांकन फीस
(1)	(2)	(3)	(4)
भा मा 			<p>एक वर्ष की प्रचालन अवधि के दौरान न्यूनतम मुहरांकन फीस रु...../- के साथ पहली इकाईयों के लिए रु.....प्रति इकाई, शेष इकाईयों के लिए रु.....प्रति इकाई,</p> <p>इकाई.....</p> <p>एक प्रचालन वर्ष के लिए न्यूनतम चिह्नांकन शुल्क अग्रिम में देय होगी जो अगले नवीकरण में अग्रनीत होगी।</p>

आज वर्ष.....के.....माह की.....तारीख को हस्ताक्षरित, मुहरबंद किया गया।

भारतीय मानक ब्यूरो के लिए
पदनामित प्राधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

उपाबंध

(अनुज्ञासि सं. सीएम/एल.....)

अनुज्ञासि की शर्तें

- (1) मानक चिन्ह का डिजाइन अनुज्ञासि में दी गई गई प्रतिकृति के आनुषंगिक होगा।
- (2) मानक चिह्न के फोटोग्राफिक विस्तार अथवा लघुकरण का उपयोग भी किया जा सकता है, जब तक ब्यूरो द्वारा कोई अन्य विनिर्दिष्ट न दिए गए हों।
- (3) अनुज्ञासिधारी उस संबद्ध माल, वस्तुओं, प्रक्रिया, प्रणाली अथवा सेवा की भारतीय मानक के अनुसार अनुरूपता के लिए उत्तरदायी होगा जिसके लिए मानक चिन्ह का उपयोग अथवा अनुप्रयोग किया गया है।
- (4) अनुज्ञासिधारी उस माल, वस्तुओं, प्रक्रिया, प्रणाली अथवा सेवा के लिए मानक चिन्ह का उपयोग नहीं करेगा जो गैर-अनुरूप अथवा अनुज्ञासि के विषय-क्षेत्र से बाहर हैं।

- (5) जिस माल और वस्तुओं के लिए मानक चिन्ह का उपयोग किया गया है अगर वे संबद्ध मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं, तो व्यूरो अनुज्ञसिथारी अथवा उसके प्रतिनिधि को ऐसे गैर-अनुरूपता वाले माल को वापिस लेने का निर्देश दे सकता है।
- (6) अनुज्ञसि के आस्थगन अथवा निलंबन के दौरान अथवा उसकी समाप्ति अथवा रद्द होने के पश्चात् किसी संबद्ध माल, वस्तु, प्रक्रिया, उपयोग अथवा सेवा के लिए मानक चिन्ह का उपयोग अथवा अनुप्रयोग नहीं किया जाएगा।
- (7) अनुज्ञसिथारी को उस अनुरूपता आकलन योजना के उपावंधों का पालन करना होगा जिसके अंतर्गत उसे अनुज्ञसि प्रदान किया गया है, जिसमें लेबलिंग और चिन्हांकन अपेक्षाएं भी शामिल हैं।
- (8) अनुज्ञसिथारी व्यूरो द्वारा समय-समय पर यथा-विनिर्दिष्ट अभिलेख अनुरक्षित रखेगा।
- (9) अनुज्ञसिथारी अपने परिसरों में निरीक्षण अथवा लेखापरीक्षा करने से संबंधित सभी प्रकार की सहायता व्यूरो को उपलब्ध कराएगा।
- (10) अनुज्ञसिथारी उत्पाद और मानक चिन्ह के उपयोग अथवा अनुप्रयोग से संबंधित जानकारी जब अपेक्षा व्यूरो को प्रदान करेगा।
- (11) यदि माल अथवा वस्तुओं पर मानक चिन्ह का उपयोग अथवा अनुप्रयोग के लिए अनुज्ञसि प्रदान किया गया हो तो अनुज्ञसिथारी को उन परेपिती, वितरकों, व्यौहारी अथवा फुटकर विक्रेता की सूची देनी होगी, जिनको मानक चिन्ह वाले माल अथवा वस्तुओं की आपूर्ति की गई है।
- (12) व्यूरो के अनुमोदन के बिना अनुज्ञसि किसी व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जाएगा।
- (13) मानक चिन्ह वाले किसी माल, वस्तुओं, प्रक्रिया, प्रणाली अथवा सेवा से संबंधित शिकायत प्रमाणित होने पर व्यूरो अनुज्ञसिथारी अथवा उसके प्रतिनिधि को मानक मुहरांकित माल और वस्तुओं की मरम्मत अथवा बदलने अथवा पुनर्निर्माण के निर्देश दे सकता है।
- (14) अनुज्ञसिथारी को कम से कम एक माह के नोटिस दे कर व्यूरो, अनुज्ञसि की किसी शर्त को संशोधन का अधिकार रखता है।

प्ररूप - 9

[स्कीम-I के पैरा 3 के उप-पैरा (5) का खंड (ख) निर्दिष्ट करें]

भारतीय मानक व्यूरो अनुज्ञसि प्रदान करने के लिए करार (विदेशी विनिर्माताओं के उपयोग के लिए)

(रु.100.00 के गैर-न्यायिक स्टॉम्प पत्र पर, पब्लिक नोटरी द्वारा अनुप्रमाणित)

यह करार, नई दिल्ली में, आज वर्ष के माह के दिन, भारतीय मानक व्यूरो, भारतीय मानक व्यूरो अधिनियम, 2016 द्वारा स्थापित निगम निकाय जिसका मुख्यालय मानक भवन, 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली – 110002 (जिसे इसके आगे ‘बीआईएस’ कहा गया है) और इसके अंतर्गत प्रशासक, समनुदेशितक, अभिकर्ता अथवा प्रतिनिधि सम्मिलित है) का एक पक्ष, और
मैसर्स एक विदेशी विनिर्माता, जिसका कार्यालय में है और
इसके विधिक रूप से नियुक्त अभिकर्ता नाम श्री/श्रीमती.....का संपर्क/शाखा कार्यालय/कार्यालय भारत में
.....में स्थित है (जिसे इसके आगे “विनिर्माता” कहा गया है और इसके अंतर्गत उसके उत्तराधिकारी
और अथवा वारिस भी हैं) श्री/श्रीमती.....(इसके प्रवंध निदेशक/स्वतंत्रारी/भागीदार अथवा प्राधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता, जैसा भी मामला हो) के द्वारा, के बीच आजवर्ष.....के.....माह केदिन किया गया है;

जबकि, भा. मा व्यूरो की स्थापना भा. मा व्यूरो अधिनियम 2016 द्वारा मानकीकरण/गुणता प्रमाणन और वस्तुओं के चिह्नांकन तथा उससे आनुषंगिक जुड़े क्रियाकलापों के सुसंगत विकास के लिए की गई है।

और जबकि, भा. मा व्यूरो अधिनियम 2016 में यथा-प्रदत्त प्रकार्यों के अतिरिक्त और विशेषतः विदेशी निर्माताओं को सेवा प्रदान करना है,
भा. मा. व्यूरो वस्तुओं और प्रक्रियाओं हेतु विदेशी निर्माताओं को प्रमाणन मुहर अनुज्ञसि देने का अधिकार रखता है;

और जबकि, भा. मा. व्यूरो अधिनियम 2016 के अधीन अपने ऐसे उत्पादों पर विदेशी निर्माता द्वारा भा. मा. व्यूरो मानक मुहर के प्रयोग
हेतु भारतीय मानक व्यूरो, भा. मा. व्यूरो अनुज्ञसि प्रदान करने के लिए प्राधिकृत है जो वस्तुएं संबद्ध भारतीय मानकों के अनुरूप हैं, यह
अनुज्ञसि निर्माता द्वारा समय-समय पर व्यूरो द्वारा निर्धारित मानकंडो का अनुपालन करने की शर्त पर प्रदान किया जाएगा;

और जबकि, विदेशी निर्माता ने भारतीय मानक ब्यूरो को भा. मा. ब्यूरो अधिनियम 2016 के अधीन भारतीय मानक ब्यूरो से अनुज्ञासि प्रदान करने के लिए आवेदन किया है और भा. मा. ब्यूरो ने निर्माता की क्षमता के बारे में समाधान होने के बाद तथा भा. मा. ब्यूरो अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों व अधिनियमों में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं एवं अनुज्ञासि के नियम व शर्तों को पूरा करने पर इसके बाद उल्लिखित नियम व शर्तों पर विनिर्माता को भा. मा. ब्यूरो अनुज्ञासि प्रदान करने का निर्णय लिया है।

अब सभी पक्षकार निम्नलिखित पर इससे सहमत हैं :

1. परिभाषाएँ

इस करार में जब तक कि अन्यथा संदर्भ अपेक्षित न हो,

- 1.1 “भा. मा. ब्यूरो अनुज्ञासि से अभिप्रेत है भा. मा. ब्यूरो अधिनियम 2016 की धारा 13 के अधीन भारतीय मानक के अनुरूप किसी वस्तु अथवा प्रक्रिया से संबंधित मानक चिन्ह को प्रयोग करने के लिए प्रदत्त अनुज्ञासि।
- 1.2 “विनिर्माता” से अभिप्रेत है, उल्लिखित अवस्थान अथवा स्थानों पर स्थित किसी वस्तु अथवा प्रक्रिया का निर्माण करने वाला व्यापारिक उद्यम जो उत्पाद के निर्माण, आकलन, प्रहस्तन अथवा भंडारण में ऐसे स्तरों को करता एवं नियंत्रित करता है जिससे वह योजना के अंतर्गत विदेशी निर्माता को भा. मा. ब्यूरो अनुज्ञासि प्रदान करने से संबंधित संबद्ध भारतीय मानक से उत्पाद की सतत अनुरूपता के लिए जिम्मेदारी को स्वीकार और इससे संबंधित सभी दायित्वों को पूरा कर सकता है।
- 1.3 “मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला” से अभिप्रेत है जिसमें भा. मा. ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त भारत अथवा विदेश में संबद्ध भारतीय मानकों से उत्पाद की परीक्षण अनुरूपता करने वाली प्रयोगशालाएँ हैं।
- 1.4 “उत्पाद” से अभिप्रेत है जो, भा. मा. ब्यूरो मानक चिन्ह से चिन्हित किए जाने वाले उत्पाद से है।

- 1.5 “प्राधिकृत प्रतिनिधि” से अभिप्रेत है जो ऐसे व्यक्ति से है जो भारत में अवस्थित हो, इस करार के निबंधन और शर्तों और भा. मा. ब्यूरो अधिनियम 2016 के उपांगों, उसके अंतर्गत बने नियमों व विनियमों के अनुपालनार्थ विनिर्माता द्वारा नामित और कानूनी तौर पर नियुक्त हो तथा इस करार हेतु विनिर्माता के मामलों पर अंतिम नियंत्रण रखता हो।

2. फीस

- 2.1 भा. मा. ब्यूरो द्वारा विनिर्माता को अनुज्ञासि प्रदान करने तथा विनिर्माता के इस करार के उपांगों और विभिन्न वाध्यताओं और उत्तरदायित्वों तथा भा. मा. ब्यूरो अधिनियम 2016 के अधीन भा. मा. ब्यूरो के अपने दायित्व को पूरा करने के मददेनजर, विनिर्माता को समय-समय पर लागू वास्तविक चिन्हित उत्पादन फीस जैसे कि अग्रिम न्यूनतम चिह्नांकन फीस, आवेदन नवीकरण फीस, वार्षिक अनुज्ञासि फीस और चिह्नांकन फीस तथा भा. मा. ब्यूरो विनियम (अनुरूपता आकलन) 2018 के अंतर्गत अन्य कोई फीस योजना के अंतर्गत भा. मा. ब्यूरो को देना होगा।
- 2.2 विनिर्माता सभी व्यय देने पर सहमत है जिसमें भा. मा. ब्यूरो प्रमाणन अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा विनिर्माता के परिसर और/अथवा परीक्षण प्रयोगशाला में किए गए निरीक्षण के संबंध में लगाये गए श्रमदिन पर भा. मा. ब्यूरो को आने वाली लागत (तैनाती स्थल से प्रस्थान के समय से बहां लौटने तक) और मामले के अनुसार भा. मा. ब्यूरो द्वारा यथा निर्धारित परीक्षण फीस देनी होगी।

3. नामांकन

- 3.1 विनिर्माता भारतीय विधियों के अंतर्गत सभी आवश्यक अनुमति अथवा अनुमोदन, यदि अपेक्षित हो, और ऐसी नियुक्ति की नियम व शर्तें लिखित में तय करने के पश्चात भारत में अवस्थित व्यक्ति को अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर नामित एवं नियुक्त करेगा, जिसके नामित करने की सूचना उसे सम्यक तौर पर लिखित में देनी होगी।
- 3.2 प्राधिकृत प्रतिनिधि भारतीय कार्यालय का प्रभारी अथवा वरिष्ठ अधिकारी अथवा भारत में विनिर्माता का विधिक तौर पर नियुक्त अभिकर्ता होगा। विनिर्माता को निर्धारित प्रोफार्मा में शीर्षपत्र पर नामांकन देना होगा।
- 3.3 विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के नामांकन वाला प्ररूप इस करार के निष्पादन के समय अथवा इस करार के जारी रहने के दौरान नई नियुक्ति के समय दिया जाएगा जिसमें ऐसे नियुक्त किए गए प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर भी हों जो कि इस करार के निबंधन और शर्तों के प्रति उसकी सहमति और पुष्टि का उपलक्ष्य में होगा और करार के विभिन्न उपांग/भा. मा. ब्यूरो अधिनियम 2016 और उसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों के अधीन अनुपालन के प्रति उसकी सम्मति का साक्ष्य होगा।

- 3.4 नियुक्त किया गया प्राधिकृत प्रतिनिधि वह व्यक्ति हो जिसका इस करार के लिए भारत में निर्माता के मामलों पर पूर्ण नियंत्रण हो तथा वह इस करार के निबंधन व शर्तों तथा भा. मा. ब्यूरो अधिनियम 2016 के उपाबंधों और उसके अधीन बने नियमों व विनियमों के सम्पूर्ण सम्यक रूप से अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा तथा इस करार के निबंधन व शर्तों के अनुसार अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति तक बना रहेगा।
- 3.5 प्राधिकृत प्रतिनिधि विनिर्माता के लिए तथा उसकी ओर से इस करार, के निबंधन और शर्तों, भा. मा. ब्यूरो अधिनियम 2016 के उपाबंधों और उसके अधीन बने नियमों व विनियमों के पालन अथवा अनुपालन के लिए बाध्य होगा तथा इस करार, के निबंधन व शर्तों, भा. मा. ब्यूरो अधिनियम 2016 के उपाबंधों और उसके अधीन बने नियमों व विनियमों के सभी कृत्यों और चूक तथा अतिक्रमणों के व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी एवं जबाबदेह होगा।
- 3.6 विनिर्माता को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस करार के जारी रहने के दौरान उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि किसी कारणवश किसी समय प्रतिनिधित्व से न चूके और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पहले से नामित प्राधिकृत प्रतिनिधि के स्थानापन्न अथवा अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधि को भा. मा. ब्यूरो के अभिलेख में फिर से नामांकित किया जाए और ऐसा इस करार के अंतर्गत पदधारी अधिकृत प्रतिनिधि को उसके दायित्वों या जिम्मेदारी से मुक्त करने से पहले यथा समय किया जाएगा।
- 3.7 यह पक्षकारों के बीच सहमत और समझा हुआ है कि यह खंड इस करार का मूल है और इस खंड के किसी अतिक्रमण से भा. मा. ब्यूरो को इस करार को निरस्त या समाप्त करने का अधिकार होगा, फिर वह औपचारिक तौर पर समाप्त या रद्द किया जाए अथवा नहीं, और उसके अनुज्ञसि को समाप्त करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
- 3.8 इस पर सहमति है कि इस प्रकार की समाप्ति भा. मा. ब्यूरो अधिनियम 2016 और इसके अंतर्गत बने नियमों व विनियमों अथवा इस करार के अधीन भा. मा. ब्यूरो को प्रदत्त अन्य अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना होगी।
- 3.9 यदि भा. मा. ब्यूरो को यह पता चलता है या उसकी जानकारी में आता है कि इस करार के जारी रहने के दौरान, विनिर्माता ने इस खंड की शर्तों का पालन नहीं किया है तो भा. मा. ब्यूरो को इस करार के जारी रहने के दौरान, प्राधिकृत प्रतिनिधि की मृत्यु की स्थिति के सिवाए, करार को तत्काल समाप्त करने का पात्र होगा। विनिर्माता को नया प्रतिनिधि नामित करने का अधिकार होगा और उसे अधिकृत प्रतिनिधि की मृत्यु के इक्कीस दिन के भीतर नए प्रतिनिधि का नामन करना होगा, जिसके ना हो सकने पर खंड 3.6 के उपाबंध यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू किए जाएंगे।
- 3.10 इस पर सहमति है कि किसी दशा में विनिर्माता द्वारा नामित प्राधिकृत प्रतिनिधि यदि विनिर्माता से अपना संबंध या नाता तोड़ता है और विनिर्माता द्वारा इसमें उपरोक्त खंड 3.6 की निवंधनों के संदर्भ में पहले प्राधिकृत प्रतिनिधि को मुक्त या पदच्युत करने से यथा समय पूर्व उसके स्थान पर नया प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाता है तो इस करार के निबंधन व शर्तों, भा. मा. ब्यूरो अधिनियम 2016 के उपाबंधों और उसके अधीन बने नियमों व विनियमों के सभी कृत्यों एवं चूक तथा अतिक्रमणों के लिए पूर्व प्राधिकृत प्रतिनिधि उसके त्यागपत्र अथवा पदच्युत होने तक उत्तरदायी और जबाबदेह होगा।
- 3.11 करार में उल्लिखित शब्द “विनिर्माता” और “अनुज्ञसिधारी” का अर्थ होगा और इसमें शामिल ‘प्राधिकृत प्रतिनिधि’ होगा, जब तक कि संदर्भ से असंगत न हो।
4. निबंधन और शर्तों की स्वीकार्यता
- 4.1 अनुज्ञसिधारी और उसका प्राधिकृत अभिकर्ता भा. मा. ब्यूरो अधिनियम 2016 और उसके अधीन बने नियमों और विनियमों के अनुसार अनुज्ञसि प्रदान करने के नियमों व शर्तों को मानने के लिए बाध्य होगा।
5. अनुज्ञसिधारी के अधिकार और दायित्व
- 5.1 विनिर्माता को भा. मा. ब्यूरो अनुज्ञसि भा. मा.....के (भा. मा. संख्या) अनुसार केवल (उत्पाद का नाम) के लिए प्रदान किया जाता है।
- 5.2 भा. मा. ब्यूरो समय-समय पर अनुज्ञसिधारी को उसके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में सूचित करेगा और अनुज्ञसिधारी को उसी का अनुपालन करना होगा।
6. भा. मा. ब्यूरो अनुज्ञसि/उसके नवीकरण की विधिमान्यता अवधि
- 6.1 भा. मा. ब्यूरो अनुज्ञसि, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित अवधि तक विधिमान्य होगी और उसके बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी, जब तक कि भा. मा. ब्यूरो द्वारा विशिष्ट रूप में लिखित उसे आगे की अवधि के लिए बढ़ाया न गया हो।

- 6.2 यदि अनुज्ञसिधारी अनुज्ञसि की अवधि के दौरान अथवा भा. मा. व्यूरो द्वारा निर्धारित उसके समाप्त होने की तारीख की अवधि के भीतर अनुज्ञसि के नवीकरण के लिए आवेदन करता है तो भा. मा. व्यूरो उस अवधि के लिए नवीकरण पर विचार कर सकता है, जिसे वह उपयुक्त समझता हो।
- 6.3 नवीकरण के लिए लंबित ऐसे आवेदन के दौरान अनुज्ञसिधारी ऐसे अनुज्ञसि को रखने संबंधी दावा नहीं करेगा और न ही वह अनुज्ञसि समाप्त होने पर वस्तु या प्रक्रिया पर चिह्न लगाने का अधिकारी होगा, जब तक कि भा. मा. व्यूरो द्वारा लिखित में अनुज्ञसि आगे की अवधि के लिए नवीकृत न की गई हो।
7. लाइसेंस रद्द करना
- 7.1 भारतीय मानक व्यूरो विनियम (अनुरूपता आकलन) के विनियम 11 के अनुसार भा. मा. व्यूरो अनुज्ञसि रद्द कर सकता है।
8. अनुज्ञसि निलंबित करना
- 8.1 भारतीय मानक व्यूरो विनियम 2018 (अनुरूपता आकलन) की अनुसूची-2 की संलग्न स्कीम-I के पैरा 11 के अनुसार भा. मा. व्यूरो अनुज्ञसि को निलंबित कर सकता है।
9. करार समाप्त करना
- 9.1 अनुज्ञसिधारी इस करार के किसी निबंधन और शर्त का अतिक्रमण अथवा उसे भंग करता है, चाहे वह चूक या उल्लंघन द्वारा किया गया कृत्य हो।
- 9.2 अनुज्ञसिधारी भी करार को समाप्त कर सकता है। वह रजिस्ट्रीकृत एडी डाक या दस्ती तौर पर 30 दिन का नोटिस भेजकर ऐसा कर सकता है, जो कि प्रमुख, केन्द्रीय चिन्ह विभाग-1, भा. मा. व्यूरो, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002 को सम्बोधित होगा।
- 9.3 करार की समाप्ति या समाप्त करने पर विनिर्माता को उसके द्वारा निर्मित या विपणित किसी भी उत्पाद पर मानक चिन्ह का प्रयोग बंद करना होगा और इस प्रकार निर्मित अथवा चिन्हित उत्पाद का उल्लेख करते हुए भा. मा. व्यूरो को व्यौरा देना होगा। विनिर्माता को करार अथवा अनुज्ञसि समाप्त होने से पूर्व ऐसा करना होगा तथा भा. मा. व्यूरो द्वारा उसे दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।
- 9.4 विनिर्माता को भा. मा. व्यूरो को देय सभी देयताएं, वित्तीय या अन्यथा चुकानी होंगी और भा. मा. व्यूरो के सभी पृष्ठांकन सहित मूल अनुज्ञसि दस्तावेज लौटाना होगा।
10. क्षतिपूर्ति
- 10.1 विनिर्माता सहमत है और पूरी तरह समझता है कि भा. मा. व्यूरो की उत्पाद प्रमाणन स्कीम जिसके अंतर्गत अनुज्ञसि प्रदान की जाती है, उसमें उत्पाद की संबद्ध भारतीय मानक से अनुरूपता की जिम्मेदारी पूरी तरह से विनिर्माता की है।
- 10.2 विनिर्माता उत्पाद के विनिर्माण और/अथवा संबद्ध भारतीय मानक से गैर-अनुरूपता के कारण किसी व्यक्ति या फर्म या कम्पनी या संगठन या उपभोक्ता द्वारा दावा किए जाने अथवा क्षति होने पर उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत है।
- 10.3 विनिर्माता निर्धारित प्रपत्र में, भा. मा. व्यूरो को स्वीकार्य भाषा में, ऐसा क्षतिपूर्ति बंधपत्र निष्पादित करने के लिए सहमत एवं बाध्य होगा जिसमें किसे तृतीय पक्षकार के ऐसे दावों की क्षतिपूर्ति के लिए भा. मा. व्यूरो की हानि नहीं होने देगा जो दावा विनिर्माता द्वारा विनिर्मित उस उत्पाद की अनुरूपता से संबंधित हो जिस पर संबद्ध भारतीय मानक के अनुसार भारतीय मानक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो।
- 10.4 विनिर्माता भा. मा. व्यूरो अधिनियम 2016 के उपांचंद्रों और उसके अधीन बने नियमों और विनियमों तथा अनुज्ञसि की शर्तों के सम्यक अनुपालन के लिए विहित प्रपत्र में बैंक प्रत्याभूति देने के लिए बाध्य होगा जो भा. मा. व्यूरो के पक्ष में यूएसडी 10000 मूल्य की हो (यूएस डॉलर दस हजार केवल)।
- 10.5 इसे किसी प्रकार भंग किए जाने पर भा. मा. व्यूरो को बैंक प्रत्याभूति को प्रयोग करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा और इस संबंध में उसका निर्णय विनिर्माता को मान्य और बाध्य होगा।
11. करार की अवधि
- 11.1 यह करार लाइसेंस प्रदत्त किए जाने की तारीख से उस अवधि तक लागू रहेगा जब तक के लिए इसे प्रदत्त अथवा नवीकृत किया जाएगा और इस करार के निबंधन और शर्तों के अनुसार किसी पक्षकार द्वारा इसे वापिस अथवा समाप्त अथवा समाप्त नहीं कर दिया जाता।
12. अधिकारिता

12.1 इस करार को लेकर पक्षकारों के बीच कोई विवाद होने की स्थिति में, जिसमें करार की धाराओं की विषय-स्पष्टता अथवा विवेचना अथवा अर्थ अथवा संबद्ध अधिकार अथवा पक्षों के दायित्व अथवा देयताओं संबंधी विवाद शामिल है, अधिकारिता क्षेत्र केवल दिल्ली का न्यायालय होगा जो ऐसे दावों अथवा अधिकारों अथवा विवादों पर विचार, न्याय और समाधान करेगा।

12.2 इस करार के प्रयोजनों के लिए विनिर्माता का पता वही होगा जो कि भारत में यहां ऊपर दिया गया है और भा मा व्यूरो का वही होगा जो कि उपर्युक्त उल्लिखित है।

12.3 उपरोक्त नाम पर भेजे गए और पहुँचाए किए गए सभी नोटिस या पत्रों को संबद्ध पक्षों को जारी अथवा पहुँचा हुआ समझा माना जाएगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने गवाहों की उपस्थिति में उनके हस्ताक्षर कर दिए हैं :

भारतीय मानक व्यूरो
की उपस्थिति में :

साक्षी :

1.

2.

विनिर्माता

प्ररूप-10

[स्कीम-] के पैरा 3 के उप पैरा (5) का खंड (ख) देखें।

क्षतिपूर्ति बंध-पत्र

(रु100=00 के गैर न्यायिक स्टॉम्प पत्र पर टाइप किया जाए और नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित हो)

यह क्षतिपूर्ति बंध-पत्र मैसर्स.....कम्पनी/फर्म, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय/कॉरपोरेट कार्यालय.....में है और संपर्क/शाखा कार्यालय/कार्यालय (भारत).....में स्थित है/अथवा भारत में विधिक रूप से नियुक्त अभिकर्ता श्री/श्रीमती.....है जिनका कार्यालय.....में है, का सम्यक रूप से प्राधिकृत में प्रतिनिधित्व श्री/श्रीमती.....सुपुत्र/पत्नी/बेटी श्री.....(जिसे इसके आगे "अनुज्ञसिधारी" कहा गया है) करते हैं, के द्वारा, भारतीय मानक व्यूरो के पक्ष (जिसमें इसके पश्चात 'भा मा व्यूरो' अथवा 'व्यूरो' कहा गया है) में, जिसका मुख्यालय मानक भवन, 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली – 110002 में है, द्वारा आज 20.....के.....दिन नई दिल्ली में निष्पादित किया जाता है।

अनुज्ञसिधारी जो कि भारत के बाहर के उत्पादन कारबार में है (उत्पाद का नाम जिसके अनुज्ञसि अभिप्राप्त किया गया है), ने भारतीय मानक..... :के अनुसार उक्त उत्पाद पर भारतीय मानक मुहर के उपयोग के लिए भा मा व्यूरो प्रमाणन अनुज्ञसि प्रदान करने के लिए व्यूरो को आवेदन किया है।

और जबकि, व्यूरो के समाधान होने पर कि भा मा व्यूरो की उत्पाद प्रमाणन स्कीम के अनुसार, जिसके अधीन अनुज्ञसि प्रदत्त है, अनुज्ञसिधारी द्वारा निर्मित उत्पाद विशिष्ट भारतीय मानक के अनुरूप है, भारतीय मानक के यथा अनुरूप ऐसे उत्पाद पर भारतीय मानक मुहर के उपयोग के लिए अनुज्ञसिधारी को अनुज्ञसि प्रदान करता है;

और जबकि, इसका सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञसिधारी पर है कि जिस उत्पाद के लिए उसे अनुज्ञसि प्रदत्त किया जाता है वह संबद्ध भारतीय मानक के अनुरूप हो और इसके गैर-अनुपालन के मामले में अनुज्ञसिधारी ब्यूरो द्वारा अनुज्ञसि को आस्थगित अथवा रद्द किया जा सकता है;

और जबकि, अनुज्ञसिधारी ने अनुज्ञसि प्रदत्त किए जाने संबंधी जो करार किया है जिसमें यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि अनुज्ञसिधारी इस क्षतिपूर्ति बंध-पत्र को निष्पादित करेगा जिसमें किसी तृतीय पक्षकार के ऐसे दावों की क्षतिपूर्ति के लिए भा मा ब्यूरो की कोई हानि नहीं होने देगा जो दावा निर्मित उस उत्पाद की अनुरूपता से संबंधित हो जिस पर अनुज्ञसिधारी द्वारा संबद्ध भारतीय मानक के अनुसार भारतीय मानक चिह्न का उपयोग किया गया हो ;

अतः अब यह विलेख इस बात का साक्षियों और अनुज्ञसिधारी इस पर सहमत है और दायित्व लेता है कि वह ब्यूरो के हितों की रक्षा करेगा और अनुज्ञसिधारी के उस उत्पाद की गैर-अनुरूपता के संबंध में किसी के द्वारा ब्यूरो के विरुद्ध कोई दावा अथवा मांग अथवा कार्यवाही किए जाने पर ब्यूरो की हानि नहीं होने देगा जिस उत्पाद पर अनुज्ञसिधारी ने मानक चिह्न का उपयोग किया गया है तथा इससे संबंधित ब्यूरो को क्षतिपूर्ति करेगा जिसमें नुकसान, हित अथवा उसकी लागत शामिल है।

उक्त अनुज्ञसिधारी द्वारा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि माध्यम से साक्षियों की उपस्थिति में साक्ष्यस्वरूप इस विलेख का नई दिल्ली में निष्पादन किया गया।

साक्षी :

अनुज्ञसिधारी :

- 1.
- 2.

प्ररूप-11

[स्कीम-I के पैरा 3 के उप-पैरा (5) का खंड (ग) देखें]

बैंक प्रत्याभूति का पालन (पीबीजी)

महानिदेशक

भारतीय मानक ब्यूरो

मानक भवन,

9 बहादुर शाह जफर मार्ग,

नई दिल्ली-110002

1. भारतीय मानक ब्यूरो (इसमें इसके पश्चात् इसे "बीआईएस" अथवा "ब्यूरो" कहा गया है) ने ----- (इसमें इसके पश्चात् इसे अनुज्ञसिधारी कहा गया है) संचया ----- तारीख ----- के करार, जो ब्यूरो और अनुज्ञसिधारी के बीच में ब्यूरो द्वारा आईएस ----- के अनुसार दिए गए बीआईएस प्रमाणन चिह्न अनुज्ञसि (सीएम/एल -----) प्रदान करने के संदर्भ में है, शर्तें एवं निवंधन से छूट देने की मांग पर सहमत होने को ध्यान में रखकर ब्यूरो द्वारा ----- रूपये की बैंक प्रत्याभूति देने पर उक्त करार में निहित शर्तें एवं निवंधन को सम्यक रूप से पूरा करने के लिए अनुज्ञसिधारी की प्रतिभूति जमा (इसके पश्चात् इसे करार कहा गया है) हम ----- (इसके बाद "द बैंक" के रूप में कहा गया) मैसर्स ----- (अनुज्ञसिधारी) के अनुरोध पर ब्यूरो के महानिदेशक को चैक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा ब्यूरो को यूएसडी 10,000 (दस हजार यूएस डॉलर मात्र) देने को वचनबद्ध है, जो इस करार में निहित किन्हीं शर्तों एवं निवंधन को उक्त अनुज्ञसिधारी द्वारा तोड़ने से ब्यूरो को हुई किसी प्रकार की हानि अथवा क्षति के कारण होगा।

3. हम ----- उक्त करार में निहित किन्हीं भी शर्तों और निवंधन को अनुज्ञसिधारी के तोड़ने के कारण अथवा इस करार के अनुसार अनुज्ञसिधारी द्वारा उक्त करार के अनुसार कार्य करने में असफल रहने पर ब्यूरो द्वारा केवल मांग किए जाने पर ही विना किसी आपत्ति के ब्यूरो को इस प्रत्याभूति के अंतर्गत देय राशि तथा किया जाने वाला भुगतान करने का वचनबद्ध देते हैं।

इस प्रत्याभूति के अंतर्गत बैंक द्वारा देय राशि तथा भुगतान योग्य राशि के बारे में 'बैंक से की गई किसी मांग की इस गणना पर ब्यूरो का निर्णय अंतिम और बैंक पर बाध्यकारी होगा। तथापि, इस प्रत्याभूति के अधीन हमारा दायित्व यूएसडी 10000 (यूएस डालर 10000 केवल) अनुज्ञसिध्धारक रकम से अनधिक निर्वाचित होगा।

4. हम बीआईएस द्वारा मांगी गई कोई भी राशि देने को वचनबद्ध हैं, चाहे अनुज्ञसिध्धारी द्वारा इससे संबद्ध कोई बाद अथवा कार्यवाही किसी न्यायालय अथवा अधिकरण में लंबित पड़ी हो। हमारी देयता वर्तमान में पूर्ण है और अविश्वसनीयता से परे है, इस बंध पत्र के हैं। इस बंध पत्र के अंतर्गत हमारे द्वारा इस प्रकार किया गया संदाय हमारी जिम्मेदारी का वैध निर्वहन होगा और यह संदाय करने के विरुद्ध अनुज्ञसिध्धारी हम पर कोई दावा नहीं करेगा।

5. हम ----- इस पर भी सहमत हैं कि उक्त करार के निष्पादन की अवधि के दौरान इसमें निहित प्रत्याभूति पूर्णतः लागू और प्रभावी रहेगी तथा इस करार के अंतर्गत या इसके कारण ब्यूरो को सभी देयों को जब तक पूर्णतः भुगतान नहीं कर दिया जाता तथा उसके संतुष्ट होने या निर्वहन करने या जब तक कि ब्यूरो यह प्रमाणित नहीं करता कि उक्त अनुज्ञसिध्धारी द्वारा करार की शर्तों एवं निबंधन का पूर्णतः तथा उपयुक्त रूप से पालन किया गया है, जब तक कि हमसे----- को या उससे पहले लिखित में इस गारंटी के अंतर्गत मांग या दावा नहीं किया जाता तथा तदनुसार इस गारंटी का उन्मोचन किया जाता है। सिवाय तब, जब इस प्रत्याभूति के अधीन.....को या उससे पूर्व लिखित में कोई माँग या दावा नहीं किया जाता है। ----- हम इसके बाद इस गारंटी के अंतर्गत सभी देयताओं से उन्मोचित होंगे।

6. हम ----- ब्यूरो से पुनः सहमत हैं कि ब्यूरो को हमारी सहमति के बिना और इसके अंतर्गत हमारी बाध्यताओं को किसी भी प्रकार प्रभावित किए बिना पूरी स्वतन्त्रता होगी कि उक्त करार की किन्हीं भी शर्तों एवं निबंधन परिवर्तन करे अथवा समय-समय पर उक्त अनुज्ञसिध्धारी के निष्पादन के लिए समय को विस्तार दे या उक्त अनुज्ञसिध्धारी के विरुद्ध ब्यूरो द्वारा समय-समय पर प्रयोग की जाने वाली शक्तियों में से किसी शक्ति को किसी समय स्थगित कर दे या उक्त करार से संबंधित किसी शर्त एवं निबंधन की लोप करें या प्रवर्तन करे तथा हम ऐसे किसी परिवर्तन के कारण अपना दायित्व से मुक्त नहीं होंगे और स्थगन और उक्त करार की शर्तों एवं निबंधन या उक्त अनुज्ञसिध्धारी को विस्तार दिए जाने पर या किसी स्थगन के लिए ब्यूरो की ओर से किसी लोप पर या ब्यूरो द्वारा उक्त अनुज्ञसिध्धारी के दण्डमोचन में या चीज घटना, जो भी हो, जिसमें कानून के अंतर्गत प्रतिभूतियों से संबंधित, किंतु इस उपबंध के लिए हमें उन्मोचित करने का प्रभाव हो।

5. बैंक या अनुज्ञसिध्धारी के गठन में परिवर्तन होने पर यह प्रत्याभूति उन्मोचित नहीं की जाएगी।

6. हम ----- अंत में यह वचन देते हैं कि इस प्रत्याभूति को इसके रहते हुए और बाद में भी ब्यूरो की पूर्वानुमति के बिना इसे प्रतिसंहरित नहीं किया जाएगा।

7. तारीख ----- बैंक के लिए ----- के ----- का ----- दिन

स्थान

हस्ताक्षर

नाम

और भी और के निमित्त

मुहर

टिप्पण: पीबीजी किसी ऐसे बैंक द्वारा जारी किया जा सकता है जिसकी भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित शाखा हो। मूल पीबीजी केवल भारतीय शाखा के माध्यम से ही पृष्ठांकित और भेजी/अग्रेषित की जाएगी (भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित ऐसी शाखा का विवरण नीचे दें।)

प्ररूप-12

[स्कीम-I के पैरा 9 के उप पैरा (1) को निर्दिष्ट करें]

अनुज्ञासि के नवीकरण के लिए आवेदन

प्रमुख.....शाखा कार्यालय
भारतीय मानक व्यूरो

महोदय/महोदया,

मैं / हम में कारबाह कर रहे हैं (फैक्ट्री और कार्यालय का पूरा पता) समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक व्यूरो अधिनियम, 2016 के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन व्यूरो द्वारा प्रदत्त अनुज्ञासि सं. सीएम/एल.....का.....से.....तक की और अवधि के लिए नवीकरण हेतु आवेदन करता हूँ/करते हैं, उपरोक्त अनुज्ञासि में यथा उपदर्शित और समय-समय पर संशोधित शर्तें समान रहेंगी।

2. अनुज्ञासि के अधीन भा मा व्यूरो मानक मुहर वाली प्रभावित वस्तुओं के उत्पादन का विवरण सीईओ/हमारी कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत् प्रमाणित पृष्ठ के पिछली और निष्पादन रिपोर्ट में दिया गया है।

3. मैं/हम इसके साथ निम्नलिखित रकम रु.....के लिए रसीद संछयातारीख..... संलग्न कर रहे हैं:

- i) नवीकरण आवेदन शुल्क रु.
- ii) वार्षिक अनुज्ञासि शुल्क रु. दर प्रति वर्ष
- iii) इकाई दर आधार पर परिकलित मुहरांकन शुल्क (पिछले पृष्ठ पर दी गई रिपोर्ट की मद 3) अथवा न्यूनतम मुहरांकन शुल्क, जो भी अधिक हो
- iv) पिछला देय/अन्य शुल्क (भारतीय मानक व्यूरो के नोटिस के अनुसार) यदि कोई हो।
- v) कुल राशि रु.

हस्ताक्षर
तारीख

नाम

पदनाम
के लिए और के निमित्त

फर्म की मुहर

निष्पादन रिपोर्ट

(अनुज्ञासि नवीकरण के आवेदन का पैरा 2)

(रिपोर्ट मेंसे.....तक की अवधि शामिल की जाएगी)

उत्पाद का नाम..... भारतीय मानक सं.....

अनुज्ञासि सं. -

1. वस्तु(ओं) का कुल उत्पादन
2. बीआईएस मानक मुहर के अधीन शामिल किया गया उत्पादन और इसका अनुमानित मूल्य

2.1 मात्रा.....	
2.2 मूल्य(₹).....	
3. मुहरांकन शुल्क का परिकलन :	
3.1 इकाई.....	
3.2 मुहरांकन शुल्क प्रति इकाई.....	
3.3 2.1 पर दी गई मात्रा का 3.2 पर दी गई इकाई दरों के गुणा से प्राप्त मुहरांकन शुल्क	
3.4 न्यूनतम मुहरांकन शुल्क.....	
4. भा मा व्यूरो मानक मुहर में शामिल न की गई मात्रा, यदि हो, और उसमें शामिल न करने का कारण	
5. भा मा व्यूरो प्रमाणित माल के सभी क्रेताओं के नाम व पते, जिसमें केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/मंत्रालय/विभाग/उपक्रम इत्यादि शामिल हैं (यदि लागू हो)	
6. उल्लिखित अवधि के लिए माहवार उत्पाद विवरण	

नोट : यदि आवश्यकता हो, तो अलग शीट संलग्न करें।

प्ररूप-13

[स्कीम-1 के पैरा 9 का उप पैरा (2) देखें]
अनुज्ञसि सं. सीएम/एल-.....का संलग्नक

सीएम/एल	फैक्ट्री के पते के साथ अनुज्ञसिधारी का नाम	उत्पाद का नाम	भारतीय मानक सं.

पृष्ठांकन सं.....तारीख

अनुज्ञसि..... तक मान्य था,

* और, नवीकरण तक आस्थगित किया गया था और अनुज्ञसिधारी को..... से..... तक मानक मुहर का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। (*जो लागू न हो, उसे काट दें।),

अब, नवीकरण के परिणामस्वरूप, मूल अनुज्ञसि/अनुमोदन संचया..... की अनुसूची में दिए गए अनुज्ञसि की वैधतासे..... तक बढ़ा दी गई है।

अनुज्ञसि की अन्य शर्तें समान रहेंगी।

पदाभिहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(पदाभिहित प्राधिकारी का नाम)

प्ररूप-14

[स्कीम-I के पैरा 10 का उप पैरा (1) देखें]

अनुज्ञासि के स्कोप में परिवर्तन हेतु आवेदन

प्रमुख.....शाखा कार्यालय

भारतीय मानक ब्यूरो

महोदय/महोदया,

मैं/हम.....में कारबाह कर रहे हैं (फैक्ट्री और कार्यालय का पूरा पता) अनुज्ञासि सं.....में नीचे दी गई नई किस्मों को शामिल करने के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं।

2. भारतीय मानक सं.

उत्पाद का नाम

अनुज्ञासि का वर्तमान स्कोप

विषय-क्षेत्र में वांछित वृद्धि/कटौती

3. परीक्षण रिपोर्ट(रिपोर्ट), संलग्न हाँ/नहीं/लागू नहीं

4. अतिरिक्त विनिर्माण मशीनरी और/या परीक्षण उपकरणों की सूची, यदि कोई हो,

5. मैं/हमने उपरोक्त आवेदन के लिए रु..... का रसीद सं.....तारीख.....द्वारा संदाय किया है।

फर्म की मुहर

नोट : यदि आवश्यकता हो, तो अलग शीट संलग्न करें।

हस्ताक्षर
तारीख
नाम
पदनाम

के लिए और उनकी ओर से

प्रृष्ठ-15

[(स्कीम-। के पैरा 10 का उप पैरा (4) देखें]

अनुज्ञाति सं. सीएम/एल-.....का संलग्नक

सीएम/एल-	फैक्ट्री के पते के साथ अनुज्ञातिधारी का नाम	उत्पाद का नाम	भारतीय मानक सं.

पृष्ठांकन सं.....तारीख.....

ब्यूरो द्वारा तारीख से अनुज्ञाति के स्कोप में से निम्नलिखित को जोड़ने/ हटाने का अनुमोदन किया गया है।

उपरोक्त परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, अनुज्ञाति की अनुसूची में तालिका के स्तम्भ (3) में अनुज्ञाति के संशोधित स्कोप में निम्नानुसार है :

अनुज्ञाति की अन्य शर्तें समान रहेंगी।

पदाधिकारी के हस्ताक्षर
(पदाधिकारी का नाम)

स्कीम-॥

भारतीय मानक के अनुसार सामान और वस्तुओं के लिए अनुरूपता की स्व-घोषणा के आधार पर पंजीकरण द्वारा मानक मुहर लगाने या प्रयोग करने हेतु अनुज्ञाति के लिए अनुरूपता मूल्यांकन स्कीम (अनुसूची के अनुसार टाइप सी योजना आधारित)

विषय क्षेत्र

1. (1) इस स्कीम के अधीन, जो कि टाइप सी पर आधारित है, अनुरूपता की स्व-घोषणा के आधार पर पंजीकरण द्वारा मानक मुहर लगाने अथवा प्रयोग करने हेतु ब्यूरो द्वारा सामान एवं वस्तुओं, जिसे इसमें इसके पश्चात् उत्पाद कहा गया है, के लिए अनुज्ञाति दिया जा सकता है, जो कि निर्माण परिसर में निर्मित हो और संबद्ध भारतीय मानक (मानकों) की सभी अपेक्षाओं के अनुरूप हो।

स्पष्टीकरण -उप-पैरा (1) के प्रयोजन हेतु निर्माण परिसर(रों) से, ऐसे परिसर से अभिप्रेत हैं जो या तो आवेदक के स्वामित्व में हो अन्यथा उसका हो, जहाँ निर्माण कार्यकलाप का कुछ भाग किया जाता है तथा वह परिसर शामिल है जिसमें अंतिम निर्माण कार्यकलाप पूरा किया जाता है और जहाँ मानक मुहर का उपयोग किया जाना है या इसे लगाया जाना है।

(2) अनुज्ञाति प्रदान करना और उसका प्रचालन पैरा 3 में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा।
परिभाषाएं

2. (1) "तृतीय पक्ष प्रयोगशाला" का आशय ब्यूरो द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, ब्यूरो द्वारा पैनलबद्ध प्रयोगशालाएँ या ब्यूरो की कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्णीत अन्य कियी प्रयोगशाला से है।

स्कीम की प्रक्रिया

(1) चयन – (क) निर्माता पहचान करेगा कि -

- (i) उत्पाद के लिए जिसके प्रति वह अनुज्ञासि प्राप्त करने का इच्छुक है लागू भारतीय मानक;
 - (ii) निर्माण एवं परीक्षण सक्षमता और उपलब्धता का सुनिश्चय करना;
 - (iii) उपयोग किए जाने वाले मॉडल नम्बर और ब्रांड का नाम;
- (ख) निर्माता को अनुज्ञासि के अभीष्ट विषय-क्षेत्र और नमूने लेने के दिशा-निर्देशों से उत्पाद(दों) के परीक्षण हेतु न्यूनतम आवश्यक नमूनों की संख्या सुनिश्चित करना होगा;
- (ग) निर्माता अनुरूपता की स्व-घोषणा के आधार पर रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से अनुज्ञासि प्रदान करने के लिए इस स्कीम के संलग्नक प्ररूप-। पर प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग से आवेदन कर सकता है;
- (घ) ब्रांड नाम का स्वामी समान न होने पर प्रत्येक ब्रांड के नाम के लिए अलग से आवेदन करना होगा ;
- (ङ) निर्माता यह सुनिश्चित करेगा कि उत्पाद भारतीय मानक की सभी अपेक्षाओं के अनुरूप परीक्षित हुआ है और इस योजना के संलग्नक प्ररूप-॥ के अनुसार वचनबद्ध तथा परीक्षण रिपोर्ट जमा करनी होगी जो कि उस उत्पाद के लिए उपलब्ध नमूना लेने के मार्ग निर्देशों के अनुसार तृतीय पक्ष प्रयोगशाला द्वारा जारी की गई हो ;
- (च) निर्माता को अधिनियम की धारा 31 व धारा 18 की उपधारा (6) और उपधारा (7) से अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए इस योजना से संलग्नक प्ररूप-॥। ए, बी, सी, यथा लागू, के अनुसार शपथपत्र देना होगा ;
- (छ) विदेशी निर्माता की दशा में अधिनियम की धारा 31 व धारा 18 की उपधारा (6) और उपधारा (7) से अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के संलग्न फार्म-IV में भारतीय प्रतिनिधि नामित करना होगा और नामित भारतीय प्रतिनिधि को इस स्कीम से संलग्नित यथा लागू फार्म-॥। ए, बी, सी के अनुसार शपथपत्र देना होगा ;
- (ज) अनुज्ञासि के निवंधन व शर्तों की स्वीकार्यता ;
- (2) अवधारण – आवेदन प्राप्त होने पर ब्यूरो आवेदन में दी गई जानकारी की पूर्णता की जांच करेगा और तृतीय पक्ष प्रयोगशाला से उत्पाद के परीक्षण परिणामों की उनकी सटीकता और अनुरूपता के लिए जांच करेगा।
- (3) पुनरीक्षण - आवेदन की सम्पूर्णता की जांच की जाएगी और तृतीय पक्ष प्रयोगशाला से उत्पाद के परीक्षण परिणामों की उनकी शुद्धता और अनुरूपता के लिए समीक्षा की जाएगी।
- (4) निर्णय - अनुरूपता की स्व-घोषणा के आधार पर पंजीकरण के माध्यम से अनुज्ञासि प्रदान करने का निर्णय ब्यूरो द्वारा आवेदक के आवेदन देने पर किया जाएगा जो यह दर्शाए कि निर्माता के पास निरंतर गुणतापूर्ण उत्पाद के निर्माण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उत्पाद के परीक्षण परिणाम संबद्ध भारतीय मानक के अनुरूप है और समीक्षा का परिणाम संतोषजनक है।
- (5) सत्यापन - अनुरूपता की स्व-घोषणा के आधार पर रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से अनुज्ञासि प्रदान करने का निर्णय लेने पर ब्यूरो इस योजना के संलग्नक प्ररूप-V पर निर्माता को दस्तावेज, जिसमें अनुज्ञासि का विषय-क्षेत्र, अनुज्ञासि संख्या, निर्माता का पता, ब्रांड का नाम, मॉडल संख्या, अनुज्ञासि की वैधता, भारतीय मानक का विवरण, मानक मुहर की प्रतिकृति हो, जारी की जाएगी।
- (6) निगरानी – (क) ब्यूरो बाज़ार से या मार्गस्थ नमूने ले सकता है और ऐसे नमूनों को परीक्षण के आग्रह के साथ तृतीय पक्ष की प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेज सकता है।
- (ख) किसी कारणवश नमूने लेना संभव न होने पर पारेषण बिन्दु से नमूने लिए जा सकते हैं और ब्यूरो प्राथमिकता के आधार पर संगठित क्रेता से फीडबैक ले सकता है।

शिकायतें

4. (1) ब्यूरो मानक मुहर वाले उत्पाद की गुणता के बारे में प्राप्त किसी भी शिकायत को स्वीकार और उसकी जांच करेगा।
 - (2) जहां उत्पाद का परीक्षण शामिल है वहां परीक्षण के समय को छोड़कर, शिकायत समाप्त करने की कार्रवाई नव्वे दिनों के भीतर पूरी की जाएगी।
- शुल्क**
5. (1) आवेदन फीस, वार्षिक अनुज्ञासि फीस और नवीकरण आवेदन प्रत्येक के लिए एक हजार रुपए हो।

2. अनुज्ञसि प्रदान करने के लिए प्रति आवेदन प्रक्रिया फीस पचास हज़ार रुपए होगा।
3. एक परीक्षण रिपोर्ट से अधिक वाले आवेदन पर प्रत्येक अतिरिक्त परीक्षण रिपोर्ट पर रुपए बीस हज़ार की दर से प्रभार लिया जाएगा और फीस का भुगतान अग्रिम में करना होगा।
4. आवेदक को नवीकरण के समय पचास हज़ार रुपए के प्रक्रिया फीस का भुगतान करना होगा।
5. दो वर्ष से अधिक के लिए नवीकरण के लिए आवेदन करने पर प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए पच्चीस हज़ार रुपए की फीस ली जाएगी और अनुज्ञसि की वैधता अवधि के लिए फीस का भुगतान अग्रिम में करना होगा।
6. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए प्रक्रिया फीस में बीस प्रतिशत की छूट लागू होगी।

स्पष्टीकरण – इस उप-पैरा के प्रयोजनार्थ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पद का वही अर्थ होगा जो कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) में दिया गया है।

7. नई किस्मों या मॉडलों को शामिल करने के लिए या अनुज्ञसि के विषय क्षेत्र के विस्तार के मामले में प्रति आवेदन तीस हज़ार रुपए की राशि प्रभारित की जाएगी।
8. निगरानी या शिकायत की जांच के लिए यथास्थिति नमूनों की लागत और वापिस लिए गए नमूनों का परीक्षण शुल्क आवेदक या अनुज्ञसिधारी देगा।
9. अनुज्ञसि प्रदान किए जाने के बाद कोई सेवा निवेदन जैसे नाम/पता/प्रबंधन/भारतीय प्रतिनिधि या ई-मेल या संपर्क विवरण में परिवर्तन या अनुज्ञसि के विषय क्षेत्र से मॉडल वापिस लेने, अनुज्ञसि के विषय-क्षेत्र में मॉडल के महत्वपूर्ण घटक में अद्यतनीकरण के लिए प्रति निवेदन बीस हज़ार रुपए का भुगतान किया जाएगा।

लेबलिंग और मुहरांकन अपेक्षाएँ

6. (1) प्रत्येक उत्पाद या पैकेज या दोनों पर योजना के संलग्नक-I में मानक मुहर के प्रयोग के दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट किए अनुसार मानक मुहर मुहरांकित होंगे।
 (2) मानक मुहर का मापन इस योजना के साथ संलग्नित संलग्नक-II में यथा निर्दिष्ट के अनुसार होगा।
 (3) मानक मुहर की रंग संयोजना इस योजना के साथ संलग्नित संलग्नक-III के अनुसार होगा।
 (4) मानक मुहर पर अनुज्ञसि संख्या और भारतीय मानक का संदर्भ स्पष्टतः दिखाने वाले तरीके से और अनुज्ञसि में यथा-विनिर्दिष्ट के अनुसार चर्चा।
 (5) यदि मानक मुहर के नीचे अनुज्ञसि संख्या नहीं दी जा सकती है, तो मानक मुहर के बिल्कुल पास, उपयुक्त रूप से रैखिक रूप से दी जाएगी।
 (6) भारतीय मानक की अपेक्षाओं के अनुसार उत्पाद का विवरण, जिसमें किस्म, मॉडल, संख्या, लॉट या खेप संख्या, निर्माण की तारीखिया सप्ताह, निर्माता का पूरा पता शामिल है, उत्पाद पैकेजिंग पर या उत्पाद पर लगे लेबल पर अंकित किया जाएगा।
 (7) मुहरांकन के विवरण पर ब्यूरो की वेबसाइट का संदर्भ अंतर्विष्ट होगा, ताकि उपभोक्ता मानक मुहर लगे उत्पाद की प्रामाणिकता का सत्यापन कर सके।
 (8) यदि ब्यूरो द्वारा आवश्यक हो तो मानक मुहर के अतिरिक्त अनुज्ञसिधारी उत्पाद या पैकेज पर संबद्ध भारतीय मानक संख्या के बाद शब्द “अनुरूपता की स्व-घोषणा” अंकित करेगा।
 (9) किसी उत्पाद विशेष के लिए ब्यूरो अतिरिक्त लेबलिंग और मुहरांकन अपेक्षाएँ निर्दिष्ट कर सकता है जिनका अनुज्ञसिधारी को अनुपालन करना होगा।

अनुज्ञसि की शर्तें

7. अनुज्ञसि की शर्तें इन विनियमों के विनियम 6 में दिए गए अनुसार होंगी।

अनुज्ञसि की वैधता

- 8** (1) मानक मुहर का उपयोग के लिए अनुज्ञसि आरंभ में दो वर्ष के लिए दिया जाएगा।
 (2) अनुज्ञसि का नवीकरण कम से कम दो वर्ष के लिए तथा पांच वर्ष तक की अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।

अनुज्ञसि का नवीकरण

9. (1) मानक मुहर के उपयोग करने के लिए अनुज्ञसि के नवीकरण करने का आवेदन अनुज्ञसि की समाप्ति से तीन माह पूर्व ब्यूरो को इस योजना में संलग्न प्ररूप- VI में किया जाएगा।
 (2) ब्यूरो इस योजना के साथ-साथ प्ररूप-VII में अनुज्ञसि का नवीकरण करेगा।

अनुज्ञसि के स्कोप में परिवर्तन

10. (1) मानक मुहर के प्रयोग के अनुज्ञसि के विषय-क्षेत्र में परिवर्तन के लिए आवेदन इस योजना के संलग्नक यथा लागू प्ररूप-VIII क/ख में किया जाएगा।
 (2) अनुज्ञसि के स्कोप में विस्तार हेतु आवेदन पर विचार अनुज्ञसिधारी द्वारा दी गई उत्पाद की पूर्ण परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर किया जा सकता है, जो कि तृतीय पक्ष की प्रयोगशाला द्वारा जारी की गई हो।
 (3) ब्यूरो अनुज्ञसि के स्कोप में परिवर्तन इस योजना के संलग्नक यथा लागू फार्म-X क, ख में किया जाएगा।

निलंबन

- 11 (1) किसी समय भारतीय मानक से उत्पाद की अनुरूपता को बनाए रखने में कठिनाई आने पर अनुज्ञसिधारी ब्यूरो को सूचित करते हुए मानक मुहर के प्रयोग को स्वयं निलंबित करेगा।
 (2) जैसे ही कमियाँ दूर कर ली जाती हैं, मुहरांकन का प्रयोग फिर से आरंभ किया जा सकता है और इस प्रकार के मुहरांकन को आरंभ किए जाने की सूचना ब्यूरो को तुरंत या आरंभ किए जाने की तारीख के सात दिनों के भीतर दी जाएगी।
 (3) नए पते पर निर्माण यूनिट के स्थानांतरण के कारण अनुज्ञसिधारी ब्यूरो को सूचित करते हुए मानक मुहर के प्रयोग को स्वयं निलंबित करेगा।
 (4) सम्पूर्ण कार्यवाही करने के बाद ब्यूरो को आवश्यक फीस के साथ सूचित किया जाएगा।
 (5) दिए गए दस्तावेजों के सत्यापन तथा आवश्यक फीस जमा कराए जाने के उपरांत ब्यूरो निलंबन को वापिस ले सकेगा।
 (6) यदि आवेदक द्वारा अपेक्षित फीस का भुगतान नहीं किया गया है तो ब्यूरो इकीस दिनों का नोटिस जारी करके अनुज्ञसि को निलंबित कर सकेगा और अनुज्ञसिधारी को उत्पाद पर मानक मुहर प्रयोग न करने का निर्देश दे सकेगा।
 (7) ब्यूरो बकाया प्राप्त होने पर उप-पैरा (6) के अधीन जारी निलंबन को रद्द कर सकेगा।

अनुज्ञसि रद्द करना

12. (1) ब्यूरो इन विनियमों के विनियम 11 के अनुसार अनुज्ञसि को रद्द करेगा।

(2) यदि किसी समय ब्यूरो के पास पर्याप्त प्रमाण हो कि मानक मुहर वाला उत्पाद संबद्ध भारतीय मानक के अनुरूप नहीं है तो ब्यूरो अनुज्ञसिथारी को नोटिस देकर अनुज्ञसि को समाप्त कर सकेगा।

(3) रद्द किए जाने की तारीख के बाद अनुज्ञसिथारी या उसका प्रतिनिधि मानक मुहर वाले उत्पाद की आपूर्ति, आयात और विक्री को रोक देगा।

उपावंध-

(स्कीम II के पैरा 6 का उप पैरा (1) में निर्दिष्ट करें)

मानक मुहर के प्रयोग के दिशा-निर्देश

'मानक मुहर' के मोनोग्राम में चित्रात्मक निरूपण हो, जो कि ठीक वैसा लिया गया हो जैसा कि उपावंध II व III में दिया गया है और इसका फोटोग्राफिक लघुकरण एवं विस्तार किया जा सकता है।

- (i) 'मानक मुहर' दिए गए विवरण अनुसार एक या एक से अधिक रंग में निरूपित की जा सकती है।
- (ii) अनुज्ञसिथारी वस्तु या पैकेजिंग, जैसा भी मामला हो, पर 'मानक मुहर' इस तरह से लगाएं, जो आसानी से दिखे।
- (iii) मानक मुहर वैथ, अमिट और ऐसी हो जो हटाई न जा सके तथा मुहरांकन का स्थायित्व संबद्ध भारतीय के प्रावधानों, जहां लागू हो, के अनुसार हो।
- (iv) आईएस संख्या, रजिस्ट्रीकरण संख्या और शब्दों का एरियल फोट साइज 6 से कम न हो।
- (v) उत्पाद पर स्थूल (physical) निरूपण के स्थान पर मानक मुहर को इलेक्टॉनिकली (ई- लेबलिंग) निरूपित करने वाला समेकित प्रादर्शी स्क्रीन (integrated display) वाला उपकरण।


उपाबंध-II

(स्कीम II के पैरा 6 का उप पैरा (2) में निर्दिष्ट करें)

अनुरूपता स्व-घोषणा चिह्न का मापन

आईएस 16046

सभी

आयाम
मिलिमीटर में

एच 1	
एच 2	
एच 3	
एच 4	
एच 5	
एल 1	
एल 2	
एल 3	
एल 4	
एल 5	
डी 1	
डी 2	
डी 3	
डी 4	
डी 5	
डी 6	
बी 1	
बी 2	
बी 3	
बी 4	
बी 5	

बहुरंगीय मानक मुहर के लिए रंग आयोजना – लाल, नीली और काली होगी

- क) मुद्रण के लिए रंग आईएस 1222 – 1992 ‘इंक, डुप्लिकेटिंग फॉर टिवन सिलिंडर रोटरी मशीनरी (तीसरा पुनरीक्षण)’ के अनुसार ‘ओरियंटल ब्लू’ और ‘मोनोपोलरेड’ रहेगा।
- ख) साईन बोर्ड के लिए रंग आईएस 5 : 1994 “तैयार मिथित पेन्ट एवं अनेमल हेतु रंग (चौथा पुनरीक्षण)” के अनुसार “फ्रेंच ब्लू (सं. 166) रेड (सं. 537)” रहेगा।

एकल रंग मानक मुहर हेतु रंग के चयन पर कोई रोक नहीं है।


प्रयुक्त फॉट स्टाइल एवं प्रयुक्त साइज़ प्रियल-85 प्वांइट

ऊपर दी गई आईएस संख्या और अनुग्रहि संख्या उदाहरण मात्र है। प्रत्येक उत्पाद के लिए आईएस संख्या के निरूपण हेतु कृपया राजपत्र अधिसूचना एस.ओ.(ई) दिनांक 01 दिसम्बर 2015 देखें।

उपांत्य-|||

(स्कीम II के पैरा 6 का उप पैरा (3) में निर्दिष्ट करें)

“मानक मुहर” हेतु रंग आयोजना



आर -

प्ररूप-।

(स्कीम II के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के खंड (ग) निर्दिष्ट करें)

अनुरूपता के लिए स्वघोषणा के आधार पर रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से अनुज्ञासि देने के लिए आवेदन

माह, तारीख, वर्ष

1. आवेदक का नाम(द्वारा उत्पाद निर्मित):
2. निर्माण इकाई का पता (द्वारा उत्पाद निर्मित)(निर्माण परिसर का नाम और पते के प्रमाणीकरण के लिए इस्तावेज संलग्न करें)

पता:

राज्य/देश:

पिन:

ई-मेल:

टेलीफोन :

[टेलीफोन नंबर के साथ एसटीडी कोड दिया जाए(देश और क्षेत्र का कोड)]

फैक्स:

[फैक्स नंबर के साथ एसटीडी कोड दिया जाए(देश और क्षेत्र का कोड)]
3. कार्यालय का पता:

पता:

राज्य/देश:

पिन:

ई-मेल:

टेलीफोन :

[टेलीफोन नंबर के साथ एसटीडी कोड दिया जाए (देश और क्षेत्र का कोड)]

फैक्स:

[फैक्स नंबर के साथ एसटीडी कोड दिया जाए (देश और क्षेत्र का कोड)]

4. निर्माण इकाई की शीर्ष प्रबंधन

(विविवत् प्रमाणित, शीट अलग से संलग्न करें, यदि आवश्यक हो):

क्रम. सं.	नाम	पदनाम

5. निर्माण इकाई का तकनीकी प्रबंधन

(विविवत् प्रमाणित, शीट अलग से संलग्न करें, यदि आवश्यक हो):

क्रम.सं.	नाम	पदनाम

6. निर्माण इकाई का संपर्क व्यक्ति

नाम	पदनाम	मोबाइल नं	लैंडलाइन नं.	ई-मेल आईडी

7. निर्माता द्वारा नामित भारतीय प्रतिनिधि का विवरण:

(हमारा भारत में स्थित संपर्क कार्यालय / सहायक फर्म / शाखा कार्यालय है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है):

या

हमारा भारत में स्थित संपर्क कार्यालय / सहायक फर्म / शाखा कार्यालय नहीं है, लेकिन भारत में स्थित सामान पर लगने वाले ट्रेडमार्क/ब्रांड के संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय / सहायक फर्म/ पंजीकृत उपयोगकर्ता /मालिक है; जिनका विवरण निम्नलिखित है:

या

हमारा भारत में स्थित संपर्क कार्यालय / सहायक फर्म / शाखा कार्यालय नहीं है और न ही भारत में स्थित सामान पर लगने वाले ट्रेडमार्क/ ब्रांड के संपर्क कार्यालय/ शाखा कार्यालय / सहायक फर्म/ पंजीकृत उपयोगकर्ता /स्वामी है। इसलिए, हम प्रमुख आयातक / वितरक / निर्माता या ब्रांड के स्वामी के साथ विपणन गठजोड़ करने के लिए नामित करते हैं, हमारे प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधियों का विवरण निम्नलिखित है:

फर्म का नाम:

फर्म का पता:

हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

पदनाम;

ई-मेल आईडी:

मोबाइल नं.:

कार्यालय का टेलीफोन नं. ;

8. यह आवेदन किस अनुज्ञसि को देने के लिए किया जा रहा है:

(क) भारतीय मानक;

(ख) उत्पाद श्रेणी;

(ग) उत्पाद का नाम:

मॉडल सं.	ब्रांड का नाम

9. पिछले लाइसेंसों का विवरण

अनुज्ञसि सं.	स्थिति (समाप्त / रद्द / प्रचालित / स्थगित)	टिप्पणी

10. अवयव / कच्ची सामग्रियां: अवयवों की सूची / कच्चे माल का परीक्षण और स्वीकृति के साथ भारतीय मानक में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार परीक्षण और स्वीकार किए गए अवयवों / कच्ची सामग्री की सूची नीचे दी गई है (विधिवत प्रमाणित, अलग शीट संलग्न करें, यदि आवश्यक हो):

वस्तु/भाग का नाम	निर्माण/ब्रांड	मॉडल नं.	तकनीक डाटा/रेटिंग	परीक्षण के लिए मानक	अनुरूपता की मुहर(रें)

11. निर्माण — क्या निर्माण इकाई के पास उत्पाद और इसके मॉडल और शृंखलाओं के लिए पूर्ण निर्माण सुविधा है, जिस अनुज्ञसि के लिए आवेदन किया गया है? : हाँ/नहीं

(यदि 'नहीं', तो आउटसोर्स व निर्माण प्रक्रियाओं का विवरण प्रदान करें)

12. परीक्षण - क्या भारतीय मानक के अनुसार उत्पाद की अनुरूपता को जांचने के लिए निर्माण इकाई में इन-हाउस पूर्ण परीक्षण सुविधा है? : हाँ/नहीं

(यदि 'नहीं', तो उन परीक्षणों का विवरण प्रदान करें जिनके लिए इन हाउस परीक्षण की सुविधा नहीं है और यह परीक्षण कैसे किए जाते हैं)

13. जिन अनुज्ञसि के लिए आवेदन किया गया है, उन उत्पादों की परीक्षण रिपोर्ट (रिपोर्ट) का विवरण:

क्रम.सं.	प्रयोगशाला का नाम	परीक्षण रिपोर्ट सं.	परीक्षण रिपोर्ट जारी करने की तारीख	मॉडल नं.	ब्रांड

14. भुगतान का विवरण:

राशि रु. में	पेमेंट गेटवे की रसीद सं.	मॉडल सं.	भुगतान तारीख की रसीद	टिप्पणियां

15. घोषणा और स्वीकार्यता

(क) ब्रांड का नाम

ब्रांड का नाम / ट्रेडमार्क जो अनुज्ञासि वाले उत्पाद पर मुहरांकित किया जाएगा (ब्रांड का नाम / ट्रेडमार्क के वास्तविक डिज़ाइन चित्रण दें)	स्वयं या दूसरों द्वारा स्वामित्व *	क्या ब्रांड का नाम / ट्रेडमार्क रजिस्ट्रीकृत है? i भारत में रजिस्ट्रीकृत ii भारत के बाहर रजिस्ट्रीकरण iii रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है iv अरजिस्ट्रीकृत	प्रस्तावन/रजिस्ट्रीकरण की तारीख

ब्रांड के रजिस्ट्रीकृत प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि भी प्रदान की जाएगी।

* किसी अन्य संगठन द्वारा उपर्युक्त प्रयोजन के लिए उपयोग किए जा रहे ब्रांड का नाम / ट्रेडमार्क (निर्माता / आवेदक के अतिरिक्त) के स्वामित्व में हैं, तो ब्रांड का इसके प्रयोग के लिए निर्माता को करार / प्राधिकरण की प्रतिलिपि दें।

(ख) निबंधन और शर्तें

मैं/ हम, अनुज्ञासि अनुदत्त करने पर,:;

(i) यह सुनिश्चित करेंगे कि मानक मुहर का डिज़ाइन अनुज्ञासि में दी गई प्रतिलिपि के समान हो।

- (ii) अनुपालन करेंगे कि जब तक व्यूरो द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए मानक मुहर के फोटोग्राफिक विस्तार या लघुकरण का प्रयोग किया जा सकेगा।
- (iii) नियमों और अधिनियमों के तहत तैयार और समय-समय पर संशोधित, अधिनियम के प्रावधानों का पालन करेंगे।
- (iv) उन वितरकों, विक्रेताओं या खुदरा विक्रेताओं की सूची प्रदान करेंगे जिनको मानक मुहर वाले माल अथवा वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है।
- (v) माल, वस्तु, प्रसंस्करण, प्रणाली या सेवा के अनुरूप भारतीय मानक, जिसके संबंध में मुहर का प्रयोग या अनुप्रयोग के लिए उत्तरदायी होगा।
- (vi) व्यूरो/केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देशित नमूने (लागतों) की लागत और उनके परीक्षण शुल्क को बहन किया जाएगा।
- (vii) अनुज्ञसि के विषय-क्षेत्र से बाहर या गैर-अनुरूपता वाले माल, वस्तु, प्रसंस्करण, प्रणाली या सेवा के संबंध में मानक मुहर का उपयोग नहीं करेगा।
- (viii) जिसके अंतर्गत अनुज्ञसि प्रदान किया गया है, उन अनुरूपता मूल्यांकन योजना के प्रावधानों का अनुपालन करेगा, जिसमें लेबलिंग और मुहरांकन अपेक्षाएं शामिल हैं।
- (ix) यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, प्रणाली या सेवा और आपूर्ति, आयात और विक्री या निलंबन के दौरान या अनुज्ञसि की समाप्ति / रद्द करने के बाद मानक मुहर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है।
- (x) गैर-अनुरूपता वाली वस्तुओं या सामान की आपूर्ति और विक्री को रोकने और गैर-अनुरूपता वाले सामान या वस्तुओं को वापस लेना जिनकी पहले से ही आपूर्ति की जा चुकी हैं या विक्री के लिए दिए जा चुके हैं या बाजार से इस तरह के चिह्न या किसी ऐसे स्थान से जहां वे विक्री के लिए दिए जाते हैं या सेवा प्रदान करने के लिए निषेध होने की संभावना है।
- (xi) यह सुनिश्चित करेंगे कि हम या हमारे प्रतिनिधि द्वारा मानक चिह्न लगे उसकी रंगीन अनुकृति वाले माल, वस्तु, प्रसंस्करण, प्रणाली या सेवा की विक्री की किए जाने पर, जो संबद्ध मानक के अनुरूप न हो, तो व्यूरो हमें या हमारे प्रतिनिधियों को निदेश दे सकेगा कि —
- (क) मानक मुहरांकित माल, वस्तु, प्रसंस्करण, प्रणाली या सेवा की निर्दिष्ट किए गए अनुसार मरम्मत की जाए या उसे बदला जाए; या
- (ख) व्यूरो द्वारा उपभोक्ता को निर्दिष्टानुसार मुआवजे का भुगतान किया जाए; या
- (ग) वस्तुओं, माल, प्रसंस्करण, प्रणाली या सेवा की की गैर-अनुरूपता के कारण लगने वाली चोट के लिए उपभोक्ता को निर्धारित किए गए अनुसार क्षतिपूर्ति की जाए।
- (xii) परिसर में निरीक्षण या ऑडिट करने के संबंध में व्यूरो को सहायता प्रदान की जाएगी।
- (xiii) उत्पादन और मानक मुहर को लगाने या उपयोग करने के संबंध में आवश्यकता होने पर व्यूरो को संबंधित जानकारी प्रदान करेगा।
- (xiv) व्यूरो और / या केंद्र सरकार के निर्दिष्टानुसार सभी वित्तीय बकायों का भुगतान करेगा।
- (xv) यह सुनिश्चित करेगा कि, यदि मानक मुहर लगे उत्पाद की गुणता के बारे में शिकायत की गई है, तो हम उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे ताकि भवित्य में ऐसी शिकायतों की पुनरावृत्ति न हो।
- (xvi) व्यूरो को अनुज्ञसिधारक को कम से कम एक महीने का नोटिस देकर अनुज्ञसि की किसी भी शर्त में संशोधन करने का अधिकार होगा।
- (xvii) नाम / प्रबंधन, स्थान, संपर्क विवरण, अधिकृत प्रतिनिधि, अनुज्ञसि के विषय क्षेत्र में किसी भी मॉडल के महत्वपूर्ण घटक के परिवर्तन के बारे में बीस दिनों के भीतर बीआईएस को सूचित करने की वचनबद्धता देनी होगी।

(xviii) जब हम रजिस्ट्रीकृत योजना के संचालन के साथ किसी अन्य ब्रांड नाम / ट्रेडमार्क (ओ) का उपयोग करने का प्रस्ताव करते हैं, तो व्यूरो को अग्रिम रूप में सूचित करने की वचनबद्धता देनी होगी।

(xix) समझते हैं कि 15(क) के अनुसार ब्रांड के नाम की जानकारी भारतीय मानक व्यूरो को केवल सूचना के तौर पर है, कि किसी ब्रांड के नाम और ट्रेडमार्क की अनुमति/अनुमोदन में भारतीय मानक व्यूरो की कोई भूमिका नहीं है, कि इसकी किसी तरह यह विवेचना नहीं की जाएगी कि भारतीय मानक व्यूरो ने उपरोक्त सूचीबद्ध ब्रांड के नामों और ट्रेडमार्कों को प्रयुक्त करने की अनुमति/अनुमोदन प्रदान कर दी है और पूरी जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी।

(xx) जब बीआईएस निर्देशित करेगा तब सुसंगत भारतीय मानकों के संशोधन और पुनरीक्षण को लागू किया जाएगा।

(xxi) बीआईएस द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और परिपत्रों, अधिनियम, नियमों और विनियमों का पालन करना सुनिश्चित करना होगा।

(xxii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे द्वारा नामित प्रतिनिधि बीआईएस से संबंधित किसी भी अन्य गतिविधि से जुड़ा नहीं है, उदाहरण के लिए, नमूने का परीक्षण, बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की गतिविधियों में शामिल होना, बाजार निगरानी आदि करना या बीआईएस की इस योजना के अधीन किसी अन्य गतिविधि में शामिल होना जिससे हितों का टकराव हो, के लिए वचनबद्ध होगा।

(xxiii) यदि किसी चरण में यह पता चलता है कि भारतीय प्रतिनिधि ऊपर उल्लिखित गतिविधियों में लिप्त है, या बीआईएस कृत्य से संबंधित किसी ऐसी अन्य गतिविधि, जिसमें हितों का टकराव शामिल हो, तो दिया गया रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाएगा। ऐसे भारतीय प्रतिनिधि बीआईएस संबंधी कोई गतिविधि करने के लिए कालीसूची में डाले/निषेध किए जाएंगे।

(ग) घोषणा :

मैं/हम आगे घोषणा करता हूँ/करते हैं

- i) कि इस घोषणा में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास में सत्य है।
- ii) कि ऐसे नमूने जिनकी लिए परीक्षण रिपोर्ट संलग्न की गई हैं, वे इस आवेदन प्ररूप में क्र.सं. 2 पर उल्लिखित पते पर स्थित मेरी फैक्टरी में विनिर्मित की गई हैं।
- iii) यदि इस घोषणा में किसी प्रकार की भ्रामक सूचना पाई जाती है, तो अनुज्ञासि प्रदान करने के लिए दिया गया आवेदन रद्द किया जाएगा।
- iv) यदि ऊपर उल्लिखित ऐसी किसी सूचना के आधार पर अनुज्ञासि प्रदान किया जाता है, जो बाद में गलत पाई जाती है, तो अनुज्ञासि रद्द किया जाएगा।

दिनांक:

स्थान:

विनिर्माता की मुहर:

हस्ताक्षर -----

नाम-----

पदनाम -----

आवेदन की तारीख-----

महत्वपूर्ण: आवेदन, माल उत्पादन करने वाले विनिर्माता (उत्पाद विनिर्मित द्वारा) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या विनिर्माण इकाई (प्राधिकृत पत्र संलग्न करें) में उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि के प्रतिहस्ताक्षर (विदेशी विनिर्माताओं से आवेदन के मामले में):

(उपरोक्त घोषणा में उल्लिखित सभी निबंधन और शर्तों को मैंने पढ़ लिया है और मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ तथा इनका पालन करने के लिए सहमत हूँ)

संगठन का नाम, यदि कोई शाखा/संपर्क कार्यालय स्थापित है/ब्रांड के मालिक/किसी तीसरे पक्ष के रूप में नामित प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि : -----

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम एवं पदनाम
हस्ताक्षर एवं तारीख -----
पता:-----
दूरभाष सं.:-----
मोबाइल सं.:-----
ईमेल:-----

प्ररूप—||

(स्कीम-II के पैरा 3 के उप-पैरा (1) का खंड (ड) निर्दिष्ट करें)
वचनबद्धता
(कंपनी के पत्रशीर्ष पर जारी किया जाए)

विनिर्माता का नाम एवं पता:

उत्पाद का नाम:

ट्रेड/ब्रांड नाम:

भारतीय मानक की अनुरूपता के लिए:

आवेदन आईडी/समावेश आईडी/सीसीएल आईडी/स्वचओवर आईडी:

हमने, (विनिर्माता का नाम), उपरोक्त उत्पादों पर अनुरूपता की स्व-घोषणा के लिए बीआईएस अनुज्ञासि प्रदान करने हेतु आवेदन किया है। हम, नियामक अनुपालन हेतु जिम्मेदार पक्ष के रूप में, एकमात्र उत्तरदायित्व के अधीन घोषणा करते हैं कि उल्लिखित उत्पाद आईएस के अनुरूप हैं।

आगे, माडल सं. उत्पाद के लिए अनुज्ञासि प्रदान करने/ समावेश हेतु आवेदन के साथ हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई परीक्षण रिपोर्ट सं. दिनांक द्वारा जारी (बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला का नाम) का हमने आईएस के प्रति या प्रत्येक अपेक्षा का खंडवार पूरी तरह अवलोकन किया गया है।

हम प्रमाणित करते हैं कि;

- i) यह परीक्षण रिपोर्ट उपरोक्त भारतीय मानक की सभी लागू अपेक्षाओं के लिए परीक्षण परिणामों/अनुरूपता निर्धारण को पूरा करती है।
- ii) इस परीक्षण के परिणाम, मानक के प्रत्येक खंड/उप-खंड में मानक की हरेक अपेक्षा हमारे द्वारा स्वतंत्र रूप से सत्यापित की गई है और निर्धारित सीमाओं में हैं/मानक में विहित अपेक्षाओं के लिए करती है।

हम सहमत हैं कि हमारे द्वारा बीआईएस के अनुज्ञित के लिए प्रस्तुत की गई परीक्षण रिपोर्ट में यदि अनुज्ञित प्रदान करने के पश्चात् किसी भी समय कोई अनियमितता पाई जाती है, तो परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर इस प्रकार हमें प्रदान किया अनुज्ञित तथा यह वचनबद्धता बीआईएस द्वारा रद्द की जाएगी।

हस्ताक्षर एवं मुहर :

नाम (आवेदक/आवेदन भरने वाला भारतीय प्राधिकृत प्रतिनिधि)

दिनांक:

स्थान:

प्ररूप – ||| क

(स्कीम II के पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (1) का खंड (च) निर्दिष्ट करें)

प्रतिरूप हलफनामा सह वचनबद्धता (अनुज्ञित प्रदान करने से पहले भारत में स्थित विनिर्माता के शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

(100/- रुपये के गैर – न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, सम्यक रूप से नोटरीकृत)

मैं, आयु लगभग वर्ष, मैसर्स (भारत में संपर्क कार्यालय/सहायक फर्म/शाखा कार्यालय) का अधिकृत सीईओ / एमडी / स्वत्वधारी / प्राधिकृत कर्मचारी (पदनाम) पते पर इसका पंजीकृत कार्यालय/ मुख्य कार्यालय है, सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित घोषणा करता हूँ:

1. मैसर्स (भारत में संपर्क कार्यालय / सहायक फर्म / शाखा कार्यालय) को मैसर्स (विदेशी आवेदक) द्वारा भारत में स्थापित किया है, जिसकी आवेदन आईडी / अनुज्ञित संख्या : तथा अधिनियम की धारा 31 और 18 की उपधारा (6) और (7) के अधीन आवेदित अनुज्ञित के अनुदत्त किए जाने के प्रयोजन के लिए (विदेशी आवेदक का पता) में अपना कारबाहा / विनिर्माणकारी पता है।
2. कि मुझे यह हलफनामा सह वचनबद्धता देने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत किया है (प्राधिकरण इसके साथ संलग्न है)।
3. कि बीआईएस द्वारा प्रदान किये जाने वाली सभी अनुज्ञियों के प्रयोजन के लिए मैसर्स (विदेशी आवेदक) की ओर से मैसर्स (भारत में संपर्क कार्यालय / सहायक फर्म / शाखा कार्यालय) बीआईएस अधिनियम, 2016, और उसके अधीन बनाए गए नियम तथा विनियमों के संबंध में सभी देनदारियों एवं दायित्वों को पूरा करने का वचन देता है। मैसर्स (भारत में संपर्क कार्यालय / सहायक फर्म / शाखा कार्यालय) आगे वचन देता है कि ब्यूरो की पूर्व सहमति के बिना यह वचनबद्धता किसी भी अनुज्ञित के प्रचालन के दौरान समाप्त नहीं की जाएगी।
4. पूर्वगामी घोषणा की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मैसर्स (भारत में संपर्क कार्यालय / सहायक फर्म / शाखा कार्यालय) अनुज्ञित के सभी निबंधन एवं शर्तों को स्वीकार करता है, और इनके अनुपालन के लिए तथा किसी अनुज्ञित के संबंध में किसी चरण में होने वाले बीआईएस के सभी बकाया वित्तीय देनदारियों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होने का वचन देता है।
5. कि मैसर्स (भारत में संपर्क कार्यालय / सहायक फर्म / शाखा कार्यालय) विदेशी आवेदक की ओर से अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियम एवं विनियमों के किसी प्रावधान के उल्लंघन या चूक के मामले में पूरे उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है और उसे पूरा करने का वचन देता है।
6. कि मैं घोषणा करता हूँ कि मैसर्स (भारत में संपर्क कार्यालय / सहायक फर्म / शाखा कार्यालय) का बीआईएस के हित को प्रभावित करने वाली किसी प्रयोगशाला के साथ कोई वाणिज्यिक या व्यवसायिक संबंध नहीं है और यह सामान्यतया बीआईएस के हित में विरोध वाली किसी गतिविधि में लिया नहीं होगा तथा मैं इसे पूरी तरह से समझता हूँ कि इसके किसी प्रकार का उल्लंघन करने के फलस्वरूप कानून के अनुसार अन्य कार्यवाही के अतिरिक्त अनुज्ञित रद्द किया जा सकता है।

7. कि मैं घोषणा करता हूँ कि मैसर्स (भारत में संपर्क कार्यालय/ सहायक फर्म /शाखा कार्यालय) के साथ-साथ अधोहस्ताक्षरी अर्थात् अभिसाक्षी, विदेशी आवेदक की ओर से, अनुज्ञासि प्रदान करने/किए जाने से बीआईएस को होने वाली किसी हानि की पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है।

जिसकी भी साक्षी में, मैं 20 के माह के वें दिन इस हलफनामा सह वचनबद्धता पर हस्ताक्षर तथा निष्पादन करता हूँ।

उपरोक्त नामित द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद किया एवं सौंपा गया।

(अभिसाक्षी)
(मुहर और स्टाम्प सहित हस्ताक्षर)

(नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर, स्टाम्प और मुहर)

प्ररूप -||| ख

(योजना II के पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (1) का खंड (च) निर्दिष्ट करें)

प्रतिरूपण हलफनामा सह वचनबद्धता (अनुज्ञासि प्रदान करने से पहले ब्रांड मालिक; या स्वत्वधारी / रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता / सहायक फर्म / ब्रांड / ट्रेडमार्क का संपर्क कार्यालय; या भारत में स्थित किसी अन्य इकाई द्वारा प्रस्तुत किया जाए) (100/- रुपये के गैर – न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, सम्यक रूप में नोटरीकृत)

मैं, आयु लगभग वर्ष, मैसर्स (भारत में नामित कंपनी / फर्म / स्वामित्व) का अधिकृत सीईओ / एमडी / स्वत्वधारी / प्राधिकृत कर्मचारी (पदनाम)
पते पर इसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय/ मुख्य कार्यालय(भारत में पता) है, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ:

1. मैसर्स (विदेशी आवेदक) जिसके अपने कारखाने / विनिर्माणकारी पता (विदेशी आवेदक का पता) ने मैसर्स (भारत में नामनिर्दिष्ट कंपनी / फर्म / स्वत्वधारिता) को आवेदन आईडी / अनुज्ञासि संछया: और अधिनियम की धारा 18 और 31 की उपधारा (6) और (7) के अधीन आवेदन किये गये अनुसार अपनी वस्तु (सम्बंधित ब्रांड और भारतीय मानक सहित वस्तु के व्यौरे) की अनुज्ञासि किये जाने के प्रयोजन के लिए भारत में अवस्थित अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट किये हैं।
2. कि मुझे यह हलफनामा सह वचनबद्धता देने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत किया है (प्राधिकरण इसके साथ संलग्न है)।
3. *कि मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैसर्स (भारत में नामित कंपनी / फर्म / स्वत्वधारिता) ब्रांड मालिक / स्वत्वधारी / रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता / सहायक कार्यालय / उक्त वस्तु पर लगे ट्रेडमार्क / ब्रांड का संपर्क कार्यालय है।
या
**कि मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैसर्स (भारत में नामित कंपनी/फर्म/स्वत्वधारिता) उक्त वस्तु के ब्रांड मालिक और / या विनिर्माणकर्ता के साथ इकाई का विपणन गठोड़ का प्रमुख आयातक/वितरक है।
4. कि मैसर्स (भारत में नामित कंपनी / फर्म / स्वत्वधारिता)
एतद्वारा विना शर्त नामांकन स्वीकार करता हूँ और उक्त वस्तु के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन हेतु मैसर्स (विदेशी आवेदक) की ओर से उक्त अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियम एवं विनियमों के प्रावधान के अनुपालन हेतु उत्तरदायी होने लिए सहमति देता हूँ। मैसर्स (भारत में नामित कंपनी / फर्म / स्वत्वधारिता) आगे वचन देता है कि व्यूरो की पूर्व सहमति अनुज्ञासि के प्रचालन के दौरान इस सहमति को समाप्त नहीं करेगा।
5. कि पूर्वामी घोषणा की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना, मैसर्स
(भारत में नामित कंपनी / फर्म / स्वत्वधारिता) रजिस्ट्रीकरण के सभी निबंधन एवं शर्तों के अनुपालन के लिए और किसी अनुज्ञासि के संबंध में किसी चरण में होने वाले बीआईएस की सभी बकाया वित्तीय देनदारियों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होने का वचन देता है।

6. कि मैसर्स (भारत में नामित कंपनी / फर्म / स्वत्वधारिता) विदेशी आवेदक की ओर से अधिनियम, इसके तहत बनाए गए नियम एवं विनियमों के किसी प्रावधान के उल्लंघन या चूक के मामले में पूरी देनदारी को स्वीकार करता है और उसे पूरा करने का वचन देता है।
7. कि मैं घोषणा करता हूँ कि मैसर्स (भारत में नामित कंपनी / फर्म / स्वत्वधारिता) का बीआईएस के हित को प्रभावित करने वाली किसी प्रयोगशाला के साथ कोई वाणिज्यिक या व्यवसायिक संबंध नहीं है और बीआईएस के हित के विरोध वाली किसी गतिविधि में लिस नहीं होगा। मैं इसे पूरी तरह से समझता हूँ कि इसके किसी प्रकार का उल्लंघन करने के फलस्वरूप कानून के अनुसार अन्य कार्यवाही के अतिरिक्त अनुज्ञि रद्द की जा सकती है।
8. कि मैं घोषणा करता हूँ कि मैसर्स (भारत में नामित कंपनी / फर्म / स्वत्वधारिता) के साथ-साथ अधोहस्ताक्षरी अर्थात् अभिसाक्षी, विदेशी आवेदक की ओर से संयुक्त और पृथक-पृथक अनुज्ञि प्रदान करने / किए जाने से बीआईएस को होने वाली किसी हानि की पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देता हूँ।

जिसकी अभिसाक्षी में, मैं 20 के माह के वें दिन इस हलफनामा सह वचनबद्धता पर हस्ताक्षर तथा निष्पादन करता हूँ।

उपरोक्त नामित द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद किया और सौंपा गया।

(अभिसाक्षी)

(मुहर और स्टाम्प सहित हस्ताक्षर)

(नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर, स्टाम्प और मुहर)

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें

प्ररूप -||| ग

(योजना II के पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (1) का खंड (च) निर्दिष्ट करें)

प्रतिरूप हलफनामा सह वचनबद्धता

(अनुज्ञि प्रदान करने से पूर्व, भारत में स्थित विनिर्माता द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

(100/- रुपये के गैर – न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, सम्यक रूप से नोटरीकृत)

मैं, आयु लगभग वर्ष, व्यवसाय द्वारा मैसर्स का अधिकृत सीईओ / एमडी / स्वत्वधारी / प्राधिकृत कर्मचारी (पदनाम) पते पर इसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय / मुख्य कार्यालय (पूरा पता) है और में इसकी विनिर्माण इकाई अवस्थित है, सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित घोषणा करता हूँ:

- कि आवेदन आईडी / अनुज्ञि सं.: हेतु मुझे यह हलफनामा सह वचनबद्धता देने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत किया है (प्राधिकरण इसके साथ संलग्न है)।
- कि मैसर्स एतद्वारा बीआईएस द्वारा दिए गए दिए जाने वाले सभी अनुज्ञियों के प्रयोजन हेतु अधिनियम की धारा 18 एवं धारा 31 की उप-धारा (6) तथा (7) के संबंध में सभी देनदारियों एवं दायित्वों को पूरा करने का वचन देता हूँ। मैसर्स आगे वचन देता है कि ब्यूरो की पूर्व सहमति के बिना किसी भी रजिस्ट्रीकरण के प्रचालन के दौरान इस सहमति को समाप्त नहीं करेगा।
- कि पूर्वगामी घोषणा की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मैसर्स रजिस्ट्रीकरण के सभी निवंधन एवं शर्तों के अनुपालन के लिए और किसी अनुज्ञि के संबंध में किसी चरण में होने वाली बीआईएस के सभी बकाया वित्तीय देनदारियों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होने का वचन देता है।

4. कि मैसर्स इस अधिनियम, और इसके अधीन बनाए गए नियम तथा विनियमों के किसी प्रावधान के उल्लंघन या चूक के मामले में पूरी देनदारी को स्वीकार करता है और उसे पूरा करने का वचन देता है।
 5. कि मैं घोषणा करता हूँ कि मैसर्स का बीआईएस के हित को प्रभावित करने वाली किसी प्रयोगशाला के साथ कोई वाणिज्यिक या व्यवसायिक संबंध नहीं है और यह सामान्यतया बीआईएस तथा विशेषतया अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण योजना के हित के विरोध वाली किसी गतिविधि में लिस नहीं होगा तथा मैं इसे पूरी तरह से समझता हूँ कि इसके किसी प्रकार का उल्लंघन करने के फलस्वरूप कानून के अनुसार अन्य कार्यवाही के अतिरिक्त अनुज्ञासि को रद्द किया जा सकता है।
 6. कि मैं घोषणा करता हूँ कि मैसर्स के साथ-साथ अधोहस्ताक्षरी अर्थात् अभिसाक्षी अनुज्ञासि प्रदान करने / किए जाने से बीआईएस को होने वाली किसी हानि की पूरी तरह अतिपूर्ति करने का वचन देता है।
- जिसकी अभिसाक्षी में, मैं 20 के माह के वें दिन इस हलफनामा सह वचनबद्धता पर एतद्वारा हस्ताक्षर तथा निपादन करता हूँ।
- उपरोक्त नामित द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद किया और सौंपा गया।

(अभिसाक्षी)
(मुहर एवं स्टाम्प सहित हस्ताक्षर)

(नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर, स्टाम्प और मुहर)

प्ररूप – IV

(योजना II के पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (1) का खंड (छ) विनिर्दिष्ट करें)

प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि का नामांकन
(मूल रूप में कंपनी के पत्र शीर्ष पर जारी किया जाए)

1. मैं, मैसर्स (विदेशी आवेदक) का सीईओ / एमडी / स्वत्वधारी / प्राधिकृत कर्मचारी (पदनाम) इसकी निर्माण इकाई (पूरा पता) में स्थित है, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि

*(क) मैसर्स (विदेशी आवेदक) का संपर्क कार्यालय / सहायक फर्म / शाखा कार्यालय मैसर्स में स्थित है (भारत में पूरा पता)।
या

*(ख) मैसर्स (विदेशी आवेदक) का कोई संपर्क कार्यालय/ सहायक फर्म/शाखा कार्यालय भारत में स्थित नहीं है, परन्तु वस्तु पर लगे ब्रांड / ट्रेडमार्क का मालिक / रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता / सहायक फर्म / संपर्क कार्यालय का नाम एवं शीर्षक मैसर्स (ब्रांड मालिक का पूरा पता) भारत में स्थित है।

या

*(ग) मैसर्स..... (विदेशी आवेदक) का कोई संपर्क कार्यालय / सहायक फर्म / शाखा कार्यालय भारत में स्थित नहीं है और वस्तु पर लगे ब्रांड / ट्रेडमार्क का कोई स्वत्वधारी / रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता / सहायक फर्म / शाखा कार्यालय / संपर्क कार्यालय भारत में स्थित नहीं है। अतः हम ब्रांड मालिक और /या विनिर्माता के साथ विपणन गठजोड़ वाले प्रमुख आयातक / वितरक / इकाई को प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि के रूप में नामित करते हैं।

2. तदनुसार, उपरोक्त संदर्भित, मैसर्स..... हमारे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा और हलफनामा सह वचनबद्धता (प्ररूप-॥॥क / प्ररूप-॥॥ख) और रजिस्ट्रीकरण से संबंधित अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें

भवदीय,

प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि के ब्योरे:
मैसर्स

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम:

पता:
फोन:
ईमेल:
तारीख:

पदनाम:
पता:
फोन:
ईमेल:

आवेदन आईडी/अनुच्छेद सं.....

तारीख:

संलग्नक : जैसा कि पृष्ठ के दूसरी ओर दिया गया है।

इस मामले में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

I.1 (क) लागू है

- (i) कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र या सरकार/सांविधिक प्राधिकारी से अन्य संगत ऐसा दस्तावेज, जिससे भारत में इसका संपर्क कार्यालय या शाखा कार्यालय होना स्थापित होता हो
- (ii) प्ररूप - ॥॥क के 2 में उल्लिखित प्राधिकार पत्र के साथ प्ररूप - ॥॥क के अनुसार उक्त संपर्क कार्यालय / शाखा कार्यालय के सीईओ/एमडी/प्राधिकृत कर्मचारी से हलफनामा सह वचनबद्धता (एक सौ रुपये मात्र के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, सम्यक रूप से नोटरीकृत)।

II.1 (ख) लागू नहीं है

- (i) प्रश्नगत ब्रांड/ट्रेडमार्क के ब्रांड मालिक या स्वत्वधारी / रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता / सहायक फर्म / संपर्क कार्यालय के रूप में नामित स्थापित करने वाले दस्तावेज;
- (ii) नामांकित व्यक्ति की पहचान का प्रमाणीकरण दस्तावेज (जैसे कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र); और
- (iii) प्ररूप - ॥॥ख के 2 में उल्लिखित प्राधिकार पत्र के साथ प्ररूप - ॥॥ख के अनुसार उक्त ब्रांड मालिक या स्वत्वधारी / रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता / सहायक फर्म / भारत में स्थित ट्रेडमार्क संपर्क कार्यालय या इसके सीईओ / एमडी / प्राधिकृत कर्मचारी से हलफनामा सह वचनबद्धता (एक सौ रुपये मात्र के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, सम्यक रूप से नोटरीकृत)।

या

III.1 (ग) लागू है

- (i) इकाई (कंपनी, फर्म, या स्वत्वधारिता) की विधिक स्थिति को स्थापित करने वाले दस्तावेज जैसे कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रीकृत हिस्सेदारी विलेख, आदि;
- (ii) प्रमुख आयातक / वितरक / कंपनी के रूप में ब्रांड मालिक और/या विनिर्माता के साथ विषयन गठजोड़ स्थापित करने वाले दस्तावेज
- (iii) ब्रांड मालिक से घोषणा कि उनका कोई स्वत्वधारी / रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता / सहायक फर्म / संपर्क कार्यालय भारत में स्थित नहीं है और कि नामांकित प्रतिनिधि का प्रमुख आयातक / वितरक / कंपनी के रूप में ब्रांड मालिक और / या विनिर्माता के साथ विषयन गठजोड़ है।
- (iv) प्ररूप – III ख के 2 में उल्लिखित प्राधिकार पत्र के साथ प्ररूप – III ख के अनुसार उक्त कंपनी भारत में स्थित है, इसके सीईओ/एमडी/प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा हलफनामा सह वचनबद्धता (एक सौ रुपये मात्र के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, सम्यक रूप से नोटरीकृत)।

प्ररूप -V

(योजना II के पैराग्राफ 3 का उप-पैराग्राफ (5) निर्दिष्ट करें)

हमारा संदर्भ:

तारीखः

विषय : अनुज्ञसि दस्तावेज

विनिर्माण इकाई :	<विनिर्माता का नाम> <विनिर्माता का पूरा पता> <विनिर्माता की ईमेल आईडी> <विनिर्माता की संपर्क संख्या>
------------------	---

महोदय,

1. आपके आवेदन के संदर्भ में, सूचित करते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अनुरूपता की स्व-घोषणा पर आधारित रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से आपको अनुज्ञसि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

उत्पादः	
आईएस सं.:	
ब्रांडः	
माडल	
विनिर्माण स्थान का पता	

2. यह अनुज्ञसि उपरोक्त पते पर स्थित इकाई को उपरोक्त क्रम सं. 1 पर उल्लिखित ब्रांड तथा माडलों के लिए प्रदान की जा रही है।

3. इस अनुज्ञसि को दिया गया नंबर आर-<आर-नंबर> है जो तारीख <रजिस्ट्रीकरण तारीख> से प्रचालित किया गया है और अनुज्ञसि संख्या का संदर्भ आपके भविष्य के सभी पत्राचारों में अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

4. इस अनुज्ञासि के अधीन अधिकारों और विशेषाधिकारों का प्रयोग किसी अन्य स्थान पर स्थित दूसरी फैक्टरी / संगठन द्वारा नहीं किया जाएगा और रजिस्ट्रीकृत परिसर से निर्माण करने वाली मर्शिन को किसी दूसरे स्थान पर ले जाने पर अनुज्ञासि समाप्त की जाएगी तथा बीआईएस को सूचित करना होगा।
5. अनुज्ञासिधारी को अधिनियम के प्रावधानों, इसके अधीन बनाए गए तथा समय समय पर यथा संशोधित नियम और विनियमों का अनुपालन करना होगा।
6. अनुज्ञासिधारी को उपाबंध के अनुसार मानक चिह्न एवं लेबलिंग अपेक्षाओं के प्रयोग हेतु दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा।
7. अनुज्ञासिधारी अनुज्ञासि को किसी ऐसे तरीके से उपयोग नहीं करेगा, जिससे अधिनियम के प्रावधानों, इसके अधीन बनाए गए तथा समय समय पर यथा संशोधित नियम और विनियमों का उल्लंघन होता हो।
8. विधिमान्यता की समाप्ति, अनुज्ञासि की समाप्ति या निलंबन या रद्द होने पर अनुज्ञासिधारी आगे सुसंगत मानक की अनुरूपता की स्व-घोषणा बंद करेगा और उसके संदर्भ में सभी प्रचार और विज्ञापन वापस ले लेगा।
9. *घोषणा के अनुसार, <व्यक्ति का नाम एवं पदनाम/ इकाई का नाम एवं पता>, जो प्राधिकृत प्रतिनिधि है और भारतीय प्रतिनिधि के नाम में परिवर्तन के किसी इरादे को तत्काल अपेक्षित फीस तथा दस्तावेज सहित हमारे संज्ञान में लाना होगा।
10. अनुज्ञासि के नवीकरण हेतु, अनुज्ञासिधारी को अनुज्ञासि समाप्त होने से तीन माह पहले आवेदन करना होगा और नवीकरण हेतु आवेदन प्ररूप बीआईएस वेबसाइट पर उपलब्ध है।
11. यह अनुज्ञासि हस्तांतरणीय नहीं है।

सध्यवाद,

भवदीय,

(अधिकारी का नाम)

<पदनाम>

*विदेशी विनिर्माताओं के लिए लागू

प्रूप -VI

(योजना II के पैराग्राफ 9 का उप-पैराग्राफ (1) निर्दिष्ट करें)

अनुज्ञासि के नवीकरण हेतु आवेदन
(कंपनी के पत्र शीर्ष पर जारी किया जाए)

महानिदेशक
भारतीय मानक ब्यूरो
नई दिल्ली

महोदय,
मैं/हम ; (विनिर्माता इकाई का नाम) हमारा कार्यालय और
फैक्टरी पते पर स्थित है।
1. हमारे द्वारा निर्मित की जा रही इस भारतीय मानक से अनुरूपता रखने वाली वस्तुओं पर मानक मुहर के प्रयोग हेतु अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन हमें प्रदत्त अनुज्ञासि नंबर आर-XXXXXX XXXX का पांच वर्ष की अवधि हेतु नवीकरण के लिए हम आवेदन कर रहे हैं।

2. हम अधिनियम के प्रावधानों, इसके अधीन बनाए और समय-समय पर यथा संशोधित किए गए नियम तथा विनियमों और अनुज्ञासि जारी रखने के लिए इसके सभी निवंधन एवं शर्तों का अनुपालन करेंगे।
3. अनुज्ञासि के तहत कवर की गई वस्तु के विवरण एवं मात्रा मुच्य कार्यकारी अधिकारी/ विनिर्माण इकाई के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से स्व-प्रमाणित इसके पीछे दी गई है।
4. भुगतान के ब्यौरे:

रु. में राशि	भुगतान गेटवे रसीद संख्या	भुगतान प्राप्ति की तारीख	टिप्पणी

5. आवेदन तारीख 20 के माह के वें दिन

कार्यालय की मुहर

हस्ताक्षर (सीईओ/विनिर्माण इकाई का प्राधिकृत व्यक्ति).....

नाम

पदनाम.....

भारतीय प्रतिनिधि द्वारा प्रति हस्ताक्षरितः

हस्ताक्षरकर्ता का नाम..... पदनाम

फर्म का नाम पता.....

ईमेल:.....

मोबाइल नं. फोन/ लैंडलाइन नं.

टिप्पणि: अनुज्ञासि समाप्त होने के तीन माह पूर्व नवीकरण आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

उत्पादन रिपोर्ट

(प्ररूप VI के लिए अनुलग्न)

(कंपनी के पत्र शीर्ष पर जारी किया जाए)

(अवधि के लिए रिपोर्ट किया गया* से तक)

[i) अनुज्ञासि प्रदान करने की तारीख से वैधता तारीख से तीन माह पूर्व के लिए (प्रथम नवीकरण के लिए);

ii) वर्तमान वैधता तारीख से तीन माह पहले के लिए अंतिम वैधता तारीख से तीन माह पूर्व अवधि के लिए (बाद के नवीकरणों के लिए)

1. अनुज्ञासिधारी का नाम:

2. अनुज्ञासि सं.:

3. वस्तु का नाम (उत्पाद):

4. आईएस सं. :

5. इस अनुज्ञासि के कार्यक्षेत्र के तहत वस्तु का माडल नंबर तथा ब्रांड का नाम:

6. मानक मुहर से मुहरांकित मात्रा (संख्या में):

7. वस्तु के प्रमुख वितरकों/डीलरों/क्रिताओं के नाम और पता:

घोषणा

मैं/हम आगे घोषणा करते हैं

(i) कि इस घोषणा में दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास में सत्य है।

(ii) यदि इस घोषणा में कोई भ्रामक सूचना पाई जाती है तो अनुज्ञासि नवीकरण आवेदन अस्वीकार होगा, जिसके परिणामस्वरूप अनुज्ञासि समाप्त/रद्द हो जाएगी।

(iii) यदि उपरोक्त दी गई सूचना के आधार पर अनुज्ञासि प्रदान की जाती है, और यह बाद में गलत पाई जाती है, तो अनुज्ञासि रद्द कर दी जाएगी।

कार्यालय की मुहरः

हस्ताक्षर (सीईओ/विनिर्माण इकाई का प्राधिकृत व्यक्ति).....

नाम

पदनाम.....

भारतीय प्रतिनिधि द्वारा प्रति हस्ताक्षरित

हस्ताक्षरकर्ता का नाम पदनाम

फर्म का नाम पता

ईमेल

मोबाइल सं. फोन/ लैंड लाइन नं.

प्ररूप –VII

(योजना II के पैराग्राफ 9 का उप-पैराग्राफ (2) निर्दिष्ट करें)

हमारा संदर्भः

तारीखः

आईडीः

विषय : आईएस <आईएस सं.> के अनुसार अनुज्ञासि आर-<आर-सं.> का नवीकरण

मैसर्स<विनिर्माण करने वाली इकाई का नाम>

<विनिर्माण करने वाली इकाई का पता>

महोदय/महोदया,

उपरोक्त उल्लिखित अनुज्ञासि के नवीकरण हेतु आपके आवेदन तारीख <हार्ड प्रति रसीद तारीख> के संदर्भ में; आपको सूचित किया जाता है कि यह <पिछली वैध तारीख से एक दिन पहले> से <वैधता तारीख> तक नवीकृत किया गया है।

यह ध्यान में रखा जाए कि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञासि जिस अवधि के लिए प्रदान की गई है, उसकी समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी, जब तक इसका नवीकरण या नवीकरण आस्थित नहीं हुआ हो। अतः आपसे अनुरोध है कि अगले नवीकरण हेतु अनुज्ञासि की समाप्ति से तीन माह पहले बीआईएस को आवेदन करें।

भवदीय,

(अधिकारी का नाम)

<पदनाम>

प्ररूप -VII क

(योजना II के पैराग्राफ 10 का उप-पैराग्राफ (1) निर्दिष्ट करें)

अनुज्ञासि के कार्यक्षेत्र से माडल के समावेश/आहरण हेतु आवेदन

(कंपनी के पत्र शीर्ष पर जारी किया जाए)

1. अनुज्ञासि सं. :

2. अनुज्ञासिधारी का नाम:

3. अनुज्ञासिधारी का पता:

4. आईएस सं.:

5. उत्पाद:

6. ब्रांड:

7. तक वैध:

8. अनुज्ञासि के कार्यक्षेत्र में शामिल माडल:

9. समावेश/आहरण आईडी:

10. माडल कार्यक्षेत्र में शामिल/कार्यक्षेत्र से आहरण/विवेचनात्मक घटक सूची का अद्यतनीकरण किया जाना है:

11. विवेचनात्मक घटक सूची का अद्यतनीकरण/समावेश के लिए उत्पाद की परीक्षण रिपोर्ट के ब्यौरे:

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम	परीक्षण रिपोर्ट सं.	परीक्षण रिपोर्ट जारी करने की तारीख	माडल सं.	ब्रांड

12. भुगतान के ब्यौरे:

रु. में राशि	भुगतान गेटवे रसीद संख्या	भुगतान प्राप्ति की तारीख	टिप्पणी

13. विनिर्माता – क्या इस उत्पाद और इसके ऐसे माडलों तथा सीरीजों जिनके लिए अनुग्रहित के लिए आवेदन किया गया है, इस विनिर्माण इकाई में समस्त विनिर्माण करने की सुविधाएँ हैं? : हां/नहीं

(यदि ‘नहीं’, तो आऊटसोर्स की गई विनिर्माण प्रक्रियाओं के ब्यौरे उपलब्ध कराएं)

14. परीक्षण – क्या भारतीय मानक के अनुसार उत्पाद की अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माण इकाई में समस्त परीक्षण सुविधाएँ अंदर स्थापित हैं? : हां/नहीं

(यदि ‘नहीं’, तो उन परीक्षण सुविधाओं के विवरण उपलब्ध कराएं जिनके परीक्षण की सुविधाएँ अंदर उपलब्ध नहीं हैं, और इन परीक्षणों की कैसे व्यवस्था की जाती हैं)

तारीख :

स्थान :

विनिर्माता की मुहर

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
आवेदन की तारीख.....

महत्वपूर्ण: आवेदन माल उत्पादन करने वाले विनिर्माता (उत्पाद विनिर्माता द्वारा) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या विनिर्माण इकाई में उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि (प्राधिकार पत्र संलग्न करें) द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए।

प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि के प्रति हस्ताक्षर (विदेशी विनिर्माता से आवेदन के मामले में):

संगठन का नाम, यदि शाखा / संर्पक कार्यालय प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि के रूप में स्थापित/त्रांड मालिक/कोई तीसरा पक्ष नामित है:

.....

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम एवं पदनाम :

हस्ताक्षर एवं तारीख :

पता:

टेलीफोन नं. :

मोबाइल नं. :

ईमेल:

प्रूप -VIII ख

(योजना II के पैराग्राफ 10 का उप-पैराग्राफ (1) निर्दिष्ट करें)


अनुज्ञामि में अन्य विवरण के परिवर्तन हेतु आवेदन

(कंपनी के पत्र शीर्ष पर जारी किया जाए)

सूचित करने के लिए आवेदन प्रूप			
क. नीचे दिए गए विवरण के अनुसार परिवर्तन करने हेतु अनुरोध (कृपया उचित में चिह्न लगाएँ)			
1. इकाई के नाम में परिवर्तन (कृपया नीचे कॉलम ख देखें)	हां	नहीं	नाम परिवर्तन का सबूत अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए।
2. पते में परिवर्तन (कृपया नीचे काँ 1 एवं काँ 2 देखें)	हां	नहीं	पते में परिवर्तन का सबूत अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रबंधन संरचना में परिवर्तन (कृपया नीचे काँ घ देखें)	हां	नहीं	यदि लागू हो तो हलफनामा और नामांकन सहित प्रबंधन में परिवर्तन का सबूत अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए।
4. फर्म का डिवीजन (कृपया नीचे काँ ड देखें)	हां	नहीं	डिवीजन परिवर्तन का सबूत अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए।
5. सुविधाओं का विलय या विस्तार (कृपया नीचे काँ च देखें)	हां	नहीं	विलय का सबूत अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए।
6. क्या परिसर में सभी रजिस्ट्रीकरणों के लिए प्रस्तुत किया है	हां	नहीं	सभी रजिस्ट्रीकरणों के लिए एक साथ प्रस्तुत करना चाहिए।
7. प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि में परिवर्तन	हां	नहीं	सभी रजिस्ट्रीकरणों के लिए एक साथ प्रस्तुत करना चाहिए।
8. कोई अन्य सेवा	हां	नहीं	सभी रजिस्ट्रीकरणों के लिए एक साथ प्रस्तुत करना चाहिए।

सभी मौजूदा रजिस्ट्रीकरण संख्याएँ	
क. पुरानी इकाई का नाम एवं पता	
ख. नई विनिर्माण इकाई के ब्यौरे:	
विनिर्माण इकाई का नाम:	
काँ 1. नए कार्यालय के ब्यौरे (कृपया परिवर्तन के सबूत की प्रति संलग्न करें)	

पता 1:	
पता 2:	
पता 3:	
शहर	राज्य
पिन कोड:	देश
ईमेल आईडी:	फोन नं.
काँ 2. नई फैक्टरी के विवरण (कृपया परिवर्तन के सबूत की प्रति संलग्न करें)	
पता 1:	
पता 2:	
पता 3:	
शहर	राज्य
पिन कोड:	देश

ईमेल आईडी:	फोन नं.		
घ. प्रवंधन संरचना में परिवर्तनः (नए सीईओ/एमडी/भागीदारों के नाम)			
नाम 1			
नाम 2			
नाम 3			
इ. फर्म का डिवीजन (कृपया परिवर्तन की प्रकृति विनिर्दिष्ट करें और लागू सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करें)			
च. सुविधाओं का विलय या विस्तार(कृपया परिवर्तन की प्रकृति विनिर्दिष्ट करें और लागू सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करें)			
छ. भुगतान के बौरे			
रु. में राशि	भुगतान गेटवे रसीद संख्या	भुगतान प्राप्ति की तारीख	टिप्पणी
<p>ज. घोषणा:</p> <p>मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ और सहमत हूँः</p> <ol style="list-style-type: none"> कि इस प्ररूप में दी गई पूरी जानकारी सत्य, सही और अद्यतन है और इस संबंध में कोई जानकारी दबाई/ छिपाई नहीं गई है। यदि जानकारी असत्य/अपूर्ण/भ्रामक पाई जाती है या स्थिति में परिवर्तन हेतु पाई कमियाँ मेरे द्वारा स्पष्ट नहीं की जाती हैं, तो भारतीय मानक व्यूरो (बीआईएस) मेरे अनुरोध को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा। ऊपर दर्शाए गए परिवर्तन के अलावा कोई अन्य परिवर्तन नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ कि अनुज्ञासि संख्या हस्तांतरणीय नहीं है और फैक्टरी को स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं है। मैं समझता हूँ कि बीआईएस द्वारा कंपनी की स्थिति के बाद में परिवर्तन के मामले में किसी अपेक्षा के बारे में बीआईएस को सूचित करता मेरा उत्तरदायित्व है। मैं वचन देता हूँ कि विनिर्माण प्रक्रियाओं/घटकों/विनिर्माण मशीनरी, परीक्षण उपस्कर्तों में कोई परिवर्तन नहीं है।* मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं इस घोषणा का सत्यापन तथा हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत हूँ। 			
सीईओ/एमडी/भागीदारों के नाम		हस्ताक्षर	
प्राधिकृत हस्ताक्षरी			
*(यदि कोई परिवर्तन हो तो कृपया बीआईएस को अलग से अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराएँ)			
<p>कृपया ध्यान देंः</p> <p>बीआईएस को किसी अद्यतन सूचना को अधिसूचित करने के लिए इस प्ररूप का प्रयोग करें।</p> <p>यह प्ररूप http://crsbis.in/BIS/, पर उपलब्ध है।</p> <p>सभी परिवर्तन बीआईएस को तत्काल सूचित किए जाएं।</p> <p>कृपया ध्यान दें कि बीआईएस ऐसी कानूनी इकाई के पते में परिवर्तन नहीं कर पाएगा, जिनमें सहायक दस्तावेज सहित मूल हस्ताक्षरित आवेदन प्ररूप संलग्न नहीं हों।</p>			

प्रूप-IX क
(योजना-॥ के पैराग्राफ 10 के उप-पैराग्राफ (3) लिंकित करें)

हमारा संदर्भ

समावेश आईडी : < समावेश आईडी >

तारीख :

विषय : अतिरिक्त मॉडल का समावेश

विनिर्माण इकाई :	<विनिर्माण इकाई का नाम> <विनिर्माण इकाई का पता> <ई-मेल आईडी><टेलीफोन संख्या>
------------------	--

महोदय,

- यह आपके <उत्पाद का नाम> को शामिल किए जाने के अनुरोध के संदर्भ में है, जो आईएस <आईएस संख्या> के अनुसार अनुज्ञासि संख्या आर <आर संख्या> जिसे आपको पहले से ही प्रदान किया गया, जो तक वैध है।
- आपको सूचित किया जाता है कि अतिरिक्त मॉडल जिनके विवरण नीचे दिए गए हैं, उनको आपके अनुज्ञासि के विषयक्षेत्र में समाविष्ट किए जाने के लिए सहमति हो गई है। आर-<आर संख्या> <पृष्ठांकन तारीख> से प्रभावी :

उत्पाद	<उत्पाद का नाम>
आईएस संख्या	आईएस <आईएस संख्या>
ब्रांड	<ब्रांड का नाम>
अतिरिक्त मॉडल की समाविष्टि (से प्रभावी <पृष्ठांकन तारीख>)	<समावेशित मॉडल>
फैक्टरी का पता	<विनिर्माण इकाई का पता>

- अनुज्ञासि की अन्य निबंधन और शर्तें वही रहेंगी।
- यह पत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है। कृपया इस पत्र की प्राप्ति की सूचना दें।

धन्यवाद,

भवदीय,

<अधिकारी का नाम><अधिकारी का पदनाम>

प्ररूप-IX ख
(योजना-॥ के पैराग्राफ 10 के उप-पैराग्राफ (3) लिंगिष्ट करें)

हमारा संदर्भ :

तारीख :

विषय : में परिवर्तन

विनिर्माण इकाई :

<विनिर्माण इकाई का नाम

<विनिर्माण इकाई का पता>

<ई-मेल आईडी>

<टेलीफोन संख्या>

महोदय,

यह आपकी कम्पनी द्वारा रखा गया (रखे गए) बीआईएस अनुज्ञासि, जैसा कि निम्न सारणी में दिया गया है, के संदर्भ में है, और आगे आपके में परिवर्तन के अनुरोध के संदर्भ में है। फर्म द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रलेखों के आधार पर, अनुज्ञासि के विषयक्षेत्र में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं :

अनुज्ञासि संख्या	
सेवा अनुरोध	
पुराना व्यौरा	
नया व्यौरा	
निर्णय की तारीख	

अनुज्ञासि की अन्य निवंधन और शर्तें वहीं रहेंगी।

सधन्यवाद,

भवदीय,

<अधिकारी का नाम>

<अधिकारी का पदनाम>

स्कीम-॥

प्रबंधन प्रणाली के लिए भारतीय मानक के अनुसार

मानक चिह्न  का प्रयोग करने हेतु अनुज्ञासि अथवा अनुरूपता प्रमाण प्रदान करने हेतु
(अनुरूपता निर्धारण स्कीम)

(अनुसूची-I के अनुसार स्कीम टाइप 'जी' पर आधारित)

कार्यक्षेत्र

1. (1) इस स्कीम के अंतर्गत, जो टाइप 'जी' पर आधारित है, किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है-
 - (क) सुसंगत मानकों की सभी अपेक्षाओं के लिए पद्धतियों की अनुरूपता दर्शने हेतु मानक चिह्न के प्रयोग के लिए अनुज्ञासि;
 - (ख) मानक (को) अथवा मानक का भाग या अनिवार्य अपेक्षा, यथालागृ, में विनिर्दिष्ट अपेक्षा की अनुरूपता को दर्शने के लिए, अनुरूपता प्रमाणपत्र;
- (2) अनुज्ञासि या अनुरूपता प्रमाणपत्र प्रदान करने और उनका प्रचालन इस स्कीम के पैरा 3 के अधीन प्रदान की गई प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा।

परिभाषाएँ

2. (1) "लेखापरीक्षा" से लेखापरीक्षा मानदंड के पूरे होने के विस्तार के अवधारण के लिए लेखापरीक्षा के साक्ष्य प्राप्त करने तथा इनके मूल्यांकन के लिए व्यवस्थित, स्वतंत्र और दस्तावेजी प्रक्रिया अभिप्रेत हैं;
- (2) "लेखापरीक्षा मानदंड" से संदर्भ के रूप में प्रयुक्त नीतियों, प्रक्रियाओं या अपेक्षाओं के ऐसे सेट जिसकी तुलना लेखापरीक्षा साक्ष्य से की गई, अभिप्रेत हैं;
- (3) "लेखापरीक्षा साक्ष्य" से ऐसे रिकार्ड, तथ्यों के विवरण या अन्य सूचना जो लेखापरीक्षा मानदंड के लिए सुसंगत एवं सत्यापन योग्य हो, अभिप्रेत हैं;
- (4) "प्रमाणन लेखापरीक्षा" से ग्राहक की प्रबंधन प्रणाली को प्रमाणित करने के प्रयोजन हेतु स्वतंत्र रूप से की गई लेखापरीक्षा अभिप्रेत है;

स्कीम की प्रक्रियाएँ

3. (1) चयन-(क) अनुज्ञासि या अनुरूपता प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु, कोई आवेदक व्यूरो को इस स्कीम के साथ संलग्न प्ररूप-1 में आवेदन कर सकता है;
- (ख) प्रत्येक आवेदक पैरा 5 में विनिर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेज और फीस के साथ प्ररूप-1 में विभिन्न प्रबंधन प्रणालियों के लिए अलग से आवेदन करेगा।
- (ग) आवेदक प्रबंधन प्रणाली के लिए सुसंगत भारतीय मानक की अनुरूपता के लिए उत्तरदायी होगा जिसके लिए उसने अनुज्ञासि या अनुरूपता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है;
- (घ) व्यूरो को आवेदक द्वारा दिए जाने वाले ऐसे साक्ष्यों की आवश्यकता हो सकती है जिससे कि प्रबंधन प्रणाली सुसंगत भारतीय मानक के अनुरूप है, जिसके लिए अनुज्ञासि या अनुरूपता प्रमाण पत्र का आवेदन किया गया है।

(2) अवधारण - (क) व्यूरो आवेदन में किए गए किसी भी कथन के समर्थन में उसके लिए सारभूत अपेक्षित दस्तावेज या पूरक सूचना या किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य की मांग व्यूरो द्वारा निर्देशित समय सीमा के अंदर आवेदक से कर सकता है, और इस तरह के निर्देश का अनुपालन न करने पर व्यूरो द्वारा आवेदन सरसरी तौर पर अस्वीकार किया जा सकता है;

(घ) यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज या सूचना या साक्ष्य संतोषजनक पाये जाते हैं, तो अनुज्ञासि या अनुरूपता प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु आवेदन संसाधित किया जा सकता है;

(ग) क्या प्रबंधन प्रणाली सुसंगत भारतीय मानक के अनुरूप है, समय समय पर यह सुनिश्चित करने हेतु, व्यूरो द्वारा परिसर के प्रमाणन लेखापरीक्षा के लिए आवेदक को यथोचित समय में व्यवस्था करेगा और आवेदक लेखापरीक्षक को सभी समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराएगा;

(घ) लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाएगी और लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियाँ आवेदक को लिखित रूप में सूचित की जाएगी;

(ङ) व्यूरो दस्तावेजों की जाँच के आधार पर या की गई लेखापरीक्षा के आधार पर आवेदक से किसी तरह के परिवर्तन या अतिरिक्त कार्य करने की अपेक्षा कर सकता है;

(च) (i) ऐसा आवेदन जो सभी मायनों में पूरा नहीं हो या पैरा 3 के उप-पैरा (1) तथा (2) की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो, तो वह व्यूरो द्वारा अस्वीकृत किया जाएगा।

(ii) खंड (क) के अधीन आवेदन को अस्वीकार करने से पहले, ऐसी आपत्ति जो कि व्यूरो द्वारा दर्शाई गई है, को सुसंगत सूचना की प्राप्ति की तारीख के तीस दिन के अंदर आवेदक को हटाने का अवसर दिया जाएगा;

(iii) व्यूरो दर्शाएं गए पर्याप्त कारणों पर, आपत्तियाँ हटाने हेतु समय को आगे बढ़ा सकता है, जो तीस दिन से ज्यादा नहीं हो, जैसा व्यूरो उचित समझे, ताकि आवेदक ऐसी आपत्तियों को हटा सके।

(3) समीक्षा - व्यूरो सुसंगत भारतीय मानक और अन्य अपेक्षाओं, यदि कोई हों तो उनके लिए इसकी सटीकता और अनुरूपता हेतु लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा करेगा।

(4) विनिश्चय – अनुज्ञासि या अनुरूपता प्रमाणपत्र प्रदान करने का विनिश्चय व्यूरो द्वारा किया जाएगा,-

(क) इस स्कीम के पैरा 5 के उप-पैरा (1) में विनिर्दिष्ट फीस के भुगतान करने पर; और

(घ) यदि व्यूरो संतुष्ट है कि आवेदक ने सुसंगत भारतीय मानक की अपेक्षाओं के अनुसार प्रबंधन प्रणाली को कार्यान्वयित किया है और सुसंगत भारतीय मानक के अनुसार प्रमाणन लेखापरीक्षा के माध्यम से अनुरूपता के साक्ष्य स्थापित किए हैं।

(5) अनुप्रमाणन- व्यूरो इस स्कीम के साथ संलग्न प्ररूप-III या IV में आवेदक को अनुज्ञासि या अनुरूपता प्रमाण पत्र प्रदान करने का विनिश्चय करने पर, जैसा भी मामला हो, व्यूरो द्वारा यथाविहित अनुज्ञासि या अनुरूपता प्रमाण पत्र में उपलब्ध सूचना के ब्यौरे दर्शते हुए, वह अनुज्ञासि या अनुरूपता प्रमाण पत्र संख्या, आवेदक का पता, विधिमान्यता, भारतीय मानक के ब्यौरे तथा पैरा 6 में दिए गए निर्धारित मानक चिह्न दर्शाएगा।

(6) निगरानी- अनुज्ञासि या अनुरूपता प्रमाण पत्र प्रदान करने पर, व्यूरो निगरानी लेखापरीक्षा कर सकता है।

परिवाद

4. (1) व्यूरो भारतीय मानक या विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के लिए प्रणाली की अनुरूपता के संबंध में प्राप्त किसी भी परिवाद को स्वीकार और जाँच करेगा।

(2) परिवाद को बंद करने हेतु नब्बे दिनों के भीतर कार्यवाही की जाएगी।

(3) यदि परिवाद स्थापित हो जाता है और अनुज्ञासि या अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक की इस स्कीम के पैरा 12 के उप-पैरा (1) में विनिर्दिष्ट शर्तों की किसी गतिविधि में लिस्ता स्थापित होती है, तो अनुज्ञासि या अनुरूपता प्रमाणपत्र समाप्त किया जा सकता है।

फीस

5. (1) अनुज्ञासि या अनुरूपता प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु इस स्कीम के साथ संलग्न उपाबंध-1 में विनिर्दिष्ट आवेदन शुल्क प्रत्येक आवेदन के साथ देना होगा।

(2) उपाबंध-1 में विनिर्दिष्ट फीस अनुज्ञासि या अनुरूपता प्रमाण पत्र प्रदान करने या पुनर्प्रमाणन, जैसा भी मामला हो, उससे पहले देय होगा।

(3) अनुज्ञासि या अनुरूपता प्रमाण पत्र को रद्द करने या निलंबन के मामले में, फीस वापस नहीं की जाएगी।

लेबलिंग एवं चिह्नांकन अपेक्षाएँ

6. (1) इस अनुरूपता निर्धारण स्कीम के संबंध में मानक चिह्न ऐसे डिजाइन एवं विवरण वाला होगा, जैसा कि व्यूरो द्वारा प्रत्येक प्रबंधन प्रणाली हेतु विनिर्दिष्ट किया गया है और इसे व्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से प्रयुक्त करना होगा।

(2) अनुरूपता मूल्यांकन स्कीम के अधीन आने वाली प्रबंधन प्रणाली के संबंध में उपयोग किए जाने वाले मानक चिह्न का डिजाइन, इस स्कीम में संलग्न उपाबंध II में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगा।

(3) मानक चिह्न की विमाएं, इस स्कीम में, संलग्न उपाबंध III या IV में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगा।

(4) उपाबंध -II में विनिर्दिष्ट मानक चिह्न के फोटोग्राफ को कम करने और बढ़ाने की अनुमति भी है।

अनुज्ञासि या अनुरूपता प्रमाण पत्र की शर्तें

7. (1) अनुज्ञासि या अनुरूपता प्रमाण पत्र के धारक निम्न होंगे,-

(क) जिस संबंध में अनुज्ञासि दी गई है, उसके लिए हमेशा उस प्रणाली की अनुरूपता के लिए जिम्मेदार रहेंगे,

(ख) अनुज्ञासि को ऐसे तरीके से प्रयोग नहीं करेगा, जो व्यूरो की राय में भ्रामक हो सकता है या वैसे मानक चिह्न का प्रयोग नहीं करेगा, जिसकी अनुमति व्यूरो द्वारा नहीं दी जाती हो।

(ग) अनुज्ञासि की विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति, निलंबन या रद्द करने पर इसके उपयोग को तत्काल बंद कर देंगे और सभी प्रचार और विज्ञापन सामग्री जिसमें इसका कोई संदर्भ शामिल हो, उसे वापस ले लेंगे;

(घ) अनुज्ञासि को समर्पण, निलंबन या समाप्त किए जाने की स्थिति में व्यूरो को अनुज्ञासि दस्तावेज वापस लौटाएंगे;

(इ) फर्म के पते या प्रबंधन या जो शर्तें पहले घोषित की जा चुकी हैं, में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए, उनके बारे में व्यूरो को सूचित करेंगे;

(च) व्यूरो द्वारा संशोधन या पुनरीक्षण जारी होने पर, जैसा भी मामला हो, विहित समय के भीतर भारतीय मानक में संशोधन के उपबंधों या पुनरीक्षित भारतीय मानक को लागू करेंगे;

(छ) तीन महीने से अधिक प्रचालन न होने पर व्यूरो के लिखित में सूचित करेंगे;

(ज) व्यूरो द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे;

(2) व्यूरो द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्टानुसार रिकॉर्ड बनाए रखेंगे।

(3) यदि गैर अनुरूपता प्रणाली के बारे में कोई परिवाद स्थापित होता है तो अनुरूपता प्रमाण पत्र या अनुज्ञासि धारक को अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उत्तर देना होगा।

(4) व्यूरो द्वारा अनुज्ञासि या अनुरूपता प्रमाण पत्र धारक को कम से कम एक महीने का नोटिस देकर अनुरूपता निर्धारण स्कीम या अन्य किसी भी शर्त, जैसा भी मामला हो, को संशोधित करने का अधिकार होगा।

(5) अनुरूपता निर्धारण स्कीम की आवश्यकताओं के अनुसार अनुज्ञासि या अनुरूपता प्रमाणपत्र प्रदान करने या इसके प्रचालन से संबंधित अनुरूपता मूल्यांकन गतिविधियों की लेखापरीक्षा प्राधिकृत लेखापरीक्षकों द्वारा की जा सकती है या फिर लेखापरीक्षा के दौरान ब्यूरो द्वारा प्राधिकृत लेखापरीक्षकों द्वारा देखा जा सकता है।

(6) देय राशि न देने या विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं या शर्तों की गैर अनुरूपता के साक्ष्य के आधार पर ब्यूरो अनुज्ञासि अनुरूपता प्रमाण पत्र को निलंबित कर सकता है।

(7) अनुज्ञासि अनुरूपता प्रमाण पत्र की किसी भी शर्तों का उल्लंघन करने पर अनुज्ञासि या अनुरूपता प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है।

अनुरूपता प्रमाण पत्र या अनुज्ञासि की विधिमान्यता

8. (1) मानक चिह्न का प्रयोग करने के लिए अनुज्ञासि या अनुरूपता प्रमाणपत्र सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा।

(2) लागू प्रबंधन प्रणाली मानक के पुनरीक्षण या अधिक्रमण होने के मामले में यह अवधि बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

(3) मानक चिह्न का प्रयोग करने के लिए अनुज्ञासि या अनुरूपता प्रमाण पत्र का पुनर्प्रमाणन सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा और यह आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से लागू होगा।

(4) लागू प्रबंधन प्रणाली मानक के पुनरीक्षण या पुनर्प्रमाणन विनिश्चय के आधार पर अनुरूपता प्रमाण पत्र की अवधि को घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

(5) अनुरूपता प्रमाण पत्र या अनुज्ञासि के धारक या आवेदक, जैसा भी मामला हो, के अनुरोध पर अनुरूपता प्रमाण पत्र की विधिमान्यता को घटाया जा सकता है।

अनुरूपता प्रमाण पत्र या अनुज्ञासि का पुनर्प्रमाणन

(9) (1) अनुज्ञासि या अनुरूपता प्रमाण पत्र धारक को पुनर्प्रमाणन को सुगम बनाने हेतु इस स्कीम के साथ संलग्न प्ररूप-II में, विधिमान्यता के पांच माह के भीतर, पुनर्प्रमाणन के लिए आवेदन करना होगा।

(2) मानक चिह्न का प्रयोग करने के लिए अनुज्ञासि या अनुरूपता प्रमाण पत्र का पुनर्प्रमाणन प्रदान किया जाएगा, -

(क) यदि पुनर्प्रमाणन आवेदन पूर्ण पाया जाता है;

(ख) इस स्कीम के उपावंध-II में विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान करने पर; तथा

(ग) यदि ब्यूरो संतुष्ट है कि आवेदक ने सुसंगत भारतीय मानक के अनुसार प्रबंधन प्रणाली की अपेक्षाओं को लागू किया है, और सुसंगत भारतीय मानक के अनुसार पुनर्प्रमाणन लेखापरीक्षा के माध्यम से अनुरूपता का साक्ष्य दिया है।

(3) इस स्कीम के पैरा 3 के उपबंध अनुज्ञासि या अनुरूपता प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो, के पुनर्प्रमाणन के लिए भी लागू होंगे।

(4) अनुज्ञासि या अनुरूपता प्रमाण पत्र के पुनर्प्रमाणन पर, इस स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार निगरानी लेखापरीक्षा की योजना बनाई जाएगी और ब्यूरो द्वारा समय-समय पर लेखापरीक्षा की जाएगी।

(5) अनुज्ञासि के पुनर्प्रमाणन इन विनियम 8 में दिए गए उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(6) अनुरूपता प्रमाण पत्र का पुनर्प्रमाणन इन विनियमों के विनियम 16 में दिए गए उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

अनुज्ञासि या अनुरूपता प्रमाण पत्र के विषय क्षेत्र में परिवर्तन

10. प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा के पश्चात् अनुज्ञासिधारी के अनुरोध पर अनुरूपता प्रमाण पत्र का विषय क्षेत्र बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

निलंबन

11. (1) यदि, किसी भी समय, व्यूरो के पास पर्याप्ति साक्ष्य हैं कि प्रबंधन प्रणाली, जिसके लिए अनुरूपता प्रमाणपत्र या अनुज्ञासि दी गई है, वे सुसंगत भारतीय मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं, तो व्यूरो अनुरूपता प्रमाणपत्र या अनुज्ञासि को निलंबित कर सकता है, और अनुज्ञासि या अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक को, जैसा भी मामला हो, मानक चिह्न का उपयोग रोकने के लिए निर्देशित कर सकता है, और साक्ष्य सीमित नहीं हैं, लेकिन, निम्न में से एक या अधिक शामिल हो सकते हैं, अर्थात् :-

(क) मानक चिह्न का उस रीति में प्रयोग करना; जिसकी व्यूरो द्वारा अनुमति नहीं है;

(ख) तीन महीनों से अधिक प्रचालन न करना;

(ग) सुधारात्मक कार्यवाई व्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर नहीं करना;

(घ) व्यूरो को पूर्व सूचना के बिना, परिसर का स्थानांतरण;

(ड.) अनुरूपता प्रमाण पत्र या अनुज्ञासि के संबंध में गलत घोषणा या रिकॉर्ड या रिकॉर्ड के मिश्याकरण या अनुचित व्यापार पद्धतियों में लिप्त होना;

(च) अनुरूपता प्रमाण पत्र या अनुज्ञासि के प्रचालन के दौरान ऐसे लेखापरीक्षा(ओं) जो जरूरी हैं, के लिए व्यूरो या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ सहयोग न करना।

(2) उप-पैरा (1) के अधीन व्यूरो द्वारा लिया गया विनिश्चय अनुरूपता प्रमाण पत्र या अनुज्ञासि धारक जैसा भी मामला हो, को ई-मेल या किसी अन्य उपयुक्त लिखित माध्यम द्वारा, इसके कारणों सहित सूचित किया जाएगा।

(3) अनुज्ञासि या अनुरूपता प्रमाण पत्र के धारक जिनकी अनुज्ञासि या अनुरूपता प्रमाण पत्र निलंबन के लिए रखी गई है, उसमें सुधारात्मक कार्यवाई करेंगे और व्यूरो को सूचित करेंगे।

(4) की गई कार्यवाई की जानकारी मिलने पर, यदि आवश्यक हो, तो उसका सत्यापन करने हेतु व्यूरो एक विशेष लेखापरीक्षा कर सकता है।

(5) व्यूरो स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् निलंबन को प्रतिसंहरित कर सकता है कि अनुज्ञासि या अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक ने प्रबंधन प्रणाली की अनुरूपता सुसंगत भारतीय मानक के लिए पर्याप्ति साक्ष्य के साथ सुधारात्मक कार्यवाही की है।

(6) अपेक्षित फीस न देने पर व्यूरो अनुज्ञासि या अनुरूपता प्रमाणपत्र को निलंबित कर सकता है और अनुज्ञासि या अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक को इक्कीस दिन का नोटिस जारी करके मानक चिह्न का प्रयोग न करने के लिए निर्देशित कर सकता है।

(7) व्यूरो बकाया राशि प्राप्त होने पर उप-पैरा 6 के अधीन निलंबन को प्रतिसंहरित कर सकता है।

(8) उप-पैरा (6) के अधीन जारी निलंबन एक वर्ष से अधिक नहीं होगा।

अनुज्ञसि या अनुरूपता प्रमाणपत्र के पुनर्प्रमाणन को समाप्त या खारिज करना

12. (1) व्यूरो अनुज्ञसि या अनुरूपता प्रमाण पत्र के पुनर्प्रमाणन को समाप्त या खारिज कर सकता है, यदि -
- (क) अनुज्ञसि या अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक मानक चिह्न के दुरुपयोग में लिप्त हो;
 - (ख) अनुज्ञसि या अनुरूपता प्रमाणपत्र के संबंध में गलत घोषणा की हो या रिकॉर्ड के मिश्याकरण या अनुचित व्यापार पद्धतियों में लिप्त हो;
 - (ग) अनुज्ञसि या अनुरूपता प्रमाणपत्र का निलंबन एक वर्ष से अधिक हो;
 - (घ) अनुज्ञसि या अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक ने परिसर को स्थानांतरित किया है और व्यूरो के अनुमोदन के बिना नए परिसर में अनुज्ञसि या अनुरूपता प्रमाणपत्र के संचालन को जारी रखा हो;
 - (ङ.) अनुज्ञसि या अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक ने अनुज्ञसि या अनुरूपता प्रमाण पत्र की किसी भी शर्तों का उल्लंघन किया हो।
- (2) पुनर्प्रमाणन को खारिज करने या रद्द करने से पहले, व्यूरो अनुज्ञसि या अनुरूपता प्रमाण पत्र धारक को ई-मेल या संचार के किसी अन्य उपयुक्त साधन के माध्यम से कम से कम इक्कीस दिन की एक लिखित सूचना देगा, जिसके द्वारा अनुज्ञसि या अनुरूपता प्रमाण पत्र के रद्द या खारिज करने के अपने दरादे, आधार के साथ, लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए उपबंध और अनुज्ञसि या अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक को व्यक्तिगत सुनवाई यदि मांगे तो, को सूचित किया जाएगा।
- (3) यदि अनुज्ञसि या अनुरूपता प्रमाणपत्र निलंबन के अधीन नहीं है, तो सूचना में अनुज्ञसि या अनुरूपता प्रमाण पत्र धारक को निर्देश दिया जाएगा कि वह मानक चिह्न का प्रयोग और अनुज्ञसि या अनुरूपता प्रमाण पत्र का संचालन बंद कर दें।
- (4) सूचना जारी करने की तारीख से इक्कीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के मामले में, व्यूरो अनुज्ञसि या अनुरूपता प्रमाण पत्र का पुनर्प्रमाणन समाप्त या खारिज कर सकता है।
- (5) यदि कोई स्पष्टीकरण दिया गया है, तो व्यूरो इस बारे में विनिश्चय लेने से पहले प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रख सकता है, और व्यक्तिगत सुनवाई, यदि मांग की जाती है तो अनुज्ञसि या अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को दे सकता है।
- (6) इस स्कीम के उप-पैरा (4) और (5) के अधीन पुनर्प्रमाणन रद्द करने या खारिज करने के लिए व्यूरो द्वारा लिया गया विनिश्चय अनुज्ञसि या अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक को आधार के साथ ई-मेल या किसी अन्य उपयुक्त लिखित माध्यम के साधन से सूचित किया जाएगा।
- (7) जब किसी भारतीय मानक को वापस ले लिया जाता है और किसी भी अन्य भारतीय मानक से अधिक्रमण नहीं किया जाता है, तो उसके संबंध में दी गई किसी भी अनुज्ञसि या अनुरूपता प्रमाण पत्र को इस तरह की भारतीय मानक को वापस लेने की तारीख से समाप्त समझा जाएगा और अनुज्ञसि या अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक द्वारा अनुज्ञसि या अनुरूपता प्रमाणपत्र व्यूरो को तत्काल सौंप दिया जाएगा।
- (8) उप-पैरा (7) के अधीन रद्द की गई अनुज्ञसि या अनुरूपता प्रमाणपत्र के लिए, व्यूरो अनुज्ञसि या अनुरूपता प्रमाण पत्र की असमाप्त अवधि के अनुपात में अग्रिम भुगतान किए जाने पर अनुज्ञसि या अनुरूपता प्रमाणपत्र फीस का भाग वापस करेगा।

उपांगन-

(स्कीम III के पैरा 5 के उप-पैरा (1) एवं (2) को देखें)

फीस संरचना

1. आवेदन शुल्क*

(क) बड़े औद्योगिक उद्यम-	रु. 15,000/-
(ख) मध्यम, सूक्ष्म और लघु औद्योगिक उद्यम-	रु. 7000/-
(ग) केन्द्र/राज्य सरकार संगठन	
(i) 100 कर्मचारियों तक :	रु. 7000/-
(ii) 100 कर्मचारियों से अधिक :	रु. 15,000/-

केन्द्रीय/राज्य/स्थानीय सरकार के सभी पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, पाँलिटेक्निक, प्रशिक्षण संस्थानों और हेल्थकेयर इस्टेब्लिशमेंट को उनके आकार के बावजूद छोटे उद्यमों के रूप में माना जाएगा।

2. लेखापरीक्षा फीस*

(क) भारत में स्थित इकाईयों के लिए

(i) प्रति श्रम दिवस रु. 12,000/- प्रभारित किए जाएंगे।

(ii) यात्रा के स्थान से 250 कि.मी. तक की सीमित दूरी की यात्रा और वास्तविक आधार पर लेखापरीक्षकों के रहने के लिए आवेदक या अनुज्ञसि या अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक द्वारा वहन किया जाएगा।

(ख) भारत से बाहर स्थित इकाईयों के लिए

(i) प्रति श्रम दिवस रु. 12,000/- प्रभारित किए जाएंगे।

(ii) अनुज्ञसि या अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक लेखापरीक्षा के संबंध में बीआईएस प्रमाणन अधिकारी (यों) द्वारा व्यतीत किए गए प्रति श्रम दिवस बीआईएस की लागत सहित सभी खर्चों को उठाना होगा (तैनाती स्थान से वापसी तक प्रस्थान के समय से), जैसा कि बीआईएस ने अपने पूर्ण विवेकाधिकार से निर्णित किया हो।

3. 3 वर्ष के लिए अनुरूपता प्रमाणपत्र या अनुज्ञसि फीस/पुनर्प्रमाणन फीस

(क) बड़े उद्योग – रु. 60,000/-

(ख) मध्यम, सूक्ष्म और लघु उद्योग – रु. 30,000/-

(4) फीस में लचीलापन - अनुज्ञसि या अनुरूपता प्रमाणपत्र की फीस में 50% तक की छूट ब्यूरो द्वारा दी जा सकती है।

टिप्पणी: (i) पहले अनुज्ञसि के प्रत्येक पश्चावर्ती प्रणाली प्रमाणन अनुज्ञसि के लिए आवेदन फीस रु. 7000/- होगी।

(ii) पश्चात्-वर्ती अनुज्ञसियों और ब्यूरो के अन्य अनुरूपता मूल्यांकन स्कीमों के अनुज्ञसिधारी के लिए अनुज्ञसि फीस में 20% छूट दी जाएगी।

(iii) बहु सर्विस आउटलेट वाले संगठनों के लिए - प्रत्येक अतिरिक्त साइट (समान गतिविधियों के साथ) के विषय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल, प्रत्येक साइट के लिए अतिरिक्त अनुज्ञसि फीस का भुगतान निम्न प्रकार होगा:

10 तक - रु. 12,10 तक - 12,000/प्रति साइट

11 और अधिक- 10 से ऊपर प्रत्येक अतिरिक्त साइट के लिए रु. 1,20,000 + रु. 8,000






-अतिरिक्त कर

- उद्यमों का वर्गीकरण 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 (2006 का 27) पर आधारित होगा।

उपावंथ-॥


(स्कीम III के पैरा 6 के उप-पैरा(2) को देखें)

विभिन्न प्रबंध प्रणालियों के लिए मानक चिन्ह



उपाबन्ध-3

(स्कीम-III के पैरा 6 का उप-पैरा (3) निर्दिष्ट करें) विभिन्न प्रबंध प्रणालियों हेतु मानक चिन्ह की विमाए



All dimensions are in millimeters H = Height, L = Length, D = Diameter of circle

ईएमएस

सभी आयाम मिलीमीटरों में हैं। एच = ऊँचाई, एल = लम्बाई, डी = व्रत का व्यास, एमएम = मिमी

उपांवंध-IV


(स्कीम-III के पैरा 6 का उप-पैरा (3) देखें)

गुणता पद्धतियाँ प्रमाणन के लिए मानक मुहर के अधिमान्य आकार
सभी आयाम मिलिमीटरों में हैं

मल्टीकलर मानक चिन्ह हेतु, रंग योजना निम्नानुसार होंगे :

- क) मुद्रण प्रयोजनार्थ, अक्षर 'थ' हेतु रंग "ओरिएन्टल नीला" तथा अक्षर "ध" "मोनोपोल लाल" में आई एस 1222, 1999 द्वितीय सिलेंडर रोटरी मशीनों हेतु स्थाही, डुप्लिकेटिंग (तीसरा पुनरीक्षण) के अनुसार रहेगा।
- ख) साइन बोर्ड प्रयोजनार्थ हेतु, आईएस 5:1994 "तैयार मिश्रित पेंट एंव इनेमलों हेतु रंग" (चौथा पुनरीक्षण) के अनुसार अक्षर 'थ' हेतु फ्रैंच नीला' (स. 166) एंव अक्षर "ध" सिंगल लाल (सं 537) रंग का रहेगा।

सिंगल रंग मानक चिन्ह हेतु, रंगों के चयन में कोई प्रतिबंध नहीं है।

PREFERRED SIZES OF THE STANDARD MARK FOR
QUALITY SYSTEMS CERTIFICATION

All dimensions in millimetres.

Size H	H_1	H_2	H_3	H_4	H_5	H_6	L	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	L_6	T
100	80	3	10	30	3	3	100	75	50	11	60	40	8.8	
80	64	2.4	8	24	2.4	2.4	80	60	40	6.93	47.25	31.5	5.5	
63	50.4	1.9	6.3	18.9	1.9	1.9	63	47.25	31.5	6.93	37.5	25	4.4	
50	40	1.5	5	15	1.5	1.5	50	50	30	20	20	12.5	2.75	
40	32	1.2	4	12	1.2	1.2	40	40	25	10.75	10	2.2	1.76	
25	20	0.75	2.5	7.5	0.75	0.75	25	25	15	8	8	2.2		
20	16	0.6	2	6	0.6	0.6	20	15	12	8	8	2.2		
16	12.8	0.5	1.6	4.8	0.5	0.5	16	12	8	8	8	2.2	1.76	

For multicolour Standard Mark the colour scheme shall be as follows:

- For printing purposes, colours for letter "Q" shall be "Oriental Blue" and letter "S" in "Monopol Red" as per IS 1222 : 1992 'Ink, duplicating for twin cylinder rotary machines (Third revision)'.
- For sign board purposes, colours for letter "Q" shall be "French Blue" (No. 166) and letter "S" in "Signal Red" (No. 537) as per IS 5 : 1994 "Colours for ready mixed paints and enamels (Fourth revision)".

For single colour Standard Mark, there is no restriction in the choice of the colour.

प्रृष्ठ-

स्कीम-III के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के खण्ड (क) को देखें।

उपमहानिदेशक

भारतीय मानक ब्यूरो

-----क्षेत्रीय कार्यालय (पता)

1. मैं/हम (व्यवसाय स्थल का पूरा पता) के स्टाइल के अधीन (व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अधीन प्रबंध प्रणाली प्रमाणन की अनुज्ञासि की मंजूरी हेतु, आईएस के अनुसार प्रणाली के संबंध में आवेदन करता हूँ/करते हैं। उत्पाद/उत्पादों की सीमा/सेवाएँ/सेवाओं की सीमा/प्रक्रियाओं/गतिविधियों के विवरण निम्नानुसार हैं:
2. उत्पाद/उत्पादों की सीमा/सेवाएँ/सेवाओं की सीमा/प्रक्रियाओं/गतिविधियाँ हमारे कारखाने/इकाई/कार्यालय (कारखाने/इकाई/कार्यालय के नाम) पर स्थित परिसरों में (पता) में चल रहे हैं।
3. (क) मेरा/हमारा कारखाना/इकाई/कार्यालय के शीर्ष प्रबंध का गठन निम्नानुसार है:

क्रमांक	नाम	पदनाम

(ब) जब उत्पाद में कोई बदलाव होगा उस संबंध में मैं/हम ब्यूरो को सूचित करने का वचन देता हूँ/ देते हैं।

4. मैं/हम फर्म के रजिस्ट्रार या सोसायटी/तकनीकी विकास महानिदेशालय /उद्योग निदेशक द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि या फर्म एवं इसके परिसरों के नाम वाले अन्य सदृश प्रमाणीकृत दस्तावेजों की फोटोप्रति संलग्न करता हूँ/ करते हैं।
5. मेरे/हमारे पास जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 क्रमशः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपवंधों के अनुसार आवश्यक सहमतियाँ/स्पष्टीकरण हैं। (यदि लागू हो)
6. नियुक्त तकनीकी कार्मिक/विशेषज्ञों के विवरण :

क्रमांक	नाम	अर्हता	कार्य

7. मैंने / हमने अपेक्षित अनिवार्य प्रलेख तैयार एवं विकसित किये हैं (प्रति संलग्न)।
8. मैं / हम समय-समय पर बीआईएस द्वारा यथा अपेक्षित एवं/या सुसंगत मानकों की अपेक्षाओं के अनुरूप मेरी/हमारी प्रलेखित सूचना को संशोधित करने, उपांतरण करने या परिवर्तित करने का भी वचन देता हूँ/देते हैं।

9. मैं/हम स्कीम में यथा लागू एवं यथा दर्शाए व्यूरो द्वारा विहित फीस तथा/या तारीख ----- के करार / दरों के अनुसार भुगतान के लिए सहमत हूँ/है।
10. मैंने/हमने अनुज्ञासि की शर्तों को पढ़ लिया है और 'आवेदक के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों' में दर्शाए अनुसार तथा बीआईएस अधिनियम 2016 के अधीन निर्मित विनियमों के अनुसार अनुपालन का वचन देता हूँ/देते हैं।
11. व्यूरो द्वारा आरंभिक पूछताछ किये जाने पर, मैं/हम, मेरी/ हमारे नियंत्रण में सभी समुचित सुविधाओं को व्यूरो के पास पहुंचाने के लिए सहमत है तथा व्यूरो द्वारा जब कभी भी उक्त पूछताछ अपेक्षित हो, तो सभी खर्चों का भुगतान करने के लिए भी सहमत हैं।
12. मैं/हम अनुरोध करते हैं कि मेरा/हमारा कारखाना/इकाई/कार्यालय की लेखापरीक्षा करने हेतु दौरा ----- (दर्शाइ तारीख) तक किया जाए।

या

मैं/हम लेखापरीक्षा हेतु दौरा करवाने के लिए समय, तारीख की उपयुक्तता सूचित करुंगा/करेंगे, जैसे ही मैं/हम उसके लिए तैयार होते हैं।

13. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने तारीख ----- को ----- के लिए बीआईएस से अनुज्ञासि लेने हेतु पहले भी आवेदन किया था, जो कि मिल नहीं पाया।
14. मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि यदि आवेदन पत्र में उक्त दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर आवेदन पत्र को तुरंत रद्द कर दिया जाए।
15. मुझे/हमें भारतीय मानक व्यूरो अधिनियम के अधीन किसी भी कोर्ट में दोषी नहीं पाया गया है और ना ही कोई अभियोजन लंबित है।

या

बीआईएस अधिनियम के अधीन दोषसिद्धि/अभियोजनों के विवरण निम्नानुसार है:

16. मुझे/हमें कभी भी भारतीय मानक व्यूरो के अधिनियम में किसी प्रकार की उल्लंघनपूर्ण कार्यवाही के प्रति चेतावनी/सलाह नहीं दी गई है।

या

बीआईएस अधिनियम के उल्लंघन के लिए मेरे/हमारे द्वारा प्राप्त चेतावनी/सलाह के विवरण निम्नानुसार हैं।

17. अनुज्ञासि दिए जाने पर एवं जब तक वह प्रचलित रहेगी, मैं/हम अनुज्ञासि की सभी शर्तों एवं उक्त के अधीन विनिर्दिष्ट विनियमों का पालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

तारीख ----- दिन ----- दो हजार -----

हस्ताक्षर-----
नाम-----
पदनाम-----
(कृते एवं की ओर से)

(फर्म की सील)
प्रतेक संलग्न

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

प्ररूप -॥

(स्कीम-III के पैरा 9 के उप-पैरा 1 को देखें)

भारतीय मानक व्यूरो अधिनियम, 2016 के अधीन प्रबंध प्रणाली प्रमाणन के मानक चिन्ह प्रयोग करने के लिए अनुज्ञासि के पुनः प्रमाणन

हेतु आवेदन पत्र

उपमहानिदेशक

भारतीय मानक व्यूरो

क्षेत्रीय कार्यालय

(पता)

1. मैं/हम ----- (कारबार का पूरा पता) के स्टाइल के अधीन (व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम)-----

----- पुनः प्रमाणन हेतु ----- प्रणाली/प्रणालियों प्रमाणन अनुज्ञासि संख्या ----- तारीख आईएस ----- के अनुसार ----- प्रणाली/प्रणालियों के संबंध में भारतीय मानक द्वारा आगे के तीन वर्ष की अवधि हेतु, मेरी/हमारी उपरोक्त अनुज्ञासि में यथा अनुबद्ध अनुज्ञासि की शर्ताधीन, एवं/या व्यूरो द्वारा यथासंभव निर्धारित ऐसी अन्य शर्तों पर आवेदन करता हूँ/करते हैं।

2. सम्पर्क व्यक्ति का नाम एवं पदनाम -----

2.1 सम्पर्क व्यक्ति का फोन नं, फैक्स संख्या और ईमेल : -----

3. शिफ्टों की संख्या (प्रत्येक शिफ्ट के समय सहित):-

4. कार्मिकों की संख्या

4.1 पूर्णकालिक कार्मिकों में बदले गये प्रमाणन के कार्य क्षेत्र में आवरित अंशकालिक कार्मिकों की संख्या (8 घंटे कार्यालयीन दिवस पर आधारित) -----

4.2 पूर्णकालिक कार्मिकों में परिवर्तित प्रमाणन के कार्यक्षेत्र में शामिल अंशकालिक कार्मिकों की संख्या (8 घंटे कार्यालयीन दिवस पर आधारित) -----

4.3 साधारण कृत्यों में कार्मिकों की संख्या (वित्त, प्रशासन, सुरक्षा, परिवहन, चालक, कैंटीन, माली इत्यादि) : -

4.4 सामान्य शिफ्ट/शिफ्ट । में कार्मिकों की कुल संख्या: -----

4.4 अन्य शिफ्टों में कार्मिकों की कुल संख्या: -----

4.5 सामान्य शिफ्ट/शिफ्ट । के अलावा विशेष प्रचालन/कृत्यों परस्पर हेतु अन्य शिफ्टों में कार्मिकों की कुल संख्या : -----

5. इकाई की प्रास्थिति :

दीर्घ/लघु स्तरीय उद्योग/अनुपर्गी/छोटी यूनिटें/लघु स्तरीय सेवा एवं व्यवसाय (उद्योग संबंधित) उद्यम/छोटे उद्यम (टिप्पण देखें)

टिप्पण: कृपया संबंधित प्राधिकारी से रजिस्ट्रीकरण पत्र संलग्न करें एवं बीआईएस के 'आवेदकों हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत' भी देखें।

6. * प्रमाणपत्र का कार्यक्षेत्र विद्यमान अनुज्ञासि दस्तावेज में दिये गये अनुसार ही रहेगा।

या

* प्रमाणपत्र का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार संशोधित किया जा सकता है:

* जो लागू न हो उसे काट दें

7. वर्तमान अनुज्ञासि में दर्शये गये फर्म के संरचना एवं प्रबंध प्रणालियों/प्रणाली में बदलाव

8. संगठन के संदर्भ को प्रभावित करने वाले बदलाव (अर्थात् विधान में बदलाव आदि)

9. मैं/हम हमारे द्वारा तैयार प्रलेख या हमारे द्वारा तैयार पुनरीक्षित प्रलेखों को प्रयोग करना जारी रखने के लिए प्रस्ताव रखता हूँ/रखते हैं, संलग्न है। यदि प्रलेखों में बदलाव हो तो कृपया विवरण दें:

10. क) मेरे/हमारे कारखाने के शीर्ष प्रबंध का गठन वही है या बदलाव किया है, जो उक्त अनुज्ञसि हेतु पूर्व के आवेदन पत्र में दिया गया है तथा निम्नानुसार है:

क्रमांक	नाम	पदनाम
---------	-----	-------

ख) मैं/हम जब भी उक्त गठन में कोई बदलाव होगा तो व्यूरो को सूचित करने का वचन देता हूँ/देते हैं

11. मैं/हम संगठन या सोसायटी के रजिस्ट्रार या तकनीकी विकास महानिदेशालय/उद्योग निदेशक द्वारा जारी या संगठन के नाम प्रमाणीकृत करने वाले अन्य सदृश दस्तावेज एवं इसकी विनिर्माण परिसरों पर जारी निगमन के प्रमाणपत्र की फोटोप्रति संलग्न करता हूँ/करते हैं। (केवल बीआईएस को पहले प्रस्तुत किए गए संगठन के नाम एवं/या पते में बदलाव करने के मामले में)

12. मैंने/हमने अनुज्ञसि की शर्तों को पढ़ लिया है और 'आवेदक के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों' में दर्शाए अनुसार प्रबंध प्रणाली के रूप में सुसंगत तथा अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट वर्तमान विनियमों के अनुसार उनके द्वारा अनुपालित करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

13. व्यूरो द्वारा आरंभिक पूछताछ किये जाने पर, मैं/हम, मेरी/ हमारे नियंत्रण में सभी समुचित सुविधाओं को व्यूरो के पास पहुँचाने के लिए सहमत हैं तथा व्यूरो द्वारा जब कभी भी उक्त पूछताछ अपेक्षित हो, तो सभी खर्चों का भुगतान करने के लिए भी सहमत हैं।

14. मैं/हम अनुरोध करते हैं कि मेरा/हमारा कारखाना/इकाई/कार्यालय की लेखापरीक्षा करने हेतु दौरा ----- (दर्शाइ तारीख) तक किया जाए।

15. प्रमाणित किया जाता है कि मैं/हम तारीख ----- को ----- के लिए बीआईएस से अनुज्ञसि लेने हेतु पहले भी आवेदन किया था जो कि मिल नहीं पायी।

16. मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि यदि आवेदन पत्र में उक्त दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर आवेदन पत्र को तुरंत रद्द कर दिया जाए।

17. मुझे/हमें अधिनियम के अधीन किसी भी कोई में दोषी नहीं पाया गया है और ना ही कोई अभियोजन लंबित है।

या

अधिनियम के अधीन दोषसिद्धि/अभियोजनों के विवरण निम्नानुसार है :

18. मुझे/हमें कभी भी अधिनियम में किसी प्रकार की उल्लंघनपूर्ण कार्यवाही के प्रति चेतावनी/सलाह नहीं दी गई है।

या

अधिनियम के उल्लंघन के लिए मेरे/हमारे द्वारा प्राप्त चेतावनी/सलाह के विवरण निम्नानुसार है :

19. अनुज्ञसि नवीकृत किए जाने पर एवं जब तक वह प्रचलित रहेगा, मैं/हम अनुज्ञसि की सभी शर्तों का उक्त अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट नियमों का पालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं। अनुज्ञसि के निलम्बन या रद्द किए जाने की दशा में, मैं/हम अनुज्ञसि के संबंध में सभी सुविधाओं के प्रयोग को तत्काल प्रभाव से रोकने का और अनुज्ञसि तथा संबंधित दस्तावेज व्यूरो को लौटाने का वचन देता हूँ/देते हैं।

तारीख ----- दिन ----- के दो हजार -----

हस्ताक्षर -----

नाम -----

पदनाम -----

(कृते एवं की ओर से-----)

(फर्म की सील)

केवल कार्यालय के प्रयोग हेतु

अनुज्ञसि संख्या -----

20. पुनः प्रमाणन लेखापरीक्षा हेतु योजना

क) पुनः प्रमाणन आवेदन प्ररूप में सूचित विशेष बदलावों के ब्यौरे, यदि कोई हों

a. चरण 1 लेखापरीक्षा को करने की जरूरत के लिए मूल्यांकन (औचित्य बतायें)

मूल्यांकन के परिणाम

चरण-1 अपेक्षित/चरण-1 अनपेक्षित

ग) पुनः प्रमाणन लेखापरीक्षा के लिए अनुज्ञसिधारी द्वारा सांकेतिक तारीख

घ) विधिमान्यता की समाप्ति से पूर्व पुनःप्रमाणन गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए उपलब्ध समय

ड.) अनुशंसित योजना (यदि 20 ख) चरण 1 की अपेक्षा बतायें, चरण 1 एवं चरण 2 दोनों की योजना बतायें अन्यथा केवल चरण 2 लेखापरीक्षा की योजना करें) –प्रणाली उत्पन्न समय के पैमाने पर अनुमान संलग्न करें।

च) अनुमोदन प्राधिकारी का विनिश्चय

अनुमोदित/अनुमोदित नहीं।

प्ररूप-|||

(स्कीम-||| के पैरा 3 के उप-पैरा (5) को देखें)

भारतीय मानक ब्यूरो

प्रबंध पद्धतियाँ प्रमाणन हेतु ----- अनुज्ञसि

(प्रत्यायित द्वारा (प्रत्यायन निकाय का नाम, यदि प्रत्यायित हो)

अनुज्ञसि संछया:

ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के नाते, निम्नलिखित को मंजूरी देता है/पुनः प्रमाणन देता है:

(जिसे इसमें इसके पश्चात इसे अनुज्ञसिधारी कहा गया है) इस अनुसूची में वर्णित विशेष तौर पर उत्पाद एवं/या सेवाओं या प्रक्रियाओं के संबंध में ----- प्रबंध प्रणाली प्रमाणन के अनुज्ञसिधारकों की ब्यूरो की सूची में इस अनुज्ञसि के अनुसार इसी संछया धारक को अधिकार एवं अनुज्ञसि सूचीबद्ध किया जाए। आईएस ----- के अनुसार ----- प्रबंध प्रणाली के अधीन उक्त दिये गये पते पर केवल अनुज्ञसिधारक द्वारा ऐसे उत्पाद एवं/या सेवाओं या प्रक्रियाओं को निर्मित किया/उपलब्ध कराया/चलाया जायेगा।

अनुज्ञसि उक्त अधिनियम एवं उनके अधीन नियमों तथा विनियमों के संबंधित उपबंधों की शर्त पर मंजूर किया गया है/पुनः प्रमाणन दिया गया है तथा उक्त संदर्भित अनुज्ञसियों को इसके तहत शासित किया जाता है, तथा अनुज्ञसिधारक उक्त नियमों एवं विनियमों का पालन किये जाने के लिए ब्यूरो के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध हैं।

यह अनुज्ञसि तारीख ---- से तारीख ---- तक विधिमान्य रहेगा तथा विनियमों में यथा निहित पुनः प्रमाणन दिया जा सकेगा।

यह तारीख ----- दिन ----- को हस्ताक्षरित/मुहरांकित तथा दिनांकित किया गया।

कृते भारतीय मानक ब्यूरो

पदनामित प्राधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

अनुज्ञसि सं. ----- की अनुसूची

को जारी किया गया

उत्पाद/सेवा/प्रक्रिया हेतु फर्म को अनुज्ञसि मंजूर की गई है/पुनः प्रमाणन दिया गया है:

----- प्रबंध प्रणाली प्रमाणन हेतु

कृते भारतीय मानक ब्यूरो
पदनामित प्राधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

प्र०प-IV

(स्कीम III के पैरा III के। उप-पैरा (5) देखिए)

भारतीय मानक ब्यूरो

----- प्रबंध पद्धति प्रमाणन हेतु अनुरूपता प्रमाणपत्र

(द्वारा प्रत्यायित (यदि प्रत्यायित हैं तो प्रत्यायन निकाय का नाम)

प्रमाण पत्र संख्या:

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो निम्नलिखित को मंजूरी देता है/पुनः प्रमाणन देता है:

(जिसे इसमें इसके पश्चात इसे प्रमाणपत्र धारक कहा है) इसकी अनुसूची में विशिष्टतया विनिर्दिष्ट उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रियाओं के संबंध में ----- प्रबंध पद्धति प्रमाणन के प्रमाणपत्र धारकों की ब्यूरो की सूची में प्रमाणपत्र की संख्यांक वाले धारक का अनुरूपता प्रमाणपत्र और अधिकार सूचीबद्ध किये जाएँ। आईएस ----- के अनुसार ----- प्रबंध पद्धति के अधीन उक्त दिये गये पते पर केवल प्रमाणपत्र धारक द्वारा ऐसे उत्पाद एवं/या सेवाओं या प्रक्रियाओं को निर्मित किया/उपलब्ध कराया/चलाया जायेगा।

प्रमाणपत्र उक्त अधिनियम और उनके अधीन नियमों तथा विनियमों के संबंधित उपबंधों के अध्यधीन प्रमाणपत्र धारक को मंजूर किया गया है/पुनः प्रमाणन दिया गया है तथा उक्त संदर्भित प्रमाणपत्र को इसके अधीन शासित किया जाता है तथा प्रमाणपत्र धारक उक्त नियम और विनियमों सहित पालन किये जाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं।

यह प्रमाणपत्र तारीख ----- से तारीख ----- तक विधिमान्य रहेगा और विनियमों में यथा विहित पुनः प्रमाणन किया जा सकेगा।

आज तारीख ----- दिन ----- को हस्ताक्षरित/मुद्रांकित किया गया।

कृते भारतीय मानक ब्यूरो
पदाभिहित प्राधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

प्रमाणपत्र सं. ----- की अनुसूची

----- को जारी किया गया

उत्पाद और सेवा/प्रक्रिया और जिसके संबंध में फर्म को प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है/पुनः प्रमाणन दिया गया है:

----- प्रबंध पद्धति प्रमाणन हेतु

कृते भारतीय मानक ब्यूरो
पदाभिहित प्राधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

स्कीम-IV

किसी भी मानक के अनुसार वस्तुओं और सामानों के लिए अनुरूपता प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए अनुरूपता मूल्यांकन स्कीम (अनुसूची-I के टाईप 'ड' के अनुसार स्कीम पर आधारित)

विषय क्षेत्र

- इस स्कीम के अधीन जो कि टाईप 'ड.' पर आधारित है मालों और वस्तुओं हेतु ब्यूरो द्वारा अनुरूपता प्रमाणपत्र दिया जा सकेगा, जिसे इसके पश्चात उत्पाद कहा गया है, जिसका उत्पादन किसी निर्माण परिसर में किया गया है और विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं यथा लागू मानक या मानक के भाग या अनिवार्य अपेक्षाओं, के अनुरूप हैं।

स्पष्टीकरण – उप-पैरा (1) के प्रयोजन हेतु ऐसा विनिर्माण परिसर(रों) आवेदक द्वारा स्वामित्व वाला या अन्यथा हो, जहाँ कि निर्माण का भाग तैयार किया जाता है तथा जहाँ अनन्तिम विनिर्माण गतिविधि की जाती है और जहाँ अनुरूपता प्रमाण पत्र प्रयुक्त किया जाना है।

2 अनुरूपता प्रमाणपत्र पैरा 3 में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार अनुदत्त किया जाएगा।

परिभाषाएँ

2 (1) “निरीक्षण और परीक्षण योजना” से विनिर्माता द्वारा अपनाई जाने वाली ऐसी योजना, जो उत्पादन प्रक्रिया में भिन्न-भिन्न स्तरों पर नियंत्रण रखने के लिए यह योजना नियंत्रण के स्तर विनिर्दिष्ट करती है और निरीक्षण और परीक्षण की आवर्ती को इस प्रकार सुनिश्चित करना कि अनन्तिम उत्पाद मानक/मानकों या मानक के भाग में दी गई विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं या आवश्यक अपेक्षाओं, यथास्थिति, के अनुरूप हो।

2) “तृतीय पक्षकार प्रयोगशाला” से स्थापित, अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएँ या ब्यूरो द्वारा पैनलीकृत सरकारी प्रयोगशालाएँ तथा ब्यूरो की कार्यकारी समिति द्वारा विनिश्चित कोई प्रयोगशाला अभिप्रेत है।

स्कीम की प्रक्रिया

3 (1) चयन: (क) विनिर्माणकर्ता निम्नलिखित की पहचान करेगा:

- i) मानक या उसके भाग में दी गई विनिर्दिष्ट अपेक्षायें या आवश्यक अपेक्षायें यथा लागू और उत्पाद से संबद्ध जिसके लिए अनुरूपता प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित है;
- ii) उस स्कीम के साथ उपावंध प्ररूप-II में विनिर्माण परिसर में उपलब्ध मशीनरी और एक सूची तैयार की जाएगी और यदि विनिर्माण गतिविधि का कोई भाग आउटसोर्स किया जाता है तो उस गतिविधि हेतु प्रयुक्त मशीनों के ब्यौरे पृथक प्ररूप में उपदर्शित किए जायेंगे;
- iii) भारतीय मानक के अनुसार परीक्षण करने के लिए अपेक्षित परीक्षण उपकरण तथा उस स्कीम के साथ उपावंध प्ररूप-II में उपलब्ध उपस्करों की एक सूची तैयार करें।
- iv) कारबाना के बाहर परीक्षण सुविधायें, जहाँ परीक्षण किया जाता है जिसका परीक्षण विनिर्माणकर्ता अपना यहाँ करने में असमर्थ हो, तो उसकी सूचना ब्यूरो को दें।

घ) उप-पैरा (I) के खंड (iv) के मामले में आंतरिक परीक्षण सुविधा में छूट का अंतिम निर्णय ब्यूरो द्वारा लिया जाएगा;

a. परीक्षण हेतु अपेक्षित नमूनों की न्यूनतम संख्या विनिर्माता द्वारा उत्पाद की प्रकृति, अनुरूपता प्रमाणपत्र के वांछित विषय क्षेत्र या नमूनों संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, को ध्यान में रखते हुये निश्चित किया जाएगा;

परंतु, यदि ब्यूरो की वेबसाईट पर नमूनों संबंधी दिशानिर्देश उपलब्ध हों, तो उनका विनिर्माता द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

घ) इस स्कीम के साथ उपावंध प्ररूप-III में निरीक्षण और परीक्षण स्कीम विनिर्माणकर्ता द्वारा तैयार की जायेगी जिसे वह अपने दैनिक उत्पादन में कार्यान्वित करना प्रस्तावित करेगा, ताकि अनन्तिम उत्पाद विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप हो।

इ) विनिर्माणकर्ता सुनिश्चित करेगा कि विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की अनुरूपता हेतु उत्पाद का परीक्षण किया गया है और इस स्कीम के साथ उपावंध प्ररूप-IV में परीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगा।

च) विनिर्माणकर्ता इस स्कीम के साथ उपावंध प्ररूप-V में अनुरूपता प्रमाणपत्र की मंजूरी हेतु आवेदन कर सकेगा और ब्यूरो निम्नलिखित प्रक्रिया में से किसी एक या उनमें से किसी का संमिश्रण अनुरूपता प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए पालन करेगा, अर्थात्:

- (i) (II) आवेदक आवेदन के साथ मानक या उसके भाग में दी गई विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं या आवश्यक अपेक्षाओं की तृतीय पक्षकार प्रयोगशाला द्वारा जारी की गई पूर्ण परीक्षण रिपोर्ट देगा;

- (II) यदि कुछ विशेष अपेक्षाओं के लिए जिसके लिए तृतीय पक्षकार प्रयोगशाला में परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता नहीं होने के मामले में कारखाना परीक्षित उन अपेक्षाओं पर विचार किया जा सकेगा;
- (III) ब्यूरो उत्पादन प्रक्रिया के सत्यापन और तृतीय पक्ष प्रयोगशाला परीक्षण के लिये गये नमूनों के सत्यापन हेतु कारखाने के दौरे की व्यवस्था करेगा;
- (IV) सत्यापन नमूने की परीक्षण रिपोर्ट के लिए प्रतीक्षा किये बरैर अनुरूपता प्रमाणन अनुदत्त किया जाएगा;
- (V) अनुरूपता प्रमाणन का पुनर्विलोकन परीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति पर की जायेगी;
- ii) I) ब्यूरो उत्पादन प्रक्रिया और उत्पाद के परिक्षण का सत्यापन करने के लिए कारखाना के दौरों की व्यवस्था करेगा।
- II) अनुरूपता प्रमाणपत्र कारखाना में नमूनों के परीक्षण के आधार पर अनुदत्त किया जाएगा;
- छ) विदेशी विनिर्माताओं के मामले में, भारत में रहने वाले प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि का इस स्कीम के साथ उपाबंध प्ररूप-VI में नाम विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (2) निर्धारण – (क) ब्यूरो आवेदन प्राप्ति पर परीक्षा करेगा कि आवेदन पत्र के साथ सभी अपेक्षित दस्तावेज जमा किये गये हैं।
- (ख) खंड (क) के अधीन यदि आवेदन पत्र पूर्ण है, तो ब्यूरो आवेदक के साथ परामर्श करके कारखाना के दौरे की तारीख निश्चित करेगा;
- (ग) कारखाना दौरे के दौरान, ब्यूरो द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप किए जाएंगे, अर्थात्:-
- i) विनिर्माणकर्ता द्वारा जमा दस्तावेजों का सत्यापन;
 - ii) निरीक्षण और परीक्षण योजना की पर्याप्तता संबंधी चर्चा;
 - iii) निरीक्षण और परीक्षण योजना में यथा प्रस्तावित विभिन्न चरणों पर अभ्यस्थ के स्तरों सहित कारखाना नक्शा और निर्माण प्रक्रिया का सत्यापन;
 - iv) विनिर्माण मशीनरी और परीक्षण उपस्कर, गुणता नियंत्रण प्रभारी व्यक्ति(यों) की दक्षता, भंडारण सुविधा और आरोग्य संबंधी व्यवस्थायें, यदि लागू हो, सहित उपलब्ध ढांचागत सुविधाओं का सत्यापन;
 - v) परीक्षण उपस्कर की अंशाकन प्रास्थिति का सत्यापन;
 - vi) मानक(कों) या उसके भाग में दी गई विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं या आवश्यक अपेक्षाओं का परीक्षण।
 - vii) उप-पैरा (1) के खंड (ङ) के उप-खंड (i) या अन्यथा, यथा अपेक्षित, मामले में तृतीय पक्षकार प्रयोगशाला परीक्षण हेतु नमूने लेना।
- (घ) उप-पैरा (1) के खंड (ङ) के उप-खंड (i) के अनुसार अनुरूपता प्रमाणपत्र अनुदत्त किये जाने के मामले में ऐसी अपेक्षाओं का परीक्षण किया जाएगा, जिसके लिए परीक्षण सुविधायें किसी भी तृतीय पक्षकार प्रयोगशाला में उपलब्ध नहीं हैं;
- (ङ) उप-पैरा (1) के खंड (ङ) के उप-खंड (ii) के अनुसार अनुरूपता प्रमाणपत्र अनुदत्त किया जाता है, तो पूर्ण कारखाने का परीक्षण किया जाएगा;
- च) आरम्भिक निरीक्षण के दौरान पाई गई किसी अपर्याप्तता/कमी इस स्कीम के साथ संलग्न प्ररूप-VII में विनिर्माताओं को लिखित में संसूचित की जायेगी।
- (3) पुनर्विलोकन- (क) पैरा 3 के उप-पैरा (2) के खंड (ग) के अधीन कारखाना दौरों की रिपोर्ट का निर्दिष्ट कार्यकलापों के आधार पर पुनर्विलोकन किया जायेगा।
- (ख) उत्पाद के परीक्षण परिणामों की सटीकता और मानक या उसके भाग में दी गई विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं से अनुरूपता का पुनर्विलोकन किया जायेगा।

(4) निर्णय अनुरूपता प्रमाणपत्र अनुदत्त करने संबंधी निर्णय तब लिया जायेगा, जब व्यूरो संतुष्ट हो कि विनिर्माणकर्ता के पास निरंतर आधार पर विनिर्माण गुणता उत्पादों के लिए आवश्यक ढांचा और विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार उत्पाद की अनुरूपता के परीक्षण परिणाम उपलब्ध हैं।

(5) अनुप्रमाणन- (क) व्यूरो अनुरूपता प्रमाणपत्र का विषय क्षेत्र, अनुरूपता प्रमाणपत्र की संख्या, विनिर्माणकर्ता का पता तथा अनुरूपता प्रमाणपत्र की विधिमान्यता उपदर्शित करते हुए इस स्कीम के साथ उपाबंध प्ररूप-VIII में अनुरूपता प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(छ) विदेशी विनिर्माताओं के मामले में व्यूरो एक सौ रूपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुरूपता प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए करार और सम्यक रूप से निष्पादित क्षतिपूर्ति बंधपत्र, विदेशी विनिर्माता या उसके प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि, यथा स्थिति, द्वारा जमा किया जाएगा।

(ग) विदेशी विनिर्माता भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित भारत में शाखा वाले किसी भी बैंक द्वारा जारी दस हजार यूएस डॉलर की एक संपादन बैंक गारंटी (फीबीजी) जमा की जायेगी।

(6) निगरानी: (क) व्यूरो प्रमाणपत्र धारक के परिसर में पूर्व सूचना देकर या पूर्व सूचना दिए विना निगरानी कर सकेगा;

(छ) निरीक्षण करने की आवश्यकता उत्पाद से जुड़े जोखिम को ध्यान में रखकर की जायेगी और ऐसे निरीक्षणों में पाई गई भिन्नता को इस स्कीम से उपाबंध प्ररूप-VII में अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक को संसूचित किया जायेगा;

(ग) व्यूरो परीक्षण हेतु निरीक्षण के दौरान नमूने ले सकेगा;

(घ) व्यूरो बाजार से नमूने ले सकेगा और परीक्षण अनुरोध के साथ तीसरे पक्षकार की प्रयोगशाला को परीक्षण हेतु नमूने भेज सकेगा तथा यदि बाजार से नमूने लेना किसी भी कारण से संभव नहीं हो, तो नमूने प्रेषण-बिंदु से लिये जा सकेंगे;

(ङ) जब प्रेषण-बिंदु से भी नमूने लेना संभव न हो तो अधिमान्यतः संगठित क्रेताओं से फीडबैक ली जायेगी।

शिकायत

4. (1) व्यूरो, अनुरूपता प्रमाणपत्र के अंतर्गत आने वाले उत्पाद की गुणता संबंधी प्राप्त किसी शिकायत को अभिप्राप्त करेगा तथा उसका अन्वेषण करेगा।

(2) शिकायत समापन करने की कार्रवाई 90 दिनों के भीतर, परीक्षण के समय को छोड़कर, जहाँ उत्पाद का परीक्षण अन्तर्वलित है, पूरी की जायेगी।

फीस

5. (1) आवेदन फीस और नवीकरण आवेदन प्रत्येक एक हजार रूपये होगी।

(2) अनुरूपता प्रमाणपत्र के प्रयोग हेतु वार्षिक अनुरूपता प्रमाणपत्र फीस का अग्रिम रूप से भुगतान किया जायेगा, जो बड़े उद्योगों हेतु पचास हजार रूपये प्रति वर्ष होगा:

परंतु, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को बीस प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

स्पष्टीकरण- इस परंतुक के प्रयोजन के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का वही अर्थ होंगे, जो उनके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (2006 का 27) में हैं।

(3) यदि अनुरूपता प्रमाणपत्र रद्द किया जाता है तो वार्षिक अनुरूपता प्रमाणपत्र फीस वापस नहीं लौटाई जायेगी।

(4) कार्यक्षेत्र के विस्तार के मामले में, पाँच हजार रूपये की राशि, प्रति पृष्ठांकन प्रभार्य होगी।

(5) निगरानी निरीक्षण या शिकायत अन्वेषण हेतु किये गये निरीक्षण से भिन्न किसी भी प्रकार के निरीक्षण के लिए आवेदक से सात हजार रूपये प्रति दिन निरीक्षण फीस ली जायेगी;

(6) निगरानी या शिकायत अन्वेषण हेतु लिए गये नमूनों के परीक्षण फीस और नमूनों की लागत आवेदक या अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक द्वारा वहन की जायेगी।

लेबलिंग और चिन्हांकन अपेक्षायें

- 6 (1) प्रत्येक उत्पाद या पैकेज, यथा स्थिति, अनुरूपता प्रमाणपत्र संख्या के साथ चिन्हांकित किया जाएगा।
- (2) मानक की अपेक्षाओं के अनुसार, उत्पाद व्यौरे, जिसमें किस्में, लॉट या बैच संख्या, विनिर्माण की तारीख या सप्ताह, विनिर्माता का पूरा पता सम्मिलित हो सकेगा और उत्पाद या पैकेजिंग पर विनिर्हित होगा या उत्पाद से संलग्न लेबल में अंतर्विष्ट होगा।
- (3) चिन्हांकन व्यौरे में व्यूरो की वेबसाइट का अंतर्विष्ट होगा, ताकि उपभोक्ता उत्पाद की प्रामाणिकता का सत्यापन कर सकें।
- (4) यदि अनुरूपता प्रमाणपत्र संख्या को वास्तविक रूप में उत्पाद या पैकेजिंग नहीं लगाया जा सकता है तो इसे परीक्षण प्रमाणपत्र पर दिया जायेगा।
- (5) किसी भी विनिर्दिष्ट उत्पाद हेतु, अतिरिक्त लेबलिंग और चिन्हांकन अपेक्षायें व्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी, जिनका प्रमाणपत्र धारक अनुपालन करेगा।

अनुरूपता प्रमाणपत्र की शर्तें

7 अनुरूपता प्रमाणपत्र की शर्तें इन विनियमों के विनियम 14 के उपबंधों के अनुसार होंगी।

अनुरूपता प्रमाणपत्र की विविधमान्यता

8. (1) अनुरूपता प्रमाणपत्र, प्रारंभ में अवधि, जो एक वर्ष से कम की न हो और अधिकतम दो वर्षों तक के लिए दिया जाएगा।
- 2) अनुरूपता प्रमाणपत्र का नवीकरण एक वर्ष की अवधि और अधिकतम पाँच वर्ष तक के लिए किया जा सकता है।

अनुरूपता प्रमाणपत्र का नवीकरण

- 9.(1) अनुरूपता प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन इस स्कीम के साथ उपाबद्ध प्ररूप-XI में अनुरूपता प्रमाणपत्र की समाप्ति के तीन मास पूर्व आवेदन किया जाएगा।
- (2)व्यूरो, इस स्कीम से उपाबद्ध प्ररूप-X में अनुरूपता प्रमाणपत्र को नवीकृत करेगा।
- (3)अनुरूपता प्रमाणपत्र का नवीकरण इन विनियमों के विनियम 16 के अनुसार किया जायेगा।

अनुरूपता प्रमाणपत्र के विषय क्षेत्र में परिवर्तन

10. (1) अनुरूपता प्रमाणपत्र के विषय क्षेत्र में परिवर्तन के लिए व्यूरो को प्ररूप-XI में पैरा 5 के उप-पैरा (4)में विनिर्हित फीस के साथ किया जाएगा।
- (2)अनुरूपता प्रमाणपत्र के विषय क्षेत्र में विस्तार हेतु, आवेदन या तो तीसरी पक्ष की प्रयोगशाला द्वारा जारी उत्पाद परीक्षण रिपोर्ट या व्यूरो को उत्पाद परीक्षण हेतु नमूने लेने के अनुरोध के साथ किया जाएगा।
- (3)व्यूरो, प्ररूप-XII में अनुरूपता प्रमाणपत्र के विषय क्षेत्र में परिवर्तन करेगा।

निलम्बन

11. (1) यदि किसी भी समय अनुरूपता प्रमाणपत्र के अंतर्गत आने वाले उत्पादों की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की अपर्याप्ति बनाए रखने में कठिनाई होती है या कोई भी परीक्षण उपस्कर खराब हो जाता है या प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, आग, भूकम्प, प्रवंध द्वारा घोषित तालेबंदी या एक सक्षम न्यायालय या कानूनी प्राधिकारी द्वारा निदेशित संचालन के समाप्त के कारण होता है, अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक अपने प्रमाणपत्र का स्वतः निलम्बन करेगा एवं व्यूरो को सूचित करेगा;

(2) जैसे ही कमियों को हटा दिया जाता है, निलम्बन को वापस किया जा सकता है और इसकी जानकारी व्यूरो को तुरंत ऐसी वापसी की तारीख से सात दिनों के अपश्चात भेजी जायेगी।

(3) अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक स्वयं नये परिसर में विनिर्माण इकाई को ले जाने पर व्यूरो को सूचित करते हुये उसका प्रयोग स्वयं निलंबित करेगा।

(4) व्यूरो द्वारा पुराने परिसरों के सत्यापन और नये परिसरों पर उत्पादन प्रक्रिया के सत्यापन के पश्चात निलम्बन की वापसी की जा सकेगी।

(5) (क) व्यूरो, अनुरूपता प्रमाणपत्र को निलंबित कर सकेगा और किसी भी समय इसके प्रयोग को रोकने के लिए अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक को निर्देश दे सकेगा। यदि किसी भी समय, अनुरूपता के अंतर्गत आने वाले प्रमाणपत्र में दी गई विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के गैर-अनुरूपता का पर्याप्त साक्ष्य है, ऐसे किसी साक्ष्य में निम्नलिखित में कोई एक या अधिक सम्मिलित हो सकता है, किन्तु यह निम्नलिखित तक सीमित नहीं है, अर्थात्:

- (i) उत्पाद की लगातार गैर-अनुरूपता को उपदर्शित हुए परीक्षण रिपोर्ट;
- (ii) विनिर्माता की निरीक्षण और परीक्षण योजना के कार्यन्वयन में मुख्य त्रुटियों का पाया जाना;
- (iii) व्यूरो के पूर्व मूल्यांकन के बिना विनिर्माण प्रक्रिया में प्रमुख संशोधन;
- (iv) बिना सूचना के नये पते पर विनिर्माण इकाई को ले जाना;
- (v) बिना सूचना के छह मास से अधिक के लिए विनिर्माण इकाई को बंद रखना;
- (vi) समय समय पर व्यूरो द्वारा जारी निर्देशों का गैर अनुपालन।

(ख) अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक जिसका अनुरूपता प्रमाणपत्र निलंबन के अधीन रखा गया हो,

प्रमाणपत्र का उपयोग तथा प्रमाणपत्र के अंतर्गत आने वाले उत्पादों का प्रेषण बंद कर देगा और व्यूरो को इस संबंध में तुरंत पुष्टि देगा।

ग) व्यूरो, सुधारात्मक कार्रवाईयों के सत्यापन के लिए कारखाना का दौरा कर सकेगा और स्वयं की संतुष्टि के बाद निलंबन को खत्म करने की अनुमति दे सकेगा :

- (i) सुधारात्मक कार्रवाई कर ली गई है, और
- (ii) विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप उत्पाद की अनुरूपता का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध करा दिया है।

(6) व्यूरो, इक्कीस दिनों का नोटिस जारी करके अनुरूपता प्रमाणपत्र का निलंबन कर सकेगा और जब आवेदक द्वारा अपेक्षित फीस प्रदत्त न की गई हो, तो अनुरूपता प्रमाणपत्र के प्रयोग को रोकने के लिए धारक को निर्देश दे सकेगा।

7. व्यूरो, बकाया देय प्राप्त होने पर उप पैरा (6) के अधीन जारी निलंबन को रद्द कर सकेगा।

अनुरूपता प्रमाणपत्र को रद्द करना

12. व्यूरो, इन विनियमों के विनियम 19 के अनुसार अनुरूपता प्रमाणपत्र रद्द कर सकेगा।

प्रृष्ठ - I

(स्कीम IV के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के खंड (क) का उपखण्ड (ii) देखिए)

विनिर्माण मशीनरी सम्बन्धी घोषणा

कोई प्रविष्टि काटी न जाए

1. अनुरूपता आवेदन/प्रमाणपत्र संख्या :

2. नाम/पता :

क्र.सं.	मशीनरी	मेक/पहचान सं	प्रतिदिन उत्पादन क्षमता, यदि लागू हो	संख्या	टिप्पणी

टिप्पणी: यदि अपेक्षित हो, तो अतिरिक्त पन्ना संलग्न करें।

मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए व्यौरे वाली मशीनरी हमारे पास उपलब्ध है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि जब भी किसी कारणवश कोई मशीनरी उपलब्ध नहीं होती है, तो मैं भारतीय मानक व्यूरो को पूर्व सूचना भेज़ूँगा।

फर्म के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर :

नाम

पदनाम

तारीख

* यदि विनिर्माण गतिविधि का कोई भाग आउटसोर्स किया जाता है तो आउटसोर्स गतिविधि हेतु प्रयुक्त मशीनरी के व्यौरे आउटसोर्स परिसर के पूरे पते के साथ अलग प्ररूप में दर्शित किए जायेंगे।

मैंने अपने निरीक्षण के दौरान उपरोक्त उल्लिखित मशीनरी की उपलब्धता का सत्यापन किया है।

भारतीय मानक व्यूरो के प्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर :

नाम -

पदनाम -

सत्यापन तारीख -

प्रृष्ठ - II

(स्कीम IV के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के खंड (क) का उपखण्ड (iii) देखिए)

परीक्षण उपस्कर सम्बन्धी घोषणा

कोई प्रविष्टि काटी न जाए

1. अनुरूपता आवेदन/प्रमाणपत्र संख्या :

2. नाम/पता :

क्र. सं.	परीक्षण उपस्कर/ रसायन और पहचान संख्याक (जहाँ लागू हो)	न्यूनतम गणना और रेंज (जहाँ लागू हो)	विधिमान्य अंशांकन (जहाँ अपेक्षित हो) हाँ/नहीं	प्रयुक्त परीक्षण का खंड सन्दर्भ	टिप्पणियां (उपस्करों की संख्या उपदर्शित करें।)

नोट: यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना संलग्न करें।

<p>मैं घोषणा करता हूँ कि परीक्षण करने वाले उपस्कर जिनके ब्यौरे ऊपर दिए गए हैं हमारे पास उपलब्ध हैं। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि जब भी किसी कारण से कोई परीक्षण उपस्कर उपलब्ध नहीं हुए, तो मैं भारतीय मानक ब्यूरो के पास पूर्व सूचना भेजूँगा।</p> <p>फर्म के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर : _____</p> <p>नाम पदनाम तारीख</p>	<p>मैंने अपने निरीक्षण के दौरान उपरोक्त उल्लिखित परीक्षण करने वाले उपस्कर की उपलब्धता का सत्यापन किया है। भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर :</p> <p>नाम पदनाम सत्यापन तारीख</p>
--	--

प्ररूप-III

स्कीम IV के पैरा (3) के उप-पैरा (1) का खंड (अ) वेखिए

निरीक्षण और परीक्षण स्कीम (एसआईटी)

आवेदक/प्रमाणपत्र धारक का नाम: मैं 0

आवेदन/ अनुरूपता प्रमाणपत्र संख्या :

आवेदक/प्रमाणपत्र धारक का पता :

आवश्यक अपेक्षाएँ :

उत्पाद-----

एसआईटी सं0-----

परीक्षण ब्यौरे			नियंत्रण का स्तर*			टिप्पणियाँ
क्रम सं.	अपेक्षाएँ	परीक्षण पद्धति	नमूनों की संख्या	लौट साईज	आवर्ती	
		खंड				

टिप्पण : यदि अपेक्षित हो, तो अतिरिक्त पन्ना संलग्न करें।

* नियंत्रण का स्तर से उपरोक्त सारणी में उल्लिखित निरीक्षण और परीक्षण अभिप्रेत हैं जो ऐसे सभी उत्पादों की मात्राओं पर जो स्कीम-IV में भारतीय मानक ब्यूरो के अधीन उत्पाद प्रमाणन के लिए प्रस्तावित हैं, पर किए जाएंगे और समुचित रिकार्ड रखे जाएंगे।

फर्म की मुहर

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
तारीख

प्ररूप-IV**(स्कीम-IV के पैरा 3 के उप-पैरा (1) का खंड ((इ) देखिए)**
परीक्षण रिपोर्ट

आवेदक/प्रमाणपत्र धारक का नामः मै0 :

आवेदन/ अनुरूपता प्रमाणपत्र संख्या :

अनुरूपता प्रमाणपत्र
की विधिमान्यता....., तक

आवेदक/प्रमाणपत्र धारक का पता :

उत्पाद :

श्रेणी/प्रकार/किस्म/वर्ग आदि

घोषित मान, यदि कोई हो

खेप/लॉट सं0

क्रम सं. :

विनिर्माण की तारीख :

अन्य कोई जानकारी :

परीक्षण आरम्भ करने की तारीख :

परीक्षण पूरा करने की तारीख :

क्रम सं.	परीक्षण	खंड/ आवश्यक अपेक्षा, यथा लागू	संदर्भ	विनिर्दिष्ट अपेक्षा	संप्रेषण	टिप्पणियां

टिप्पण : यदि अपेक्षित हो, तो अतिरिक्त पन्ना संलग्न करें।

ऊपर उल्लिखित नमूने हमारे परिसर में विनिर्मित और परीक्षित, मानक(कों)/मानक(कों) की अपेक्षाओं की अनुरूपता वाले/गैर-अनुरूपता वाले हैं।

फर्म की मुहर

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

तारीख

प्ररूप-V**(स्कीम-IV के पैरा (3) के उप-पैरा (1) का खंड ((च) देखिए)****भारतीय मानक ब्यूरो****उत्पाद प्रमाणन स्कीम****अनुरूपता प्रमाणपत्र अभिप्राप्ति के लिए आवेदन**

फर्म का पूरा नाम

पता			
-----	--	--	--

कार्यालय

ग्राम/शहर	जिला	राज्य	देश
-----------	------	-------	-----

दूरभाष

फैक्स

पता			
कार्यालय			
ग्राम/शहर	जिला	राज्य	देश
		पिनकोड	ई-मेल

पता				
कारखाना			दूरभाष	
ग्राम/शहर	जिला	राज्य	देश	फँक्स
				ई-मेल

नाम	पदनाम	नाम	पदनाम
प्रबंधन	1 2 3	गुणता नियंत्रण प्रभारी	1 2 3 4
संपर्क व्यक्ति	नाम	दूरभाष	ई-मेल

स्तर	वडा	पत्राचार का पता	<u>कार्यालय</u>	सेक्टर
लोक			कारखाना	
एमएसएमई				
प्राईवेट				
<hr/>				

यह आवेदन अनुरूपता प्रमाणपत्र की अभिप्राप्ति के लिए किया जा रहा है।		
उत्पाद :		
विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं	अपेक्षाएं	संदर्भ

उत्पादन की इकाई	वर्तमान संस्थापित क्षमता	मात्रा	मूल्य (₹)

फर्म के व्यौरे	रकम (रु.)	बीजक संख्या तारीख के साथ

फर्म की मुद्रा



फर्म का स्थाई खाता सं.

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

आवेदन की तारीख

डी आई एन सं. (निदेशक के मामले में)

स्थ. खा. सं. (अन्य मामलों में)

महत्वपूर्ण : आवेदन फर्म के मु.का.अ. (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) या उसकी अनुपस्थिति में प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

निम्नलिखित दस्तावेजों की उपलब्धता उपदर्शित करें:
ये दस्तावेज आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं

क्रम संख्या	दस्तावेज	हाँ/नहीं/लागू नहीं होता
1	कारखाना का नाम और पते का सबूत (फर्म रजिस्ट्रार से प्रमाणपत्र या उद्घोग निदेशालय से प्रमाणपत्र या औद्योगिक केन्द्र का प्रमाणपत्र अनुच्छेद ज्ञापन या विधिमान्य पट्टा विलेख, परिसर में फर्म का कानूनी अधिभोग दर्शित करने वाला आदि)	
2	विधिमान्य एमएसएमई प्रमाणपत्र, यदि लागू है	
3	प्राधिकृत प्रतिनिधि पत्र, आवेदन मु.का.अ. के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के मामले में	
4	विनिर्माण प्रक्रिया प्रवाह चार्ट	
5	विनिर्माण मशीनरी सूची	
6	क्या, किसी विनिर्माणकारी प्रचालन को आउटसोर्स किया गया है	
7	विनिर्माणकारी प्रचालन के आउटसोर्सिंग का करार यदि लागू है	
8	परीक्षण उपस्कर सूची	
9	कारखाना के बाहर परीक्षण व्यवस्था	
10	परीक्षण उपस्कर का विधिमान्य अंशाकन प्रमाणपत्र	
11	आंतरिक परीक्षण रिपोर्ट	
12	तृतीय पक्ष प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट, यदि लागू हो	

टिप्पण : अधिक व्यौरों के लिए कृपया हमारी बीआईएस वेबसाइट [/https://www.bis.gov.in/](https://www.bis.gov.in) देखें।

प्ररूप-VI

(स्कीम-IV के पैरा (3) के उप-पैरा (1) का खंड (छ) देखिए)

विनिर्माताओं द्वारा नामांकन हेतु प्ररूप

सेवा में,

महानिदेशक,

भारतीय मानक ब्यूरो,

9, बहादुरशाह जफर मार्ग,

नई दिल्ली - 110002

विषय : प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि का नामांकन।

महोदय/महोदया,

भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की स्कीम-IV के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के खंड (छ) के निबंधानसार, हम, मै0-----, विनिर्माता श्री/श्रीमती ----- सुपुत्र/सुपुत्री ----- निवासी ----- भारत को अपना प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि के रूप में नाम निर्दिष्ट एवं नियुक्त करते हैं।

श्री/श्रीमती-----, अनुरूपता प्रमाणपत्र की शर्तों और निबंधनों के अनुपालनार्थ भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) नियम, 2018 की स्कीम IV के पैरा 3 के उप-पैरा (1)के खंड (छ) के अधीन तथा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016, नियम और विनियम के उपबंधों के भी अधीन हमारी ओर से कृत और जिम्मेदार व्यक्ति रहेंगे। प्ररूप पर अनुरूपता प्रमाणपत्र की शर्तों और निबंधनों की सहमति पुष्टि के सांकेतिक हस्ताक्षर भी हैं। कृपया यह सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि के पक्ष में नामांकन भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) नियम 2018 की स्कीम IV के पैरा के उप-पैरा (1) के खंड (छ) की शर्तों के अनुसार उनके स्थान पर जब तक कोई अन्य व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाता है। तब तक इस अनुरूपता प्रमाणन के प्रयोजन के लिए बना रहेगा।

भवदीय,

प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

नाम : :

नाम:

पदनाम :

पदनाम :

सम्पर्क विवरण:

सम्पर्क विवरण:

मो0 न0:

मो0 न0:

₹0 मेल:

₹0 मेल:

पूर्ण डाक पता:

तारीख:

मुहर:

प्ररूप-VI

(स्कीम-IV के पैरा 3 के उप-पैरा 2 का खंड (ब) देखिए)

भारतीय मानक ब्यूरो**शाखा कार्यालय**

(विसंगति-सह-परामर्श रिपोर्ट)

आवेदक/प्रमाणपत्र धारक का नाम : मैं.

आवेदन/ अनुरूपता प्रमाणपत्र की संख्या

अनुरूपता प्रमाणपत्र की विधिमान्यता.....तक है

दौरों की प्रकृति

उत्पाद

(सत्यापन/निगरानी अन्य)

दौरों की तारीख

क्रमांक	विसंगति/दिया गया परामर्श	आवश्यक अपेक्षायें या अन्य कोई संदर्भ

टीका/सहमत कार्रवाई (प्रमाणपत्र धारक/आवेदक द्वारा)

मैंने इस रिपोर्ट की विषयवस्तु को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है।	I) मैंने इस रिपोर्ट की विषयवस्तु को पूरी तरह समझ लिया है।
	II) विसंगति और सलाह पर कार्रवाईयों की पुष्टि भारतीय मानक ब्यूरो को ----- दिनों के भीतर की जाएगी।

हस्ताक्षर :

नाम:

पदनाम :

(भारतीय मानक ब्यूरो के प्रतिनिधि)

हस्ताक्षर :

नाम:

पदनाम :

(फर्म के प्रतिनिधि)

टिप्पणी: यह परामर्श दिया जाता है कि फर्म इस रिपोर्ट को अनुरूपता प्रमाणपत्र की फाइल में आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई और भविष्य के संदर्भ हेतु संलग्न करें।

प्ररूप-VII

(स्कीम-IV के पैरा 3 के उप-पैरा 5 का खंड (क) देखिए)

भारतीय मानक ब्यूरो**अनुरूपता प्रमाणपत्र****अनुरूपता प्रमाणपत्र सं. :**

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 (2016 के 11) द्वारा इस पर प्रदत्त शक्तियों के आधार पर ब्यूरो अनुदत्त करता है:

मैं. -----

(जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रमाणपत्र धारक कहा है) को यह प्रमाणपत्र, जो कि यहाँ पर दी गई अनुसूची के प्रथम स्तम्भ में निर्दिष्ट उत्पाद हेतु तथा द्वितीय स्तम्भ में निर्दिष्ट विषयक्षेत्र के लिए हैं, जो समय समय पर संशोधित या पुनरीक्षित यथा उक्त अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में से संदर्भित विशेष अपेक्षा/ओं के अनुरूप/अनुसार विनिर्मित हों।

2. इस अनुरूपता प्रमाणपत्र की शर्तों के रूप में प्रमाणपत्र धारक की बाध्यताएँ इससे उपाबद्ध उपाबंध पर दी गई हैं। यह प्रमाणपत्र अनुसूची में उल्लिखित नाम, कारखाना पता तथा अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा और स्कीम में यथाविहित नवीकृत किया जा सकेगा।

अनुसूची

(अनुरूपता प्रमाणपत्र सं. -----)

नाम

कारखाना पता

विधिमान्यता ----- से ----- तक

उत्पाद	अनुरूपता प्रमाणपत्र का विषयक्षेत्र
(1)	(2)

आज तारीख ----- के ----- मास के..... वर्ष ----- को हस्ताक्षरित, मुद्रांकित किया गया।

कृते भारतीय मानक व्यूरो
पदाभिहित अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

उपाबंध

(अनुरूपता प्रमाणपत्र की सं. -----)

अनुरूपता प्रमाणपत्र की शर्तें

1. अनुरूपता प्रमाणपत्र का धारक विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार माल, वस्तुओं, प्रक्रिया, पद्धति या सेवा में अनुरूपता के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसके संबंध में अनुरूपता प्रमाणपत्र जारी किया गया है।
2. अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक गैर-अनुरूपता या अनुरूपता प्रमाणपत्र के विषयक्षेत्र से बाहर के मालों, वस्तुओं, प्रक्रिया, पद्धति या सेवा के संबंध में अनुरूपता प्रमाणपत्र का प्रयोग नहीं करेगा।
3. अनुरूपता प्रमाणपत्र का प्रयोग आस्थगन या निलंबन के दौरान या समाप्ति या रद्दीकरण के बाद किसी भी माल, सामानों, प्रक्रिया, पद्धति या सेवा के संबंध में नहीं किया जायेगा।
4. अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक को उस अनुरूपता मूल्यांकन स्कीम के उपबंधों का पालन करना होगा, जिसके अधीन उसे प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, जिसमें लेबलिंग और मुहरांकन अपेक्षाएँ भी हैं।
5. यथा विनिर्दिष्ट व्यूरो द्वारा निर्दिष्ट रिकार्ड को अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक बनाए रखेगा।
6. अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक अपने परिसरों में निरीक्षण या लेखापरीक्षा करने से संबंधित सभी प्रकार की सहायता व्यूरो को उपलब्ध करायेगा।
7. अनुरूपता प्रमाणपत्र के अधीन आने वाले उत्पादन से संबद्ध जानकारी उपलब्ध करायेगा।
8. यदि मालों या वस्तुओं से संबंधित अनुरूपता प्रमाणपत्र अनुदत्त किया जाता है तो अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक पारेपिती, वितरकों, व्योहारी या खुदरा व्यापारी, जिन्हें प्रमाणित माल या वस्तु की आपूर्ति की जाती है, की सूची उपलब्ध करायेगा।
9. व्यूरो की पूर्व अनुमति के बिना अनुरूपता प्रमाणपत्र को किसी व्यक्ति को स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

10. यदि अनुरूपता प्रमाणपत्र के अधीन आने वाले किसी भी माल, वस्तुओं, प्रक्रिया, पद्धति या सेवा की गुणता संबंधी कोई शिकायत सिद्ध होती है, तो अनुरूपता प्रमाणपत्र के धारक उपयुक्त सुधारात्मक कार्यवाहियाँ करेगा, ताकि भविष्य में ऐसी शिकायतों की पुनरावर्ती न हो।
11. ब्यूरो अनुरूपता प्रमाणपत्र के धारक को कम से कम एक मास का नोटिस देकर अनुरूपता प्रमाणपत्र की शर्तों में संशोधन करने का अधिकार रखता है।

प्ररूप-IX

(स्कीम IV के पैरा 9 के उपन्यैरा (1) को देखिए)

अनुरूपता प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन

प्रमुख.....शाखा कार्यालय

भारतीय मानक ब्यूरो

महोदय/महोदया,

मैं / हम पर कारबार कर रहे हैं (कारबाना और कार्यालय का पूरा पता) समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अधीन विरचित नियमों और विनियमों के अधीन ब्यूरो द्वारा अनुदत्त अनुरूपता प्रमाणपत्र सं..... का से और अवधि के लिए नवीकरण करने के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं। पूर्वोक्त प्रमाण पत्र में नियत शर्तें बही और समय-समय पर संशोधित होंगी।

2. प्रमाण पत्र के अधीन प्रभावित मालों के उत्पादन के ब्यौरे मु.का.अ./ हमारी कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत् प्रमाणित पृष्ठ के पिछली ओर निष्पादन रिपोर्ट में दिया गया है।

3. मैं/हम इसके साथ

निम्नलिखित देयों के लिए रु..... के लिए रसीद संख्या तारीख.....
संलग्न कर रहे हैं:

- i) नवीकरण आवेदन फीस रु.
- ii) वार्षिक अनुरूपता प्रमाण पत्र फीस रु. दर प्रति वर्ष
- iii) पिछला देय /अन्य फीस(भारतीय मानक ब्यूरो के नोटिस के अनुसार),
यदि कोई हो
- iv) कुल रकम रु.

हस्ताक्षर
तारीख

नाम

पदनाम

फर्म की मुद्रा
के लिए और उनकी ओर से

निष्पादन रिपोर्ट

(.....से.....तक की अवधि की रिपोर्ट)

उत्पाद का नाम

अनुरूपता प्रमाण पत्र सं.-

1. वस्तु(ओं) का कुल उत्पादन
2. अनुरूपता प्रमाण पत्र के अधीन आने वाला उत्पादन और इसका अनुमानित मूल्य
 - 2.1 मात्रा.....
 - 2.2 मूल्य(रु.).....
3. अनुरूपता प्रमाण पत्र के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली मात्रा, यदि कोई हो और सम्मिलित न करने का कारण।
4. अनुरूपता प्रमाण पत्र के अधीन आने वाले सभी माल क्रेताओं का नाम और पता जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार/राज्य सरकार मंत्रालय/विभाग/उपक्रम इत्यादि (यदि लागू हो) भी हैं।
5. उल्लिखित अवधि के लिए मास-वार उत्पाद विवरण।

टिप्पण : यदि अपेक्षित हो, पृथक पन्ना संलग्न करें।

निष्पादन रिपोर्ट

(.....से.....तक की अवधि की रिपोर्ट)

उत्पाद का नाम

अनुरूपता प्रमाण पत्र सं.-

1. वस्तु(ओं) का कुल उत्पादन
2. अनुरूपता प्रमाण पत्र के अधीन आने वाला उत्पादन और इसका अनुमानित मूल्य
 - 2.1 मात्रा.....
 - 2.2 मूल्य(रु.).....
3. अनुरूपता प्रमाण पत्र के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली मात्रा, यदि कोई हो और सम्मिलित न करने का कारण।
4. अनुरूपता प्रमाण पत्र के अधीन आने वाले सभी माल क्रेताओं का नाम और पता जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार/राज्य सरकार मंत्रालय/विभाग/उपक्रम इत्यादि (यदि लागू हो) भी हैं।
5. उल्लिखित अवधि के लिए मास-वार उत्पाद विवरण।

टिप्पण : यदि अपेक्षित हो, पृथक पन्ना संलग्न करें।

प्ररूप-X**(स्कीम 4 के पैरा 9 का उप-पैरा (2) देखें)**

अनुरूपता प्रमाण पत्र (सीओसी) सं.....का संलग्नक

अनुरूपता प्रमाण पत्र सं.	कारखाने के पते के साथ प्रमाण पत्र धारक का नाम	उत्पाद का नाम

पृष्ठांकन सं.....तारीख.....

जबकि, प्रमाणपत्र तक मान्य था,

* और, जबकि नवीकरण तक आस्थगित किया गया था और प्रमाणपत्र के धारक को से..... तक

प्रमाणपत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं भी,

अब, नवीकरण के परिणामस्वरूप, मूल प्रमाणपत्र /पृष्ठांकन संख्या..... की अनुसूची में दिए गए प्रमाणपत्र की वैधता ...
.....से तक बढ़ा दी गई है।

प्रमाणपत्र की अन्य शर्तें समान रहेंगी।

पदाभिहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(पदाभिहित प्राधिकारी का नाम)**प्ररूप-XI****(स्कीम 4 के पैरा 10 का उप-पैरा (1) देखें)**

अनुरूपता प्रमाण पत्र के विषय क्षेत्र में परिवर्तन के लिए आवेदन

प्रमुख.....शाखा कार्यालय

भारतीय मानक ब्यूरो

महोदय/महोदया,

मैं / हम पर कारबार कर रहे हैं (कारखाना और कार्यालय का पूरा पता) भारतीय मानक ब्यूरो
द्वारा दिए गए अनुरूपता प्रमाणपत्र सं.में नीचे उल्लिखित नई किस्मों/अपेक्षाओं(जैसा कि लागू है) को शामिल करने के
लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं।

2. उत्पाद शीर्षक

अनुरूपता प्रमाणपत्र का वर्तमान कार्य-क्षेत्र

अनुरूपता प्रमाणपत्र के कार्यक्षेत्र में वांछित वृद्धि/कमी

3. परीक्षण रिपोर्ट, संलग्न हां/नहीं/लागू नहीं होता

4. अतिरिक्त विनिमय मशीनरी और / या आवश्यक परीक्षण उपस्कर, यदि कोई हो,

5. मैं/हमने उपरोक्त आवेदन के लिए रु.....रसीद सं.....तारीख.....का भुगतान किया है।

हस्ताक्षर

तारीख

नाम

पदनाम

के लिए और उनकी ओर से

फर्म की मुहर

टिप्पण : यदि आवश्यकता हो, तो अलग पन्ना संलग्न करें।

प्ररूप-XII**(स्कीम 4 के पैरा 10 के उप-पैरा (3) को देखें)**

अनुरूपता प्रमाण पत्र (सीओसी) सं.....का संलग्नक

अनुरूपता प्रमाण पत्र सं.	कारखानों के पते के साथ प्रमाणपत्र धारक का नाम	उत्पाद का नाम

पृष्ठांकन सं.....तारीख.....

अनुरूपता प्रमाणपत्र के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित जोड़ना/घटाना व्यूरो द्वारा से अनुमोदित किया गया है।

उपरोक्त परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, अनुरूपता प्रमाणपत्र की अनुसूची में तालिका के कॉलम (2) में अनुरूपता प्रमाणपत्र के संशोधित कार्यक्षेत्र को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

प्रमाणपत्र की अन्य शर्तें समान रहेंगी।

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी का नाम)

स्कीम-V

किसी भी मानक के अनुसार वस्तुओं और सामग्रियों के लॉट या बैच के लिए अनुरूपता प्रमाणपत्र को देने के लिए अनुरूपता मूल्यांकन स्कीम (अनुसूची-I के अनुसार प्रकार 'ख' स्कीम के आधार पर)

विषय-क्षेत्र

1. (1) इस स्कीम के अंतर्गत प्रकार 'ख' पर आधारित, व्यूरो द्वारा अनुरूपता प्रमाणपत्र बैच के लिए व्यक्ति या वस्तुओं और सामग्रियों के लॉट के लिए दिया जा सकता है, जिसे बाद में उत्पाद के रूप में उल्लिखित किया जाता है, मानक या मानक के भाग में दी गई विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप या आवश्यक अपेक्षाएं, जैसा लागू हो।

(2) अनुरूपता प्रमाणपत्र इस स्कीम के पैरा 3 के अंतर्गत दी गई प्रक्रिया के अनुसार दिया जाएगा।

परिभाषा

2. (1)"तीसरा पक्ष प्रयोगशाला" का अर्थ व्यूरो या व्यूरो की कार्यकारी समिति द्वारा निर्णीत किसी अन्य प्रयोगशाला या व्यूरो द्वारा सूची में सम्मिलित व्यूरो या सरकारी प्रयोगशालाओं द्वारा प्राधिकृत, अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला है।

स्कीम की प्रक्रिया

3.(1) चयन - (क) व्यक्ति यह पहचान करेगा कि, -

(i) बैच या लॉट के उत्पाद या आकार की मात्रा और ऐसे उत्पाद पर लागू विनिर्दिष्ट अपेक्षा(एं) जिसके लिए वह अनुरूपता प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहता है;

(ii) स्थान जहां निरीक्षण के लिए बैच या लॉट दिए जाएंगे और ऐसे स्थान पर निरीक्षण करने के लिए अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता;

(iii) निर्माता की गुणता आश्वासन विभाग द्वारा जारी किए गए परीक्षण प्रमाणपत्र या रिपोर्ट;

(iv) तीसरे पक्ष की प्रयोगशाला द्वारा जारी पूर्ण परीक्षण रिपोर्ट, जो कि विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की उत्पाद की अनुरूपता उपलब्ध है;

- (v) प्रयोगशाला जहां विनिर्दिष्ट उत्पाद अपेक्षाओं के लिए परीक्षण किया जा सकता है;
- (छ) अनुरूपता प्रमाणपत्र देने के लिए आवेदन इसस्कीम के संलग्न फार्म-1 उप-पैरा (1) के उपखंड (क) के उपखंड (iv) के अंतर्गत परीक्षण रिपोर्ट या तीसरा पक्ष प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए लॉट या बैच से स्थान पर दौरे के दौरान ब्यूरो से नमूने लेने के अनुरोध के साथ में जमा किया जाएगा।
- (2) अवधारण : (क) आवेदन प्राप्त होने पर ब्यूरो यह जांच करेगा कि आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए गए हैं।
- (छ) यदि परीक्षण रिपोर्ट यह दर्शाती है कि आवेदन के साथ अनुरूपता संलग्न है, तो ब्यूरो आवेदक के परामर्श से उत्पाद के लॉट या बैच के जांच की तारीख को अंतिम रूप दे देगा।
- (ग) सत्यापन के निरीक्षण के दौरान, ब्यूरो निम्नलिखित उत्पादों की पुष्टि करेगा, अर्थात् :-
- (i) किस्मों / ग्रेड / प्रकार / आकार;
 - (ii) मात्रा / लॉट का आकार;
 - (iii) लॉट / बैच नंबर;
 - (iv) निर्माण का पूरा पता; तथा
- (v) निर्माण की तारीख या समाह
- (घ) यदि आवेदन तीसरे पक्ष की प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट के बिना जमा किया गया है, तब ब्यूरो प्रयोगशाला के नाम जहां विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का परीक्षण किया जा सकता है और पूर्ण परीक्षण के लिए प्रयोगशाला द्वारा अपेक्षित नमूना आकार का निर्धारण करेगा।
- (3) पुनर्विलोकन - (क) उप-पैराग्राफ (2) में दिए गए मापदंडों के संबंध में जांच रिपोर्ट की पूर्णता के लिए पुनर्विलोकन किया जाए।
- (छ) ब्यूरो द्वारा नमूने लिए जाने के मामले में, तीसरे पक्ष की प्रयोगशाला से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट को इसकी विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की अनुरूपता और यथार्थता का पुनर्विलोकन किया जाए।
- (4) निर्णयः ब्यूरो द्वारा जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों और विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार उत्पाद अनुरूपता के आधार पर अनुरूपता प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया जाए।
- (5) अनुप्रमाणन : (क) ब्यूरो इस स्कीम में संलग्न फार्म-II में अनुरूपता प्रमाण पत्र प्रदान करेगा जो अनुरूपता प्रमाण पत्र के विषय क्षेत्र को दर्शाता है जिसमें निर्दिष्ट अपेक्षाओं और अनुरूपता प्रमाण पत्र की संब्यांशामिल है।
- (छ) अनुरूपता प्रमाणपत्र एक बार दिए जाने वाला प्रमाणपत्र होगा और अनुरूपता प्रमाणपत्र का नवीकरण संभव नहीं है।

शिकायतें

4. (1) ब्यूरो अनुरूपता प्रमाणपत्र के अंतर्गत आने वाली उत्पाद की गुणता के बारे में प्राप्त किसी भी शिकायत को स्वीकार करेगा और जांच करेगा।
- (2) शिकायत समाप्त करने की कार्रवाई नब्बे दिनों के भीतर पूरी की जाएगी, परीक्षण के समय को छोड़कर, जहां उत्पाद का परीक्षण शामिल है।

शुल्क

- 5 (1) आवेदन के साथ एक हजार रुपए का फीस होगा।
- (2) निरीक्षण फीस अग्रिम में प्रति श्रम दिवस सात हजार रुपये प्रभारी होगा।
- (3) फीस लॉट या बैच के मूल्य का एक प्रतिशत होगा जो किप्रत्येक लॉट या बैच के लिए न्यूनतम दसहजार रुपए होगा और ब्यूरो को देय होगा, जो भी अधिक हो।

(4) यदि अनुरूपता प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाता है, तो कोई फीस वापस नहीं दिया जाएगा।

लेबलिंग और मुहरांकन अपेक्षाएं

6. (1) प्रत्येक उत्पाद या पैकेज या दोनों को अनुरूपता प्रमाणपत्र संख्या के साथ मुहरांकित किया जाएगा।
- (2) मानक की अपेक्षाओं के अनुसार उत्पाद विवरण, जिसमें लॉट या बैच संख्या, निर्माण की तारीख या समाह, निर्माता का पूरा पता शामिल हो सकता, जोकि उत्पाद या पैकेजिंग या उत्पाद के साथ लगे लेबल पर मुहरांकित होना चाहिए।
- (3) मुहरांकन विवरण में ब्यूरो की वेबसाइट का संदर्भ होना चाहिए, ताकि उपभोक्ता उत्पाद के प्रामाणिकता की पुष्टि कर सके।
- (4) यदि अनुरूपता प्रमाण पत्र उत्पाद या पैकेजिंग पर लागू नहीं किया जा सकता है, तो यह परीक्षण प्रमाण पत्र पर दिया जा सकता है।
- (5) किसी भी विनिर्दिष्ट उत्पाद के लिए, अतिरिक्त लेबलिंग और मुहरांकन संबंधी अपेक्षाओं को ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, जिसके अनुसार अनुरूपता प्रमाणपत्र के धारक को अनुपालन करना होगा।

अनुरूपता प्रमाण पत्र की शर्तें

7. अनुरूपता प्रमाण पत्र की शर्तें इन विनियमों के विनियम 14 में दी गई हैं।

अनुरूपता प्रमाण पत्र को रद्द करना

8. ब्यूरो अनुरूपता प्रमाण पत्र को इन विनियमों के विनियम 19 के अनुसार रद्द कर सकता है।

प्ररूप-1

(स्कीम-5 के पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (1) के (ख) खंड को देखें)

भारतीय मानक ब्यूरो

उत्पाद प्रमाणन स्कीम

अनुरूपता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन

व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम

पता				
टेलीफोन				
कार्यालय/आवास/कारखाना				
गांव/शहर	जिला	राज्य	देश	पिन कोड
				फैक्स
				ई-मेल

पता				
टेलीफोन				
पत्राचार का पता				
गांव/शहर	जिला	राज्य	देश	पिन कोड
				फैक्स
				ई-मेल

नाम	पदनाम		
प्रबंधन(यदि लागू हो)	1 2 3 4		
नाम	टेलीफोन	ई-मेल	
संपर्क व्यक्ति			
अनुरूपता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किया जा रहा आवेदन			
उत्पाद			
विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं	अपेक्षाएं	संदर्भ	
लॉट या बैच सं.	मात्रा	मूल्य (रु.)	

फीस का विवरण	राशि(रु.)	तारीख के साथ बीजक सं.

मुद्रा		हस्ताक्षर	
फर्म का पैन नं.		नाम	
		पदनाम	
		आवेदन की तारीख	
		डिआईएन नं.(निदेशक के मामले में)	
		पैन नं. (अन्य मामलों में)	

महत्वपूर्ण : आवेदन फर्म के व्यक्ति/सीईओ या इनकी अनुपस्थिति में प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए

निम्नलिखित दस्तावेजों की उपलब्धता इंगित करें।

क्रम. सं.	दस्तावेज	हाँ/नहीं/लागू नहीं
1	कार्यालय/आवास/कारखाने का नाम और पते का प्रमाण	
2	फर्म के सीईओ के अतिरिक्त व्यक्ति द्वारा आवेदन हस्ताक्षर करने के मामले में, प्राधिकृत प्रतिनिधि पत्र	
3	चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा दिए गए लॉट और बैच का थोक मूल्य और मात्रा का प्रमाण	
4	तृतीय पक्ष की प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट(ें), यदि लागू हो	

टिप्पणी : अधिक जानकारी के लिए कृपया आप हमारी वेबसाइट <http://www.bis.gov.in> देखें।

प्ररूप-॥

(स्कीम 5 के पैरा 3 के उप-पैरा (5) को देखें)

भारतीय मानक ब्यूरो

अनुरूपता का प्रमाणपत्र

अनुरूपता का प्रमाण पत्र सं. -

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर ब्यूरो एतद्वारा प्रदान करता है।

श्रीमान/श्रीमती/मैसर्स

(इसे आगे प्रामण पत्र धारक कहा गया है।) यह अनुरूपता प्रमाणपत्र इसके साथ संलग्न अनुसूची के प्रथम स्तम्भ में विनिर्दिष्ट या उक्त अनुसूची के दूसरे स्तम्भ में विनिर्दिष्ट विषय क्षेत्र के संदर्भ में उत्पाद, जो समय-समय पर संशोधित या पुनरीक्षित उक्त अनुसूची के दूसरे स्तम्भ में उल्लिखित विनिर्दिष्ट अपेक्षा(ओं) के अनुरूप निर्मित है।

2. यह अनुरूपता प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र धारक के हिस्से के संबंध में अनुरूपता प्रमाणपत्र की शर्तों के तहत दायित्व रखता है, जो यहाँ संलग्न किए गए अनुबंध में दिए गए हैं। यह प्रमाणपत्र सिर्फ अनुसूची में उल्लिखित नाम और पते के लिए वैध होगा।

अनुसूची

(अनुरूपता प्रमाण पत्र सं. -----)

नाम

पता

(1)	(2)
उत्पाद	अनुरूपता प्रमाण पत्र का विषय क्षेत्र

आज वर्ष.....के.....माह के.....के दिन हस्ताक्षरित, मुहरबंद किया गया।

भारतीय मानक ब्यूरो के लिए
नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

अनुबंध

(अनुरूपता प्रमाणपत्र से.....)

अनुरूपता प्रमाणपत्र की शर्तें

- (1) अनुरूपता प्रमाणपत्र का धारक वस्तु, सामान, प्रक्रिया, पद्धति या सेवा का विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप होने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके लिए अनुरूपता प्रमाणपत्र जारी किया गया है।
- (2) अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक वस्तु, सामान, प्रक्रिया, पद्धति या सेवा के संबंध में अनुरूपता प्रमाणपत्र का उपयोग नहीं करेगा, जो गैर-अनुरूप या अनुरूपता प्रमाणपत्र के विषय क्षेत्र से बाहर हैं।
- (3) अनुरूपता प्रमाण पत्र की निरस्ती या समाप्ति के पश्चात् या निलंबन या स्थगित करने के दौरान किसी भी वस्तु, सामान, प्रक्रिया, पद्धति या सेवा के संबंध में अनुरूपता प्रमाणपत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- (4) अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक लेबलिंग और मुहरांकन अपेक्षाएं समेत अनुरूपता मूल्यांकन स्कीम के प्रावधानों का अनुपालन करेगा, जिसके अंतर्गत अनुरूपता प्रमाणपत्र दिया गया है।
- (5) अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक व्यूरो द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट रिपोर्ट रिकॉर्ड का रखरखाव करेगा।
- (6) अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक अपने परिसर में निरीक्षण या लेखापरीक्षा करने के संबंध में व्यूरो को सभी सहायता प्रदान करेगा।
- (7) अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक अनुरूपता प्रमाणपत्र के अंतर्गत शामिल उत्पादन संबंधी सूचना जब व्यूरो द्वारा अपेक्षित होगी, तब प्रदान करनी होगी।
- (8) अगर अनुरूपता प्रमाणपत्र सामान या वस्तुओं के लिए प्रदान किया गया है, तो अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक को प्रेषितियों, वितरकों, विक्रेता या खुदरा विक्रेताओं की सूची प्रदान करेगा, जिसका अनुरूपता प्रमाणपत्र के तहत सामान या वस्तुओं की आपूर्ति की गई है।
- (9) व्यूरो के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी व्यक्ति को अनुरूपता प्रमाणपत्र स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
- (10) यदि अनुरूपता प्रमाण पत्र के अंतर्गत शामिल किसी भी वस्तु, सामान, प्रक्रिया, पद्धति या सेवा की गुणता के बारे में शिकायत मिलती है, तो अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक को उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी ताकि भविष्य में ऐसी शिकायतों की पुनरावृत्ति को खत्म किया जा सके।
- (11) व्यूरो को अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक को कम से कम एक महीने का नोटिस देकर अनुरूपता प्रमाण पत्र की किसी भी शर्त में संशोधन करने का अधिकार होगा।

स्कीम-VI

किसी भी मानक के अनुसार सेवाओं के लिए अनुरूपता प्रमाण पत्र देने के लिए अनुरूपता मूल्यांकन स्कीम (अनुसूची-I प्रकार 'च' के अनुसार स्कीम पर आधारित)

विषय क्षेत्र

1. (1) इस स्कीम के तहत जो प्रकार 'च' पर आधारित है, व्यूरो द्वारा किसी व्यक्ति या किसी संगठन को सेवा की अनुरूपता के प्रदर्शन और विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के लिए सेवाओं के प्रावधान के लिए सेवा प्रदान करने वाले संगठन को व्यूरो द्वारा अनुरूपता का प्रमाणपत्र दिया जा सकता है।
- (2) अनुरूपता प्रमाणपत्र प्रदान करना और इसका प्रचालन इस स्कीम के पैरा 3 के अंतर्गत दी गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

परिभाषा

2."सेवा" का अर्थ है कि एक संगठन और एक ग्राहक के बीच इंटरफ़ेस और संगठन की आंतरिक गतिविधियों के माध्यम से ग्राहक की अपेक्षाओं की परिपूर्णता के परिणाम।

स्कीम की प्रक्रिया

- 3.(1) चयन- (क) सेवा प्रदाता यह पहचान करेगा कि,—

- (i) सेवा और लागू विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं जिनके प्रति वह अनुरूपता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहता है;
 - (ii) सेवाओं के वितरण में प्रयोग होने वाले संसाधनों का व्यूरो को विवरण प्रदान करना; तथा
 - (iii) सेवा वितरण के अनुबंधित या आउटसोर्स तत्व, यदि विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं में स्वीकृत हैं।
- (छ) सेवा प्रदाता सफल मूल्यांकन हेतु सेवा और अनुरूपता प्रमाण पत्र के उद्दिष्ट विषय क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए व्यूरो को पर्याप्त नमूना उपलब्ध कराएगा।

- (ग) सेवा प्रदाता एक सेवा मैनुअल प्रस्ताव तैयार करेगा जिसमें विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के लिए सेवाओं के प्रवाधन और सेवाओं की अनुरूपता के निरूपण के लिए कार्यान्वयन करेगा;
- (घ) सेवा प्रदाता आवश्यक दस्तावेजों और फीस के साथ इस स्कीम के साथ संलग्न प्ररूप-। में अनुरूपता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है;
- (ङ.) आवेदक विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के सेवा के प्रावधान और सेवा की अनुरूपता, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, उत्तरदायी होगा;
- (च) ब्यूरो को आवेदक द्वारा साक्ष्य उपलब्ध कराने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि यह पता चल सके कि सेवा के प्रावधान और सेवा के संबंध में जो अनुरूपता प्रमाण पत्र आवेदन किया गया है, वह निर्दिष्ट आवश्यकता के अनुरूप है।
- (छ) ब्यूरो में आवेदन करने से पूर्व, आवेदक जिस सेवा के लिए आवेदन कर रहा है, उसी सेवा को प्रदान करने के प्रचालन में कम से कम तीन महीने तक करेगा।
- (2) मूल्यांकन- (क) ब्यूरो आवेदक से आवश्यक दस्तावेजों या कोई पूरक जानकारी या किसी दस्तावेजी प्रमाण के लिए कह सकता है जो आवेदन के किसी विवरण की पुष्टि करता है, निर्धारित समय में देने के लिए आदेश कर सकता है।
- (ख) यदि आवेदक कोई दस्तावेज या अनुपूरक जानकारी या खंड (क) के तहत कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दे रहा है, तो आवेदन को ब्यूरो द्वारा खारिज कर दिया जाएगा;
- (ग) यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज या सूचना या साक्ष्य संतोषजनक मिलते हैं, तो अनुरूपता प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है;
- (घ) सेवा और सेवा प्रदाता के मूल्यांकन के लिए, ब्यूरो सेवा प्रदाता के दौरे की व्यवस्था कर आवश्यक मूल्यांकन करेगा, जिसमें निम्न गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है,
- नामतः —
- (i) सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच;
 - (ii) सेवा मैनुअल की पर्याप्तता और उपयुक्तता पर चर्चा;
 - (iii) सेवा वितरण प्रक्रिया के डिजाइन की वैधता, यदि लागू हो;
 - (iv) सेवा वितरण प्रक्रियाओं और सेवा आउटपुट का परीक्षण और मूल्यांकन;
 - (v) सेवाओं के वितरण में उपयोग किए गए संसाधनों का मूल्यांकन;
 - (vi) सेवा देने वाले व्यक्ति और उनकी क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए साक्षात्कार और संप्रेषण;
 - (vii) ठेकेदारों, उप-ठेकेदारों, फ्रैंचाइजी का मूल्यांकन, जहां सेवा वितरण अनुबंधित है या आउटसोर्स है, का मूल्यांकन;
 - (viii) गोपनीयता और निजी अपेक्षाओं सहित किसी भी आवश्यक पहलुओं के संदर्भ में प्रबंधन और दस्तावेजों के नियंत्रण का आकलन;
 - (ix) ऑन-साइट या दूरस्थ यात्राएं, कोई भी वास्तविक स्थान जहां पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं; या कोई भी कृत्रिम स्थान जहां सेवाएं प्रदान की जा रही हैं;
 - (x) बेनामी पर्यवेक्षण या वितरण का साक्ष्य; तथा
 - (xi) वितरित सेवाएं और ग्राहक अनुभव पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना और उनका मूल्यांकन करना।
- (ड) मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान पाई गई कोई भी अपर्याप्तता या गैर-अनुरूपता को इस स्कीम के अनुबंध के प्ररूप-॥ में सेवा प्रदाता को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।
- (3) समीक्षा - विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की अनुरूपता और उसकी यथार्थता के लिए पैरा 3 के उप-पैरा (2) के खंड (घ) के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट की सटीकता तथा अनुरूपता की समीक्षा की जाएगी।
- (4) निर्णय — (क) अनुरूपता प्रमाण पत्र देने का निर्णय लेने से पहले, ब्यूरो मूल्यांकन गतिविधियों की सफलतापूर्वक समीक्षा के पश्चात् एक महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक टिप्पणियों को आमंत्रित करेगा और इसमें शिकायतों सहित ग्राहकों से प्राप्त सूचना का संग्रह शामिल हो सकता है;
- (ख) ब्यूरो सार्वजनिक घोषणा अवधि को पूरा करने के पश्चात् किसी भी ग्राहक की शिकायतें न होने और ग्राहक के फीडबैक का संतुष्टिपूर्ण समाधान के बाद अनुरूपता का प्रमाणपत्र प्रदान करेगा;
- (5) अनुप्रमाणन — ब्यूरो इस स्कीम के साथ संलग्न प्रपत्र ॥। में अनुरूपता प्रमा पत्र प्रदान करेगा, जिसमें अनुरूपता प्रमाणपत्र का विषय क्षेत्र, प्रमाण पत्र संछया, सेवा प्रदाता का पता प्रमाणपत्र की वैधता, निर्माता की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का विवरण होगा।
- (6) निगरानी.— (क) ब्यूरो प्रमाणपत्र धारक का पूर्व सूचना देकर या पूर्व सूचना दिए विना निगरानी मूल्यांकन कर सकता है;

(ब) निगरानी मूल्यांकन करने की आवश्यकता को प्रदान की गई सेवा से जुड़े जोखिम को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा और इस तरह के मूल्यांकन के दौरान पायी गई कोई भी त्रुटि इस स्कीम के अनुबंध प्रपत्र-॥ में प्रमाणपत्र धारक को सूचित की जाएगी।

शिकायतें

4. (1) जब भी विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के सेवा प्रावधान और सेवा की गैर अनुरूपता के संबंध में कोई शिकायत की जाती है, तो जांच की जाएगी और शिकायतकर्ता की जांच प्रमाणपत्र धारक से पहले होगी।

(2) यदि शिकायत सिद्ध हो जाती है, -

(क) निवारण व्यवस्था करने के लिए प्रमाण पत्र धारक को सलाह देने के लिए कदम उठाए जाएंगे;

(ख) अनुरूपता प्रमाणपत्र समाप्त किया जा सकता है और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रमाणपत्र धारक को सलाह दी जा सकती है और सुधारात्मक कार्रवाई की संतोषजनक पुष्टि के पश्चात् पुनारंभ की अनुमति दी जा सकती है;

(ग) यदि यह स्थापित किया गया है कि प्रमाणपत्र धारक ऐसी किसी गतिविधि में शामिल हुआ है, जिसके फलस्वरूप इस स्कीम के पैरा 12 के उप पैरा (1) में दिए गए किसी भी शर्त की स्थापना होती है, तो अनुरूपता का प्रमाणपत्र समाप्त किया जा सकता है।

फीस

5.(1) अनुरूपता प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन के साथ पंद्रह हजार का फीस देनी होगी।

(2) समय-समय पर ब्यूरो द्वारा निर्धारित पुनर्प्रमाणन या अनुरूपता प्रमाणपत्र दिए जाने से पहले निम्नलिखित फीस का भुगतान किया जाएगा, अर्थात्: —

(क) मूल्यांकन निरीक्षण फीस प्रति श्रम दिन बारह हजार; तथा

(ख) वार्षिक अनुरूपता प्रमाण पत्र फीस पचास हजार रुपए होगा।

(3) यदि अनुरूपता प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाता है, तो कोई फीस वापस नहीं दी जाएगी।

लेबलिंग और मुहरांकन आवश्यकताएं

(6) (1) सेवा प्रदाता केवल प्रमाणित सेवा के साथ संयोजन में अनुरूपता प्रमाणपत्र संछया का प्रयोग करेगा।

(2) अनुरूपता प्रमाणपत्र संछया का प्रयोग विक्री साहित्य या प्रचार सामग्री पर किया जा सकता है।

अनुरूपता प्रमाणपत्र की शर्तें

7.अनुरूपता प्रमाण पत्र की शर्तें इन विनियमों के विनियम 14 अनुसार होंगी।

अनुरूपता प्रमाणपत्र की वैधता

8. (1) अनुरूपता प्रमाण पत्र अनुदान तीन वर्ष के लिए किया जाएगा और इसकी अवधि, विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के संशोधन के मामले में, कम या ज्यादा की जा सकती है।

(2) प्रमाण पत्र धारक, सामान्यतः तीन वर्ष के लिए पुनः प्रमाणित किया जाएगा और

पुनः प्रमाणन अवधि को पुनः प्रमाणन निर्णय या निर्दिष्ट आवश्यकताओं के संशोधन की निर्भरता पर कम या ज्यादा किया जा सकता है।

(3) प्रमाणपत्र की वैधता अवधि को आवेदक या प्रमाणपत्र धारक के निवेदन पर कम किया जा सकता है।

अनुरूपता प्रमाणपत्र का पुनर्प्रमाणन

9.(1) पुनर्प्रमाणन की विधिमान्यता की समाप्ति को सुगम बनाने के लिए 5 माह के भीतर प्रमाणपत्र धारक को पुनर्प्रमाणन के लिए इस स्कीम के अनुबंध के प्रपत्र-॥ में पुनर्प्रमाणन के लिए आवेदन करना होगा।

(2) प्रमाणपत्र का पुनर्प्रमाणन किया जाएगा, —

(क) यदि पुनर्प्रमाणन आवेदन पूरा पाया जाता है;

(ख) पैरा 5 के उप-पैरा (2) में विनिर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर; तथा

(ग) यदि ब्यूरो संतुष्ट है कि प्रमाणपत्र धारक ने सफलतापूर्वक विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के लिए सेवाओं और प्रावधानों के अनुरूप निरूपण किया है।

(3) इस स्कीम के पैरा 3 के उप पैरा (1) से (6) के उपबंध भी पुनर्प्रमाणन के लिए लागू होंगे।

(4) पुनर्प्रमाणन के बाद, इस स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार निगरानी मूल्यांकन की स्कीम बनाई जाएगी और इसे पूरा किया जाएगा।

(5) पुनर्प्रमाणन इन विनियमों के विनियम 8 के अनुसार किया जाएगा।

अनुरूपता प्रमाणपत्र के विषय क्षेत्र में बदलाव

10.इस संबंध में प्रमाणपत्र धारक द्वारा किए गए अनुरोध पर अनुरूपता प्रमाणपत्र का विषय क्षेत्र बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

निलंबन

11. (1) यदि, किसी भी समय, ब्यूरो के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं कि सेवाओं और सेवाओं के उपबंध, जिसके लिए अनुरूपता प्रमाण पत्र दिया गया है, वे विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं, तो ब्यूरो अनुरूपता प्रमाणपत्र निलंबित कर सकता है और धारक को इसका उपयोग

रोकने के लिए निर्देशित कर सकता है। इस साक्ष्य में निम्नलिखित, एक या अधिक शामिल हो सकते हैं एवं इन तक सीमित नहीं हैं, अर्थात्: --

- (क) ब्यूरो द्वारा अनुमत तरीके से अनुरूपता प्रमाण पत्र का उपयोग ब्यूरो द्वारा अनुमत किसी अन्य तरीके से करना;
 - (ख) तीन महीनों से अधिक प्रचालन की अनिरन्तरता;
 - (ग) सुधारात्मक कार्बवाई ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर नहीं की जाती हैं;
 - (घ) ब्यूरो को पूर्व सूचना दिए बिना, परिसर का स्थानांतरण;
 - (ङ.) अनुरूपता प्रमाणपत्र के संबंध में गलत घोषणा या रिकॉर्ड या अनुचित व्यापार पद्धतियों के मिथ्याकरण में शामिल;
 - (च) अनुरूपता प्रमाणपत्र के प्रचालन के दौरान किसी भी ऐसे मूल्यांकन के लिए ब्यूरो या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ सहयोग न करना।
- (2) उप-पैरा (1) के तहत ब्यूरो द्वारा लिया गया निर्णय प्रमाण पत्र धारक को ई-मेल या किसी अन्य उपयुक्त लिखित माध्यम द्वारा, इसके कारणों सहित सूचित किया जाएगा।
- (3) अनुरूपता प्रमाणपत्र निलंबन के संदर्भ में, इसके धारक सुधारात्मक कार्बवाई करेगे और ब्यूरो को इसकी सूचना देंगे।
- (4) कार्बवाई की जानकारी मिलने पर, इसके पुष्टिकरण ब्यूरो द्वारा आवश्यकता पड़ने पर विशेष मूल्यांकन निरीक्षण किया जा सकता है।
- (5) ब्यूरो स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् निलंबन को समाप्त कर सकता है कि प्रमाणपत्र धारक द्वारा पर्याप्त साक्ष्य सहित प्रासंगिक अपेक्षाओं की अनुरूपता की पुष्टि करने के लिए सुधारात्मक कार्बवाई की है।
- (6) यदि प्रमाणपत्र का निलंबन आवश्यक शुल्क का भुगतान न करने के कारण होता है, तो ब्यूरो धारक को इक्कीस दिनों की सूचना जारी करके धारक को प्रमाणपत्र का उपयोग न करने का निर्देश दे सकता है और बकायों की प्राप्ति पर निलंबन समाप्त कर सकता है।
- (7) उप-पैरा (1) के तहत निलंबन की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुरूपता प्रमाणपत्र के पुनर्प्रमाणन को रद्द या इंकार करना

12. (1) ब्यूरो पुनर्प्रमाणन रद्द या इंकार कर सकता है, यदि —

- (क) प्रमाणपत्र धारक ने अनुरूपता प्रमाणपत्र का दुरुपयोग किया है;
 - (ख) प्रमाणपत्र के संबंध में गलत घोषणा की है या रिकॉर्ड या अनुचित व्यापार पद्धतियों के मिथ्याकरण में शामिल है;
 - (ग) प्रमाणपत्र का निलंबन एक वर्ष से अधिक का है;
 - (घ) प्रमाणपत्र धारक ने परिसर को स्थानांतरित किया है और ब्यूरो की मंजूरी के बिना नए परिसर में प्रमाणपत्र का उपयोग आरंभ किया है;
 - (ङ.) प्रमाणपत्र धारक ने प्रमाण पत्र की किन्हीं भी शर्तों का उल्लंघन किया हो।
- (2) पुनर्प्रमाणन को रद्द करने या इंकार करने से पहले, ब्यूरो प्रमाण पत्र धारक को ई-मेल या किसी अन्य उपयुक्त लिखित साधन के माध्यम से कम से कम इक्कीस दिन का एक नोटिस देगा, जिसमें ब्यूरो प्रमाणपत्र के पुनर्प्रमाणन को इंकार या रद्द करने के आशय, इसके कारणों सहित, लिखित स्पष्टीकरण या व्यक्तिगत सुनवाई उपबंध सुनिश्चित करेगा।
- (3) यदि प्रमाणपत्र निलंबन के अधीन नहीं है, तो सूचना में प्रमाणपत्र धारक को निर्देश दिया जाएगा कि वह प्रमाणपत्र का उपयोग बंद कर दें।
- (4) सूचना जारी करने की तारीख से इक्कीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के मामले में, ब्यूरो अनुरूपता प्रमाणपत्र को पुनर्प्रमाणित करने के लिए रद्द या समाप्त कर सकता है।
- (5) यदि कोई स्पष्टीकरण दिया गया है, तो ब्यूरो इस बारे में निर्णय लेने से पहले प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रख सकता है और व्यक्तिगत सुनवाई की मांग की जाती है तो प्रमाणपत्र धारक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को अवसर दे सकता है।
- (6) इस स्कीम के उप-पैरा (4) और (5) के तहत पुनर्प्रमाणन समाप्त करने या रद्द करने के लिए ब्यूरो द्वारा लिया गया निर्णय प्रमाण पत्र धारक को ई-मेल या किसी अन्य उपयुक्त लिखित माध्यम से सूचित किया जाएगा।
- (7) जब किसी विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को वापस ले लिया जाता है और किसी भी अन्य अपेक्षाओं से अधिक्रमण नहीं किया जाता है, तो उसके संबंध में दिए गए किसी भी प्रमाणपत्र को इस तरह की विशिष्ट अपेक्षाओं को वापस लेने की तिथि से समाप्त कर दिया जाएगा और प्रमाणपत्र धारक द्वारा अनुरूपता प्रमाणपत्र ब्यूरो को तत्काल सौंपना।
- (8) उप-पैरा (7) के तहत समाप्त किए गए अनुरूप प्रमाण पत्र के लिए, ब्यूरो प्रमाण पत्र की अनविसत अवधि के अनुपात में अग्रिम भुगतान किए जाने पर प्रमाण पत्र शुल्क का हिस्सा वापस करेगा।

प्रपत्र-1

(स्कीम VI के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के (घ) खंड को देखें)

भारतीय मानक ब्यूरो

सेवा(ए) प्रमाणन स्कीम

अनुरूपता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन

फर्म का पूरा नाम

पता	
-----	--

कार्यालय

पता	
-----	--

टेलीफोन

गांव/शहर

जिला

राज्य

देश

पिन कोड

फैक्स

पता

सर्विस इकाई(यों)

पता	
-----	--

टेलीफोन

गांव/शहर

जिला

राज्य

देश

पिन कोड

फैक्स

ई-मेल

नाम

पदनाम

नाम

पदनाम

प्रबंधन

1
2
3
4

सेवानियंत्रण प्रभारी

1
2
3
4

नाम

टेलीफोन

ई-मेल

संपर्क व्यक्ति

--	--	--

स्केल

बड़ा
सूखम, लघु, मध्यममध्यम

पत्राचार का पता

कार्यालय इकाई

सेक्टर

सार्वजनिक निजी

अनुरूपता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किया जा रहा आवेदन

सेवा

अपेक्षाएं

संदर्भ

विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं

फीस का विवरण

राशि (रु.)

तिथि के साथ बीजक सं.

फर्म का मुद्रा

फर्म का पैन नं.

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

आवेदन की तिथि

डिआईएन नं.(निदेशक के मामले में)

पैन नं. (अन्य मामलों में)

महत्वपूर्ण : आवेदन पर फर्म के सीईओ या इनकी अनुपस्थिति में प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए

निम्नलिखित दस्तावेजों की उपलब्धता उपर्युक्त करें।

इन दस्तावेजों को आवेदन के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।

क्रम. सं.	दस्तावेज़(जों)	हाँ/नहीं/लागू नहीं
1	कार्यालय के नाम और पते का प्रमाण (उद्योग के निदेशालय या उद्योग केंद्र से प्रमाण पत्र या पैरा का ज्ञापन या फर्म के रजिस्ट्रार से प्रमाणपत्र आदि।)	
2	सेवा इकाई के नाम और पते का प्रमाण (उद्योग के निदेशालय या उद्योग केंद्र से प्रमाण पत्र या पैरा का ज्ञापन या फर्म के रजिस्ट्रार से प्रमाणपत्र याकर्म की कानूनी अधिग्रहिता दर्शने वाला वैध पट्टा इत्यादि।	
3	वैध एमएसएमई प्रमाणपत्र, यदि लागू हो	
4	आवेदन फर्म के सीईओ के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर करने के मामले में, प्राधिकृत प्रतिनिधि पत्र	
5	सेवा पुस्तिका	
6	संसाधनों की सूची	
7	क्या सेवा का कोई भाग आउटसोर्स किया गया है	
8	सेवा प्रचालन के आउटसोर्सिंग के करार, यदि कोई हो	

नोट : अधिक जानकारी के लिए कृपया आप हमारी वेबसाइट <http://www.bis.gov.in> देखें।

प्रपत्र-॥

[(स्कीम VI के पैरा 3 के उप-पैरा (2) के खंड (ड) को देखें]

भारतीय मानक व्यूरो

.....शाखा कार्यालय

(विसंगति-सह-सलाहकार रिपोर्ट)

आवेदक/प्रमाणपत्र के धारक का नाम : मैसर्स

आवेदन/अनुरूपता प्रमाणपत्र सं.

दौरे की प्रकृति

अनुरूपता प्रमाणपत्र की वैधता

(प्रारंभिक/निगरानी मूल्यांकन/अन्य)

सेवा(ओं)/सेवा(ओं) का उपबंध दौरे की तारीख(बंदें)

क्रम सं.	विसंगतियां/दी गई सलाह	विनिर्दिष्ट अपेक्षा(एं) या कोई अन्य संदर्भ

टिप्पणियां/सहमत कार्रवाई (आवेदक/प्रमाणपत्र के धारक द्वारा)

मैंने इस रिपोर्ट की अंतर्वस्तु (i) मैंने इस रिपोर्ट की अंतर्वस्तु को पूरी तरह से समझ लिया है।

पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दी है। (ii) विसंगति-सह सलाहकार पर कार्रवाई की पुष्टि _____ दिनों के भीतर भारतीय मानक व्यूरो को कर दी जाएगी।

हस्ताक्षर _____ हस्ताक्षर _____

नाम _____ नाम _____

पदनाम _____ पदनाम _____

(भारतीय मानक व्यूरो के प्रतिनिधि) (फर्म के प्रतिनिधि)

टिप्पण : यह सलाह दी जाती है कि इस रिपोर्ट की प्रतिलिपि फर्म द्वारा अनुरूपता प्रमाणपत्र की फाइल में आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई और भावी संदर्भ के लिए संलग्न की जाए।

प्रपत्र-3

[स्कीम 6 के पैरा 3 का उप-पैरा (5) देखें]

भारतीय मानक व्यूरो

अनुरूपता का प्रमाणपत्र

अनुरूपता प्रमाणपत्र सं. -

भारतीय मानक व्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा इसे प्रदत्त शक्ति के आधार पर व्यूरो निम्नलिखित को

मैसर्स

(इसमें इसके पश्चात प्रमाणपत्र धारक कहा गया है।) यह अनुरूपता प्रमाणपत्र इसकी अनुसूची के प्रथम स्तंभ में उल्लिखित इस पर अथवा उक्त अनुसूची के दूसरे स्तंभ में उल्लिखित विषय क्षेत्र के संबंध में सेवा/सेवा(ओं) के उपबंध के लिए, जो समय-समय पर संशोधित अथवा पुनरीक्षित उक्त अनुसूची के दूसरे स्तंभ में उल्लिखित विनिर्दिष्ट अपेक्षा(ओं) के अनुसार/अनुरूप प्रदान की जाती है, के लिए अनुदत्त करता है।

2. इस अनुरूपता प्रमाणपत्र में, प्रमाणपत्र धारक की ओर से अनुरूपता प्रमाणपत्र की शर्तों के रूप में वाद्यताएँ हैं, जो इससे संलग्न किए उपांबंध में दिए गए हैं। यह प्रमाण पत्र केवल अनुसूची में यथा उल्लिखित नाम, पते और अवधि के लिए वैध होगा और पुनः प्रमाणित किया जा सकेगा, जैसा कि स्कीम में विहित है।

अनुसूची

(अनुरूपता प्रमाण पत्र सं. -----)

नाम

पता

वैधता से तक

सेवा(ओं)/सेवा(ओं) का उपांबंध	अनुरूपता प्रमाणपत्र का विषय क्षेत्र
(1)	(2)

आज तारीख.....मास.....वर्ष.....को हस्ताक्षरित, मुहरबंद किया गया।

भारतीय मानक ब्यूरो के लिए
पदनामित प्राधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

उपाबंध
(अनुरूपता प्रमाण पत्र सं.....)

अनुरूपता प्रमाणपत्र की शर्तें

(1) अनुरूपता प्रमाणपत्र का धारक माल, चीजें, प्रक्रिया, प्रणाली या सेवा उन विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के लिए अनुरूपता के लिए उत्तरदायी होगा, जिनके संबंध में अनुरूपता प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

(2) अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक उस माल, चीजें, प्रक्रिया, प्रणाली या सेवा के संबंध में अनुरूपता प्रमाणपत्र का उपयोग नहीं करेगा, जो गैर-अनुरूप अथवा अनुरूपता प्रमाणपत्र विषय क्षेत्र से बाहर हैं।

(3) आस्थगत या निलंबन के दौरान या अनुरूपता के प्रमाणपत्र के रदद्करण या समाप्ति के पश्चात किसी भी माल, चीज, प्रक्रिया, प्रणाली या सेवा के संबंध में अनुरूपता प्रमाणपत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

(4) अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक लेबलिंग और चिन्हांकन अपेक्षाओं सहित अनुरूपता मूल्यांकन स्कीम के उपबंधों का अनुपालन करेगा, जिसके अधीन अनुरूपता प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है।

(5) अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक व्यूरो द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट अभिलेखों का रखरखाव करेगा।

(6) अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक अपने परिसर में निरीक्षण या लेखा-परीक्षा या मूल्यांकन करने के संबंध में व्यूरो को सभी सहायता प्रदान करेगा।

(7) अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक अनुरूपता प्रमाणपत्र में आने वाली सेवाओं से संबंधित सूचना जब और जैसे व्यूरो द्वारा अपेक्षित हो, प्रदान करेगा।

(8) यदि अनुरूपता प्रमाण पत्र माल या चीजों के लिए प्रदान किया गया है, तो अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक उन प्रेषितियों, वितरकों, व्यौहारी या खुदरा विक्रेताओं की सूची प्रदान करेगा, जिनको अनुरूपता प्रमाणपत्र के अधीन माल या चीजों की आपूर्ति की गई है।

(9) अनुरूपता प्रमाणपत्र व्यूरो के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जाएगा।

(10) यदि अनुरूपता प्रमाण पत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी माल, वस्तु, प्रक्रिया, प्रणाली या सेवा की गुणता के बारे में शिकायत प्राप्त होती है, तो अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करेगा, ताकि भविष्य में ऐसी शिकायतों की पुनरावृत्ति को समाप्त किया जा सके।

(11) व्यूरो को अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक को कम से कम एक मास का नोटिस देकर अनुरूपता प्रमाणपत्र की किसी भी शर्त में संशोधन करने का अधिकार होगा।

स्कीम-7

माल और चीजों के टाइप अनुमोदन के लिए अनुरूपता प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए अनुरूपता मूल्यांकन स्कीम (अनुसूची-1) के अनुसार टाइप 'क' स्कीम के आधार पर)

विषय क्षेत्र

1. (1) इस स्कीम के अधीन जो क टाइप पर आधारित है, डिजाइन पुनर्विलोकन या टाइप परीक्षण के आधार पर, माल या चीजों, जिसे इसमें इसके पश्चात उत्पाद कहा गया है, के टाइप अनुमोदन के लिए व्यूरो द्वारा अनुरूपता प्रमाणपत्र अनुदत्त किया जा सकेगा।

(2) प्रमाण पत्र के उपयोग करने का अधिकार, यह उपदर्शित कर सकेगा कि विनिर्माता की अपनी गुणता आश्वासन प्रणाली के अंतर्गत समान, डिजाइन और प्रक्रिया वाले व्यक्तिगत आधार पर अथवा निरंतर उत्पादन के अधीन विनिर्मित उत्पाद प्रमाणपत्र में उपदर्शित विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है।

परिभाषाएँ

2. (1) "तृतीय पक्षकार प्रयोगशाला" से ब्यूरो द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला या ब्यूरो द्वारा पेनलीकृत सरकारी प्रयोगशालाएँ या ब्यूरो की कार्यकारी समिति द्वारा विनिश्चित कोई प्रयोगशाला अभिप्रेत है।

स्कीम की प्रक्रिया

3.(1) चयन :-

(क) व्यक्ति, नमूने और विनिर्दिष्ट उत्पाद को लागू होने वाली विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की पहचान करेगा जिनके लिए वह अनुरूपता प्रमाणपत्र प्राप्त करने का आशय रखता है और नमूने से संबंधित निम्नलिखित व्यौरे इस स्कीम से उपावद्ध प्ररूप-I में प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :-

(i) किस्मों/ग्रेड/टाइप/आकार;

(ii) परीक्षण किए गए नमूना(नों) की पहचान के लिए फोटोग्राफ

(iii) विनिर्माता का पूरा पता;

(iv) विनिर्माण की तारीख (वें);

(v) डिजाइन;

(vi) निर्माण प्रक्रिया का वर्णन; तथा

(vii) कद्दा माल

(व्य) व्यक्ति उत्पाद के उप-पैरा (1) के खंड (क) में यथा उपबंधित निर्दिष्ट अपेक्षाओं के लिए तीसरे पक्षकार की प्रयोगशाला द्वारा जारी की गई परीक्षण रिपोर्ट आवेदन सहित प्रस्तुत करेगा।

(2) अवधारण— (क) आवेदन तब प्राप्त होने पर ब्यूरो आवेदन में दी गए जानकारी की पूर्णता की जांच करेगा;

(ख) जब आवेदन पूरा होगा, तब ब्यूरो उत्पाद की अनुरूपता की जांच विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं तक करेगा।

(3) पुनर्विलोकन — विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के सही होने और अनुरूपता के लिए परीक्षण रिपोर्ट और नमूने के व्यौरों का पुनर्विलोकन किया जाएगा।

(4) विनिश्चय – अनुरूपता प्रमाणपत्र अनुदत्त करने का विनिश्चय विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं तक उत्पाद के पुनर्विलोकन और अनुरूपता के निष्कर्षों के आधार पर ब्यूरो द्वारा लिया जाएगा।

(5) अनुप्रमाणन - (क) ब्यूरो इस स्कीम में संलग्न से उपावद्ध प्ररूप-2, किसी व्यक्ति को अनुरूपता प्रमाणपत्र प्रदान करेगा;

(ख) विदेशी विनिर्माताओं के मामले में, अनुरूपता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए करार जो एक सौ रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर संघकतः निष्पादित क्षतिपूर्ति बंधपत्र, यथास्थिति विदेशी विनिर्माता या उनके प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि द्वारा जमा किया जाएगा।

(ग) विदेशी निर्माता भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित भारत में अपनी शाखा वाले किसी भी बैंक द्वारा जारी दस हजार अमेरिकी डॉलर के लिए निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा।

शिकायत

4. (1) ब्यूरो, अनुरूपता प्रमाणपत्र के अंतर्गत आने वाली उत्पाद की गुणता के बारे में प्राप्त किसी भी शिकायत को अभिस्वीकार करेगा और अन्वेषण करेगा।

(2) शिकायत समाप्त करने की कार्रवाई नब्बे दिनों के भीतर परीक्षण के समय को छोड़कर, जहां उत्पाद का परीक्षण अन्तर्वलित है, पूरी की जाएगी।

फीस

- (5.) (1) आवेदन फीस एवं नवीकरण आवेदन फीस एक हजार रुपए होगी।
- (2) अनुरूपता प्रमाणपत्र के उपयोग के लिए वार्षिक अनुरूपता प्रमाणपत्र फीस बड़े उद्योगों के लिए पचास हजार रुपए प्रतिवर्ष होगी और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए बीस प्रतिशत की छूट होगी, जिसका संदाय अग्रिम रूप में किया जाएगा।
- स्पष्टीकरण —उप-पैरा (2) के प्रयोजनों के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पद के बहीं अर्थ होंगे जो उनका सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) में हैं।
- (3) यदि अनुरूपता प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाता है, तो वार्षिक अनुरूपता प्रमाणपत्र फीस लौटाई नहीं जाएगी।

लेबलिंग और चिन्हांकन अपेक्षाएं

6. (1) प्रत्येक उत्पाद या पैकेज या दोनों तरफ अनुरूपता प्रमाणपत्र संख्या के साथ चिन्हांकित किया जाएगा।
- (2) मानक की अपेक्षाओं के अनुसार, उत्पाद व्यौरा, जिसमें उत्पाद, किस्म, लॉट या बैच संख्या, निर्माण की तारीख या सप्ताह, विनिर्माता का पूरा पता सम्मिलित हो सकेगा, जो कि उत्पाद या पैकेजिंग पर चिन्हित होगा या उत्पाद से संलग्न लेबल में अंतर्विष्ट होगा।
- (3) चिन्हांकन व्यौरों में व्यूरो की वेबसाइट का संदर्भ अंतर्विष्ट होगा, ताकि उपभोक्ता उत्पाद के प्रामाणिकता का सत्यापन कर सके।
- (4) यदि अनुरूपता प्रमाणपत्र संख्या उत्पाद या पैकेजिंग पर वास्तविक रूप से नहीं लगाया जा सकता, तो यह परीक्षण प्रमाणपत्र पर दिया जाएगा।
- (5) किसी भी विनिर्दिष्ट उत्पाद के लिए, अतिरिक्त लेबलिंग और चिन्हांकन संबंधी अपेक्षाओं को व्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा, जिसका अनुरूपता प्रमाणपत्र का धारक अनुपालन करेगा।

अनुरूपता प्रमाणपत्र की शर्तें

7. (1) अनुरूपता प्रमाणपत्र की शर्तें इन विनियमों के विनियम 14 के अनुसार होगी।

अनुरूपता प्रमाणपत्र की वैधता

8. (1) अनुरूपता प्रमाणपत्र आरंभ में कम से कम एक वर्ष और दो वर्ष तक के लिए प्रदान किया जाएगा।
- (2) अनुरूपता प्रमाणपत्र, कम से कम एक वर्ष की और अवधि और पांच वर्ष तक की अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा।
- (3) इस तथ्य के होते हुए भी कि अनुरूपता प्रमाणपत्र नवीकृत किया गया है, जैसे ही विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं में संशोधन किया जाता है या पुनरीक्षण किया जाता है, रद्द समझा जाएगा।

अनुरूपता प्रमाणपत्र का नवीकरण

9. (1) व्यूरो को अनुरूपता प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन अनुरूपता प्रमाणपत्र की समाप्ति के तीन मास पहले इस स्कीम से उपाबद्ध प्ररूप -3 में आवेदन करेगा।
- (2) व्यूरो इस स्कीम के उपाबद्ध प्ररूप-4 में अनुरूपता प्रमाणपत्र को नवीनीकृत करेगा।
- (3) इन विनियमों के विनियम 16 के अनुसार अनुरूपता प्रमाणपत्र का नवीकरण किया जाएगा।

निलंबन

10. (क) अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक अपने प्रमाणपत्र के प्रयोग को व्यूरो को सूचित करते हुए स्वतः निलम्बित करेगा, यदि किसी भी समय, अनुरूपता प्रमाणपत्र के अंतर्गत आने वाले उत्पाद की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं तक उत्पाद की अनुरूपता के अनुरक्षण में कठिनाई होती हैया कोई भी परीक्षण उपकरण खराब हो जाता है या प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, आग, भूकंप, प्रबंधन द्वारा घोषित तालाबंदी या एक सक्षम न्यायालय या कानूनी प्राथिकारी द्वारा निदेशित प्रचालनों के समापन का कारण होता है;
- (ख) जैसे ही कमियों को हटा दिया जाता है, निलंबन वापस किया जा सकता है और इस की सूचना व्यूरो को ऐसा वापसी के तुरंत किन्तु ऐसी वापसी के सात दिनों के अपश्चात दी जाएगी;

(ग) अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक इसके प्रयोग को इसकी सूचना व्यूरो को देते हुए स्वतः निलंबित करेगा, यदि विनिर्माण इकाई के नए परिसर में स्थानांतरित हो जाती है।

(2) (क) व्यूरो अनुरूपता प्रमाणपत्र निलंबित कर सकता है और इसके उपयोग को किसी भी समय रोकने के लिए धारक को निदेशित कर सकता है, यदि किसी समय उत्पाद अनुरूपता प्रमाणपत्र के अंतर्गत आने वाले उत्पाद विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं, उत्पाद की गैर-अनुरूपता के लिए पर्याप्त साक्ष्य है और साक्ष्य में निम्नलिखित एक या अधिक शामिल हो सकते हैं अर्थात् —

(i) विनिर्माण प्रक्रिया, डिजाइन और कच्चे माल में उपांतरण; तथा

(ii) व्यूरो द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी निदेश का पालन न करना।

(ख) ऐसा अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक जिसका अनुरूपता प्रमाणपत्र निलंबन के अंतर्गत किया गया है, इसका उपयोग बंद कर देगा और वह अनुरूपता प्रमाणपत्र के अंतर्गत आने वाले उत्पाद का प्रेषण भी बंद कर देगा;

(ग) सुधारात्मक कार्रवाई की पुष्टि किए जाने के ठीक बाद में खंड (क) के अंतर्गत की गई कार्रवाई के संबंध में एक पुष्टिकरण, व्यूरो को तुरंत भेजा जाएगा;

(घ) व्यूरो का स्वयं का यह समाधान हो जाने के बाद निलंबन के प्रतिसंहरण को अनुज्ञात कर सकेगा कि प्रमाणपत्र धारक ने आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाही की है।

(3) व्यूरो, जब अपेक्षित फीस का संदाय नहीं किया जाता है, इक्कीस दिन का नोटिस जारी करने के बाद अनुरूपता प्रमाण पत्र निलंबित कर सकता है और इसके धारक को अनुरूपता प्रमाण पत्र का प्रयोग रोकने के लिए निदेशित कर सकता है और प्रमाणपत्र धारक द्वारा शोध्यों के संदाय पर निलंबन प्रतिसंहृत किया जा सकता है।

अनुरूपता प्रमाणपत्र का रद्दकरण

12. व्यूरो अनुरूपता प्रमाणपत्र को इन विनियमों के विनयम 19 के अनुसार रद्द कर सकता है।

प्रृष्ठा-1

[स्कीम 7 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) का खंड (क) देखें]

भारतीय मानक व्यूरो

उत्पाद प्रमाणन स्कीम

अनुरूपता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन

फर्म का पूरा नाम

पता				
कार्यालय				
गांव/शहर	जिला	राज्य	देश	पिनकोड
				टेलीफोन
				फैक्ट्री
				ई-मेल

पता				
फैक्ट्री				
गांव/शहर	जिला	राज्य	देश	पिनकोड
				टेलीफोन
				फैक्ट्री
				ई-मेल

नाम	पदनाम	नाम	पदनाम											
प्रबंधन	<table border="1"> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>2</td></tr> <tr><td>3</td></tr> <tr><td>4</td></tr> </table>	1	2	3	4	गुणता नियंत्रण भार साधक	<table border="1"> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>2</td></tr> <tr><td>3</td></tr> <tr><td>4</td></tr> </table>	1	2	3	4			
1														
2														
3														
4														
1														
2														
3														
4														
नाम	टेलीफोन	ई-मेल												
संपर्क व्यक्ति	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>													
स्कैल	<table border="1"> <tr><td>बड़ा</td></tr> <tr><td>सूख लघु मध्यम</td></tr> <tr><td>मध्यम</td></tr> </table>	बड़ा	सूख लघु मध्यम	मध्यम	पत्राचार का पता	<table border="1"> <tr><td>कार्यालय</td></tr> <tr><td>कारखाना</td></tr> </table>	कार्यालय	कारखाना	<table border="1"> <tr><td>सेक्टर</td></tr> </table>	सेक्टर	<table border="1"> <tr><td>पब्लिक</td></tr> <tr><td>निजी</td></tr> <tr><td>क</td></tr> </table>	पब्लिक	निजी	क
बड़ा														
सूख लघु मध्यम														
मध्यम														
कार्यालय														
कारखाना														
सेक्टर														
पब्लिक														
निजी														
क														

यह आवेदन अनुरूपता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है			
उत्पाद			
विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं	<table border="1"> <tr><td>अपेक्षाएं</td></tr> <tr><td>संदर्भ</td></tr> </table>	अपेक्षाएं	संदर्भ
अपेक्षाएं			
संदर्भ			

उत्पादन की इकाई	वर्तमान संस्थापित क्षमता	मात्रा	राशि (रु.)

फीस के ब्यौरे	राशि (रु.)	तारीख के साथ वीजक सं.

फर्म की मुद्रा	_____	हस्ताक्षर नाम	_____
फर्म का पैन नं.	_____	पदनाम आवेदन की तारीख डि.आई.एन. नं. (निदेशक के मामले में) पैन नं. (अन्य मामलों में)	_____

महत्वपूर्ण : आवेदन पर फर्म के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए

निम्नलिखित दस्तावेजों की उपलब्धता इंगित करें।

इन दस्तावेजों को आवेदन के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।

क्रम सं.	दस्तावेज़	हाँ/नहीं/लागू नहीं
1.	फैक्टरी के नाम व पते का प्रमाण (फर्म के रजिस्ट्रार का प्रमाणपत्र अथवा औद्योगिक महानिदेशालय का प्रमाणपत्र अथवा औद्योगिक केन्द्र का प्रमाणपत्र अथवा अनुच्छेद के ज्ञापन अथवा परिसर पर फर्म की कानूनी अधिग्रहिता दर्शने वाला वैध पट्टा इत्यादि)	
2.	वैध एमएसएमई प्रमाणपत्र, यदि लागू हो	
3.	प्राधिकृत प्रतिनिधित्व पत्र, यदि आवेदन पर फर्म के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ से भिन्न व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों	
4.	निर्माण प्रक्रिया प्रवाह चार्ट	
5.	मशीनरी सूची विनिर्माण	
6.	क्या कोई विनिर्माण कार्य आउटसोर्स किया गया है	
7.	उत्पादन कार्य की आउटसोर्सिंग का करार, यदि हो	
8.	कच्ची सामग्री की सूची	
9.	उत्पाद का डिजाइन	
10.	परीक्षित नमूने (नमूनों) का फोटो	
11.	किस्म/ग्रेड/टाइप/आकार इत्यादि और उत्पादन नमूने (नमूनों) की उत्पादन तारीख	
12.	तृतीय पक्षकार प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट (रिपोर्ट)	

टिप्पणी : अधिक जानकारी के लिए कृपया आप हमारी वेबसाइट <https://www.bis.gov.in/> देखें।

प्रृष्ठ - 2**[स्कीम 7 के पैरा 3 के उप-पैरा (5) देखें]****भारतीय मानक ब्यूरो****अनुरूपता का प्रमाणपत्र**

अनुरूपता का प्रमाणपत्र संख्या -----

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा इसे प्रदत्त शास्त्रि के आशार पर ब्यूरो निम्नलिखित को :-

मैसर्ज

(जिसे इसमें इसके पश्चात प्रमाणपत्र धारक कहा गया है) यह अनुरूपता का प्रमाणपत्र इसके साथ संलग्न अनुसूची के प्रथम स्तंभ में उल्लिखित अथवा उक्त अनुसूची के दूसरे स्तंभ में उल्लिखित विषय क्षेत्र के संदर्भ में उत्पाद, जो समय समय पर संशोधित अथवा पुनरीक्षित उक्त अनुसूची के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार विनिर्मित हैं, के लिए अनुदत्त किया जाता है।

2. इस अनुरूपता प्रमाणपत्र में, प्रमाणपत्र धारक की ओर से अनुरूपता के प्रमाणपत्र की शर्तों के रूप में, जो संलग्न किए गए उपावंश में दिये गये हैं। यह प्रमाणपत्र केवल अनुसूची में यथा उल्लिखित नाम, कारखाने का पता और अवधि के लिए वैध होगा और स्कीम में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार नवीकृत किया जा सकेगा।

अनुसूची**(अनुरूपता का प्रमाण पत्र संख्या -----)**

नाम

कारखाने का पता

वैधता ----- से ----- तक

यह अनुरूपता का प्रमाण पत्र मैसर्ज-----को, विनिर्माता द्वारा प्रस्तुत किया गया उत्पाद का प्रतिरूप नमूना (ने) के जांच के कारण, अनुदत्त किया जाता है जिसके अनुप्रमाणित परिणाम संलग्न है। उपरोक्त नमूने (नमूनों) के अनुप्रमाणित डिजाइन, निर्माणकारी प्रक्रिया, कच्ची सामग्रियां और फोटोग्राफ भी संलग्न हैं।

उत्पाद	अनुरूपता का प्रमाणपत्र का विषय क्षेत्र
(1)	(2)

आज वर्ष----- के -----मास की ----- तारीख के दिन हस्ताक्षरित, मुद्रांकित किया गया।

भारतीय मानक ब्यूरो के लिए

पदनामित प्राधिकारी का
नाम और हस्ताक्षर

उपांबंध

(अनुरूपता का प्रमाणपत्र संख्या-----)

अनुरूपता के प्रमाणपत्र की शर्तें

- (1) उन विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के लिए अनुरूपता के प्रमाणपत्र का धारक माल, चीजें, प्रणाली या सेवा का विनिर्दिष्ट अनुरूपता के लिए उत्तरदायी होगा, जिनके संबंध में अनुरूपता प्रमाणपत्र जारी किया गया है।
- (2) अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक उस माल, चीजें, प्रक्रिया, प्रणाली या सेवा के संबंध में अनुरूपता प्रमाणपत्र का उपयोग नहीं करेगा, जो गैर-अनुरूप अथवा अनुरूपता प्रमाणपत्र विषय क्षेत्र से बाहर हैं।
- (3) आस्थगत या निलंबन के दोरान या अनुरूपता के प्रमाणपत्र के रद्दकरण या समाप्ति के पश्चात किसी भी माल, चीज, प्रक्रिया, प्रणाली या सेवा के संबंध में अनुरूपता प्रमाणपत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- (4) अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक लेबलिंग और चिन्हांकन अपेक्षाओं सहित अनुरूपता मूल्यांकन स्कीम के उपबंधों का अनुपालन करेगा, जिसके अधीन अनुरूपता प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है।
- (5) अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक व्यूरो द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट अभिलेखों का रखरखाव करेगा।
- (6) अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक अपने परिसर में निरीक्षण या संपरीक्षा मूल्यांकन करने के संबंध में व्यूरो को सभी सहायता प्रदान करेगा।
- (7) अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक अनुरूपता प्रमाणपत्र में आने वाले उत्पादन संबंधी सूचना जब और जैसे व्यूरो द्वारा अपेक्षित हो प्रदान करेगा।
- (8) यदि अनुरूपता प्रमाण पत्र माल या चीजों के लिए अनुदत्त किया जाता है, तो अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक उन प्रेषितियों, वितरकों, व्यौहारी या खुदरा विक्रेताओं की सूची प्रदान करेगा, जिनको अनुरूपता प्रमाणपत्र के अधीन माल या चीजों की आपूर्ति की गई है।
- (9) अनुरूपता प्रमाणपत्र व्यूरो के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जाएगा।
- (10) यदि अनुरूपता प्रमाणपत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी माल, वस्तु, प्रक्रिया, प्रणाली या सेवा की गुणता के बारे में शिकायत प्राप्त होती है, तो अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करेगा, ताकि भविष्य में ऐसी शिकायतों की पुनरावृत्ति को समाप्त किया जा सके।
- (11) व्यूरो को अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक को कम से कम एक मास का नोटिस देकर अनुरूपता प्रमाणपत्र की किसी भी शर्त में संशोधन करने का अधिकार होगा।

फॉर्म-3

[स्कीम 7 के पैरा 9 के उप-पैरा (1) देखें]
अनुरूपता प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन

प्रधान..... शाखा कार्यालय

भारतीय मानक व्यूरो

महोदय/महोदया,

मैं/हम(कारबाना और कार्यालय का पूर्ण पता) में कारबार करता हूँ/करते हैं और अनुरूपता प्रमाणपत्र संख्याजो समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक व्यूरो अधिनियम 2016 और तदनीन बनाये गए नियमों और विनियमों के अधीन

ब्यूरो द्वारा अनुदल्त किया गया है, को से तक की अवधि के नवीकरण के लिए आवेदन करते हैं, इसकी शर्तें वहीं होंगी, जो पूर्वोक्त प्रमाणपत्र में नियत की गई हैं और समय समय पर संशोधित की गई हैं।

2. प्रमाण के अंतर्गत दिए गए माल के उत्पादन के ब्यौरे निष्पादन रिपोर्ट में दिए गए हैं जो इसके पीछे लगी हैं और जिसे हमारी कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से अनुप्रमाणित किया गया है।

3. मैं/हम निम्नलिखित देय राशियों के लिए इसके साथ..... रुपए की रसीद संख्या तारीख.....रु..... संलग्न कर रहे हैं:

- I) नवीकरण आवेदन फीस रु.
- II) वार्षिक अनुरूपता प्रमाणपत्र फीस रु.....
- III) पूर्व शोध्य/अन्य फीस (भारतीय मानक ब्यूरो की सूचना के अनुसार), यदि कोई हो
- IV) कुल रकम रु.....

हस्ताक्षर
तारीख
नाम
पदनाम

फर्म की मुद्रा

के लिए और उनकी ओर से

निष्पादन की रिपोर्ट

(रिपोर्ट के अंतर्गत आने वाली..... से तक की अवधि)

उत्पाद का नाम

अनुरूपता प्रमाणपत्र संख्या:

1. चीजों का कुल उत्पादन

2. अनुरूपता प्रमाणपत्र के अंतर्गत आने वाला उत्पादन और उसका लगभग मूल्य

2.1 मात्रा.....

2.2 मूल्य.....(रु.)

3. अनुरूपता प्रमाणपत्र के अंतर्गत न आने वाली मात्रा, यदि कोई हो और ऐसी मात्रा के इसके अंतर्गत न आने के लिए कारण

4. अनुरूपता प्रमाणपत्र के अंतर्गत आने वाले माल के लिए संघ/राज्य सरकार मंत्रालय/विभाग/

उपक्रम इत्यादि (यदि लागू हो) सहित सभी क्रेताओं के नाम और पते

5. उल्लिखित अवधि के लिए मास-वार उत्पादन विवरण

टिप्पण : यदि अपेक्षित हो, तो अलग शीट संलग्न करें

फॉर्म – 4

[(स्कीम 7 के पैरा 9 का उप-पैरा (2) देखें)]

अनुरूपता प्रमाणपत्र (सी ओ सी) का संलग्नक संख्या -----

सी ओ सी संख्या	कारखाने के पते के साथ प्रमाणपत्र के धारक का नाम	उत्पाद का नाम

पृष्ठांकन संख्या..... तारीख.....

जबकि, प्रमाणपत्र तक वैध था,

*और, जबकि नवीकरण को तक आस्थगित कर दिया गया था और प्रमाण पत्र धारक को से तक प्रमाण पत्र का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात किया गया (*जो लागू न हो उसे काट दें),

अब, नवीकरण के परिणामस्वरूप, मूल प्रमाणपत्र, पृष्ठांकन संख्या की अनुसूची में दिए गए प्रमाण पत्र की वैधता को से तक बढ़ा दिया गया है।

प्रमाण पत्र की अन्य शर्तें एकसमान रहेंगी

(पदनामित प्राधिकारी के हस्ताक्षर/
पदनामित प्राधिकारी का नाम)

.....

एच.एल. उपेंद्र, वैज्ञानिक जी एवं डीडीजी(सीए एवं पीपी&सी)

[विज्ञापन |||/4/असा./89/18-19]

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(Department of Consumer Affairs)
(BUREAU OF INDIAN STANDARDS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2018

F.No. BS/11/11/2018.— In exercise of the powers conferred by section 39 read with section 12 and 13 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), and in supersession of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Executive Committee of the Bureau of Indian Standards, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:

1. Short title and commencement.- (1) These regulations shall be called the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
 (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires -
 (a) "Act" means the Bureau of Indian Standards Act, 2016;
 (b) "rules" means the Bureau of Indian Standards Rules, 2017;
 (c) "first party" means a person or organisation that provides the goods, article, process, system or service for conformity assessment;
 (d) "Schedule" means the Schedule annexed to these regulations;
 (e) "Scheme" means the Scheme annexed to Schedule-II;
 (f) "specified requirement" means the stated need or expectation that goods, article, process, system or service is required to fulfil and includes essential requirements;
 (g) "third party" means a person or body that is independent of the person or organisation that provides goods, article, process, system or service for conformity assessment, and has no user interest.
 (2) The words and expressions used in these regulations and are not defined but defined in the Act or the rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and the rules.
3. Conformity assessment scheme.- (1) The conformity assessment scheme shall be as specified in

Schedule – I, and may include the following, namely:-

- (a) scope;
- (b) selection, determination, review, decision, attestation and surveillance;
- (c) design, use and control of the Standard Mark, if applicable;
- (d) inspection and testing plan or quality manual, calibration schedule and records to be maintained by the first party;
- (e) fees to be paid before or during the operation of licence or certificate of conformity.

(2) The different types of conformity assessment schemes shall be as specified in Schedule-II.

4. Application for grant of licence to use or apply a Standard Mark.- (1) An application for grant of licence to use or apply a Standard Mark under section 13 shall be made to the Bureau in the form specified in the applicable Scheme in Schedule-II.

(2) The processes involved in grant of licence and fee, shall be as specified in the Scheme in Schedule-II.

(3) On receipt of application under sub-regulation (1), the Bureau may make enquires for verification of the particulars set out in the application and also such other enquiries as it may deem necessary.

(4) The Bureau may ask the applicant or its authorised representative to appear before it for personal representation before the grant of licence.

(5) The authorised representative specified under sub-regulation (4) shall be based in India.

(6) An application which is not complete in all respects or does not conform to the requirements of sub-regulation (1) and (2) shall be rejected by the Bureau:

Provided that before rejecting an application, the applicant shall be given an opportunity to remove, within thirty days of the date of receipt of relevant communication from the Bureau, such objections as may be indicated by the Bureau:

Provided further that the Bureau may on sufficient reason being shown, extend the time not exceeding thirty days, as the Bureau may consider fit to enable the applicant to remove such objections:

Provided also that the Bureau shall, give a reasonable opportunity to the applicant of being heard, either in person or through a representative authorised by him in this behalf, and may take into consideration any fact or explanation furnished by the applicant or his representative, as the case may be.

5. Grant of licence to use or apply a Standard Mark.- (1) The Bureau on being satisfied that the applicant is eligible for grant of licence, shall grant licence to use or apply a Standard Mark in form specified in the applicable Scheme in Schedule-II.

(2) The grant of licence under sub-regulation (1) shall be subject to the payment of fee specified in the applicable Scheme in Schedule-II.

6. Conditions of licence to use or apply a Standard Mark.- (1) The design of Standard Mark shall be identical to the facsimile given in the licence.

(2) The photographic enlargement or reduction of the Standard Mark may also be used, unless otherwise specified by the Bureau.

(3) The licensee shall be responsible for the conformity of the goods, article, process, system or service to the Indian Standard in relation to which Standard Mark is used or applied.

(4) The licensee shall not use the Standard Mark in relation to goods, articles, process, system or service which are non –conforming or outside the scope of the licence.

(5) If goods and articles in relation to which a Standard Mark has been used do not conform to the requirements of the relevant standard, the Bureau may direct the licensee or his representative to recall the non-conforming goods and articles.

(6) The Standard Mark shall not be used or applied in relation to any goods, article, process, system or service during deferment or suspension, as the case may be, and after expiry or cancellation of the licence.

(7) The licensee shall comply with the provisions of the conformity assessment scheme under which licence is granted, including labelling and marking requirements.

(8) The licensee shall maintain records as specified by the Bureau from time to time.

(9) The licensee shall provide the Bureau all assistance in connection with carrying out inspection or audit or evaluation, as applicable, at its premises.

(10) The licensee shall provide information relating to production and use or applying of Standard Mark as and when it is required by the Bureau.

(11) If the licence is granted to use or apply Standard Mark on goods or articles, the licensee shall provide the list of consignees, distributors, dealers or retailers to whom goods or articles with Standard Mark is supplied.

(12) The licence shall not be transferred to any person without the prior approval of the Bureau.

(13) If a complaint regarding quality of any goods, article, process, system or service bearing Standard Mark is established, the Bureau may direct the licensee or his representative, as the case may be, to repair or replace or reprocess the standard marked goods and articles.

(14) The Bureau shall have the right to amend any of the conditions of licence by giving a notice of thirty days to the licensee.

7. Validity of licence.- A licence to use or apply a Standard Mark shall be valid for a period as specified in the applicable Scheme in Schedule-II.

8. Renewal of licence to use or apply a Standard Mark.- (1) An application for renewal of licence shall be made to the Bureau in the stipulated form along with the fee, as specified in the applicable Scheme in Schedule-II.

(2) The application under sub-regulation (1) shall be made to the Bureau before the expiry of the validity of licence as specified in the applicable Scheme given in Schedule-II.

(3) On receipt of an application under sub-regulation (1), the Bureau may renew or recertify the licence in accordance with the applicable Scheme specified in Schedule-II.

(4) If renewal application with requisite fee is not received before the expiration of the validity, the renewal of licence may be deferred for a period of up to ninety days from the date of its validity:

Provided that if renewal application with requisite fee is not received within the period of deferment, the licence shall stand expired after the date of its validity.

(5) If the renewal application is made after the validity of the licence, the application shall be accompanied by late fee of rupees five thousand.

(6) If the renewal application and fee is received and the licence is under suspension, licence shall not be renewed till the suspension is revoked.

(7) If suspension is not revoked till the end of its validity, renewal may be deferred for a period of up to one hundred and eighty days from the date of its validity.

(8) If discrepancies which led to the suspension of the licence are removed during the period of deferment, the licence may be renewed from the date of its validity.

(9) If discrepancies which led to the suspension of the licence are not removed during the period of deferment, the licence shall stand expired after the date of its validity.

9. Change in scope of licence to use or apply a Standard Mark.- (1) An application for change in the scope of licence shall be made to the Bureau in the stipulated form along with fee as specified in the applicable Scheme in Schedule-II.

(2) On receipt of an application under sub-regulation (1), the Bureau after making such enquiry as it deems proper, may extend the scope of the licence in the form specified in the applicable Scheme in Schedule-II.

(3) If at any time, the Bureau has reasons to reduce the scope of a licence, it shall do so after serving a notice

of one month to the licensee.

10. Suspension of licence to use or apply a Standard Mark.- (1) The Bureau shall by an order in writing suspend the licence whenever it has sufficient evidence that goods, article, process, system or service for which licence has been granted may not be conforming to the standard.

(2) The Bureau shall suspend the licence if the licensee has not paid the requisite fee.

(3) Before the suspension of licence under sub-regulation (2), a notice of twenty one days shall be given to the licensee.

(4) On receipt of communication regarding suspension of licence, the licensee shall forthwith stop using Standard Mark under intimation to the Bureau.

(5) The Bureau may revoke suspension after satisfying itself that the licensee has taken necessary corrective actions or the fee has been paid.

(6) The suspension and revocation of licence, as the case may be, shall be made as specified in the applicable Scheme in Schedule-II.

(7) If the complaint regarding quality of any goods, article, process, system or service bearing Standard Mark is established, licence may be suspended and licensee shall be required to take corrective actions.

(8) The revocation of suspension under sub-regulation (6) shall be permitted only after satisfactory verification of corrective actions.

11. Cancellation of licence to use or apply a Standard Mark.- (1) The Bureau may by order in writing cancel the licence after giving a notice of not less than twenty one days, if -

(a) the licensee fails to comply with any of the conditions of the licence;

(b) the licence has been issued in error.

(2) Any explanation submitted by the licensee on receipt of notice under sub-regulation (1) may be taken into consideration by the Bureau and a reasonable opportunity of being heard, either in person or through a representative authorised shall be given to the licensee.

(3) In the case of compounding of offence, the licence shall not be processed for cancellation.

(4) If no explanation is received, the Bureau may, on the expiry of the period of the notice, cancel the licence.

(5) The Bureau may cancel the licence without giving any further notice if the licence has been under suspension for more than one year or the licensee requests for cancellation of licence.

12. Application for grant of certificate of conformity.- (1) If demonstration of conformity is desired without the use of Standard Mark, an application may be made for grant of certificate of conformity under section 13 to the Bureau in the form specified in the applicable conformity assessment scheme in Schedule II.

(2) The processes involved in grant of certificate of conformity and fee shall be as specified in the applicable conformity assessment scheme in Schedule-II.

(3) On receipt of application under sub-regulation (1), the Bureau may make enquiries for verification of the particulars set out in the application and also such other enquiries as it may deem necessary.

(4) The Bureau may ask the applicant or its authorised representative to appear before it for personal representation before the grant of certificate of conformity.

(5) An application which is not complete in all respects or does not conform to the requirements of sub-regulations (1) and (2) shall be rejected by the Bureau:

Provided that, before rejecting an application, the applicant shall be given an opportunity to remove, within thirty days of the date of receipt of relevant communication from the Bureau, such objections as may be indicated by the Bureau:

Provided further that the Bureau may, on sufficient reason being shown, extend the time for removal of objections by such further time, not exceeding thirty days, as the Bureau may consider fit to enable the applicant to remove such objections:

Provided also that the Bureau shall, give a reasonable opportunity to the applicant of being heard, either in person or through a representative authorised by him in this behalf, and may take into consideration any fact or explanation furnished by the applicant or his representative, as the case may be.

13. Grant of certificate of conformity. - (1) The Bureau on being satisfied that the applicant is eligible for grant of certificate of conformity, shall grant the same in form specified in the applicable Scheme in Schedule-II.

(2) The certificate of conformity may be granted whenever conformity to standard(s) or part of a standard or essential requirements is to be demonstrated in relation to: –

(a) goods, article, process, system or service on continuous basis or goods and articles in a batch or lot;

(b) goods, article, process, system or service on the basis of suppliers declaration of conformity;

(c) goods and articles on the basis of initial testing in a laboratory for type approval with or without the right to use for subsequent production;

- (d) any other situation in which the Executive Committee of the Bureau decides that a certificate of conformity could be granted.
- (3) The grant of certificate of conformity under sub-regulation (1) shall be subject to payment of fee specified in the applicable Scheme in Schedule-II.
14. Conditions of certificate of conformity.- (1) The holder of certificate of conformity shall be responsible for the conformity of the goods, article, process, system or service to specified requirements in relation to which certificate of conformity is issued.
- (2) The holder of certificate of conformity shall not use the certificate of conformity in relation to goods, articles, process, system or service that are non-conforming or outside the scope of the certificate of conformity.
- (3) The certificate of conformity shall not be used in relation to any goods, article, process, system or service during deferment or suspension, as the case may be, and after expiry or cancellation of the certificate of conformity, as the case may be.
- (4) The holder of certificate of conformity shall comply with the provisions of the conformity assessment scheme under which certificate of conformity is granted, including labelling and marking requirements.
- (5) The holder of certificate of conformity shall maintain records as specified by the Bureau from time to time.
- (6) The holder of certificate of conformity shall provide the Bureau all assistance in connection with carrying out inspection or audit or evaluation, as applicable, at its premises.
- (7) The holder of certificate of conformity shall provide information relating to production covered under certificate of conformity as and when it is required by the Bureau.
- (8) If the certificate of conformity is granted in relation to goods or articles, the holder of certificate of conformity shall provide the list of consignees, distributors, dealers or retailers, as the case may be, to whom goods or articles under certificate of conformity is supplied.
- (9) The certificate of conformity shall not be transferred to any person without the prior approval of the Bureau.
- (10) If a complaint regarding quality of any goods, article, process, system or service covered under certificate of conformity is established, the holder of certificate of conformity shall take suitable corrective actions so as to eliminate recurrence of complaints in future.

(11) The Bureau shall have the right to amend any of the conditions of certificate of conformity by giving a notice of thirty days to the holder of certificate of conformity.

15. Duration of certificate of conformity.- (1) The certificate of conformity shall be valid for a period as specified in the applicable Scheme in Schedule-II.

(2) If the certificate of conformity is granted in relation to goods or articles of a batch or lot, it shall be a one-time certificate and duration of certificate of conformity is not applicable in these cases.

16. Renewal of certificate of conformity.- (1) An application for renewal of certificate of conformity shall be made to the Bureau in the stipulated form along with the fee, as specified in the applicable conformity assessment scheme in Schedule-II.

(2) The application under sub-regulation (1) shall be made to the Bureau before the expiry of the validity of certificate of conformity as specified in the applicable Scheme in Schedule-II.

(3) On receipt of application under sub-regulation (1), the Bureau may renew or recertify the certificate of conformity in accordance with the applicable conformity assessment scheme in Schedule-II.

(4) If renewal application with requisite fee is not received before expiration of the validity, the renewal of certificate of conformity may be deferred for a period of up to ninety days from the date of its validity:

Provided that if renewal application with requisite fee is not received within the period of deferment, the certificate of conformity shall stand expired after the date of its validity.

(5) If the renewal application is made after the validity of certificate of conformity, the application shall be accompanied by late fee of rupees five thousand.

(6) If the renewal application is received and the certificate of conformity is under suspension, certificate of conformity shall not be renewed till the suspension is revoked.

(7) If suspension is not revoked till the end of its validity, renewal may be deferred for a period of up to one hundred and eighty days from the date of its validity.

(8) If discrepancies which led to the suspension of the certificate of conformity are removed during the period of deferment, the certificate of conformity may be renewed from the date of its validity.

(9) If discrepancies which led to the suspension of the certificate of conformity are not removed during the period of deferment, the certificate of conformity shall stand expired after the date of its validity.

(10) If the certificate of conformity is granted in relation to goods or articles of a batch or lot, it shall be a one-time certificate and renewal of certificate of conformity is not applicable in these cases.

17. Change in scope of certificate of conformity.- (1) An application for change in the scope of

certificate of conformity shall be made to the Bureau in the stipulated form along with fee as specified in the applicable Scheme in Schedule-II.

(2) On receipt of an application under sub-regulation (1), the Bureau after making such enquiry as it deems proper, may extend the scope of the certificate of conformity in form specified in the applicable Scheme in Schedule-II.

(3) If at any time, the Bureau has reasons to reduce the scope of a certificate of conformity, it shall do so after serving a notice of one month to the holder of certificate of conformity.

18. Suspension of certificate of conformity.- (1) The Bureau shall by order in writing suspend the certificate of conformity whenever it has sufficient evidence that goods, article, process, system or service for which certificate of conformity has been granted may not be conforming to the specified requirements.

(2) The Bureau shall suspend the certificate of conformity, if the holder of certificate of conformity has not paid the requisite fee.

(3) Before suspending the licence under sub-regulation (2), a notice of twenty one days shall be given to the holder of certificate of conformity.

(4) On receipt of communication regarding suspension of certificate of conformity, the holder of certificate of conformity shall forthwith stop using certificate of conformity under intimation to the Bureau.

(5) The Bureau may revoke the suspension after satisfying itself that the holder of certificate of conformity has taken necessary corrective actions or the fee has been paid.

(6) The suspension and revocation of certificate of conformity, as the case may be, shall be done in accordance with the applicable Scheme in Schedule-II.

(7) If complaint regarding quality of any goods, article, process, system or service covered under certificate of conformity is established, certificate of conformity may be suspended and its holder shall be required to take corrective actions.

(8) The revocation of suspension under sub-regulation (6) may be permitted only after satisfactory verification of corrective actions.

(9) If the certificate of conformity is granted in relation to goods or articles of a batch or lot, it shall be a one-time certificate and suspension or revocation of certificate of conformity is not applicable in such cases.

19. Cancellation of certificate of conformity.- (1) The Bureau may by order in writing cancel the certificate of conformity after giving a notice of not less than twenty one days, if, -

-
- (a) the holder of certificate of conformity fails to comply with any of the conditions of the certificate of conformity;
 - (b) the certificate of conformity has been issued in error.
- (2) Any explanation submitted by the holder of certificate of conformity on receipt of notice under sub-regulation (1) may be taken into consideration by the Bureau and a reasonable opportunity of being heard, either in person or through a representative authorised shall be given to the holder of certificate of conformity.
- (3) In the case of compounding of offence, the certificate of conformity shall not be processed for cancellation.
- (4) If no explanation is received, the Bureau may, on the expiry of the period of the notice, cancel the certificate of conformity.
- (5) The Bureau may cancel the certificate of conformity without giving any further notice if the certificate of conformity has been under suspension for more than one year or the holder of certificate of conformity requests for cancellation of certificate of conformity.

卷之三

Process	Description	Classification of products and articles				Management System Certifications	Any Other Conformity Assessment Scheme
		Type A	Type B	Type C	Type D		
Exclusion	Specific Exclusions Sampling, Testing, Reparatur, Application	Test, Inspection, Testing Approval, Assessment Audit	High Lot Testing	Initial Testing of Production process by Testing on initial samples in single factory or multiple facilities as per Requirement.	Initial testing and assessment of production process by a) Initial environmental process/ laboratory service b) Parallel assessment of processes by laboratory center c) Parallel assessment	Y	Y
Determination	Test, Inspection, Testing Approval, Assessment Audit	High Lot Testing	Initial Testing of Production process by Testing on initial samples in single factory or multiple facilities as per Requirement.	Initial testing and assessment of production process by a) Initial environmental process/ laboratory service b) Parallel assessment of processes by laboratory center c) Parallel assessment	Y	Y	
Retention	Retention of Evidence of conformity With respect to Requirements	Test, Inspection, Testing Approval, Assessment Audit	Initial Testing of Production process by Testing on initial samples in single factory or multiple facilities as per Requirement.	Initial Testing of Production process by Testing on initial samples in single factory or multiple facilities as per Requirement.	Y	Y	
Decision	Decision Based on Test Report, Approval, Audit	Test, Inspection, Testing Approval, Assessment Audit	Initial Testing of Production process by Testing on initial samples in single factory or multiple facilities as per Requirement.	Initial Testing of Production process by Testing on initial samples in single factory or multiple facilities as per Requirement.	Y	Y	
Verification	Verification of Outcomes of Conformity Assessment Procedure	Test, Inspection, Testing Approval, Assessment Audit	Initial Testing of Production process by Testing on initial samples in single factory or multiple facilities as per Requirement.	Initial Testing of Production process by Testing on initial samples in single factory or multiple facilities as per Requirement.	Y	Y	

Schedule - II

Scheme - I

Conformity assessment scheme for Grant of licence to use or apply Standard Mark  on goods and articles as per Indian Standard (based on scheme Type E as per Schedule-I)

Scope

1. (1) Under this Scheme which is based on Type E, licence to use or apply a Standard Mark may be granted by the Bureau for goods or articles, herein after referred to as products, manufactured in a manufacturing premises and conforming to all the requirements of the relevant Indian Standard(s).

Explanation.- For the purposes of sub-paragraph (1), manufacturing premise(s) means the premises, either owned by the applicant or otherwise, where a part of the manufacturing activity takes place and includes the premises where the final manufacturing activity is carried out and where Standard Mark is to be used or applied.

- (2) The grant of licence and its operation shall be done in accordance with the processes specified in paragraph 3.

Definitions

2. (a) “Scheme of Inspection and Testing” means a plan specified by the Bureau and to be adopted by the licensee for establishing laboratory and exercising control at different stages in the production process;

(b) “third party laboratory” means a laboratory established, maintained or recognised by the Bureau or Government laboratories empaneled by the Bureau or any other laboratory decided by the Executive Committee of the Bureau.

Processes of the Scheme

3. (1) Selection.- (a) The manufacturer shall identify that,-

- (i) the applicable Indian Standard against which it intends to obtain a licence;
- (ii) the machinery available in manufacturing premise (s) and prepare a list in Form –I annexed to this Scheme and if any part of the manufacturing activity is outsourced, details of machinery used for that activity shall be indicated in a separate form;

(iii) the test equipment required to carry out testing in accordance with the relevant Indian Standard, relevant Scheme of inspection and testing and prepare a list of the available equipment in Form –II annexed to this Scheme.

(iv) For the tests which are permitted to be sub-contracted and not available with the manufacturer, he shall identify test facility outside the factory where such tests can be carried out and inform the same to the Bureau.

(b) the minimum number of sample(s) required for testing shall be ascertained by the manufacturer keeping in view the nature of the product, intended scope of the licence or in accordance with the sampling guidelines:

Provided that if the sampling guidelines are available on the website of Bureau, it shall be followed by the manufacturer.

(c) the manufacturer may submit his levels of control in Form –III annexed to this Scheme which he proposes to implement in day to day production so as to ensure that the final product conforms to the relevant Indian Standard;

(d) in case of certain products specified by the Bureau, levels of control as specified in the scheme of inspection and testing by the Bureau shall be obligatory for the manufacturer to comply with;

(e) the manufacturer shall ensure that the product has been tested for conformity against all the requirements of the Indian Standard and shall prepare test report in Form –IV annexed to this Scheme;

(f) in cases where duration of any test is more than a month and the applicant is a new manufacturing unit, the product may be tested for complete duration or for duration of a month, either in the factory or in a third party laboratory;

(g) the manufacturer may apply for grant of licence in Form –V annexed to this Scheme and the Bureau shall follow any one of the following procedure or any combination thereof, for grant of licence, namely;—

(i) (I) the applicant shall submit complete test report of the product which is issued from a third part laboratory along with the application;

(II) the Bureau shall arrange a factory visit for verification of production process and drawal of verification sample for third party laboratory testing;

(III) the licence shall be granted without waiting for the test report of the verification sample and review of the licence shall be made on receipt of the test report;

-
- (ii) (I) the Bureau shall arrange a visit to the factory for verification of production process and testing of the product in the factory when complete testing facilities are available with the applicant either in-house or outside the factory;
- (II) the licence shall be granted based on the testing of the samples in the factory;
- (iii) the Bureau shall arrange a visit to the factory for verification of production process and drawal of sample for testing in a third party laboratory and the licence shall be granted after demonstration of conformity through the test report of this sample;
- (h) in case of foreign manufacturers, an authorised Indian representative based in India shall be nominated in Form-VI annexed to this Scheme.

(2) Determination.- (a) The Bureau on receipt of an application shall examine that the applicant has submitted all required documents along with the application.

(b) If the application under clause (a) is complete, the Bureau shall finalise the date of the factory visit in consultation with the applicant;

(c) During factory visit, the following activities shall be carried out by the Bureau, namely:-

(i) verification of documents submitted by the manufacturer;

(ii) discussion on the adequacy of the levels of control submitted by the manufacturer, if applicable;

(iii) verification of the plant layout and manufacturing process with levels of control exercised at various stages;

(iv) verification of available infrastructure including manufacturing machinery and test equipment, competence of person(s) in-charge of quality control, storage facilities and hygienic conditions, if applicable;

(v) verification of test equipment calibration status;

(vi) factory testing and drawal of sample for third party laboratory testing, as applicable.

(d) Any inadequacy observed during the factory visit shall be communicated in writing to the manufacturer in Form –VII annexed to this Scheme.

(3) Review.- (a) The report of the factory visit shall be reviewed on the basis of the activities specified under clause (c) of sub-paragraph (2) of paragraph 3;

(b) the test results of the product shall be reviewed for their correctness and conformance to the Indian Standard and in case duration of a test is longer than a month, test report of the manufacturer for

such tests may be considered for grant of licence and same may be reviewed on receipt of third party laboratory report.

(4) Decision.- The decision on grant of licence shall be taken when the Bureau is satisfied that the manufacturer has necessary infrastructure for manufacturing quality products on a continuous basis and the test results indicate conformity of the product to the relevant Indian Standard.

(5) Attestation.- (a) The Bureau shall grant licence in Form –VIII annexed to this Scheme indicating the scope of the licence, licence number, address of the manufacturer, validity of licence, marking fee, details of the Indian Standard and facsimile of the Standard Mark to the manufacturer;

(b) in case of foreign manufacturer, the Bureau shall issue the agreement for grant of licence in Form –IX annexed to this Scheme along with the indemnity bond in Form –X annexed to this Scheme, duly executed on a non-judicial stamp paper of rupees one hundred to be submitted by the foreign manufacturer or his authorised Indian representative, as the case may be;

(c) in case of foreign manufacturer, a performance bank guarantee for US Dollars ten thousand as per Form –XI annexed to this Scheme issued by any bank having Reserve Bank of India approved branch in India shall be submitted by that manufacturer;

(d) the Bureau may issue test certificate indicating conformity to the Indian Standard based on pre-despatch inspection of the product covered under the scope of the licence.

(6) Surveillance.- (a) The Bureau may carry out inspection at licensee's premises either with or without prior intimation;

(b) the need for carrying out the inspection shall be decided keeping in view the risk associated with the product and any variation observed during such inspection shall be communicated to the licensee in Form –VII annexed to this Scheme;

(c) the Bureau may draw samples during inspection for testing;

(d) the Bureau may draw samples from market and send the samples for testing to a third party laboratory along with the test request and in case drawal of market sample is not possible due to any reason, samples may be drawn from the despatch point;

(e) the Bureau may obtain feedback preferably from organised buyers.

Complaint

4. (1) The Bureau shall acknowledge and investigate any complaint received regarding quality of the product bearing Standard Mark.

(2) The action for closure of complaint shall be completed within ninety days, excluding the testing time, where testing of the product is involved.

Fee

5. (1) The application fee, renewal application fee and annual licence fee shall be rupees one thousand each.

(2) The marking fee for the use of Standard Mark shall be as specified in the Annexure – I.

(3) The actual marking fee or minimum marking fee, whichever is higher shall be payable by the licensee every year.

Note 1: The actual marking fee for the first year shall be calculated by multiplying the unit rate with the quantity (units) marked during the first nine months.

Note 2: The actual marking fee for subsequent years shall be calculated on year-to-year basis after the first nine months.

(4) In case of cancellation of a licence, marking fee shall not be refunded by the Bureau:

Provided that when an Indian Standard is withdrawn but not superseded by any other standard, proportionate marking fee shall be refunded.

(5) In case of extension of scope of licence, an amount of rupees five thousand shall be chargeable per variety or, where grouping guidelines are available, per group of varieties.

(6) For any inspection other than surveillance inspection or inspection carried out for complaint investigation, an inspection fee of rupees seven thousand per day shall be levied;

(7) When test certificate based on pre-despatch inspection is required to be issued, such inspection fee at the rate of rupees ten thousand per day shall be payable by the applicant.

(8) The testing fee of samples, other than those which may be drawn during surveillance or complaint investigation, shall be borne by the applicant or the licensee, as the case may be.

Labelling and Marking requirements

6. (1) Each product or the package, as the case may be, shall be marked with the Standard Mark, as specified in Annexure-II.

(2) The Standard Mark shall carry the licence number and reference to the Indian Standard in a visible manner and shall be as specified in the licence.

(3) In case the licence number cannot be placed beneath the Standard Mark, it shall be suitably placed close to the Standard Mark in a linear manner.

(4) The product details as per the requirement of the Indian Standard, which may include variety, lot or batch number, date or week of manufacturing, complete address of manufacturer shall be marked on either the product or the packaging or contained in a label attached to the product.

(5) The marking details shall contain reference to the website of the Bureau so that a consumer may verify the authenticity of the standard marked product.

(6) If the Standard Mark cannot be applied on the product or the packaging physically, it shall be given on the test certificate.

(7) For any specific product, additional labelling and marking requirements may be specified by the Bureau in the relevant scheme of inspection and testing shall be complied.

Conditions of Licence

7. The conditions of licence shall be as provided in regulation 6 of these regulations.

Validity of Licence

8. (1) The licence to use Standard Mark shall be granted initially for not less than one year and upto two years.

(2) The licence may be renewed for a further period of not less than one year and up to five years.

(3) The minimum marking fee shall be paid in advance for the validity period of the licence.

Renewal of Licence

9. (1) An application for renewal of licence to use Standard Mark shall be made before two months of its expiration to the Bureau in Form –XII annexed to this Scheme.

(2) The Bureau shall renew the licence in Form –XIII annexed to this Scheme.

(3) The renewal of licence shall be done in accordance with regulation 8 of these regulations.

(4) If actual marking fee is more than minimum marking fee, the difference of the fee shall be paid annually by the applicant.

(5) Where volume of production is high, the Bureau may direct such licensees to pay actual marking fee on quarterly basis.

Change in scope of licence

10. (1) An application for change in scope of licence to use Standard Mark shall be made to the Bureau in Form –XIV annexed to this Scheme along with fee prescribed in sub-paragraph (5) of paragraph 5.

(2) For extension in scope of licence, application shall be made either along with a complete test report of the product issued by a third party laboratory or along with a request to Bureau to draw the sample for testing.

(3) If there is no change in scheme of inspection and testing or infrastructure including manufacturing machinery and test equipment and extension in scope of licence is in the same group of sampling guidelines, the test report(s) may not be required for extension in scope of licence.

(4) The Bureau shall change the scope of licence in Form –XV annexed to this Scheme.

Suspension

11. (1) The licensee on its own shall suspend the use of the Standard Mark under intimation to the Bureau if, at any time, there is difficulty in maintaining the conformity of the product to the Indian Standard or any test equipment goes out of order or due to natural calamities such as flood, fire, earthquake, lock out declared by the management, closure of operations directed by a competent court or statutory authority.

(2) The revocation of suspension may be done as soon as the deficiencies are removed and information shall be sent to the Bureau immediately but not later than seven days from the date of revocation.

(3) The licensee on its own shall suspend the use of the Standard Mark under intimation to the Bureau on relocation of manufacturing unit to a new premises.

(4) The revocation of suspension may be done by the Bureau after verification of the old premises and verification of production process at new premises.

(5) (a) The Bureau may suspend the licence and direct the licensee not to use Standard Mark on its product if, at any time, it has sufficient evidence that the product bearing the Standard Mark may not be conforming to the relevant Indian Standard and such evidence is not limited to, but may include one or more of the following, namely:-

(i) consecutive test reports indicating non-conformity of the product to the relevant Indian Standard;

(ii) non-availability of testing personnel even as Standard Mark is being used;

(iii) use of Standard Mark on the non-conforming products;

(iv) major deviation observed in the implementation of scheme of inspection and testing;

(v) major modification(s) in the manufacturing process without prior evaluation of the Bureau;

(vi) relocation of manufacturing unit to a new address without intimation;

(vii) closure of manufacturing unit for more than six months without intimation;

(viii) non-compliance of any instructions issued by the Bureau from time to time.

(b) The licensee, whose licence has been put under suspension, shall stop using or applying Standard Mark, dispatching of the product bearing the Standard Mark and shall send confirmation in this regard to the Bureau immediately followed by confirmation of having taken corrective actions.

(c) The Bureau may arrange a visit to the factory to verify the corrective actions and may allow revocation of suspension after satisfying itself that the licensee—

(i) has taken necessary corrective actions; and

(ii) has provided sufficient evidence of conformity of the product to the relevant Indian Standard.

(6) The Bureau may suspend the licence after issuing a notice of twenty one days and direct the licensee not to use Standard Mark on its product when requisite fee is not paid by the applicant.

(7) The Bureau may revoke the suspension issued under sub-paragraph (6) on receipt of dues.

Cancellation of licence

12. The Bureau shall cancel the licence in accordance with regulation 11 of these regulations.

Annexure-I										
[Refer sub-paragraph (2) of paragraph 5 of Scheme – I]										
Sr No.	Indian Standard Number	Unit	Large Scale Enterprises	Micro Small Medium Enterprises*	Unit Rate SLAB-1	SLAB-1 applicable to Quantity	Unit rate SLAB-2	SLAB-2 applicable to Quantity	Unit rate SLAB-3 for remaining Quantity	Effective Since Date
1	IS 1:1968	1 FLAG	₹ 46,000.00	₹37,000.00	₹ 0.36	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
2	IS 21:1992	1 TONNE	₹64,000.00	₹52,000.00	₹160.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
3	IS 44:1991	ONE Kg	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.07	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
4	IS 73:2013	One MT	₹72,000.00	₹58,000.00	₹24.00	All	₹0.00	0	₹0.00	18052016
5	IS 133:Part 1:2013	1 LITRE	₹72,000.00	₹58,000.00	₹0.26	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
6	IS 158:2015	1 LITRE/1 KG	₹60,000.00	₹48,000.00	₹0.26	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
7	IS 164:2015	1 LITRE/1 KG	₹64,000.00	₹52,000.00	₹0.26	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
8	IS 168:1993	One Litre	₹56,000.00	₹45,000.00	₹0.25	All	₹0.00	0	₹0.00	6092016
9	IS 175:1989	100 METERS	₹87,000.00	₹70,000.00	₹14.50	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
10	IS 177:1989	100 LINEAR	₹46,000.00	₹37,000.00	₹6.25	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
11	IS 191:2007	1 TONNE	₹86,000.00	₹69,000.00	₹36.60	All	₹0.00	0	₹0.00	26122016
12	IS 204:Part 1:1991	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹8.70	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
13	IS 204:Part 2:1992	100 piece	₹47,000.00	₹38,000.00	₹8.70	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
14	IS 205:1992	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹5.60	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
15	IS 208:1996	100 piece	₹47,000.00	₹38,000.00	₹8.70	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
16	IS 210:2009	1 TONE	₹49,000.00	₹40,000.00	₹72.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
17	IS 245:1988	1 TONNE	₹52,000.00	₹42,000.00	₹25.90	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
18	IS 251:1998	1 TONNE	₹47,000.00	₹38,000.00	₹1.50	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
19	IS 252:2013	1 TONNE	₹58,000.00	₹47,000.00	₹15.90	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
20	IS 253:2014	1 TONNE	₹64,000.00	₹52,000.00	₹2.15	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017

21	IS 261:1982	1 TONNE	₹53,000.00	₹43,000.00	₹35.35	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
22	IS 265:1993	1 KG	₹58,000.00	₹47,000.00	₹0.26	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
23	IS 266:1993	1 KG	₹73,000.00	₹59,000.00	₹0.26	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
24	IS 269:2015	1 ton	₹72,000.00	₹58,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
25	IS 276:2000	ONE MT	₹46,000.00	₹37,000.00	₹37.10	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
26	IS 277:2003	1 TONNE	₹47,000.00	₹38,000.00	₹4.50	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
27	IS 278:2009	1 ton	₹50,000.00	₹40,000.00	₹66.70	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
28	IS 280:2006	1 Tonne	₹65,000.00	₹52,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
29	IS 281:2009	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.15	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
30	IS 285:1992	1 TONNE	₹59,000.00	₹48,000.00	₹50.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
31	IS 299:2012	1MT	₹71,000.00	₹57,000.00	₹11.85	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
32	IS 302:Part 2:Sec 59:1999	1 Piece	₹59,000.00	₹48,000.00	₹0.20	All	₹0.00	0	₹0.00	26052016
33	IS 302:Part 2:Sec 3:2007	1 piece	₹73,000.00	₹59,000.00	₹1.30	All	₹0.00	0	₹0.00	17072017
34	IS 302:Part 2:Sec 30:2007	1 piece	₹85,000.00	₹68,000.00	₹1.30	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
35	IS 302:Part 2:Sec 201:2008	1 piece	₹66,000.00	₹53,000.00	₹1.30	All	₹0.00	0	₹0.00	17072017
36	IS 303:1989	1 sq.m	₹67,000.00	₹54,000.00	₹0.15	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
37	IS 325:1996	1 kW	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
38	IS 335:1993	1 kL	₹86,000.00	₹71,000.00	₹8.70	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
39	IS 341:1973	1 LITRE/1 KG	₹90,000.00	₹72,000.00	₹0.26	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
40	IS 362:1991	100 piece	₹47,000.00	₹38,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
41	IS 363:1993	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹5.75	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
42	IS 366:1991	1 piece	₹87,000.00	₹70,000.00	₹1.30	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
43	IS 368:2014	1 piece	₹89,000.00	₹72,000.00	₹1.30	All	₹0.00	0	₹0.00	17072017
44	IS 369:1992	1 piece	₹1,00,000.00	₹80,000.00	₹1.70	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
45	IS 371:1999	100 piece	₹61,000.00	₹49,000.00	₹2.30	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
46	IS 374:1979	1 piece	₹65,000.00	₹52,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
47	IS 398:Part 5:1992	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹34.60	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
48	IS 398:Part 4:1994	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹46.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
49	IS 398:Part 1:1996	1 ton	₹53,000.00	₹43,000.00	₹34.60	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
50	IS 398:Part 2:1996	1 ton	₹53,000.00	₹43,000.00	₹90.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
51	IS 411:1991	100 Kg	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.40	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
52	IS 418:2004	100 piece	₹1,57,000.00	₹1,26,000.00	₹1.60	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
53	IS 419:1967	1 Litre/Kg	₹49,000.00	₹40,000.00	₹0.05	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
54	IS 427:2013	1 LITRE/1 KG	₹68,000.00	₹55,000.00	₹0.26	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
55	IS 428:2013	1 LITRE/1 KG	₹68,000.00	₹55,000.00	₹0.26	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
56	IS 432:Part 1:1982	1 ton	₹47,000.00	₹38,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
57	IS 432:Part 2:1982	1 ton	₹53,000.00	₹43,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
58	IS 444:1987	100 METRE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹25.90	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
59	IS 446:1987	100 METRE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹25.90	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
60	IS 447:1988	100 METRE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹25.90	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
61	IS 455:2015	1 ton	₹73,000.00	₹59,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
62	IS 458:2003	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹8.70	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
63	IS 459:1992	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
64	IS 513:2008	1 Tonne	₹73,000.00	₹59,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017

65	IS 513:Part 1:2016	1 Tonne	₹73,000.00	₹59,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
66	IS 513:Part 2:2016	1 MT	₹79,000.00	₹64,000.00	₹4.30	All	₹0.00	0	₹0.00	15112017
67	IS 539:1974	ONE Kg	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.26	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
68	IS 550:Part 1:2014	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹173.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
69	IS 553:1984	ONE TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹34.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
70	IS 573:1992	1 M.T	₹46,000.00	₹37,000.00	₹44.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
71	IS 612:1992	1 TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹20.80	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
72	IS 617:1994	1 TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹42.60	All	₹0.00	0	₹0.00	15112017
73	IS 623:2008	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
74	IS 624:2003	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
75	IS 636:1988	100 METRE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹17.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
76	IS 638:1979	1 TONNE	₹64,000.00	₹52,000.00	₹200.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
77	IS 648:2006	1 Tonne	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
78	IS 650:1991	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹15.10	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
79	IS 651:2007	1 ton	₹67,000.00	₹64,000.00	₹8.70	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
80	IS 694:2010	100 meter	₹93,000.00	₹75,000.00	₹1.80	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
81	IS 702:1988	1 TONNE	₹63,000.00	₹51,000.00	₹17.50	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
82	IS 704:1984	1 piece	₹52,000.00	₹42,000.00	₹0.14	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
83	IS 710:2010	1 sq m	₹84,000.00	₹68,000.00	₹0.18	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
84	IS 711:1970	1 Tonne	₹55,000.00	₹44,000.00	₹8.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
85	IS 712:1984	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
86	IS 717:1998	1 MT	₹51,000.00	₹41,000.00	₹5.00	All	₹0.00	0	₹0.00	26122016
87	IS 723:1972	1 tonne	₹46,000.00	₹37,000.00	₹90.00	All	₹0.00	0	₹0.00	21122016
88	IS 745:2003	1 SQ METER	₹56,000.00	₹45,000.00	₹0.15	All	₹0.00	0	₹0.00	25082017
89	IS 758:1988	100 SQ. METRE	₹47,000.00	₹38,000.00	₹12.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
90	IS 774:2004	1 piece	₹74,000.00	₹60,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
91	IS 778:1984	1 piece	₹57,000.00	₹46,000.00	₹0.60	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
92	IS 779:1994	1 piece	₹1,30,000.00	₹1,04,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
93	IS 781:1984	1 piece	₹49,000.00	₹40,000.00	₹0.45	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
94	IS 784:2001	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹8.70	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
95	IS 797:1982	1 TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.90	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
96	IS 799:1985	100 Litres	₹59,000.00	₹48,000.00	₹4.20	All	₹0.00	0	₹0.00	24012017
97	IS 814:2004	1000 Pieces	₹1,09,000.00	₹88,000.00	₹1.80	60000 units	₹0.90	Remaining	₹0.00	06082017
98	IS 848:2006	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹26.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
99	IS 863:1988	100 SQ. METRE	₹47,000.00	₹38,000.00	₹16.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
100	IS 868:1990	100 KG	₹58,000.00	₹47,000.00	₹20.20	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
101	IS 878:2008	100 PIECES	₹56,000.00	₹45,000.00	₹1.10	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
102	IS 884:1985	1 piece	₹53,000.00	₹43,000.00	₹120.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
103	IS 899:1971	1 MT	₹72,000.00	₹58,000.00	₹34.50	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
104	IS 902:1992	1 piece	₹65,000.00	₹52,000.00	₹11.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
105	IS 903:1993	1 piece	₹56,000.00	₹45,000.00	₹1.90	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
106	IS 907:1984	1 piece	₹61,000.00	₹49,000.00	₹6.40	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
107	IS 915:2012	1 FLASK	₹52,000.00	₹42,000.00	₹1.05	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
108	IS 916:2000	100 TINS	₹58,000.00	₹47,000.00	₹8.70	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
109	IS 928:1984	1 piece	₹83,000.00	₹67,000.00	₹62.50	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016

110	IS 952:2012	1 piece	₹56,000.00	₹45,000.00	₹8.80	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
111	IS 996:2009	1 piece	₹49,000.00	₹40,000.00	₹2.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
112	IS 1007:1984	1 KG	₹50,000.00	₹40,000.00	₹0.18	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
113	IS 1008:2004	1 KG	₹56,000.00	₹45,000.00	₹0.18	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
114	IS 1011:2002	1 TONNE	₹51,000.00	₹41,000.00	₹8.70	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
115	IS 1015:2000	100 BUCKETS	₹1,10,000.00	₹88,000.00	₹3.70	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
116	IS 1030:1998	1 MT	₹46,000.00	₹37,000.00	₹36.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
117	IS 1038:1983	1 ton	₹53,000.00	₹43,000.00	₹17.30	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
118	IS 1051:1980	100 LITRE	₹61,000.00	₹49,000.00	₹34.50	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
119	IS 1061:2017	1 KILO LITRE	₹72,000.00	₹58,000.00	₹43.20	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
120	IS 1065:1989	ONE TONNE	₹50,000.00	₹40,000.00	₹8.60	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
121	IS 1069:1993	ONE KILO LITRE	₹53,000.00	₹43,000.00	₹6.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
122	IS 1079:2017	ONE TONNE	₹86,000.00	₹69,000.00	₹3.75	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
123	IS 1084:2005	ONE TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹86.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
124	IS 1109:1980	One Tonne	₹53,000.00	₹43,000.00	₹85.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
125	IS 1117:1975	100 PIECES	₹53,000.00	₹43,000.00	₹13.80	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
126	IS 1144:1980	1 Tonne	₹75,000.00	₹60,000.00	₹9.60	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
127	IS 1155:1968	1 Kg	₹54,000.00	₹44,000.00	₹0.10	All	₹0.00	0	₹0.00	24012017
128	IS 1159:1981	1 KG	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.10	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
129	IS 1161:2014	1 TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹8.70	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
130	IS 1165:2002	1 TONNE	₹80,000.00	₹64,000.00	₹40.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
131	IS 1166:1986	1 TONNE	₹79,000.00	₹64,000.00	₹34.50	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
132	IS 1170:1992	1 TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹91.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
133	IS 1180:Part I:2014	1 kVA	₹1,42,000.00	₹1,14,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
134	IS 1221:1991	1 LITRE	₹59,000.00	₹48,000.00	₹0.17	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
135	IS 1223:2001	100 Pieces	₹46,000.00	₹37,000.00	₹12.10	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
136	IS 1237:2012	10 sq. m	₹57,000.00	₹46,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
137	IS 1239:Part I:2004	1 TONNE	₹75,000.00	₹60,000.00	₹8.70	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
138	IS 1239:Part 2:2011	1 TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹43.20	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
139	IS 1251:1988	1 TONNE	₹47,000.00	₹38,000.00	₹97.95	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
140	IS 1258:2005	100 piece	₹1,67,000.00	₹1,34,000.00	₹2.60	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
141	IS 1269:Part I:1997	100 m	₹60,000.00	₹49,000.00	₹0.32	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
142	IS 1269:Part 2:1997	100 m	₹60,000.00	₹49,000.00	₹0.32	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
143	IS 1293:2005	100 piece	₹78,000.00	₹63,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
144	IS 1319:1983	One Tonne	₹64,000.00	₹52,000.00	₹24.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
145	IS 1321:Part I:2003	ONE TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹86.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
146	IS 1322:1993	100 meter	₹71,000.00	₹57,000.00	₹4.90	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
147	IS 1328:1996	1 sq.m	₹66,000.00	₹53,000.00	₹0.55	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
148	IS 1341:1992	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
149	IS 1363:Part I:2002	1 ton	₹59,000.00	₹48,000.00	₹26.00	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
150	IS 1363:Part 2:2002	1 TON	₹59,000.00	₹48,000.00	₹26.00	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
151	IS 1363:Part 3:2002	1 ton	₹59,000.00	₹48,000.00	₹26.00	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
152	IS 1364:Part I:2002	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹26.00	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
153	IS 1370:1993	10 sq.m	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
154	IS 1374:2007	1 TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹5.20	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
155	IS 1381:Part I:2003	1 PIECE	₹50,000.00	₹40,000.00	₹0.25	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016

156	IS 1422:1983	100 SQ. METRE	₹53,000.00	₹43,000.00	₹11.60	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
157	IS 1470:2013	1 MT	₹46,000.00	₹37,000.00	₹6.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
158	IS 1475:Part 1:2001	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹17.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
159	IS 1488:1989	ONE TONNE	₹57,000.00	₹46,000.00	₹285.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
160	IS 1489:Part 1:2015	1 ton	₹68,000.00	₹55,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
161	IS 1489:Part 2:2015	1 ton	₹64,000.00	₹45,000.00	₹2.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
162	IS 1507:1977	1 TONNE	₹49,000.00	₹40,000.00	₹196.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
163	IS 1534:Part 1:1977	ONE PIECES	₹39,200.00	₹32,200.00	₹0.18	All	₹0.00	0	₹0.00	1072006
164	IS 1536:2001	1 TONNE	₹85,000.00	₹68,000.00	₹8.70	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
165	IS 1537:1976	1 TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹8.70	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
166	IS 1538:1993	1 TONNE	₹62,000.00	₹50,000.00	₹41.35	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
167	IS 1551:1991	1 BOX OF 100 SHEETS	₹51,000.00	₹41,000.00	₹0.36	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
168	IS 1554:Part 1:1988	100 meter	₹1,85,000.00	₹1,48,000.00	₹18.00	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
169	IS 1554:Part 2:1988	100 meter	₹2,71,000.00	₹2,17,000.00	₹184.00	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
170	IS 1580:1991	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹8.65	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
171	IS 1592:2003	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹8.65	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
172	IS 1610:2000	1 piece	₹73,000.00	₹42,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
173	IS 1626:Part 2:1994	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹21.00	All	₹0.00	0	₹0.00	2062017
174	IS 1656:2007	ONE TONNE	₹1,33,000.00	₹1,07,000.00	₹172.80	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
175	IS 1658:2006	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹8.70	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
176	IS 1659:2004	1 sq. m	₹73,000.00	₹59,000.00	₹0.36	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
177	IS 1660:2009	1 ton	₹47,000.00	₹38,000.00	₹17.30	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
178	IS 1664:2002	1 TONNE	₹84,000.00	₹68,000.00	₹58.30	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
179	IS 1694:1994	1 KG	₹63,000.00	₹51,000.00	₹1.60	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
180	IS 1695:2014	1 KG	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
181	IS 1697:1994	1 KG	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
182	IS 1698:1994	1 KG	₹62,000.00	₹50,000.00	₹1.30	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
183	IS 1703:2000	1 piece	₹57,000.00	₹46,000.00	₹0.40	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
184	IS 1709:1984	1 piece	₹88,000.00	₹72,000.00	₹0.07	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
185	IS 1710:1989	1 piece	₹63,000.00	₹51,000.00	₹20.00	2750	₹10.00	Remaining	₹0.00	24082016
186	IS 1726:1991	1 ton	₹58,000.00	₹47,000.00	₹19.35	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
187	IS 1729:2002	1 TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹8.70	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
188	IS 1741:1960	ONE TONNE	₹66,000.00	₹51,000.00	₹86.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
189	IS 1746:1992	1 KG	₹76,000.00	₹61,000.00	₹0.26	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
190	IS 1759:1986	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹10.25	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
191	IS 1783:Part 1:2014	ONE DRUM	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.35	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
192	IS 1783:Part 2:2014	ONE DRUM	₹60,000.00	₹48,000.00	₹1.80	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
193	IS 1784:1998	100 PIECES	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
194	IS 1785:Part 1:1983	1 ton	₹76,000.00	₹61,000.00	₹21.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
195	IS 1785:Part 2:1983	1 ton	₹50,000.00	₹40,000.00	₹19.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
196	IS 1786:2008	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
197	IS 1804:2004	1 MT	₹46,000.00	₹37,000.00	₹21.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
198	IS 1806:1975	1 TONNE	₹56,000.00	₹45,000.00	₹34.50	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
199	IS 1824:1978	100 LITRE	₹90,000.00	₹72,000.00	₹34.50	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
200	IS 1825:1983	1 CAN	₹62,000.00	₹50,000.00	₹2.10	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
201	IS 1827:1989	ONE KL	₹46,000.00	₹37,000.00	₹346.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016

202	IS 1832:1978	ONE TONNE	₹55,000.00	₹44,000.00	₹86.40	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
203	IS 1834:1984	1 TONNE	₹57,000.00	₹46,000.00	₹70.00	All	₹0.00	0	₹0.00	17072017
204	IS 1838:Part 1:1983	1 sq.m	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.55	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
205	IS 1838:Part 3:2011	1 sq. m	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.40	All	₹0.00	0	₹0.00	13072016
206	IS 1848:2007	1 TONNE	₹60,000.00	₹48,000.00	₹8.60	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
207	IS 1855:2003	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹17.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
208	IS 1856:2005	1 ton	₹56,000.00	₹45,000.00	₹17.30	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
209	IS 1875:1992	1 TONNE	₹60,000.00	₹48,000.00	₹3.60	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
210	IS 1879:2010	1 TONNE	₹71,000.00	₹57,000.00	₹26.00	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
211	IS 1884:1993	1 piece	₹58,000.00	₹47,000.00	₹0.36	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
212	IS 1891:Part 1:1994	1 MT	₹1,56,000.00	₹1,25,000.00	₹300.00	All	₹0.00	0	₹0.00	16022015
213	IS 1912:1984	ONE TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹17.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
214	IS 1919:1982	1 M.T	₹68,000.00	₹56,000.00	₹100.00	600	₹50.00	600	₹25.00	24082016
215	IS 1929:1982	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹22.70	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
216	IS 1932:1986	1 TONNE	₹69,000.00	₹56,000.00	₹16.00	2000	₹8.00	2000	₹4.00	20122016
217	IS 1943:1995	1 TONNE	₹55,000.00	₹44,000.00	₹17.30	All	₹0.00	0	₹0.00	26122016
218	IS 1970:1995	1 SPRAYER	₹83,000.00	₹67,000.00	₹9.60	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
219	IS 1971:1996	1 PUMP	₹67,000.00	₹54,000.00	₹5.00	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
220	IS 1989:Part 1:1986	1 PAIR	₹67,000.00	₹54,000.00	₹0.50	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
221	IS 1989:Part 2:1986	1 PAIR	₹68,000.00	₹55,000.00	₹0.50	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
222	IS 1993:2006	1 TONNE	₹51,000.00	₹41,000.00	₹4.95	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
223	IS 1997:2008	1 PIECE	₹56,000.00	₹45,000.00	₹1.40	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
224	IS 2002:2009	1 TONNE	₹72,000.00	₹58,000.00	₹3.30	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
225	IS 2004:1991	1 TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
226	IS 2028:2004	1 piece	₹52,000.00	₹42,000.00	₹0.20	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
227	IS 2029:1998	1 piece	₹52,000.00	₹42,000.00	₹0.20	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
228	IS 2036:1995	10 KG	₹77,000.00	₹64,000.00	₹1.60	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
229	IS 2039:Part 1 to 3:1991	1 TONNE	₹74,000.00	₹60,000.00	₹12.35	All	₹0.00	0	₹0.00	04072016
230	IS 2041:2009	1 MT	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
231	IS 2046:1995	ONE SQ. METRE	₹1,36,000.00	₹1,20,000.00	₹0.60	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
232	IS 2052:2009	1 TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.45	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
233	IS 2061:1995	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
234	IS 2062:2011	1 TONNE	₹62,000.00	₹50,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
235	IS 2074:Part 1:2015	1 Litre/Kg	₹84,000.00	₹68,000.00	₹0.26	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
236	IS 2076:1981	1 Sq meter	₹84,000.00	₹68,000.00	₹0.08	All	₹0.00	0	₹0.00	01042015
237	IS 2082:1993	1 piece	₹1,30,000.00	₹1,04,000.00	₹6.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
238	IS 2089:1977	100 SQ. METRE	₹65,000.00	₹52,000.00	₹8.60	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
239	IS 2095:Part 1:2011	1 tonne	₹51,000.00	₹41,000.00	₹5.25	All	₹0.00	0	₹0.00	21122016
240	IS 2096:1992	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹10.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
241	IS 2097:2012	1 Piece	₹91,000.00	₹76,000.00	₹5.40	All	₹0.00	0	₹0.00	2062017
242	IS 2098:1997	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹5.25	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
243	IS 2124:2000	1 TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
244	IS 2141:2000	1 ton	₹69,000.00	₹56,000.00	₹69.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
245	IS 2142:1992	1 TONNE	₹51,000.00	₹41,000.00	₹51.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016

246	IS 2185:Part 3:1984	10 cubic meter	₹59,000.00	₹48,000.00	₹17.30	1000	₹8.70	Remaining	₹0.00	30122016
247	IS 2185:Part 1:2005	1 ton	₹82,000.00	₹75,000.00	₹26.80	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
248	IS 2202:Part 1:1999	1 sq.m	₹88,000.00	₹71,000.00	₹0.90	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
249	IS 2215:2006	1000 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹10.40	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
250	IS 2257:1989	1 LITRE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.18	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
251	IS 2266:2002	1 ton	₹75,000.00	₹60,000.00	₹34.10	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
252	IS 2312:1967	1 piece	₹96,000.00	₹77,000.00	₹2.20	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
253	IS 2339:2013	1 LITRE/ KG	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.26	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
254	IS 2347:2017	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.87	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
255	IS 2358:1984	ONE TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹255.60	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
256	IS 2365:1977	1 ton	₹68,000.00	₹55,000.00	₹34.60	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
257	IS 2373:1981	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹17.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
258	IS 2386:Part 3:1963	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
259	IS 2396:1988	100 METER	₹64,000.00	₹52,000.00	₹25.90	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
260	IS 2403:2014	100 piece	₹50,000.00	₹40,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
261	IS 2404:1993	1 TONNE	₹64,000.00	₹52,000.00	₹20.70	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
262	IS 2414:2005	100 piece	₹73,000.00	₹59,000.00	₹14.60	All	₹0.00	0	₹0.00	17072017
263	IS 2415:2015	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
264	IS 2418:Part 1:1977	1 piece	₹80,000.00	₹60,000.00	₹0.06	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
265	IS 2465:1984	100 meter	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.42	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
266	IS 2494:Part 1:1994	100 piece	₹51,000.00	₹41,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
267	IS 2508:1984	1 KG	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.18	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
268	IS 2512:1978	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.18	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
269	IS 2546:1974	1 piece	₹56,000.00	₹45,000.00	₹1.70	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
270	IS 2547:Part 1:1976	1 ton	₹82,000.00	₹66,000.00	₹5.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
271	IS 2548:Part 2:1996	1 piece	₹61,000.00	₹49,000.00	₹0.90	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
272	IS 2552:1989	ONE PIECE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.18	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
273	IS 2553:Part 1:1990	1 SQ. METRE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.54	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
274	IS 2553:Part 2:1992	1 sq.m	₹65,000.00	₹53,000.00	₹0.90	All	₹0.00	0	₹0.00	2062017
275	IS 2556:1994	1 ton	₹57,000.00	₹46,000.00	₹36.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
276	IS 2556:Part 1:1994	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹14.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
277	IS 2556:Part 5:1994	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹14.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30082017
278	IS 2556:Part 6:1995	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹14.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30082017
279	IS 2556:Part 7:1995	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹14.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30082017
280	IS 2556:Part 14:1995	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹14.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30082017
281	IS 2556:Part 16:2002	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹14.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30082017
282	IS 2556:Part 2:2004	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹14.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30082017
283	IS 2556:Part 3:2004	1 ton	₹52,000.00	₹42,000.00	₹36.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
284	IS 2556:Part 4:2004	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹14.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30082017
285	IS 2556:Part 8:2004	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹14.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30082017
286	IS 2556:Part 9:2004	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹14.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30082017
287	IS 2556:Part 15:2004	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹14.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30082017
288	IS 2556:Part 17:2004	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹14.00	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
289	IS 2557:1994	ONE Kg	₹56,000.00	₹45,000.00	₹0.80	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
290	IS 2558:1994	1 KG	₹65,000.00	₹50,000.00	₹1.30	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
291	IS 2566:1993	1 TONNE	₹63,000.00	₹51,000.00	₹17.30	All	₹0.00	0	₹0.00	26122016
292	IS 2567:1978	100 LITRE	₹52,000.00	₹42,000.00	₹34.50	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016

293	IS 2568:1978	1 TONNE	₹51,000.00	₹41,000.00	₹60.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
294	IS 2569:1978	1 TONNE	₹64,000.00	₹52,000.00	₹160.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
295	IS 2573:1986	1 Pair	₹68,000.00	₹55,000.00	₹0.20	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
296	IS 2581:2002	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹34.60	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
297	IS 2593:1984	100 m	₹79,000.00	₹64,000.00	₹18.80	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
298	IS 2596:2004	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
299	IS 2619:1993	1 PIECE	₹55,000.00	₹44,000.00	₹0.16	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
300	IS 2641:1989	1 piece	₹55,000.00	₹44,000.00	₹1.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
301	IS 2645:2003	1 ton	₹70,000.00	₹56,000.00	₹70.00	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
302	IS 2653:2004	10000 BOXES	₹48,000.00	₹39,000.00	₹8.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
303	IS 2681:1993	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.27	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
304	IS 2692:1989	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.55	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
305	IS 2705:Part 2:1992	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹7.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
306	IS 2712:1998	1000 Kg	₹65,000.00	₹53,000.00	₹4.40	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
307	IS 2713:Part 1 to 3:1980	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
308	IS 2721:2003	10 sq.m	₹67,000.00	₹54,000.00	₹1.80	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
309	IS 2730:1977	1 TONNE	₹50,000.00	₹40,000.00	₹25.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
310	IS 2745:1983	1 piece	₹55,000.00	₹44,000.00	1.2	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
311	IS 2785:1979	1 TONNE	₹50,000.00	₹40,000.00	₹34.50	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
312	IS 2791:1992	1 KG	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.26	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
313	IS 2802:1964	100 lts	₹46,000.00	₹37,000.00	₹10.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
314	IS 2830:2012	1 TONNE	₹49,000.00	₹40,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
315	IS 2831:2012	1 Tonne	₹56,000.00	₹45,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
316	IS 2871:2012	1 piece	₹93,000.00	₹73,000.00	₹4.20	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
317	IS 2878:2004	1 piece	₹71,000.00	₹57,000.00	₹18.00	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
318	IS 2879:1998	1 TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
319	IS 2888:2004	1 TONNE	₹54,000.00	₹44,000.00	₹540.00	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
320	IS 2923:1995	1 KG	₹65,000.00	₹52,000.00	₹1.45	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
321	IS 2925:1984	1 piece	₹70,000.00	₹56,000.00	₹0.36	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
322	IS 2932:Part 1:2013	1 LITRE	₹81,000.00	₹65,000.00	₹0.26	ALL	₹0.00	0	₹0.00	20122016
323	IS 2933:Part 1:2013	1 LITRE	₹68,000.00	₹55,000.00	₹0.27	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
324	IS 2980:1999	1 piece	₹60,000.00	₹48,000.00	₹0.27	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
325	IS 2993:1998	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.90	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
326	IS 2997:1964	1 piece	₹65,000.00	₹53,000.00	₹7.20	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
327	IS 3017:1985	1 piece	₹90,000.00	₹72,000.00	₹0.55	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
328	IS 3024:2015	ONE MT	₹59,000.00	₹48,000.00	₹17.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
329	IS 3055:Part 1:1994	1 piece	₹59,000.00	₹48,000.00	₹0.40	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
330	IS 3055:Part 2:2004	1 piece	₹59,000.00	₹48,000.00	₹0.50	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
331	IS 3062:1995	1 SPRAYER	₹63,000.00	₹51,000.00	₹4.60	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
332	IS 3074:2013	one tonne	₹70,000.00	₹56,000.00	₹8.70	All	₹0.00	0	₹0.00	04072016
333	IS 3087:2005	1 sq.m	₹99,000.00	₹80,000.00	₹0.20	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
334	IS 3097:2006	1 sq.m	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.20	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
335	IS 3099:Part 1 to 2:1992	500 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
336	IS 3104:Part 1:1982	1 PIECE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.36	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
337	IS 3118:1978	1 piece	₹1,07,000.00	₹86,000.00	₹26.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
338	IS 3119:1978	1 piece	₹1,08,000.00	₹87,000.00	₹26.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016

339	IS 3181:1992	1 Sq Mtr	₹1,49,000.00	₹1,20,000.00	₹0.85	All	₹0.00	0	₹0.00	26052016
340	IS/ISO 3183:2007	1 TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹8.70	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
341	IS 3183:2007	1 TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹8.70	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
342	IS 3196:Part 4:2001	1 piece	₹1,36,000.00	₹98,000.00	₹27.20	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
343	IS 3196:Part 2:2006	1 piece	₹1,36,000.00	₹96,000.00	₹3.50	50000	₹2.65	Remaining	₹0.00	28072017
344	IS 3196:Part 1:2013	1 Piece	₹1,36,000.00	₹96,000.00	₹3.50	50000	₹2.65	Remaining	₹0.00	28072017
345	IS 3224:2002	1 piece	₹1,03,000.00	₹83,000.00	₹1.60	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
346	IS 3308:1981	1cub.mtr.	₹65,400.00	₹55,600.00	₹240.00	2800 units	₹12.00	2800 units	₹6.00	
347	IS 3309:1992	1 KG	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.26	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
348	IS 3319:1995	1000 piece	₹71,000.00	₹57,000.00	₹10.40	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
349	IS 3323:1980	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
350	IS 3327:1982	1 PADDY THRESHER	₹46,000.00	₹37,000.00	₹6.80	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
351	IS 3383:1982	ONE TONNE	₹54,000.00	₹44,000.00	₹45.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
352	IS 3390:1988	1 meter	₹72,000.00	₹58,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
353	IS 3419:1988	100 piece	₹81,000.00	₹65,000.00	₹1.15	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
354	IS 3443:1980	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹8.75	All	₹0.00	0	₹0.00	02062017
355	IS 3450:1994	1 BOX OF 100 SHEETS	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.36	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
356	IS 3459:2004	1 ton	₹71,000.00	₹59,000.00	₹28.75	All	₹0.00	0	₹0.00	27122016
357	IS 3462:1986	1 sq.m	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.22	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
358	IS 3466:1988	1 ton	₹64,000.00	₹45,000.00	₹2.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
359	IS 3470:2002	ONE KL LITRE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹2.20	10000	₹1.73	Remaining	₹0.00	24082016
360	IS 3502:2009	1 TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
361	IS 3513:Part 3:1989	1 sq.m	₹71,000.00	₹59,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
362	IS 3521:1999	1 PIECE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.90	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
363	IS 3549:1983	100 METRE	₹89,000.00	₹72,000.00	₹161.80	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
364	IS 3564:1995	1 piece	₹84,000.00	₹68,000.00	₹2.60	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
365	IS 3575:1993	ONE PIECE	₹49,000.00	₹40,000.00	₹0.30	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
366	IS 3589:2001	1 TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹8.70	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
367	IS 3601:2006	1 TONNE	₹73,000.00	₹59,000.00	₹8.70	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
368	IS 3623:1978	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹26.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
369	IS 3626:2001	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹87.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20062017
370	IS 3650:1981	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.32	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
371	IS 3652:1995	1 SPRAYER	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.40	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
372	IS 3686:1966	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
373	IS 3725:1966	1 kg	₹48,000.00	₹39,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
374	IS 3735:1996	1 PAIR	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.36	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
375	IS 3736:1995	1 PAIR	₹72,000.00	₹58,000.00	₹1.20	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
376	IS 3745:2006	1 piece	₹55,000.00	₹44,000.00	₹0.42	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
377	IS 3757:1985	1 ton	₹48,000.00	₹39,000.00	₹13.35	All	₹0.00	0	₹0.00	09092016
378	IS 3768:1996	1 meter	₹79,000.00	₹63,200.00	₹3.17	All	₹0.00	0	₹0.00	19012016
379	IS 3812:Part 1:2013	1 ton	₹1,25,000.00	₹1,00,000.00	₹9.20	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
380	IS 3818:1992	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹8.65	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
381	IS 3829:Part 2:1978	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹103.70	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
382	IS 3829:Part 3:1985	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹103.70	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016

383	IS 3829:Part I:1999	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹103.70	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
384	IS 3830:1979	1 piece	₹51,000.00	₹41,000.00	₹140.00	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
385	IS 3831:1979	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
386	IS 3832:2005	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹17.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
387	IS 3854:1997	100 piece	₹69,000.00	₹56,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
388	IS 3899:1981	1 TONNE	₹58,000.00	₹47,000.00	₹193.35	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
389	IS 3902:1975	ONE TONNE	₹58,000.00	₹47,000.00	₹172.80	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
390	IS 3903:1984	100 LITRE	₹51,000.00	₹41,000.00	₹34.50	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
391	IS 3906:1995	ONE SPRAYER	₹53,000.00	₹43,000.00	₹3.45	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
392	IS 3975:1999	1 TONNE	₹49,000.00	₹40,000.00	₹10.40	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
393	IS 3976:2003	1 PAIR	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.42	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
394	IS 3989:2009	1 TONNE	₹61,000.00	₹49,000.00	₹8.70	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
395	IS 3992:1982	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.30	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
396	IS 3993:1993	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.40	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
397	IS 4003:Part I:1978	1 piece	₹53,000.00	₹43,000.00	₹0.36	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
398	IS 4003:Part 2:1986	1 piece	₹59,000.00	₹48,000.00	₹5.25	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
399	IS 4035:1967	1 Bed	₹51,000.00	₹41,000.00	₹3.40	All	₹0.00	0	₹0.00	09062016
400	IS 4038:1986	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
401	IS 4109:1967	100 PIECES	₹46,000.00	₹37,000.00	₹59.00	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
402	IS 4123:1982	1 piece	₹53,000.00	₹43,000.00	₹5.25	All	₹0.00	0	₹0.00	17072017
403	IS 4135:1974	100 SQ. METER	₹65,000.00	₹53,000.00	₹28.80	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
404	IS 4148:1989	100 PAIRS	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.74	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
405	IS 4151:1993	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.45	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
406	IS 4159:2002	1 piece	₹81,000.00	₹65,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
407	IS 4199:2001	METRE ONE KILO	₹46,000.00	₹37,000.00	₹43.20	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
408	IS 4246:2002	1 piece	₹1,13,000.00	₹91,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
409	IS 4250:1980	1 piece	₹79,000.00	₹64,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
410	IS 4266:1967	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹2.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
411	IS 4270:2001	1 TONNE	₹71,000.00	₹57,000.00	₹8.70	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
412	IS 4283:1981	1 piece	₹89,000.00	₹72,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
413	IS 4308:2003	1 kg	₹61,000.00	₹49,000.00	₹0.20	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
414	IS 4320:1982	1 TONNE	₹48,000.00	₹39,000.00	₹250.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
415	IS 4328:1967	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
416	IS 4351:2003	1 ton	₹56,000.00	₹45,000.00	₹137.50	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
417	IS 4355:1977	1 SQ. METRE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.07	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
418	IS 4375:1975	100 NUMBERS	₹46,000.00	₹37,000.00	₹2.75	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
419	IS 4381:1967	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹8.70	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
420	IS 4398:1994	One Tonne	₹70,000.00	₹56,000.00	₹5.85	All	₹0.00	0	₹0.00	06092016
421	IS 4432:1988	1 TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
422	IS 4447:1994	1 KG	₹59,000.00	₹48,000.00	₹0.20	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
423	IS 4448:1994	1 Tonne	₹46,000.00	₹37,000.00	₹260.00	All	₹0.00	0	₹0.00	26122016
424	IS 4454:Part 1:2001	1 TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
425	IS 4467:1996	ONE Kg.	₹75,000.00	₹60,000.00	₹0.20	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
426	IS 4505:2015	1 MT	₹46,000.00	₹37,000.00	₹300.00	1000	₹200.00	5000	₹100.00	24082016

427	IS 4508:1992	1 piece	₹48,000.00	₹39,000.00	₹0.60	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
428	IS 4509:1992	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
429	IS 4521:2001	1 ton	₹1,07,000.00	₹86,000.00	₹103.70	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
430	IS 4533:1995	1 piece	₹77,000.00	₹62,000.00	₹14.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
431	IS 4572:2014	1 MT	₹46,000.00	₹37,000.00	₹290.00	150	₹145.00	Remaining	₹0.00	24082016
432	IS 4588:1986	1 TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹25.90	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
433	IS 4605:1981	100 SQ. METRE	₹47,000.00	₹38,000.00	₹9.40	All	₹0.00	0	₹0.00	17072017
434	IS 4654:1993	1 TONNE	₹56,000.00	₹45,000.00	₹13.80	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
435	IS 4684:1975	1 TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹24.00	2000	₹12.00	Remaining	₹0.00	24082016
436	IS 4751:1994	1 Tonne	₹57,000.00	₹46,000.00	₹0.08	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
437	IS 4752:1994	1 Tonne	₹61,000.00	₹49,000.00	₹0.20	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
438	IS 4761:1968	1 Piece	₹56,000.00	₹44,800.00	₹0.23	All	₹0.00	0	₹0.00	21012016
439	IS 4766:1982	1 TONNE	₹54,000.00	₹44,000.00	₹270.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
440	IS 4783:1982	ONE TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹69.10	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
441	IS 4808:1982	100 LTS.	₹46,000.00	₹37,000.00	₹31.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
442	IS 4835:1979	1 ton	₹1,02,000.00	₹85,000.00	₹86.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
443	IS 4860:1968	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹4.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
444	IS 4923:2017	1 TONNE	₹74,000.00	₹60,000.00	₹8.70	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
445	IS 4947:2006	1 piece	₹79,000.00	₹64,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
446	IS 4948:2002	1 ton	₹53,000.00	₹43,000.00	₹30.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
447	IS 4964:2013	100 VESTS	₹46,000.00	₹37,000.00	₹5.25	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
448	IS 4984:1995	1 ton	₹50,000.00	₹40,000.00	₹86.40	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
449	IS 4985:2000	1 ton	₹58,000.00	₹47,000.00	₹86.40	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
450	IS 4989:Part 4:2003	1 kL	₹86,000.00	₹74,000.00	₹220.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
451	IS 4989:2006	1 litre	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.20	all	₹0.00	0	₹0.00	24082016
452	IS 4990:2011	1 sq.m	₹90,000.00	₹72,000.00	₹0.25	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
453	IS 5022:1989	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
454	IS 5029:1979	1 piece	₹65,000.00	₹53,000.00	₹17.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
455	IS 5035:1969	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹140.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
456	IS 5135:Part 1:1994	ONE DUSTER	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.30	ALL	₹0.00	0	₹0.00	24082016
457	IS 5143:1988	1 piece	₹48,000.00	₹39,000.00	₹0.40	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
458	IS 5175:1992	1 TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹43.20	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
459	IS 5191:1993	1 KG	₹88,000.00	₹71,000.00	₹0.42	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
460	IS 5204:1969	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹36.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
461	IS 5206:1983	ONE TONNE	₹1,17,000.00	₹97,000.00	₹60.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
462	IS 5244:2014	1 piece	₹2,03,000.00	₹1,63,000.00	₹79.80	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
463	IS 5277:1978	100 LITRE	₹54,000.00	₹44,000.00	₹34.50	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
464	IS 5278:1969	1 TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹306.70	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
465	IS 5279:1969	100 LITRE	₹49,000.00	₹40,000.00	₹34.50	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
466	IS 5290:1993	1 piece	₹62,000.00	₹50,000.00	₹5.60	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
467	IS 5291:1969	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹103.70	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
468	IS 5312:Part 1:2004	1 piece	₹66,000.00	₹53,000.00	₹6.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
469	IS 5342:1996	ONE KG	₹65,000.00	₹52,000.00	₹1.40	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
470	IS 5346:1994	1 KG	₹54,000.00	₹44,000.00	₹0.45	ALL	₹0.00	0	₹0.00	20122016
471	IS 5382:1985	1 PIECE	₹76,000.00	₹61,000.00	₹0.26	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
472	IS 5405:1980	1000 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹10.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016

473	IS 5410:2013	100 KG	₹46,000.00	₹37,000.00	₹8.60	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
474	IS 5430:2017	1 TONNE (DRC BAS)	₹57,000.00	₹46,000.00	₹51.80	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
475	IS 5456:2006	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹26.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
476	IS 5470:2002	ONE TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹17.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
477	IS 5487:1992	ONE KILO LITRE	₹57,000.00	₹46,000.00	₹51.80	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
478	IS 5504:1997	1 TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹7.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
479	IS 5509:2000	1 sq.m	₹70,000.00	₹56,000.00	₹0.70	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
480	IS 5513:1996	1 piece	₹53,000.00	₹43,000.00	₹6.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
481	IS 5514:1996	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.82	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
482	IS 5516:1996	1 piece	₹51,000.00	₹41,000.00	₹5.60	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
483	IS 5517:1993	1 TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
484	IS 5522:2014	One MT	₹55,300.00	₹44,300.00	₹17.00	All	₹0.00	0	₹0.00	23092016
485	IS 5531:2014	1 TONNE	₹77,000.00	₹62,000.00	₹17.30	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
486	IS 5557:2004	1 PAIR	₹95,000.00	₹76,000.00	₹0.80	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
487	IS 5604:1984	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹17.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
488	IS 5631:1970	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹2.30	all	₹0.00	0	₹0.00	29062016
489	IS 5672:1992	1 TONNE	₹77,000.00	₹62,000.00	₹38.50	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
490	IS 5676:1995	100 PAIRS	₹46,000.00	₹37,000.00	₹8.60	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
491	IS 5679:1986	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.55	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
492	IS 5719:2005	1 KG.	₹68,000.00	₹55,000.00	₹0.20	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
493	IS 5820:1970	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹40.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
494	IS 5852:2004	100 PAIRS	₹46,000.00	₹37,000.00	₹4.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
495	IS 5872:1990	ONE TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
496	IS 5884:1993	1 SQ METER	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.90	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
497	IS 5950:1984	100 m	₹82,000.00	₹66,000.00	₹1.80	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
498	IS 5982:2003	ONE TONNE	₹63,000.00	₹51,000.00	₹48.00	5000	₹24.00	Remaining	₹0.00	06082017
499	IS 5983:1980	1 PAIR	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
500	IS 5986:2017	1 TONNE	₹70,000.00	₹56,000.00	₹3.75	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
501	IS 6003:2010	1 ton	₹55,000.00	₹44,000.00	₹10.49	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
502	IS 6006:2014	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹20.80	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
503	IS 6014:1978	100 LTRS.	₹46,000.00	₹37,000.00	₹30.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
504	IS 6022:1994	1 KG	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
505	IS 6031:1997	1 KG	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.18	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
506	IS 6046:1982	ONE M.T	₹53,000.00	₹43,000.00	₹2.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
507	IS 6047:2009	ONE TONNE	₹59,000.00	₹48,000.00	₹25.90	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
508	IS 6073:2006	10 sq.m	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
509	IS 6149:1984	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.42	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
510	IS 6218:2008	1 pair	₹59,000.00	₹48,000.00	₹5.60	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
511	IS 6240:2008	1 TONNE	₹77,000.00	₹62,000.00	₹3.90	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
512	IS 6312:1994	1 No.	₹85,640.00	₹68,512.00	₹0.14	All	₹0.00	0	₹0.00	27112015
513	IS 6315:1992	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹5.25	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
514	IS 6385:1997	1 KG	₹71,000.00	₹57,000.00	₹3.20	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
515	IS 6392:1971	1 PIECE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
516	IS 6406:1994	1 KG	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
517	IS 6419:1996	kg.	₹1,79,000.00	₹1,43,200.00	₹0.12	All	₹0.00	0	₹0.00	22062015

518	IS 6438:1980	1 TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹69.10	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
519	IS 6444:1979	1 TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹19.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
520	IS 6452:1989	1tonne	₹44,000.00	₹38,000.00	₹4.00	all	₹0.00	0	₹0.00	12022013
521	IS 6593:1972	1 piece	₹97,000.00	₹78,000.00	₹26.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
522	IS 6595:Part 2:1993	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹5.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
523	IS 6595:Part I:2002	1 piece	₹65,000.00	₹52,000.00	₹5.30	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
524	IS 6623:2004	1 ton	₹48,000.00	₹39,000.00	₹13.35	All	₹0.00	0	₹0.00	9092016
525	IS 6649:1985	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹13.35	All	₹0.00	0	₹0.00	9092016
526	IS 6685:2009	1 piece	₹1,86,000.00	₹1,49,000.00	₹1.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30082017
527	IS 6701:1985	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.10	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
528	IS 6760:1972	1000 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.20	All	₹0.00	0	₹0.00	17072017
529	IS 6803:1972	100 SQ. METRE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹8.60	2000	₹3.45	Remaining	₹0.00	24082016
530	IS 6901:2009	1 PIECE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
531	IS 6908:1991	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹16.00	All units	₹0.00	0	₹0.00	24082016
532	IS 6909:1990	1 tonne	₹79,000.00	₹64,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	21122016
533	IS 6911:2017	One Tonne	₹96,000.00	₹77,000.00	₹12.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
534	IS 6956:2001	1 TONNE	₹63,000.00	₹51,000.00	₹55.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
535	IS 7021:1973	ONE TONNE	₹80,000.00	₹64,000.00	₹20.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
536	IS 7058:2005	100 LITRES	₹42,600.00	₹36,300.00	₹40.00	All	₹0.00	0	₹0.00	26092006
537	IS 7079:2008	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹8.70	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
538	IS 7083:1973	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹2.40	all	₹0.00	0	₹0.00	29062016
539	IS 7092:Part 2:1987	1 TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹87.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
540	IS 7098:Part 1:1988	100 m	₹1,28,000.00	₹1,03,000.00	₹12.00	All	₹0.00	0	₹0.00	27072017
541	IS 7098:Part 3:1993	1 m	₹81,000.00	₹78,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
542	IS 7098:Part 2:2011	100 m	₹1,52,000.00	₹1,22,000.00	₹17.30	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
543	IS 7123:1993	100 litre	₹46,530.00	₹37,224.00	₹60.00	All	₹0.00	0	₹0.00	01122015
544	IS 7142:1995	1 piece	₹1,36,000.00	₹96,000.00	₹2.65	50000	₹1.75	Remaining	₹0.00	24082016
545	IS 7181:1986	1 TONNE	₹72,000.00	₹58,000.00	₹40.00	All	₹0.00	0	₹0.00	26122016
546	IS 7224:2006	1 TONNE	₹67,000.00	₹54,000.00	₹1.73	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
547	IS 7231:1994	1 piece	₹72,000.00	₹58,000.00	₹0.90	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
548	IS 7283:1992	1 TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
549	IS 7285:Part 1:2004	1 piece	₹1,36,000.00	₹96,000.00	₹10.40	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
550	IS 7312:1993	1 piece	₹1,36,000.00	₹96,000.00	₹10.40	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
551	IS 7347:1974	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹2.20	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
552	IS 7372:1995	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.90	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
553	IS 7378:1974	7378	₹51,000.00	₹41,000.00	₹2.35	all	₹0.00	0	₹0.00	20092016
554	IS 7402:2011	ONE FILTER	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.36	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
555	IS 7452:1990	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹13.90	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
556	IS 7454:1991	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹4.35	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
557	IS 7466:1994	100 GASKETS	₹74,000.00	₹61,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
558	IS 7532:1974	1 TONNE	₹70,000.00	₹56,000.00	₹34.60	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
559	IS 7538:1996	1 KW	₹77,000.00	₹62,000.00	₹4.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
560	IS 7577:1986	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹2.90	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
561	IS 7593:Part 1:1986	ONE SPRAYER	₹1,00,000.00	₹80,000.00	₹7.00	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
562	IS 7620:Part 1:1986	1 piece	₹58,000.00	₹47,000.00	₹260.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
563	IS 7652:1988	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016

564	IS 7653:1975	1 PIECE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
565	IS 7809:Part 3:Sec 1:1986	100 roll	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.90	5000	₹0.55	Remaining	₹0.00	24082016
566	IS 7834:Part 1:1987	100 piece	₹55,000.00	₹44,000.00	₹11.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
567	IS 7834:Part 3:1987	100 piece	₹57,000.00	₹46,000.00	₹8.65	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
568	IS 7834:Part 4:1987	100 piece	₹67,000.00	₹54,000.00	₹6.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
569	IS 7834:Part 8:1987	100 piece	₹60,000.00	₹48,000.00	₹8.65	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
570	IS 7887:1992	1 TONNE	₹66,000.00	₹53,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
571	IS 7898:2001	1 Machine	₹47,000.00	₹38,000.00	₹12.00	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
572	IS 7903:2011	100 SQ. METRE	₹99,000.00	₹80,000.00	₹7.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
573	IS 7904:1995	TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹81.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
574	IS 7933:1975	1 KG	₹93,000.00	₹75,000.00	₹0.54	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
575	IS 7948:1987	100 LITRE	₹47,000.00	₹38,000.00	₹200.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
576	IS 8025:1990	1 Tonne	₹48,000.00	₹39,000.00	₹34.50	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
577	IS 8028:1987	100 LITRE	₹48,000.00	₹39,000.00	₹34.50	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
578	IS 8034:2002	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹17.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
579	IS 8035:1999	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
580	IS 8041:1990	1 ton	₹75,000.00	₹60,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
581	IS 8042:2015	1 ton	₹64,000.00	₹45,000.00	₹2.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
582	IS 8074:1990	100 LITRE	₹49,000.00	₹40,000.00	₹34.50	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
583	IS 8086:1991	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹4.35	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
584	IS 8088:1976	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹6.80	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
585	IS 8110:2000	1 m	₹76,000.00	₹62,000.00	₹1.20	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
586	IS 8144:1997	1000 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
587	IS 8229:1986	1 ton	₹48,000.00	₹39,000.00	₹3.40	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
588	IS 8249:1994	1 TONNE	₹54,000.00	₹44,000.00	₹17.30	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
589	IS 8275:1976	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹5.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
590	IS 8291:1976	100 LITRE	₹47,000.00	₹38,000.00	₹34.50	All	₹25.90	Remaining	₹0.00	20122016
591	IS 8309:1993	1 ton	₹58,000.00	₹47,000.00	₹560.00	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
592	IS 8329:2000	ONE TONNE	₹88,000.00	₹72,000.00	₹17.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
593	IS 8391:1987	1 TONNE	₹82,000.00	₹66,000.00	₹43.20	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
594	IS 8418:1999	1 piece	₹64,000.00	₹52,000.00	₹4.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
595	IS 8421:1977	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹26.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
596	IS 8423:1994	100 meter	₹58,000.00	₹47,000.00	₹13.90	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
597	IS 8442:2008	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹26.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
598	IS 8446:1991	ONE TONNE	₹57,000.00	₹46,000.00	₹285.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
599	IS 8448:1989	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
600	IS 8462:1977	1 piece	₹88,000.00	₹71,000.00	₹26.00	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
601	IS 8471:Part 4:1977	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹2,520.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
602	IS 8471:2003	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹2,520.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
603	IS 8472:1998	1 piece	₹64,000.00	₹52,000.00	₹4.20	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
604	IS 8481:2005	1 LITRE	₹51,000.00	₹41,000.00	₹0.30	All	₹0.00	0	₹0.00	06072017
605	IS 8498:2013	100 LITRE	₹48,000.00	₹39,000.00	₹38.40	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
606	IS 8598:1987	1 ton	₹50,000.00	₹40,000.00	₹8.70	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
607	IS 8654:2001	1 KILO LITRE	₹95,000.00	₹76,000.00	₹86.00	1000	₹51.80	Remaining	₹0.00	20122016
608	IS 8707:2013	ONE TONNE	₹48,000.00	₹39,000.00	₹156.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
609	IS 8708:2006	ONE TONNE	₹53,000.00	₹43,000.00	₹265.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016

610	IS 8737:1995	1 piece	₹69,000.00	₹56,000.00	₹0.42	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
611	IS 8749:2002	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
612	IS 8783:Part 4:Sec 1:1995	100 m	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.38	100000	₹0.19	Remaining	₹0.00	24082016
613	IS 8783:Part 4:Sec 3:1995	100 m	₹74,000.00	₹60,000.00	₹1.00	10000	₹0.50	All	₹0.00	30122016
614	IS 8794:1988	1 TONNE	₹56,000.00	₹45,000.00	₹56.00	All	₹0.00	0	₹0.00	26122016
615	IS 8808:1999	100 piece	₹64,000.00	₹52,000.00	₹12.00	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
616	IS 8887:2004	ONE TONNE	₹94,000.00	₹76,000.00	₹49.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
617	IS 8931:1993	1 piece	₹53,000.00	₹43,000.00	₹0.50	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
618	IS 8944:2005	100 LITRE	₹52,000.00	₹42,000.00	₹40.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
619	IS 8951:2001	1 MT	₹61,000.00	₹49,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	26122016
620	IS 8952:1995	1 MT	₹46,000.00	₹37,000.00	₹56.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
621	IS 8960:1978	1 TONNE	₹50,000.00	₹40,000.00	₹50.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
622	IS 8978:1992	1 piece	₹1,04,000.00	₹84,000.00	₹2.60	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
623	IS 9020:2002	1 THRESHER	₹46,000.00	₹37,000.00	₹25.90	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
624	IS 9079:2002	1 piece	₹87,000.00	₹70,000.00	₹8.70	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
625	IS 9103:1999	1 kL/1 ton	₹65,000.00	₹50,000.00	₹52.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
626	IS 9128:1999	1000 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	2062017
627	IS 9165:Part 2:1992	1000 piece	₹73,000.00	₹60,000.00	₹43.20	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
628	IS 9167:1979	100 piece	₹68,000.00	₹56,000.00	₹3.40	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
629	IS 9271:2004	1 ton	₹81,000.00	₹69,000.00	₹80.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
630	IS 9281:Part 1:1979	1 piece	₹61,000.00	₹49,000.00	₹40.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
631	IS 9281:Part 3:1981	1 piece	₹61,000.00	₹49,000.00	₹40.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
632	IS 9282:2002	1 ton	₹54,000.00	₹44,000.00	₹87.00	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
633	IS 9283:2013	1 kW	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.75	5000	₹1.35	10000	₹0.90	24082016
634	IS 9295:1983	ONE TONNE	₹61,000.00	₹49,000.00	₹8.70	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
635	IS 9354:1980	100 LITRES	₹52,000.00	₹42,000.00	₹34.50	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
636	IS 9356:1980	100 LITRE	₹52,000.00	₹42,000.00	₹38.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
637	IS 9359:1995	ONE TONNE	₹53,000.00	₹43,000.00	₹90.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
638	IS 9360:1980	1 TONNE	₹66,000.00	₹53,000.00	₹86.40	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
639	IS 9395:1979	1 Bed	₹51,000.00	₹41,000.00	₹50.00	For all units	₹0.00	0	₹0.00	24082016
640	IS 9471:Part 2:1980	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.03	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
641	IS 9471:Part 3:1980	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
642	IS 9471:Part 4:1980	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
643	IS 9471:Part 5:1980	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
644	IS 9471:Part 6:2000	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
645	IS 9471:Part 7:2000	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.05	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
646	IS 9473:2002	100 PIECE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹17.20	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
647	IS 9523:2000	1 MT	₹79,000.00	₹64,000.00	₹43.90	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
648	IS 9532:1980	ONE TONNE	₹51,000.00	₹41,000.00	₹17.20	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
649	IS 9537:Part 2:1981	100m	₹47,000.00	₹38,000.00	₹2.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
650	IS 9537:Part 3:1983	100 m	₹51,000.00	₹41,000.00	₹2.20	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
651	IS 9537:Part 4:1983	100 METRES	₹52,200.00	₹44,200.00	₹5.30	All	₹0.00	0	₹0.00	1072006
652	IS 9550:2001	1 MT	₹83,000.00	₹67,000.00	₹4.70	All	₹0.00	0	₹0.00	26122016
653	IS 9562:1980	1 piece	₹58,000.00	₹47,000.00	₹1.45	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
654	IS 9573:2012	100m	₹80,000.00	₹64,000.00	₹13.50	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017

655	IS 9585:1980	1 PIECE	₹47,000.00	₹38,000.00	₹0.16	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
656	IS 9665:1981	100 LITRE	₹59,000.00	₹48,000.00	₹118.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
657	IS 9738:2003	1 MT	₹46,000.00	₹37,000.00	₹280.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
658	IS 9758:1981	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
659	IS 9762:1994	100 piece	₹56,000.00	₹45,000.00	₹5.40	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
660	IS 9763:2000	100 piece	₹71,000.00	₹57,000.00	₹12.60	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
661	IS 9798:2013	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.44	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
662	IS 9825:2003	1000 TABLETS	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.72	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
663	IS 9836:1981	1 piece	₹88,000.00	₹72,000.00	₹7.80	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
664	IS 9857:1990	100 meter	₹46,000.00	₹37,000.00	₹4.40	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
665	IS 9890:1981	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.70	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
666	IS 9968:Part 1:1988	100 meter	₹1,11,000.00	₹89,000.00	₹4.00	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
667	IS 9968:Part 2:2002	100 meter	₹1,69,000.00	₹1,36,000.00	₹93.90	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
668	IS 9972:2002	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.20	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
669	IS 9974:Part 1:1981	1 piece	₹88,000.00	₹72,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
670	IS 10001:1981	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹17.30	1500	₹10.40	Remaining	₹0.00	24082016
671	IS 10025:1981	100 Its	₹46,000.00	₹37,000.00	₹33.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
672	IS 10065:1981	One Kg	₹54,000.00	₹44,000.00	₹0.15	All	₹0.00	0	₹0.00	18052016
673	IS 10080:1982	1 piece	₹53,000.00	₹43,000.00	₹1.50	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
674	IS 10086:1982	1 piece	₹1,01,000.00	₹81,000.00	₹3.80	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
675	IS 10124:Part 1:2009	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹69.20	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
676	IS 10124:Part 2:2009	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹73.75	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
677	IS 10212:Part 1:1986	100 BOXES	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
678	IS 10228:1982	100 Bags	₹46,000.00	₹37,000.00	₹12.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
679	IS 10238:2001	1 ton	₹67,000.00	₹54,000.00	₹134.00	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
680	IS 10243:1993	100 LITRES	₹49,000.00	₹40,000.00	₹34.50	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
681	IS 10245:Part 2:1994	ONE BREATHING APPARATUS	₹46,000.00	₹37,000.00	₹75.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
682	IS 10245:Part 3:1999	1 Breathing Apparatus	₹83,000.00	₹69,000.00	₹200.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
683	IS 10264:1982	1 Piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹120.00	All	₹0.00	0	₹0.00	26052016
684	IS 10322:Part 5:Sec 1:1985	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
685	IS 10322:Part 5:Sec 2:2012	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
686	IS 10322:Part 5:Sec 3:2012	1 piece	₹1,92,000.00	₹1,54,000.00	₹1.50	All	₹0.00	0	₹0.00	23122016
687	IS 10325:2000	1000	₹53,000.00	₹43,000.00	₹84.95	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
688	IS 10350:1999	1 KG	₹48,000.00	₹39,000.00	₹1.30	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
689	IS 10508:2007	1 Tonne	₹57,000.00	₹46,000.00	₹50.00	All	₹0.00	0	₹0.00	6082017
690	IS 10532:Part 2:1983	1 Kilo Litre	₹3,28,000.00	₹2,63,000.00	₹182.00	All	₹0.00	0	₹0.00	26122016
691	IS 10577:1982	1 TONNE	₹53,000.00	₹43,000.00	₹26.00	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
692	IS 10592:1982	1 PIECE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹17.20	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
693	IS 10617:2013	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
694	IS 10647:1983	ONE TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹51.80	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
695	IS 10658:1999	1 piece	₹86,000.00	₹69,000.00	₹34.60	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
696	IS 10701:2012	1 sq.m	₹91,000.00	₹73,000.00	₹0.15	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017

697	IS 10702:1992	1 Pair	₹71,000.00	₹57,000.00	₹0.10	All	₹0.00	0	₹0.00	24012017
698	IS 10748:2004	1 TONNE	₹78,000.00	₹63,000.00	₹3.75	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
699	IS 10758:1983	100 LITRES	₹62,000.00	₹50,000.00	₹8.60	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
700	IS 10775:1984	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.45	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
701	IS 10805:1986	1 piece	₹56,000.00	₹45,000.00	₹0.90	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
702	IS 10889:2004	1 MT	₹63,000.00	₹51,000.00	₹160.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
703	IS 10908:1991	100 METRES	₹69,000.00	₹56,000.00	₹5.20	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
704	IS 11006:2011	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹250.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
705	IS 11010:1984	100 LITRES	₹52,000.00	₹42,000.00	₹34.50	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
706	IS 11037:1984	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
707	IS 11087:1986	1 TONNE	₹59,000.00	₹48,000.00	₹43.20	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
708	IS 11169:Part 1:1984	One MT	₹79,000.00	₹64,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	13072016
709	IS 11170:1985	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹17.30	1500	₹10.40	Remaining	₹0.00	24082016
710	IS 11188:Part 1:2014	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹288.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
711	IS 11226:1993	SHOES ONE PAIR	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.54	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
712	IS 11241:1985	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
713	IS 11279:1985	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹2.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
714	IS 11313:2007	ONE SPRAYER	₹1,08,000.00	₹92,000.00	₹12.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
715	IS 11378:2002	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹260.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
716	IS 11459:1985	1 Machine	₹71,000.00	₹57,000.00	₹17.75	All	₹0.00	0	₹0.00	26122016
717	IS 11501:1986	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹17.30	1500	₹10.40	Remaining	₹0.00	24082016
718	IS 11513:2017	ONE TONNE	₹59,000.00	₹48,000.00	₹3.75	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
719	IS 11536:2007	ONE TONNE	₹1,55,000.00	₹1,24,000.00	₹172.80	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
720	IS 11552:2008	1 piece	₹99,000.00	₹82,000.00	₹20.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
721	IS 11569:1986	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.20	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
722	IS 11584:1986	1 Crate	₹74,000.00	₹60,000.00	₹0.25	All	₹0.00	0	₹0.00	06072017
723	IS 11646:Part 2:1986	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
724	IS 11646:Part 1:2003	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
725	IS 11652:2000	1 TONNE	₹55,000.00	₹44,000.00	₹52.00	All	₹0.00	0	₹0.00	26122016
726	IS 11673:1992	1 K.L.	₹63,000.00	₹51,000.00	₹15.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
727	IS 11708:1986	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹2.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
728	IS 11722:1986	ONE TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹26.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
729	IS 11785:1986	ONE TONNE	₹52,000.00	₹42,000.00	₹300.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
730	IS 11833:1986	1 piece	₹65,000.00	₹53,000.00	₹66.00	800	₹33.00	Remaining	₹0.00	24082016
731	IS 11879:1986	1 piece	₹65,000.00	₹53,000.00	₹2.70	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
732	IS 11928:Part 1 and 2:1987	1 metre	₹51,000.00	₹40,800.00	₹0.25	All	₹0.00	0	₹0.00	19022016
733	IS 11995:1987	ONE TONNE	₹53,000.00	₹43,000.00	₹345.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
734	IS 11997:1987	100 LITRE	₹58,000.00	₹47,000.00	₹56.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
735	IS 12016:1987	100 LITRE	₹48,000.00	₹39,000.00	₹69.10	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
736	IS 12109:1987	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹2.70	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
737	IS 12225:1997	1 piece	₹58,000.00	₹47,000.00	₹8.70	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
738	IS 12227:2002	1000 piece	₹59,000.00	₹48,000.00	₹1.00	All	₹0.00	0	₹0.00	17072017
739	IS 12232:Part 1:1996	ONE	₹79,000.00	₹64,000.00	₹0.95	All	₹0.00	0	₹0.00	26122016
740	IS 12234:1988	1 kg	₹64,000.00	₹52,000.00	₹0.55	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
741	IS 12254:1993	ONE PAIR	₹69,000.00	₹56,000.00	₹0.44	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016

742	IS 12299:1998	ONE TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹69.10	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
743	IS 12330:1988	1 ton	₹90,000.00	₹72,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
744	IS 12337:1988	ONE BROADCAST ER	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.38	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
745	IS 12406:2003	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹17.30	2500	₹8.70	Rest	₹0.00	24082016
746	IS 12427:2001	1 ton	₹85,000.00	₹68,000.00	₹86.00	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
747	IS 12444:1988	1 TONNE	₹86,000.00	₹69,000.00	₹35.60	All	₹0.00	0	₹0.00	26122016
748	IS 12463:1988	1 kL	₹73,000.00	₹60,000.00	₹144.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
749	IS 12492:1988	100 Metres	₹72,000.00	₹61,000.00	₹5.60	All	₹0.00	0	₹0.00	26122016
750	IS 12585:1988	100 MTRS.	₹58,000.00	₹47,000.00	₹2.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
751	IS 12586:1988	1 piece	₹1,36,000.00	₹96,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
752	IS 12591:2006	One MT	₹46,000.00	₹37,000.00	₹5.40	All	₹0.00	0	₹0.00	18052016
753	IS 12592:2002	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹10.40	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
754	IS 12594:1988	1 TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
755	IS 12615:2011	1 kw	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
756	IS 12640:Part 1:2008	1 piece	₹1,12,000.00	₹96,000.00	₹5.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
757	IS 12640:Part 2:2008	1 piece	₹1,12,000.00	₹96,000.00	₹5.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
758	IS 12650:2003	1 MT	₹59,000.00	₹48,000.00	₹17.30	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
759	IS 12664:Partt 1:2003	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.80	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
760	IS 12701:1996	100 L	₹80,000.00	₹60,000.00	₹1.10	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
761	IS 12709:1994	1 kg	₹56,000.00	₹45,000.00	₹0.09	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
762	IS 12751:1989	100 LITRES	₹59,000.00	₹48,000.00	₹70.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
763	IS 12766:1997	1000 SHEETS	₹68,000.00	₹55,000.00	₹0.90	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
764	IS 12776:2002	1 ton	₹52,000.00	₹42,000.00	₹17.25	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
765	IS 12785:1994	ONE FILTER	₹46,000.00	₹37,000.00	₹5.22	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
766	IS 12786:1989	ONE KG.	₹89,000.00	₹72,000.00	₹0.10	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
767	IS 12817:2013	100 piece	₹48,000.00	₹39,000.00	₹8.00	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
768	IS 12818:2010	1 ton	₹76,000.00	₹61,000.00	₹170.00	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
769	IS 12823:2015	1 sq. m	₹98,000.00	₹79,000.00	₹0.27	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
770	IS 12866:1989	1 sq. m	₹84,000.00	₹66,000.00	₹0.70	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
771	IS 12894:2002	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹5.00	all	₹0.00	0	₹0.00	24082016
772	IS 12912:1990	ONE TONNE	₹49,000.00	₹40,000.00	₹449.28	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
773	IS 12913:1990	ONE TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹449.28	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
774	IS 12916:1990	ONE TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹728.20	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
775	IS 12931:1990	100 Kg	₹53,000.00	₹43,000.00	₹43.20	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
776	IS 12933:Part 1:2003	1 sq.m	₹46,000.00	₹37,000.00	₹10.40	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
777	IS 12950:1990	100 pcs	₹46,000.00	₹37,000.00	₹16.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
778	IS 12981:1991	1 Tonne .	₹64,000.00	₹52,000.00	₹6.00	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
779	IS 13000:1990	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹14.40	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
780	IS 13010:2002	1 piece	₹58,000.00	₹47,000.00	₹0.42	100000	₹0.30	200000	₹0.18	24082016
781	IS 13021:Part 1:1991	1 piece	₹58,000.00	₹47,000.00	₹2.70	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
782	IS 13021:Part 2:1991	1 piece	₹73,000.00	₹60,000.00	₹2.70	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
783	IS 13049:1991	1 piece	₹62,000.00	₹50,000.00	₹1.35	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
784	IS 13095:1991	1 piece	₹52,000.00	₹42,000.00	₹3.50	upto 300	₹17.30	300 to 1200	₹28.80	30122016
785	IS 13098:2012	1 piece	₹91,000.00	₹77,000.00	₹0.50	100000	₹0.35	100000	₹0.15	13112017
786	IS 13114:1991	1 piece	₹58,000.00	₹47,000.00	₹0.60	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016

787	IS 13152:Part 1:2013	1 piece	₹50,000.00	₹40,000.00	₹0.52	All	₹0.00	0	₹0.00	28072017
788	IS 13209:1991	One Litre	₹47,000.00	₹38,000.00	₹7.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
789	IS 13213:1991	100 lts	₹80,000.00	₹64,000.00	₹48.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
790	IS 13258:Part 1:2014	1 piece	₹72,000.00	₹59,000.00	₹2.65	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
791	IS 13334:Part 2:2014	ONE TONNE	₹80,000.00	₹64,000.00	₹25.90	1000	₹17.40	1000	₹8.60	06082017
792	IS 13334:2014	ONE TONNE	₹80,000.00	₹64,000.00	₹34.50	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
793	IS 13340:Part 1:2012	1kVAR	₹58,000.00	₹47,000.00	₹0.90	all	₹0.00	0	₹0.00	24082016
794	IS 13382:2004	1 MT	₹58,000.00	₹47,000.00	₹62.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
795	IS 13385:1992	1 piece	₹1,04,000.00	₹84,000.00	₹58.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
796	IS 13386:1992	1 piece	₹1,06,000.00	₹85,000.00	₹58.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
797	IS 13422:1992	100 pair	₹70,000.00	₹56,000.00	₹1.74	All	₹0.00	0	₹0.00	17072017
798	IS 13428:2005	1000 LITRE	₹1,25,000.00	₹1,00,000.00	₹20.00	6000	₹15.00	4000	₹10.00	20122016
799	IS 13429:Part 1:2000	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹6.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
800	IS 13457:1992	ONE M.T.	₹58,000.00	₹47,000.00	₹1,124.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
801	IS 13466:1992	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹4.40	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
802	IS 13487:1992	1000	₹55,000.00	₹44,000.00	₹8.60	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
803	IS 13488:2008	1 K.G	₹74,000.00	₹61,000.00	₹0.35	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
804	IS 13502:1992	1 TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
805	IS 13584:1993	1 kg	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.36	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
806	IS 13585:Part 1:2012	1 kVAR	₹58,000.00	₹47,000.00	₹0.90	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
807	IS 13592:2013	100 KG	₹71,000.00	₹57,000.00	₹20.40	All	₹0.00	0	₹0.00	17072017
808	IS 13620:1993	1 MT	₹68,000.00	₹55,000.00	₹4.00	All	₹0.00	0	₹0.00	6092016
809	IS 13692:1993	ONE TONNE	₹58,000.00	₹47,000.00	₹312.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
810	IS 13703:Part 2:Sec 1:1993	100 piece	₹65,000.00	₹53,000.00	₹5.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
811	IS 13714:1993	1 piece	₹59,000.00	₹48,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	20062016
812	IS 13730:Part 8:1996	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹57.60	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
813	IS 13730:Part 45:1999	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹57.60	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
814	IS 13730:Part 3:2012	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹57.60	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
815	IS 13730:Part 13:2014	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹57.60	All	₹0.00	0	₹0.00	20062017
816	IS 13779:1999	1 piece	₹1,81,000.00	₹1,57,000.00	₹1.32	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
817	IS 13785:1993	01 KG.	₹55,000.00	₹44,000.00	₹2.60	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
818	IS 13787:1993	ONE TONNE	₹55,000.00	₹44,000.00	₹2.60	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
819	IS 13801:2013	10 sq. m	₹79,000.00	₹64,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
820	IS 13947:Part 3:1993	1 piece	₹58,000.00	₹47,000.00	₹0.90	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
821	IS 13947:Part 4:Sec 1:1993	1 piece	₹58,000.00	₹47,000.00	₹0.27	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
822	IS 13958:1994	1 sq.m	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
823	IS 13983:1994	1 piece	₹1,02,000.00	₹82,000.00	₹4.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
824	IS 13997:2014	1 DRUM	₹53,000.00	₹43,000.00	₹1.80	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
825	IS 14106:1996	1 piece	₹58,000.00	₹47,000.00	₹8.70	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
826	IS 14151:Part 1:1999	ONE KG.	₹1,08,000.00	₹87,000.00	₹0.18	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
827	IS 14151:Part 2:2008	ONE SET	₹65,000.00	₹53,000.00	₹0.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
828	IS 14158:1994	100 KG.	₹63,000.00	₹51,000.00	₹414.70	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
829	IS 14166:1994	100 Nos	₹1,21,000.00	₹1,01,000.00	₹45.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
830	IS 14182:1994	ONE LITRE	₹68,000.00	₹56,000.00	₹0.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016

831	IS 14183:1994	ONE TONNE	₹53,000.00	₹43,000.00	₹792.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
832	IS 14184:1994	ONE TONNE	₹53,000.00	₹45,000.00	₹57.60	All	₹0.00	0	₹0.00	26122016
833	IS 14186:1994	ONE TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹312.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
834	IS 14203:1999	1 piece	₹91,000.00	₹75,000.00	₹56.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
835	IS 14220:1994	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹17.30	200	₹10.00	Remaining	₹0.00	24082016
836	IS 14246:2013	1 TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹6.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
837	IS 14252:2015	1 MT	₹85,000.00	₹68,000.00	₹340.00	All	₹0.00	0	₹0.00	26122016
838	IS 14255:1995	100 m	₹1,80,000.00	₹1,44,000.00	₹20.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
839	IS 14261:1995	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹60.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
840	IS 14268:1995	1 ton	₹1,00,000.00	₹84,000.00	₹34.60	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
841	IS 14276:1995	1 sq.m	₹58,000.00	₹47,000.00	₹0.18	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
842	IS 14300:1995	100 LITRE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹36.00	1000	₹18.00	Remaining	₹0.00	24082016
843	IS 14333:1996	1 kg	₹1,00,000.00	₹84,000.00	₹0.22	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
844	IS 14394:1996	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹27.00	all	₹0.00	0	₹0.00	20062017
845	IS 14399:Part 1 and 2:1996	1 kg	₹65,000.00	₹53,000.00	₹0.36	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
846	IS 14402:1996	1 kg	₹65,000.00	₹53,000.00	₹0.15	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
847	IS 14411:1996	100 LITRES	₹48,000.00	₹39,000.00	₹62.40	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
848	IS 14429:1997	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹10.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
849	IS 14433:2007	1 TONNE	₹1,36,000.00	₹1,20,000.00	₹51.80	ALL	₹0.00	0	₹0.00	24082016
850	IS 14443:1997	100 KG	₹1,31,000.00	₹1,09,000.00	₹29.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
851	IS 14483:Part 1:1997	1 Piece	₹61,000.00	₹50,000.00	₹1.60	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
852	IS 14490:1997	1 TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹12.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
853	IS 14494:1998	100 meter	₹1,39,000.00	₹1,12,000.00	₹17.30	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
854	IS 14506:1998	litre	₹64,000.00	₹51,200.00	₹0.50	All	₹0.00	0	₹0.00	23122015
855	IS 14510:1997	1 Kg.	₹52,000.00	₹42,000.00	₹6.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
856	IS 14543:2004	1000 LITRE	₹1,28,000.00	₹1,02,400.00	₹20.00	6000	₹15.00	4000	₹10.00	20122016
857	IS 14544:1998	1 PAIR	₹65,000.00	₹53,000.00	₹0.65	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
858	IS 14550:1998	100 LITERS	₹47,000.00	₹38,000.00	₹40.00	All	₹0.00	0	₹0.00	15112017
859	IS 14552:1998	1 KG.	₹53,000.00	₹43,000.00	₹1.35	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
860	IS 14561:2014	1 piece	₹91,000.00	₹75,000.00	₹38.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
861	IS 14587:1998	1 ton	₹1,18,000.00	₹95,000.00	₹20.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
862	IS 14605:1998	100 PIECES	₹88,000.00	₹73,000.00	₹0.60	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
863	IS 14606:1998	ONE MEDIA FILTER	₹1,14,000.00	₹93,000.00	₹16.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
864	IS 14609:1999	1 kg	₹64,000.00	₹51,000.00	₹0.16	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
865	IS 14611:2016	1 MT	₹1,12,000.00	₹96,000.00	₹62.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
866	IS 14613:1998	Kg	₹49,700.00	₹39,800.00	₹0.12	8,00,000	₹0.04	Remaining	₹0.00	7032016
867	IS 14616:1999	1 cub.m	₹81,000.00	₹69,000.00	₹29.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
868	IS 14625:2015	100 BOTTLES	₹1,10,000.00	₹88,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
869	IS 14650:1999	1 TONNE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
870	IS 14697:1999	1 METER	₹1,38,200.00	₹1,24,700.00	₹3.60	All	₹0.00	0	₹0.00	1122006
871	IS 14724:1999	1 piece	₹87,000.00	₹70,000.00	₹9.60	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
872	IS 14735:1999	100 piece	₹79,000.00	₹64,000.00	₹12.50	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
873	IS 14743:1999	1 FILTER	₹68,000.00	₹55,000.00	₹8.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
874	IS 14746:1999	100 Nos	₹91,000.00	₹75,000.00	₹8.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
875	IS 14756:2000	1 Kg	₹51,000.00	₹42,000.00	₹0.25	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
876	IS 14768:Part 2:2003	100 piece	₹69,000.00	₹56,000.00	₹4.70	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016

877	IS 14769:2000	1 piece	₹64,000.00	₹37,000.00	₹1.60	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
878	IS 14772:2000	100 PIECES	₹52,200.00	₹44,200.00	₹9.20	All	₹0.00	0	₹0.00	1072006
879	IS 14806:2000	1 MT	₹46,000.00	₹37,000.00	₹140.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
880	IS 14807:2000	1 MT	₹46,000.00	₹37,000.00	₹140.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
881	IS 14845:2000	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹12.20	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
882	IS 14846:2000	1 piece	₹74,000.00	₹60,000.00	₹17.30	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
883	IS 14855:Part 1:2000	1 Machine	₹3,15,000.00	₹2,52,000.00	₹40.00	All	₹0.00	0	₹0.00	6092016
884	IS 14862:2000	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
885	IS 14871:2000	1 ton	₹46,000.00	₹37,000.00	₹12.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
886	IS 14885:2001	1 ton	₹1,12,000.00	₹96,000.00	₹96.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
887	IS 14887:2014	1 MT	₹82,000.00	₹66,000.00	₹150.00	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
888	IS 14898:2001	1 SQM	₹71,000.00	₹59,000.00	₹2.10	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
889	IS 14899:2014	1 piece	₹1,36,000.00	₹96,000.00	₹5.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
890	IS 14900:2000	1 MT	₹51,000.00	₹41,000.00	₹10.00	All	₹0.00	0	₹0.00	06072017
891	IS 14927:Part 2:2001	100 m	₹58,000.00	₹47,000.00	₹2.10	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
892	IS 14928:2001	1 M.T.	₹47,000.00	₹38,000.00	₹300.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
893	IS 14929:2001	1 M.T.	₹49,000.00	₹40,000.00	₹260.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
894	IS 14930:Part 2:2001	100 m	₹89,000.00	₹72,000.00	₹8.10	All	₹0.00	0	₹0.00	17072017
895	IS 14933:2001	1 m	₹71,000.00	₹59,000.00	₹1.80	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
896	IS 14951:2001	1 piece	₹5,97,000.00	₹4,78,000.00	₹480.00	all	₹0.00	0	₹0.00	28072017
897	IS 14968:2015	1 MT	₹58,000.00	₹47,000.00	₹150.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
898	IS 15041:2001	100 PIECES	₹62,000.00	₹51,000.00	₹8.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
899	IS 15058:2002	1 ton	₹90,000.00	₹72,000.00	₹160.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
900	IS 15073:Part 2:2008	100 Boxes	₹83,000.00	₹68,000.00	₹10.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
901	IS 15100:2001	1 piece	₹71,000.00	₹59,000.00	₹2.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
902	IS 15111:Part 1:2002	100 piece	₹2,23,000.00	₹1,79,000.00	₹33.00	5000	₹16.50	Remaining	₹0.00	17072017
903	IS 15111:Part 2:2002	100 piece	₹2,23,000.00	₹1,79,000.00	₹33.00	5000	₹16.50	Remaining	₹0.00	17072017
904	IS 15138:2010	1 TONNE	₹59,000.00	₹48,000.00	₹18.00	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
905	IS 15155:2002	1 ton	₹71,000.00	₹59,000.00	₹8.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
906	IS 15160:2002	100 lts	₹47,000.00	₹38,000.00	₹22.00	2000	₹11.00	Remaining	₹0.00	20122016
907	IS 15182:2002	100 lts	₹49,000.00	₹40,000.00	₹130.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
908	IS 15219:2002	1 KG.	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.10	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
909	IS 15227:2002	100 LITRES	₹47,000.00	₹38,000.00	₹115.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
910	IS 15228:2002	100 LITRES	₹46,000.00	₹37,000.00	₹230.00	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
911	IS 15236:2002	100 lts	₹57,000.00	₹46,000.00	₹124.20	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
912	IS 15240:2002	100 lts	₹46,000.00	₹37,000.00	₹50.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
913	IS 15265:2003	1 ton	₹1,15,000.00	₹96,000.00	₹180.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
914	IS 15298:Part 4:2010	One Pair	₹84,000.00	₹69,000.00	₹1.40	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
915	IS 15298:Part 2:2011	1 PAIR	₹1,26,000.00	₹1,11,000.00	₹1.76	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
916	IS 15298:Part 3:2011	1 PAIR	₹1,46,000.00	₹1,29,000.00	₹0.74	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
917	IS 15322:2003	100 filters	₹79,000.00	₹64,000.00	₹1.20	All	₹0.00	0	₹0.00	24012017
918	IS 15323:2003	1 PIECE	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.80	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
919	IS 15328:2003	1 ton	₹88,000.00	₹72,000.00	₹79.00	all	₹0.00	0	₹0.00	24082016
920	IS 15335:2003	100 LITRES	₹52,000.00	₹42,000.00	₹55.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
921	IS 15351:2015	100 SQMTS	₹68,000.00	₹56,000.00	₹5.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
922	IS 15354:2003	100 No.	₹46,000.00	₹37,000.00	₹0.20	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
923	IS 15380:2003	1 sq.m	₹71,000.00	₹59,000.00	₹2.20	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016

924	IS 15391:2003	1 MT	₹46,000.00	₹37,000.00	₹5.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
925	IS 15410:2003	100 PIECES	₹73,000.00	₹59,000.00	₹52.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
926	IS 15449:Part 1:2004	1 piece	₹75,000.00	₹62,000.00	₹5.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
927	IS 15450:2004	100 m	₹92,000.00	₹79,000.00	₹11.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
928	IS 15462:2004	1 MT.	₹58,000.00	₹47,000.00	₹28.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
929	IS 15476:2004	1 sq.m	₹90,000.00	₹74,000.00	₹1.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
930	IS 15477:2004	1 M.T	₹82,000.00	₹68,000.00	₹30.00	2300	₹7.50	Remaining	₹0.00	24082016
931	IS 15489:2013	100 lts	₹1,05,000.00	₹84,000.00	₹21.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
932	IS 15490:2017	1 piece	₹1,36,000.00	₹96,000.00	₹10.40	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
933	IS 15500:Part 2:2004	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹5.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
934	IS 15500 : Part 3 : 2004									
935	Head Assembly	1 Assembly	₹67,000.00	₹55,000.00	₹4.40	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
936	Handle Assembly	1 Assembly	₹67,000.00	₹55,000.00	₹2.20	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
937	Cylinder Assembly	1 Assembly	₹67,000.00	₹55,000.00	₹2.80	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
938	Valve Assembly	1 Assembly	₹67,000.00	₹55,000.00	₹1.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
939	IS 15500 : Part 4 : 2004									
940	Fig No.4.1	100 piece	₹65,000.00	₹53,000.00	₹112.40	All	₹0.00	0	₹0.00	19012017
941	Fig No.4.2	100 piece	₹65,000.00	₹53,000.00	₹112.40	All	₹0.00	0	₹0.00	19012017
942	Fig No.4.4	100 piece	₹65,000.00	₹53,000.00	₹10.40	All	₹0.00	0	₹0.00	19012017
943	Fig No.4.5	100 piece	₹65,000.00	₹53,000.00	₹10.40	All	₹0.00	0	₹0.00	19012017
944	Fig No.4.6	100 piece	₹65,000.00	₹53,000.00	₹34.60	All	₹0.00	0	₹0.00	19012017
945	Fig No.4.7	100 piece	₹65,000.00	₹53,000.00	₹41.60	All	₹0.00	0	₹0.00	19012017
946	Fig No.4.9	100 piece	₹65,000.00	₹53,000.00	₹13.90	All	₹0.00	0	₹0.00	19012017
947	Fig No.4.10	100 piece	₹65,000.00	₹53,000.00	₹26.00	All	₹0.00	0	₹0.00	19012017
948	Fig No.4.11	100 piece	₹65,000.00	₹53,000.00	₹12.20	All	₹0.00	0	₹0.00	19012017
949	Fig No.4.12	100 piece	₹65,000.00	₹53,000.00	₹121.00	All	₹0.00	0	₹0.00	19012017
950	Fig No.4.13	100 piece	₹65,000.00	₹53,000.00	₹121.00	All	₹0.00	0	₹0.00	19012017
951	Fig No.4.15	100 piece	₹65,000.00	₹53,000.00	₹69.20	All	₹0.00	0	₹0.00	19012017
952	Fig No.4.16	100 piece	₹65,000.00	₹53,000.00	₹69.20	All	₹0.00	0	₹0.00	19012017
953	Fig No.4.17	100 piece	₹65,000.00	₹53,000.00	₹69.20	All	₹0.00	0	₹0.00	19012017
954	Fig No.4.21	100 piece	₹65,000.00	₹53,000.00	₹13.90	All	₹0.00	0	₹0.00	19012017
955	Fig No.4.22	100 piece	₹65,000.00	₹53,000.00	₹19.00	All	₹0.00	0	₹0.00	19012017
956	Fig No.4.23	100 piece	₹65,000.00	₹53,000.00	₹20.80	All	₹0.00	0	₹0.00	19012017
957	Fig No.4.24	100 piece	₹65,000.00	₹53,000.00	₹15.60	All	₹0.00	0	₹0.00	19012017
958	Fig No.4.25	100 piece	₹65,000.00	₹53,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	19012017
959	Fig No.4.26	1000 piece	₹65,000.00	₹53,000.00	₹4.26	All	₹0.00	0	₹0.00	19012017
960	Fig No.4.27	1000 piece	₹65,000.00	₹53,000.00	₹4.27	All	₹0.00	0	₹0.00	19012017
961	Fig No.4.28	100 piece	₹65,000.00	₹53,000.00	₹4.40	All	₹0.00	0	₹0.00	19012017
962	Fig No.4.29	100 piece	₹65,000.00	₹53,000.00	₹7.80	All	₹0.00	0	₹0.00	19012017
963	Fig No.4.30	100 piece	₹65,000.00	₹53,000.00	₹7.80	All	₹0.00	0	₹0.00	19012017
964	IS 15500 : Part 5 : 2004									
965	Fig No.5.1	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹17.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
966	Fig No.5.2	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹17.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
967	Fig No.5.3	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹17.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016

968	Fig No.5.4	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹10.40	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
969	Fig No.5.5	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹13.90	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
970	Fig No.5.6	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹13.90	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
971	IS 15500 : Part 6 : 2004									
972	Fig No.6.1	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹2.60	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
973	Fig No.6.2	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹8.70	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
974	Fig No.6.3	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
975	Fig No.6.4	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹7.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
976	Fig No.6.5	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹5.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
977	Fig No.6.6	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹10.40	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
978	Fig No.6.7	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹13.90	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
979	Fig No.6.8	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹15.60	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
980	Fig No.6.9	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
981	Fig No.6.10	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹7.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
982	Fig No.6.11	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹2.70	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
983	Fig No.6.12	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹7.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
984	Fig No.6.13	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹20.80	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
985	Fig No.6.14	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹17.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
986	Fig No.6.15	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹8.70	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
987	Fig No.6.16	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹8.70	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
988	IS 15500 : Part 7 : 2004									
989	Fig No.7.1	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
990	Fig No.7.2	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
991	Fig No.7.3	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹10.40	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
992	Fig No.7.4	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹7.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
993	Fig No.7.5	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹7.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
994	Fig No.7.6	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
995	Fig No.7.7	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
996	Fig No.7.8	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹7.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
997	Fig No.7.9	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
998	Fig No.7.10	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹5.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
999	Fig No.7.11	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹5.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
1000	Fig No.7.12	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹7.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
1001	Fig No.7.13	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹7.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
1002	Fig No.7.14	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹7.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
1003	Fig No.7.15	100 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹7.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
1004	IS 15511:2004	100 piece	₹72,000.00	₹58,000.00	₹5.60	All	₹0.00	0	₹0.00	25052016
1005	IS 15532:2004	100 Pieces	₹72,500.00	₹58,000.00	₹45.00	All	₹0.00	0	₹0.00	15032015
1006	IS 15558:2005	1 piece	₹95,000.00	₹76,000.00	₹2.00	All	₹0.00	0	₹0.00	30122016
1007	IS 15559:2004	100 Kg	₹49,000.00	₹40,000.00	₹25.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
1008	IS 15573:2005	1 MT	₹57,000.00	₹46,000.00	₹10.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
1009	IS 15601:2005	1 MT	₹57,000.00	₹46,000.00	₹45.00	All units	₹0.00	0	₹0.00	24082016
1010	IS 15603:2005	1 M.T	₹68,000.00	₹55,000.00	₹170.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016

1011	IS 15622:2006	10 Sq mt	₹1,13,000.00	₹94,000.00	₹3.80	27000	₹1.90	27000	₹0.95	24082016
1012	IS 15627:2005	1 piece	₹2,43,000.00	₹2,04,000.00	₹0.50	100000	₹0.35	100000	₹0.15	24082016
1013	IS 15633:2005	1 piece	₹2,58,000.00	₹2,17,000.00	₹2.00	100000	₹1.50	100000	₹1.35	24082016
1014	IS 15636:2012	1 piece	₹2,42,000.00	₹2,03,000.00	₹2.00	100000	₹1.50	100000	₹1.35	24082016
1015	IS 15647:2006	1 MT	₹46,000.00	₹37,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
1016	IS 15652:2006	1 sq.m	₹75,000.00	₹62,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
1017	IS 15658:2006	100 piece	₹94,000.00	₹76,000.00	₹2.00	All	₹0.00	0	₹0.00	13112017
1018	IS 15683:2006	1 piece	₹1,08,000.00	₹90,000.00	₹9.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
1019	IS 15692:2006	1000 Litre	₹52,000.00	₹42,000.00	₹180.00	All	₹0.00	0	₹0.00	20161226
1020	IS 15694:2006	One MT	₹58,000.00	₹47,000.00	₹805.60	All	₹0.00	0	₹0.00	06092016
1021	IS 15757:2007	1M.T.	₹1,54,000.00	₹1,24,000.00	₹245.00	250	₹123.00	250	₹62.00	20122016
1022	IS 15778:2007	1 ton	₹1,89,000.00	₹1,58,000.00	₹30.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
1023	IS 15786:2008	1 sq.m	₹1,01,000.00	₹84,000.00	₹0.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
1024	IS 15787:2008	100 piece	₹56,000.00	₹46,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	19012017
1025	IS 15801:2008	1 ton	₹1,60,000.00	₹1,34,000.00	₹20.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
1026	IS 15833:2009	1 Piece	₹71,000.00	₹57,000.00	₹0.30	All	₹0.00	0	₹0.00	17032017
1027	IS 15834:2008	1 Piece	₹55,000.00	₹44,000.00	₹0.40	All	₹0.00	0	₹0.00	17032017
1028	IS 15848:2009	1 TONNE	₹63,000.00	₹51,000.00	₹17.30	All	₹0.00	0	₹0.00	15112017
1029	IS 15852:2009	One Metre	₹65,000.00	₹52,000.00	₹0.15	All	₹0.00	0	₹0.00	6092016
1030	IS 15853:2009	100 SQ MTRS	₹66,000.00	₹53,000.00	₹10.10	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
1031	IS 15884:2010	1 piece	₹3,32,000.00	₹2,80,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
1032	IS 15905:2011	ONE TONNE	₹63,000.00	₹51,000.00	₹9.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
1033	IS 15907:2010	1 BED	₹1,06,000.00	₹88,000.00	₹1.50	60000	₹0.75	Remaining	₹0.00	24082016
1034	IS 15909:2015	100 SQMTS	₹1,11,000.00	₹92,000.00	₹16.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
1035	IS 15911:2010	ONE TONNE	₹60,000.00	₹49,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
1036	IS 15914:2011	1 MT	₹46,000.00	₹37,000.00	₹64.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
1037	IS 15939:2011	1 K.G	₹63,000.00	₹51,000.00	₹0.90	All	₹0.00	0	₹0.00	20122016
1038	IS 15961:2012	One MT	₹61,000.00	₹49,000.00	₹6.00	All	₹0.00	0	₹0.00	23092016
1039	IS 15962:2012	1 MT	₹46,000.00	₹37,000.00	₹62.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
1040	IS 15965:2012	MT	₹65,000.00	₹52,000.00	₹6.25	All	₹0.00	0	₹0.00	23092016
1041	IS 15997:2012	One MT	₹90,000.00	₹72,000.00	₹12.00	All	₹0.00	0	₹0.00	23092016
1042	IS 16008:Part 1:2016	100 SQ MTRS	₹93,000.00	₹77,000.00	₹0.80	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
1043	IS 16008:Part 2:2016	100 Sq.mtrs	₹1,16,000.00	₹93,000.00	₹0.80	All	₹0.00	0	₹0.00	06072017
1044	IS 16014:2012	100 Kg	₹94,000.00	₹78,000.00	₹15.28	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
1045	IS 16088:2012	1 ton	₹1,40,000.00	₹1,17,000.00	₹400.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
1046	IS 16098:Part 1:2013	1 ton	₹1,89,000.00	₹1,59,000.00	₹174.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
1047	IS 16098:Part 2:2013	100 m	₹2,09,000.00	₹1,76,000.00	₹23.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
1048	IS 16102:Part 2:2012	100 Piece	₹1,69,000.00	₹2,11,000.00	₹3.50	All	₹0.00	0	₹0.00	6092016
1049	IS 16103:Part 2:2012	1 piece	₹4,60,000.00	₹3,89,000.00	₹4.60	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
1050	IS 16111:2013	100 m	₹54,000.00	₹43,000.00	₹1.00	All	₹0.00		₹0.00	24082016
1051	IS 16127:2013	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹4.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
1052	IS 16131:2015	1000 Litre	₹57,000.00	₹46,000.00	₹160.00	All	₹0.00	0	₹0.00	26122016
1053	IS 16145:2013	1000 Litre	₹54,000.00	₹44,000.00	₹180.00	All	₹0.00	0	₹0.00	26122016
1054	IS 16176:2014	1 set	₹46,000.00	₹37,000.00	₹2.00	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
1055	IS 16186:2014	One MT	₹73,000.00	₹59,000.00	₹7.10	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017
1056	IS 16190:2014	One MT	₹1,85,000.00	₹1,48,000.00	₹280.00	All	₹0.00	0	₹0.00	26122014
1057	IS 16208:2015	1 MT	₹1,18,000.00	₹95,000.00	₹310.00	All	₹0.00	0	₹0.00	06082017

1058	IS 16232:2014	One MT	₹58,000.00	₹47,000.00	₹0.80	All	₹0.00	0	₹0.00	06092016
1059	IS 16289:2014	100 Pieces	₹79,000.00	₹63,200.00	₹0.20	ALL	₹0.00	0	₹0.00	4032015
1060	IS 16352:2015	1 TONNE	₹1,86,000.00	₹1,49,000.00	₹26.60	All	₹0.00	0	₹0.00	26122016
1061	IS 16415:2015	1 MT	₹72,000.00	₹58,000.00	₹3.00	All	₹0.00	0	₹0.00	6092016
1062	IS 16513:2016	100 SQ MTRS	₹1,19,000.00	₹96,000.00	₹2.20	All	₹0.00	0	₹0.00	6072017
1063	IS 16585:2016	1 TONNE	₹51,000.00	₹41,000.00	₹42.60	ALL	₹0.00	0	₹0.00	15112017
1064	IS/IEC 60079-Partt 11:2006	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹17.30	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
1065	IS/IEC 60079:Part 1:2007	1 piece	₹46,000.00	₹37,000.00	₹1.75	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
1066	IS/IEC 60898:Part 1:2002	1 Piece	₹73,000.00	₹60,000.00	₹0.27	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
1067	IS/IEC 60947:Part 3:1999	1 Piece	₹58,000.00	₹47,000.00	₹0.90	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
1068	IS/IEC 60947:Part 4:Sec 1:2000	1 piece	₹58,000.00	₹47,000.00	₹0.27	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016
1069	IS/IEC 60947:Part 5:Sec 1:2003	1 Piece	₹58,000.00	₹47,000.00	₹0.42	All	₹0.00	0	₹0.00	24082016

* Explanation: The expression micro small and medium enterprises shall have the meaning assigned to it in the Micro Small Medium Enterprises Development Act, 2006(27 of 2006).

Annexure-II
(Refer sub-paragraph (1) of paragraph 6 of Scheme - I)

STANDARD MARK

DESIGN OF MONOGRAM FOR STANDARD MARK




Figure 1 MONOGRAM FOR STANDARD MARK

The monogram of the Standard Mark consists of the pictorial representation, drawn in the exact style as indicated in Figure 1 and in relative proportions as given in Table 1.

Table 1 Preferred Dimensions of Monogram
All dimensions in millimeters

A	B	a	R	r	SIZE OF LETTERS
2.5	1.9	0.2	0.4	-	1.0 mm
5	3.8	0.4	0.8	0.1	1.0 mm
10	7.5	0.7	1.7	0.2	2.0 mm
20	15	1.5	3.3	0.5	3.0 mm
40	30	2.9	6.7	1.0	4.0 mm
80	60	5.9	13.4	1.9	6.0 mm
160	120	11.7	26.7	3.8	10.0 mm
320	240	23.4	53.4	7.6	16.0 mm

Form - I

(Refer sub-clause (ii) of clause (a) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of Scheme - I)

DECLARATION REGARDING MANUFACTURING MACHINERY

No entry to be crossed

1. Application/Licence No.

2. Name/Address

Sr. No.	Machinery	Make/ Identification No.	Production capacity per day, if applicable	Number	Remarks

Note: Attach extra sheet, if required

<p>I hereby declare that the machinery details of which given above are available with us</p> <p>I also declare that I will send prior intimation to Bureau of Indian Standards whenever any machinery is not available due to any reason.</p> <p>Signature of Firm's Representative _____</p> <p>Name _____</p> <p>Designation _____</p> <p>Date _____</p> <p>*If any part of the manufacturing activity is outsourced, details of machinery used for outsourced activity shall be indicated in a separate form along with complete address of the outsourced premises.</p>	<p>I have verified the availability of the above mentioned machinery during my inspection.</p> <p>Sig. of Bureau of Indian Standards certification officer _____</p> <p>Name _____</p> <p>Designation _____</p> <p>Date of verification _____</p>
--	---

Form - II

(Refer sub-clause (iii) of clause (a) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of Scheme - I)

DECLARATION REGARDING TEST EQUIPMENT

No entry to be crossed

1. Application/Licence No.

2. Name/Address

Note: Attach extra sheet, if required

I hereby declare that the testing equipment details of which given above are available with us	I have verified the availability of the above mentioned testing equipment during my inspection.
I also declare that I will send prior intimation to Bureau of Indian Standards whenever any testing equipment is not available due to any reason.	
Signature of firm's representative	Sig. of Bureau of Indian Standards certification officer _____
_____ Name	Name _____
Designation	Designation _____
Date	Date of verification _____

Form - III

PROPOSED LEVELS OF CONTROLS FOR INSPECTION AND TESTING

Name of Applicant/Licensee: M/s

Address of Applicant/Licensee

IS

Product

Scheme of inspection and testing (SIT) No:

Seal of Firm

Signature

Name _____

Designation

Date

Form – IV

TEST REPORT

Name of Applicant/Licensee: M/s

CM/A - or CM/L -

Valid upto

Address of Applicant/Licensee

IS

Product

Grade/Type/Variety/Class

Declared values, if any

Batch/Lot No.

Sr. No.

Date of Manufacturing

Any other information

Date of start of testing

Date of completion of testing

Note: Attach extra sheet, if required

The above mentioned sample manufactured and tested at our premises is conforming/non-conforming to the requirement(s) of IS

Seal of Firm

Signature

Name _____

Designation

Date

Form - V

(Refer clause (g) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of Scheme I)



BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Product Certification Scheme

Application for Licence to use the Standard Mark.

Full Name of Firm					
Address					
Village/Town	State	District	Country	Tin No.	Tel.
Address					
Village/Town	State	District	Country	Tin No.	Tel.
Name Designation				Name Designation	
Managing Director	Chief Executive Officer		Name		Phone
Name					
Scale	Large MSME	Correspondence Address			Office Factory
					Sector Public Private
This application is being made to use the BIS Standard Mark () on :					
Product					
Indian Standard	IS Part Sec Year	Grade/Type/Class/etc.			
Per Month	Annual	Annual			
Seal/Firm	Signature Name Designation Date of Application DIN no. (in case of director) PAN no. (for other cases)				
PAN no. of Firm	PAN no. (for other cases)				

Important : Application should be signed by CEO of the firm, or in his absence by authorized representative

Indicate availability of the following documents:

These documents are required to be submitted along with the application

Sr. No.	Document(s)	Yes / No / NA
1	Name and Address/Proof of Office or certificate from Registrar of Firms or Certificate from Directorate of Industries or certificate from Industries' Ende or Memorandum of Articles etc.	
2	[Redacted]	
3	[Redacted]	
4	[Redacted]	
5	[Redacted]	
6	[Redacted]	
7	Manufacturing Licence	
8	Whether any manufacturing operation referenced	
9	Agreement of continuation of manufacturing operation, if applicable	
10	Trade license/Permit	
11	Any terms and conditions, if any	
12	Whether all the relevant documents are enclosed	
13	Incharge/Head/Manager	
14	[Redacted]	

Date: [Redacted]

Form - VI
(Refer clause (h) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of Scheme - I)

Form for Nomination by Manufacturer

To

The Director General,
Bureau of Indian Standard,
9, Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi-110 002.

Subject: Nomination of Authorised Indian Representative (as per clause 3.1 of the Agreement)

Dear Sir,

In terms of the requirement of clause 3 of the agreement, we, M/s_____, the manufacturer and signatory of the Agreement with Bureau of Indian Standards, do hereby nominate and appoint Mr./Ms._____, son / daughter of Mr._____, resident of _____, INDIA, as our Authorised Indian representative in terms of clause 3 of the Agreement.

Mr./Ms._____, would be the person responsible for and on our behalf under the agreement for compliance of terms and conditions of the Agreement and also provisions of the Bureau of Indian Standards Act 2016, and rules and regulations framed there under. The form also contains his / her signatures in token of his / her acceptance, consent and confirmation of the terms and conditions of the Agreement. Please be advised that the nomination in favour of the authorised India representative shall continue for the purpose of this agreement till such time that some other person is appointed in his / her place in accordance with the terms of the Agreement.

Yours faithfully,

Signature of Authorised
Indian Representative:

Name:

Designation:

Contact details: -

Mob. No.:

Email:

Complete postal Address:

Signature:

Name:

Designation:

Contact details:-

Mob. No.:

Email:

Date:

Seal:

Form – VII

(Refer clause (d) of sub-paragraph (2) of paragraph 3 of Scheme - I)

Bureau of Indian Standards

Branch Office

(Discrepancy-cum-Advisory Report)

Name of Applicant/Licensee: M/s

CM/A - or CM/L -

CM/L valid upto

Nature of inspection

(verification/surveillance/others)

IS

Product

Date(s) of visit

Sr. No.	Discrepancies/Advices rendered	Clause with IS or any other reference

Comments/ agreed action (by Applicant/Licensee)

I have fully explained the contents of
this report

- i) I have fully understood the contents of this report
- ii) Confirmation of the actions on discrepancy-cum
- advisory shall be made to Bureau of Indian
Standards within ____ days.

Signature_____

Name

Designation

(Bureau of Indian Standards Representative)

Signature_____

Name

Designation

(Firm's representative)

Note: It is advised that a copy of this report be enclosed by the firm in the licence file for necessary follow up actions and future reference.

Form - VIII
(Refer clause (a) of sub-paragraph (5) of paragraph 3 of Scheme - I)

Bureau of Indian Standards

Licence for the use of Standard Mark

Licence No. CM/L -

By virtue of the power conferred on it by the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) the Bureau hereby grants to

M/s

(hereinafter called the Licensee) this licence to use the Standard Mark set out in the first column of the Schedule hereto, upon or in respect of the varieties set out in the third column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard(s) referred to in the second column of the said Schedule as from time to time amended or revised.

2. This Licence carries obligations on part of the licensee as conditions of licence which are given in Annexure attached herewith. This licence shall be valid for the name, factory address and period as mentioned in the schedule and may be renewed as specified in the scheme-I.

Schedule

(Licence No.CM/L-.....)

Name:

Factory Address:

Validity from to

Standard Mark	Indian Standard	Scope of Licence	Marking Fee
(1)	(2)	(3)	(4)
IS 			<p>₹____ per unit for the first ____ units, ₹____ per unit for the rest of the units with a minimum marking fee of ₹_____ /- during an operative period of one year</p> <p>Unit - _____</p> <p>Minimum marking fee for one operative year payable in advance which will be carried over to next renewal(s)</p>

Signed, Sealed and Dated this day of month of Year.....

for Bureau of Indian Standards

Name and Signature of Designated authority

Annexure
(Licence No.CM/L-.....)

Conditions of the licence

- (1) The design of Standard Mark shall be identical to the facsimile given in the licence.
- (2) The photographic enlargement or reduction of the Standard Mark may also be used, unless otherwise specified by the Bureau.
- (3) The licensee shall be responsible for the conformity of the goods, article, process, system or service to the Indian Standard in relation to which Standard Mark is used or applied.
- (4) The licensee shall not use the Standard Mark in relation to goods, articles, process, system or service which are non-conforming or outside the scope of the licence.
- (5) If goods and articles in relation to which a Standard Mark has been used do not conform to the requirements of the relevant standard, the Bureau may direct the licensee or his representative to recall such non-conforming goods.
- (6) The Standard Mark shall not be used or applied in relation to any goods, article, process, system or service during deferment or suspension, or, after expiry or cancellation of the licence.
- (7) The licensee shall comply with the provisions of the conformity assessment scheme under which licence is granted, including labelling and marking requirements.
- (8) The licensee shall maintain records as specified by the Bureau from time to time.
- (9) The licensee shall provide the Bureau all assistance in connection with carrying out inspection or audit at its premises.
- (10) The licensee shall provide information relating to production and use or applying of Standard Mark as and when it is required by the Bureau.
- (11) If the licence is granted to use or apply Standard Mark on goods or articles, the licensee shall provide the list of consignees, distributors, dealers or retailers to whom goods or articles with Standard Mark is supplied.
- (12) The licence shall not be transferred to any person without approval of the Bureau.
- (13) If a complaint regarding quality of any goods, article, process, system or service bearing Standard Mark is established, the Bureau may direct the licensee or his representative to repair or replace or reprocess the standard marked goods and articles.
- (14) The Bureau shall have the right to amend any of the conditions of licence by giving a notice of not less than one month to the licensee.

Form - IX

(Refer clause (b) of sub-paragraph (5) of paragraph 3 of Scheme - I)

Agreement for the grant of Bureau of Indian Standards Licence (for use by the Foreign Manufacturer)
 (On Rs. 100=00 non judicial stamp paper, to be attested by Notary Public)

The Agreement made at New Delhi on this day of month year, between Bureau of Indian Standards, a body corporate established under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 having its Head Office at Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002 (hereinafter referred to as "BIS", which expression shall include its administrators, assigns, agents and or representatives) of the one part,
 AND

M/s....., a foreign manufacturer having its office at and a Liaison/Branch Office/Office of its legally appointed Agent, namely, Mr/Mrs..... located in India at (hereinafter referred to as the 'manufacturer' which expression shall include its heirs, and or assigns) through Mr./Mrs..... (its Managing Director/proprietor/partner or authorised signatory, as the case may be):

Whereas BIS has been established by the BIS Act, 2016 for harmonious development of activities of Standardisation, Quality Certification and Marking of goods and for matters connected therewith or incidental thereto;

And whereas in furtherance of its functions as provided in the BIS Act, 2016 and in particular to provide service to foreign manufacturers, BIS is empowered to grant certification mark licence for foreign manufacturers of articles and processes;

And whereas under BIS Act, 2016 BIS is authorised to grant BIS licence for use of the BIS Standard Mark by the foreign manufacturer on its such products, which conform to the relevant Indian Standards, and the grant of such licence is subject to the manufacturer complying with the norms laid down by BIS from time to time;

And whereas the foreign manufacturer has applied to Bureau of Indian Standards for grant of Bureau of Indian Standards licence under BIS Act, 2016 and BIS after satisfying itself about the capability of the manufacturer and that it satisfies the requirement as laid down in BIS Act, rules and regulations framed thereunder, and the terms and conditions of the licence, has decided to grant to the manufacturer BIS licence on the terms and condition hereinafter mentioned.

Now the parties hereto agree as under:

1. Definitions:

In this Agreement, unless the context otherwise requires,

- 1.1 "BIS licence" means a licence granted under section 13 of the BIS Act, 2016 to use the Standard Mark in relation to any article or process, which conforms to the Indian Standard.

- 1.2 "manufacturer" means a business enterprise engaged in the manufacture of any article or process, situated at a stated location or locations, that carries out and controls such stages in the manufacture, assessment, handling or storage of a product, that enables it to accept responsibility for continued compliance of the product with the relevant Indian Standard and undertakes all obligations in that connection, with regard to grant of BIS licence to foreign manufacturer, under the Scheme.

- 1.3 “recognised laboratory” means any laboratory in India or abroad recognised by BIS for the purpose of testing conformance of product to the relevant Indian Standards.
 - 1.4 “product” means the products to be marked with BIS Standard Mark.
 - 1.5 “authorised representative” means the person, located in India, nominated and legally appointed by the manufacturer for the purpose of compliance with terms and conditions of this agreement and provisions of BIS Act, 2016, rules and regulations framed thereunder and shall be deemed to be a person having ultimate control over the affairs of the manufacturer for the purposes of this agreement.
2. Fee
 - 2.1 In consideration of BIS granting licence to the manufacturer and the manufacturer agreeing to abide by the provisions of this agreement and the various obligations and responsibilities and BIS performing its part under the BIS Act, 2016, the manufacturer shall pay to BIS the necessary fee, as applicable from time to time, under the scheme such as advance minimum marking fee, renewal application fee, annual licence fee and marking fee calculated on actual production marked and any other fee as determined under the BIS (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
 - 2.2 The manufacturer also agrees to bear all expenses, including cost to BIS of the man-days spent by BIS certification officer(s) in connection with the inspection at the manufacturing premises and/or at the testing laboratory (from the time of departure from the place of posting till return thereto), and testing fee as the case may be, as decided by BIS in its absolute discretion.
 3. Nomination
 - 3.1 The manufacturer shall nominate and appoint a person as his authorised representative located in India after obtaining all necessary permission or sanctions, if required, under the Indian laws, setting out the terms and conditions of such appointment in writing, whose nomination shall be duly communicated to BIS in writing.
 - 3.2 The authorised representative may either be in-charge or a senior officer of the Indian office or a legally appointed agent of the manufacturer in India. The nomination by the manufacturer shall be given on letterhead in the format prescribed.
 - 3.3 The form containing nomination of the authorised representative by the manufacturer either at the time of execution of this agreement or at the time of fresh appointment during the continuation of this agreement, shall also contain the signature of such authorised representative who has been so appointed, in token of his consent and confirmation of the terms and conditions of this agreement and to signify his willingness for compliance of various provision of agreement/ BIS Act, 2016, and rules and regulations there under.
 - 3.4 The authorised representative appointed shall be deemed to be a person having ultimate control over the affairs of manufacturer in India for the purposes of this agreement and as such shall be responsible for all due compliance of terms and conditions of this agreement as also provisions of BIS Act, 2016 and the rules and regulations made thereunder and shall continue to be so till another authorised representative is appointed in his place in accordance with the terms of the agreement.

- 3.5 The authorised representative shall remain bound to comply or adhere to the terms and conditions of this agreement, the provisions of BIS Act, 2016, and rules and regulations there under for and on behalf of manufacturer and thus shall be responsible and liable for all the acts and omissions and violations of the terms of the agreement or provisions of BIS Act, 2016, and rules and regulations thereunder framed thereunder in his personal capacity.
- 3.6 The manufacturer shall ensure that his authorised representative does not remain un-represented at any time during the continuation of this agreement, on account of any reasons whatsoever and shall further ensure that the authorised representative already nominated is substituted or another authorised representative is freshly nominated in the records of BIS well before the incumbent authorised representative is relieved of his obligations or liabilities under this agreement.
- 3.7 It is understood and agreed between the parties that this clause is an essence of this agreement and any violation of this clause shall authorise BIS to terminate or determine this agreement forthwith, whether formally determined or terminated or not, and take steps for cancellation of his licence.
- 3.8 It is agreed that such determination will be without prejudice to the other rights of BIS available to it under the BIS Act, 2016, and rules and regulations framed thereunder or under this agreement.
- 3.9 The BIS shall be entitled to terminate this agreement forthwith in the event it is revealed to or comes to the knowledge of BIS that the manufacturer has failed to comply with the terms of this clause except that in the event of death of authorised representative during the continuation of this agreement, the manufacturer shall be entitled to nominate a new authorised representative within twenty one days of the date of death of such authorised representative failing which provisions of clause 3.6 shall apply mutatis-mutandis.
- 3.10 It is agreed that in the event the authorised representative nominated by manufacturer severs his relationship or connection with the manufacturer and no new authorised representative is appointed in his place in terms of clause 3.6 hereinabove by manufacturer before earlier authorised representative being discharged or relieved well within the time, then notwithstanding determination or termination of this agreement, the earlier authorised representative shall remain liable and responsible for all the acts or omissions or violations of the terms and conditions of this agreement or provisions of BIS Act, 2016, and rules and regulations framed thereunder, committed till the time of his resignation or discharge.
- 3.11 The word “manufacturer” and “licensee” mentioned in the agreement shall mean and include “authorised representative” unless it is repugnant to the context.

4. Acceptance of terms and conditions

- 4.1 The licensee and his authorised agent agree to abide by all the terms and conditions of grant of licence as per the BIS Act, 2016, rules and regulations framed thereunder.

5. Rights and responsibilities of licensee

- 5.1 The BIS licence granted to the manufacturer shall only be with respect to (mention product) as per IS (mention IS Number).
- 5.2 Rights and responsibilities of the licensee shall be as conveyed to him by BIS from time to time, and the licensee shall abide by the same.

6. Period of validity of BIS licence / renewal thereof
 - 6.1 BIS licence shall be valid for the period as expressly stated therein, and shall automatically expire thereafter, unless specifically renewed in writing by BIS for any further period.
 - 6.2 In case an application for renewal of the licence is submitted by the licensee to BIS (during the period of validity of the licence, or within such period from the date of expiry thereof as may be stipulated by BIS, BIS may consider renewal thereof for a further period as deemed proper by it.
 - 6.3 During the pendency of consideration of such application for renewal, the licensee shall not make any claim regarding holding of such licence, and nor shall be entitled to mark the article or process upon expiry of the licence, till such time that the licence is renewed by BIS in writing for any further period.
7. Cancellation of licence
 - 7.1 Licence may be cancelled by BIS in accordance with regulation 11 of Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
8. Suspension of licence
 - 8.1 A licence may be suspended by BIS in accordance with paragraph 11 of Scheme - I appended to Schedule - II of Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
9. Termination of agreement
 - 9.1 The licensee violates or commits breach of any term or condition of this Agreement, whether by way of an act of commission or omission.
 - 9.2 The licensee can also terminate the agreement by giving 30 days' notice in writing addressed to Head, Central Marks Department – I, BIS, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi–110 002, by registered AD post or by a notice delivered by hand.
 - 9.3 On determination or termination of the agreement, the manufacturer shall forthwith cease to apply Standard Mark on any of the product manufactured or marketed by manufacturer and shall immediately furnish a statement to BIS indicating the details of the product so manufactured or marked prior to termination of Agreement or BIS licence and shall comply with all directions that may be conveyed by BIS to it.
 - 9.4 The manufacturer shall also clear all liabilities, financial or otherwise, towards BIS and shall return the original licence document along with all endorsement to BIS.
10. Indemnity
 - 10.1 The manufacturer agrees and fully understands that under the product certification scheme of BIS under which the licence is granted, the responsibility of conformance to the relevant Indian Standard with respect to products is solely on the manufacturer.

- 10.2 The manufacturer, therefore, agrees to indemnify BIS for all claims or damages arising out of its manufacturing of products and / or non-conformance to the relevant Indian Standards that may be made against BIS by any person or firm or company or association or consumer.
- 10.3 The manufacturer agrees and undertakes to execute an Indemnity Bond, in a language acceptable to BIS, as per the prescribed format, indemnifying and holding BIS harmless in respect of any third party claims with regard to conformance of products manufactured by the manufacturer on which the Indian Standard Mark is marked, to the relevant Indian Standard.
- 10.4 The manufacturer further undertakes to furnish a Bank Guarantee, as per the prescribed format, for USD 10000 (US Dollars Ten Thousand only) in favour of BIS, for due compliance of the provisions of the BIS Act, 2016 and the rules and regulations framed thereunder, and the terms and conditions of the licence.
- 10.5 In case of any breach thereof, BIS shall be entitled to invoke the Bank Guarantee at its sole discretion, whose decision in that regard shall be final and binding on the manufacturer.

11. Agreement period

- 11.1 This agreement comes into force from the date of grant of licence and till the period for which it is granted or renewed and until withdrawn or terminated or cancelled by either party in accordance with the terms of this agreement.

12. Jurisdiction

- 12.1 If any dispute arises between the parties to the agreement including touching, interpretation or meaning of any of clauses the agreement or respective rights or obligations or liabilities of the parties to this agreement, courts at Delhi alone shall have the jurisdiction to entertain, try and resolve such claims or rights or disputes.
- 12.2 For the purposes of this agreement, the address of the manufacturer shall be its address given in India hereinabove, while that of BIS shall be as mentioned hereinabove.
- 12.3 All notices or letters addressed to and or delivered at the said address shall be deemed to have been issued or delivered to the respective parties.

In witness where of the parties hereto affix their signatures:

Bureau of Indian Standards

Manufacturer

In the presence of:

Witnesses:

1.

2.

Form - X

(Refer clause (b) of sub-paragraph (5) of paragraph 3 of Scheme - I)

Indemnity Bond

(To be typed on non-judicial Stamp Paper of Rs. 100=00 and attested by Notary Public)

This Indemnity Bond is executed on this _____ day of _____, 20____ at New Delhi by
 M/s _____, a company / firm having its registered / corporate office
 at _____ and a Liaison / Branch Office at _____ (India) / or legally
 appointed Agent in India, namely Mr./Ms. _____, having his/her/its office at _____,
 _____, represented through Mr./Ms. _____, son/wife/daughter of Mr. _____, its duly
 authorised representative (hereinafter referred to as 'the Licensee'), in favour of Bureau of Indian
 Standards, having its headquarters at Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002
 (hereinafter referred to as 'BIS' or 'the Bureau') :

Whereas the licensee who is engaged in the business of manufacture of _____ (name the product for which licence is being obtained) outside India, has approached the Bureau for grant of BIS Certification Mark licence for use of the Indian Standard Mark on the aforesaid product, as conforming to Indian Standard _____ ; _____;

And whereas as per the product certification scheme of BIS under which the licence is granted to the Licensee, the Bureau on being satisfied that the product manufactured by the licensee conforms to the particular Indian Standard, merely gives a licence to the licensee to use the Indian Standard Mark on such product as conforming to the Indian Standard;

And whereas the responsibility of conformance to the relevant Indian Standard with respect to the product in respect of which the licence is granted is the sole responsibility of the Licensee, and in case of non-conformance, the licence is liable to be deferred or cancelled by the Bureau;

And whereas the Licensee has entered into an Agreement with the Bureau in connection with the grant of the licence, wherein it is stipulated that the Licensee shall execute the present Indemnity Bond to hold the Bureau indemnified and harmless against any third party claims in respect of non-conformity of the product manufactured by the Licensee on which the Indian Standard Mark is used by the Licensee;

Now therefore this Deed witnesses and it is agreed to and undertaken by the Licensee to safeguard the interests of the Bureau and to keep them harmless against any claim or demand made or proceedings initiated by any one against the Bureau in respect of non-conformity of the product manufactured by the Licensee on which the Indian Standard Mark is used by the Licensee, and indemnify the Bureau in that regard including damages, interest or cost thereof.

In witness whereof this Deed has been executed at New Delhi by the aforesaid Licensee through its Authorised Representative, in the presence of witnesses.

Licensee:

Witnesses:

- 1.
- 2.

Form - XI

(Refer clause (c) of sub-paragraph (5) of paragraph 3 of Scheme - I)

Performance Bank Guarantee (PBG)

The Director General
 Bureau of Indian Standards
 Manak Bhavan
 9 Bahadur Shah Zafar Marg
 New Delhi - 110 002

1. In consideration of Bureau of Indian Standards (hereinafter called 'BIS' or 'the Bureau') having agreed to exempt _____ (hereinafter called 'the Licensee') from the demand under the terms and conditions of an agreement bearing No._____ dated _____ entered into between the Bureau and the Licensee in respect of grant of BIS Certification Mark Licence (CM/L-_____) as per IS _____ : _____ by the Bureau to the Licensee (hereinafter called "the agreement"), of security deposit for the due fulfillment by the Licensee of the terms and conditions contained in the said Agreement, on production of the bank guarantee for _____, we, _____ (hereinafter referred to as "the bank") at the request of M/s _____ (Licensee), do, hereby, undertake to pay to the Director General of the Bureau by Cheque/ Demand Draft, on behalf of the Bureau, an amount not exceeding USD 10,000 (US Dollars ten thousand only) against any loss or damage caused to or suffered or would be caused to or suffered by the Bureau by reason of any breach by the said Licensee of any of the terms or conditions contained in the said Agreement.
3. We, _____, do hereby undertake to pay the amounts due and payable under this guarantee without any demur, merely on a demand from the Bureau by reason of breach by the said Licensee of any of the terms or conditions contained in the said Agreement or by reason of the Licensee's failure to perform the said Agreement. Any such demand made on the bank shall be conclusive as regards the amount due and payable by the Bank under this guarantee where the decision of the Bureau in these counts shall be final and binding on the bank. However, our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding USD 10,000 (US Dollars ten thousand only).
4. We undertake to pay to the BIS any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the Licensee in any suit or proceeding pending before any court or tribunal relating thereto, our liability under this present being absolute and unequivocal. The payment so made by us under this bond shall be valid discharge of our liability for payment thereunder, and the Licensee shall have no claim against us for making such payment.
5. We _____ further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement and that it shall continue to be enforceable till all the dues of the Bureau under or by virtue of the said Agreement have been fully paid and its claims satisfied or discharged or till the Bureau certifies that the terms and conditions of the said Agreement have been fully or properly carried out by the said Licensee and accordingly discharges this guarantee. Unless a demand or claim under this guarantee is made on us in writing on or before _____, we shall be discharged from all liabilities under this guarantee thereafter.

6. We _____ further agree with the Bureau that the Bureau shall have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligations hereunder to vary any of the terms and conditions of the said Agreement or to extend time of performances by the said Licensee from time to time or to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by the Bureau against the said Licensee and to forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the said agreement and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation, or extension being granted to the said Licensee or for any forbearance, act or omission on the part of the Bureau or any indulgence by the Bureau to the said Licensee or by any such matter or thing whatsoever which under law relating to sureties would, but for this provision, have effect of so relieving us.

5. This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank or the Licensee.

6. We _____ lastly undertake not to revoke this guarantee during and even after its currency except with the previous consent of the Bureau in writing.

Dated: the _____ day of _____ of _____ for _____ Bank.

Place:

Signature:

Name:

For and on behalf of:

Seal:

Note: - PBG shall be issued by any Bank having Reserve Bank of India approved branch in India. Original PBG shall be endorsed and routed / forwarded through the Indian branch only.
(Give the details of such RBI approved branch in India below)

Form - XII
(Refer sub-paragraph (1) of paragraph 9 of Scheme - I)

Application for Renewal of Licence

Head..... Branch Office
Bureau of Indian Standards

Dear Sir/Madam,

I/we, carrying on business at
..... (Full factory and office address) apply for renewal of Licence No. CM/L - granted by the Bureau under Bureau of Indian Standards Act, 2016, and the rules and regulations framed thereunder, as amended from time to time, for a further period from..... to, the conditions being the same as stipulated in the aforesaid licence and amended from time to time.

2. Details of production of goods bearing BIS Standard Mark effected under the licence are given in the report of performance placed overleaf duly authenticated by CEO/authorised signatory of our company.

3. I/We are enclosing herewith Receipt No._____ dated _____ for
₹_____ towards the following dues:

- | | | |
|------|--|-----------------|
| i) | Renewal application fee | ₹ |
| ii) | Annual licence fee | ₹ per year rate |
| iii) | Marking fee calculated on unit-rate basis
(item 3 of the Report overleaf) or Minimum Marking Fee, whichever is higher | |
| iv) | Previous dues/other fee (as per BIS notice) if any. | |
| v) | Total amount ₹ | |

Seal of Firm

Signature
Date
Name
Designation
For and on behalf of

**Report of Performance
(Paragraph 2 of Application for Renewal of Licence)**

(Period to be covered by the Report being to

Name of Product..... Indian Standard No.

Licence No. -

1. Total production of the article(s)
2. Production covered with BIS Standard Mark and its approximate value
 - 2.1 Quantity _____
 - 2.2 Value (₹) _____
3. Calculation of marking fee:
 - 3.1 Unit _____
 - 3.2 Marking-Fee per unit _____
 - 3.3 Marking fee obtained by multiplying unit rates as at 3.2 with quantity as at 2.1

 - 3.4 Minimum Marking Fee _____
4. Quantity not covered with BIS Standard Mark, if any,
and the reasons for such non-coverage
5. Names and addresses of all purchasers of BIS
certified goods including Central Government/State Government
Ministry/Department/Undertaking etc. (if applicable)
6. Month-wise production statement for the period mentioned

Note: Attach separate sheet, if required

Form - XIII
(Refer sub-paragraph (2) of paragraph 9 of Scheme - I)

Attachment to Licence No. CM/L-.....

CM/L-	Name of the Licensee with the Factory Address	Name of the Product	Indian Standard No.

Endorsement No. Dated

Whereas, the licence was valid upto,

*And, whereas the renewal was deferred till and licensee was not allowed to use or apply the Standard Mark from to (*Strike out, if not applicable),

Now, consequent upon renewal, the validity of the licence given in schedule of the original licence/endorsement No. has been extended from to

Other conditions of the licence remain the same.

Signature of designated authority
 (Name of designated authority)

Form - XIV
(Refer sub-paragraph (1) of paragraph 10 of Scheme - I)

Application for change in scope of licence

Head..... Branch Office
Bureau of Indian Standards

Dear Sir/Madam,

I/we, carrying on business at (Full factory and office address) apply for inclusion of new varieties mentioned as detailed below in Licence No. granted by the Bureau of Indian Standards.

2. Indian Standard No.

Product Title

Existing Scope of Licence

Extension/Reduction in scope desired

3. Test report(s), enclosed Yes/ No/ Not Applicable

4. List of additional manufacturing machinery and/or test equipment's required, if any

5. I/We have made the payment of ₹ _____ vide Receipt No. _____ dated _____ towards the above application.

Seal of Firm

Signature
Date
Name
Designation
For and on behalf of

Note : Attach separate sheet, if required

Form - XV
 (Refer sub-paragraph (4) of paragraph 10 of Scheme - I)

Attachment to Licence No. CM/L-.....

CM/L-	Name of the Licensee with the Factory Address	Name of the Product	Indian Standard No.

Endorsement No. Dated

The following addition/deletion in the scope of licence has (have) been approved by the Bureau with effect from.....

Consequent upon the above changes, the revised scope of licence in Column (3) of the table in schedule of the Licence along with the Standard Mark in Column (1) of schedule is amended as follows :

Other conditions of the licence remain the same.

Signature of designated authority
 (Name of designated authority)

Scheme - II

Conformity assessment scheme for Grant of licence to use or apply Standard Mark  through registration based on self-declaration of conformity for goods and articles as per Indian Standard (based on scheme Type C as per Schedule-I)

Scope

1. (1) Under this Scheme which is based on Type C, licence to use or apply a Standard Mark, through registration based on self-declaration of conformity, may be granted by the Bureau for goods or articles, hereinafter referred to as products, manufactured in a manufacturing premises and conforming to all the requirements of the relevant Indian Standard(s).

Explanation.- For the purposes of sub-paragraph (1), manufacturing premise(s) may include such other premises, either owned by the applicant or otherwise, where a part of the manufacturing activity takes place and includes the premises where the final manufacturing activity is carried out and where Standard Mark is to be used or applied.

(2) The grant of licence and its operation shall be done in accordance with the processes described under paragraph 3.

Definitions

2. (1) “third party laboratory” means a laboratory established, maintained or recognised by the Bureau or Government laboratories, as the case may be, empaneled by the Bureau or any other laboratory decided by the Executive Committee of the Bureau.

Processes of the Scheme

3. (1) Selection.- (a) The manufacturer shall identify that,-

(i) the Indian Standard applicable for the product against which it intends to obtain a licence;

(ii) the manufacturing and testing capabilities and confirm availability;

(iii) the model numbers and brand-name to be used.

(b) the manufacturer shall ascertain from the intended scope of the licence and sampling guidelines, the minimum number of sample(s) required for testing of the product;

(c) a manufacturer may apply for grant of licence through registration based on self-declaration of conformity separately for each product in Form—I annexed to this Scheme;

(d) separate application shall be made for each brand-name unless the brand-name owner is

the same;

(e) the manufacturer shall ensure that the product has been tested for conformity against all the requirements of the Indian Standard and submit undertaking as per Form-II annexed to this Scheme and shall submit test report which is issued by third party laboratory as per the sampling guidelines available for that product;

(f) the manufacturer shall submit affidavit as per Form-III A, B or C, as applicable, annexed to this Scheme to ensure conformity to sub-section (6) and (7) of section 18 and section 31 of the Act;

(g) in case of foreign manufacturers an Indian representative to be nominated as per Form-IV annexed to this Scheme and the nominated Indian representative shall submit an affidavit as per Form-III A, B or C, as applicable, annexed to this Scheme to ensure conformity to sub-section (6) and (7) of section 18 and section 31 of the Act;

(h) acceptance of terms and conditions of the licence.

(2) Determination.- The Bureau on receipt of an application shall examine the completeness of the information given in the application and the test results of the product from the third party laboratory shall be examined for their correctness and conformance to the Indian Standard.

(3) Review.- The application shall be reviewed for its completeness and the test results of the product from the third party laboratory shall be reviewed for their correctness and conformance to the Indian Standard.

(4) Decision.- The decision on grant of licence through registration based on self-declaration of conformity shall be taken by the Bureau when the application submitted by the applicant indicate that the manufacturer has necessary infrastructure for manufacturing quality products on a continuous basis, the test results indicate conformity of the product to the relevant Indian Standard and the satisfactory outcome of review.

(5) Attestation.- The Bureau on taking decision to grant a licence through registration based on self-declaration of conformity, a document indicating the scope of the licence, licence number, address of the manufacturer, brand-name, model numbers, validity of licence, details of the Indian Standard, facsimile of the Standard Mark shall be issued to the manufacturer in Form –V annexed to this Scheme.

(6) Surveillance.- (a) The Bureau may draw samples from market or in-transit and send such samples for testing to a third party laboratory along with the test request.

(b) In case drawal of market sample is not possible due to any reason, samples may be drawn from the despatch point and the Bureau may obtain feedback preferably from organised buyers.

Complaints

4. (1) The Bureau shall acknowledge and investigate any complaint received regarding quality of the product bearing Standard Mark.

(2) The actions for closure of complaint shall be completed within ninety days, excluding the testing time, where testing of the product is involved.

Fee

5. (1) The application fee, annual licence fee and renewal application fee shall be rupees one thousand each.

(2) The processing fee shall be rupees fifty thousand per application for grant of licence.

(3) Applications with more than one test report shall be additionally charged at the rate of rupees twenty thousand for each additional test report and the fee shall be paid in advance.

(4) The applicant shall pay processing fee of rupees fifty thousand at the time of renewal.

(5) When renewal is applied for a period of more than two years, a fee of rupees twenty five thousand shall be charged for each additional year and fee shall be paid in advance for the validity period of the licence.

(6) Concession in processing fee of twenty per cent shall be applicable to micro small and medium enterprises.

Explanation.- For the purpose of this sub-paragraph, the expression micro small and medium enterprises shall have the meaning assigned to it in the Micro Small Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006).

(7) In case of application for inclusion of new varieties or models or extension of scope of licence, an amount of rupees thirty thousand shall be charged per application.

(8) The cost of the samples and the testing fee of the samples drawn for surveillance or complaint investigation shall be paid by the applicant or licensee, as the case may be.

(9) After grant of licence, any service requests like change in name/address/management/Indian representative or e-mail or contact details or model withdrawal in the scope of the licence, updation of critical component of the models in the scope of the licence shall be made on payment of fee of rupees five thousand for each request.

Labelling and marking requirements

6. (1) Each product or the package or both shall be marked with the Standard Mark as specified in the guideline to use the Standard Mark annexed with this Scheme as Annexure-I.

(2) The measurements of the Standard Mark shall be as specified in Annexure-II, annexed to this Scheme.

(3) The colour scheme of the Standard Mark shall be in accordance with the Annexure-III, annexed to this Scheme.

(4) The Standard Mark shall carry the licence number and reference to the Indian Standard in a visible manner and shall be as specified in the licence.

(5) In case the licence number cannot be placed beneath the Standard Mark, it shall be suitably placed close to the Standard Mark in a linear manner.

(6) The product detail, as per the requirement of the Indian Standard, which may include variety, model number, lot or batch number, date or week of manufacturing, complete address of manufacturer, shall be marked on either the product or the packaging or contained in a label attached to the product.

(7) The marking details shall contain reference to the website of the Bureau so that consumer may verify the authenticity of the standard marked product.

(8) If required by the Bureau, in addition to the Standard Mark, licensee shall mark either on the product or the package the words “self-declaration of conformity to” followed by relevant Indian Standard number.

(9) For any specific product, additional labelling and marking requirements may be specified by the Bureau to which the licensee shall comply with.

Conditions of licence

7. The conditions of licence shall be as provided in regulation 6 of these regulations.

Validity of licence

8. (1) The licence to use Standard Mark shall be granted initially for two years.

(2) The licence may be renewed for a further period not less than two years and up to five years.

Renewal of licence

9. (1) An application for renewal of licence to use Standard Mark shall be made before three months of its expiration to the Bureau in Form –VI annexed to this Scheme.

(2) The Bureau shall renew the licence in Form –VII annexed to this Scheme.

(3) The renewal of licence shall be done in accordance with regulation 8 of these regulations.

Change in scope of licence

10. (1) An application for change in scope of licence to use Standard Mark shall be made to the Bureau in Form –VIII A, B, as applicable, annexed to this Scheme.

(2) For extension in scope of licence, application may be considered based on complete test report of the product submitted by the licensee, which is issued by third party laboratory.

(3) The Bureau shall change the scope of licence in Form –IX A, B, as applicable, annexed to this Scheme.

Suspension

11. (1) The licensee on its own shall suspend the use of the Standard Mark under intimation to the Bureau if, at any time, there is difficulty in maintaining the conformity of the product to the Indian Standard.

(2) The marking may be resumed as soon as the deficiencies are removed and information of such resumption of the marking shall be sent to the Bureau immediately but not later than seven days from the date of resumption.

(3) The licensee on its own shall suspend the use of the Standard Mark under intimation to the Bureau due to relocation of manufacturing unit to a new address.

(4) After completion of all actions the Bureau shall be informed along with the requisite fee.

(5) The revocation of suspension may be done by the Bureau after verification of the documents submitted and on deposit of requisite fee.

(6) The Bureau may suspend the licence after issuing a notice of twenty one days and direct the licensee not to use Standard Mark on its product when requisite fee is not paid by the applicant.

(7) The Bureau may revoke suspension issued under sub-paragraph (6) on receipt of dues.

Cancellation of licence

12. (1) The Bureau shall cancel the licence in accordance with regulation 11 of these regulations.

(2) If, at any time, the Bureau has sufficient evidence that the product bearing the Standard Mark may not be conforming to the relevant Indian Standard, the Bureau may cancel the licence after serving notice to the licensee.

(3) The licensee or his representative shall stop the supply, import and sale of the product with the Standard Mark after the date of cancellation.

Annexure-I

(Refer sub-paragraph (1) of paragraph 6 of Scheme II)


Guidelines for use of Standard Mark

The monogram of the 'Standard Mark' consists of the pictorial representation, drawn in the exact style as indicated in the figure in Annexure II and III and its photographic reduction and enlargement is permitted.

- (i) The 'Standard Mark' can be displayed in single colour or multi-colour as per the details given below. The colour scheme for the Standard Mark to be used in multi-colour shall be used as indicated below.
- (ii) The licensee shall display the 'Standard Mark' on the article or the packaging, as the case may be, in a manner so as to be easily visible.
- (iii) The Standard Mark shall be legible, indelible and non-removable and the durability of marking shall be as per the provisions of the relevant Indian Standard, wherever applicable.
- (iv) The display of IS number, registration number and words shall not be less than arial font size 6.
- (v) Any device with an integrated display screen may present the Standard Mark electronically (e-labelling) in lieu of a physical presentation on the product.

Annexure-II

(Refer sub-paragraph (2) of paragraph 6 of Scheme II)



The IS number and licence number given above are examples only. Please also refer Gazette Notification S. O. 3240(E) dated 01 December 2015, for display of IS numbers for each product.

Annexure-III

(Refer sub-paragraph (3) of paragraph 6 of Scheme II)

Colour Scheme for the ‘Standard Mark’



Form- I

(Refer clause (c) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of Scheme II)

Application for grant of licence through registration based on Self – Declaration of Conformity

Month DD, YYYY

1. Name of Applicant (product manufactured by):

2. Address of the manufacturing unit (product manufactured by) (attach the documents for authentication of the name and address of the manufacturing premises)

Address:

State / Country:

Pin:

Email:

Tel. :

[STD Code (s) (country and area code) to be given with Telephone numbers]

Fax :

[STD Code (s) (country and area code) to be given with Fax numbers]

3. Address of office:

Address:

State / Country:

Pin:

Email:

Tel. :

[STD Code (s) (country and area code) to be given with Telephone numbers]

Fax :

[STD Code (s) (country and area code) to be given with Fax numbers]

4. Top Management of the manufacturing unit

(attach separate sheet, duly authenticated, if required):

Sl. No.	Name	Designation

5. Technical Management of the manufacturing unit

(attach separate sheet, duly authenticated, if required) :

Sl. No.	Name	Designation

6. Contact Person of the manufacturing unit:

Name	Designation	Mobile Number	Landline Number	e-mail ID

7. Details of Indian Representative nominated by the manufacturer:

(We have a liaison office / subsidiary firm/ branch office located in India. The details are given below:

OR

We do not have a liaison office / subsidiary firm/branch office located in India, but Proprietor/Registered user/subsidiary firm/branch office/ liaison office of the Brand/Trademark appearing on the article is located in India. The details are given below:

OR

We do not have a liaison office / subsidiary firm/ branch office located in India and there is no Proprietor / Registered User/subsidiary firm/branch office/ liaison office of the Brand/Trademark appearing on the article, located in India. Therefore, we nominate the major importer/distributor/ entity having marketing tie-up with the brand owner and /or the manufacturer, as our authorised Indian representative as per details given below:)

Firm's Name:

Address of Firm:

Name of signatory:

Designation:

E-mail ID:

Mobile Number:

Office telephone:

8. This application is being made for grant of licence of:

(a) Indian Standard:

(b) Product Category:

(c) Product Name:

Model Number(s)	Brand Name

9. Details of previous Licence(s):

Licence Number(s)	Status (Expired/Cancelled/Operative/Deferred)	Remarks

10. Components/ Raw Materials: List of the components / raw materials tested and accepted as per the requirements specified in the Indian Standard with the arrangement for testing and acceptance of components / raw material is placed below (attach separate sheet, duly authenticated, if required) :

Object/Part Name	Manufacturer/Brand	Model No.	Technical Data/Rating	Standard for testing	Mark(s) of Conformity

11. Manufacture – Does the manufacturing unit have complete manufacturing facility for the product and its models and series for which the licence is applied for? : Yes / No (In case ‘No’, provide details of manufacturing processes outsourced)

12. Testing - Does the manufacturing unit have complete testing facility installed in-house for ascertaining the conformity of product as per Indian Standard? : Yes / No (In case ‘No’, provide details of the tests for which there is no in-house test facility and how these tests are arranged)

13. Details of test report(s) of the product for which the licence is applied for:

Sl. No.	Name of Laboratory	Test Report No.	Date of Issue of Test Report	Model Number	Brand

14. Payment Details:

Amount in Rs.	Payment Gateway receipt number	Date of payment receipt	Remarks

15. Declaration and Acceptance

(a) Brand Name(s)

Brand Names/Trademark(s) which would be marked on the product bearing the licence (Give actual design depiction of the Brand Name/Trade Mark(s))	Owned by self or others*	Is the Brand Name/Trade Mark Registered? i. Registered in India ii. Registered outside India iii. Applied for Registration iv. Unregistered	Date of Registration/Introduction

Copy of Brand registration certificate shall also be provided.

*In case Brand Names/Trademark(s) being used for above purpose is owned by any other organisation (other than the manufacturer/applicant), also give the copy of the agreement/ authorisation from the brand owner allowing manufacturer to use its brand.

(b) Terms and Conditions

I/We, on grant of Licence,:

- (i) shall ensure that the design of Standard Mark shall be identical to the facsimile given in the licence.
- (ii) shall comply that photographic enlargement or reduction of the Standard Mark may also be used, unless otherwise specified by the Bureau.

- (iii) shall at all times comply with the provisions of Act, rules and regulations framed there under and as amended from time to time.
- (iv) shall provide the list of distributors, dealers or retailers to whom goods or articles with Standard Mark is supplied.
- (v) shall be responsible for the conformity of the goods, article, process, system or service to the Indian Standard in relation to which Standard Mark is used or applied.
- (vi) shall bear the cost of sample(s) drawn and their testing fee as directed by the Bureau/Central Government.
- (vii) shall not use the Standard Mark in relation to goods, articles, process, system or service which are non –conforming or outside the scope of the licence.
- (viii) shall comply with the provisions of the conformity assessment scheme under which licence is granted, including labelling and marking requirements.
- (ix) shall ensure that the Standard Mark is not used or applied in relation to any goods, article, process, system or service and supply, import and sell with the Standard Mark during suspension or after expiry/ cancellation of the licence.
- (x) shall ensure to stop the supply and sale of non-conforming goods or articles and recall the non-conforming goods or articles that have already been supplied or offered for sale and bear such mark from the market or any such place from where they are likely to be offered for sale or prohibit to provide the service.
- (xi) shall ensure that where we or our representative has sold goods, articles, processes, system or services, which bear a Standard Mark or any colourable imitation thereof, which do not conform to the relevant standard, the Bureau shall direct us or our representative to—
 - (a) repair or replace or reprocess the standard marked goods, article, process, system or service in a manner as may be specified; or
 - (b) pay compensation to the consumer as may be prescribed by the Bureau; or
 - (c) compensate the consumer for the injury caused by such non-conforming goods, article, process, system or service in such manner as may be prescribed.
- (xii) shall provide the Bureau all assistance in connection with carrying out inspection or audit at its premises.
- (xiii) shall provide information relating to production and use or applying of Standard Mark as and when it is required by the Bureau.
- (xiv) shall pay all financial dues to the Bureau and/or the Central Government, in the manner specified by it.
- (xv) shall ensure that, if a complaint regarding quality of a product bearing Standard Mark is established, we will take suitable corrective actions so as to eliminate recurrence of such complaints in future.
- (xvi) acknowledge that the Bureau shall have the right to amend any of the conditions of licence by giving a notice of not less than one month to the licensee.
- (xvii) undertake to inform BIS regarding any change in the name/management, location, contact details, authorised representative, critical component of any model in scope of licence within twenty one days of such change.
- (xviii) undertake to inform Bureau of Indian Standard In advance as and when we propose to use any other Brand Names/Trademark (s) in conjunction with the operation of the registration scheme.

- (xix) understand that the information on brand name as at 15(a) has been given only as information to Bureau of Indian Standards, that Bureau of Indian Standard has no role in permitting/approving of any Brand Name of Trade Mark, that this shall not in any way be interpreted to mean that Bureau of Indian Standards has permitted/approved the use of the Brand Names and Trade Marks listed above, and that the responsibility is entirely mine/ours.
- (xx) shall implement the revision and amendments to the relevant Indian Standards, as and when directed by BIS.
- (xxi) shall ensure to abide by Act, rules and regulations update and follow the guidelines and circulars issued by BIS from time to time.
- (xxii) undertake to ensure that the representative nominated by us will not engage with any other activity of BIS or related to BIS, for example, testing of samples, involving himself in the activities of laboratories recognised by BIS, undertaking market surveillance etc. or any other activity which may involve conflict of interest under this Scheme of BIS.
- (xxiii) In case, it is detected at any stage that the Indian representative is engaged in any of the above mentioned activities or any other activity related to BIS functions that involve conflict of interest, the registration awarded is liable to be cancelled. Such Indian representative would be blacklisted/debarred to undertake any activity related to BIS.

(c) Declaration:

I/We further declare

- i) That the information given in this declaration are true to the best of my knowledge and belief.
- ii) That the sample(s) for which the test report(s) are enclosed have been manufactured in my factory premises at the address mentioned at S. No. 2 in this application form.
- iii) If any misleading information has been found in this declaration, the application for grant of licence shall be liable for rejection.
- iv) If the licence is granted on the basis of information given above, which is found to be incorrect later, the licence shall be liable for cancellation.

Date:

Place:

Seal of the Manufacturer

Signature _____

Name _____

Designation_____

Date of application_____

Important: Application should be signed by Chief Executive Officer of the manufacturer producing goods (product manufactured by) or his authorised representative in the manufacturing unit (enclose letter of authorisation). Counter signature of authorised Indian representative (in case of Application from Foreign Manufacturer):

(I have read the terms and conditions and declaration mentioned above and I accept and agree to

abide by the same.)

Name of the organisation, if Branch / Liaison Office is established /Brand Owner/ Any third party nominated as authorised Indian representative: _____

Name and Designation of authorised signatory:

Signature and Date_____

Address: _____

Telephone No.:_____

Mobile No.:_____

Email: _____

Form - II

(Refer clause (e) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of Scheme II)

Undertaking

(To be issued on company letter head)

Name and Address of Manufacturer:

Product Name:

Trade/Brand Name:

For conformity to Indian Standard:

Application ID/Inclusion ID/CCL ID/Switchover ID:

We, _____(Name of Manufacturer), have applied to BIS for grant of licence for self-declaration of conformity on above product(s). We, as the responsible party for regulatory compliance, declare under sole responsibility that the described product is in conformity with IS_____.

Further, the Test Report No. _____dated _____issued by _____(Name of BIS recognised lab) submitted by us along with the application for grant of licence/inclusion for Model No.(s)_____ product _____has been perused by us thoroughly clause by clause against IS _____or each requirement.

We certify that;

- i) The test report covers the test results/conformity assessment for all applicable requirement of the above Indian Standards
- ii) The test results for each requirement of the standard covered in each clause/sub-clause of the standard has been verified by us independently and found to be within the limits/meeting the requirements prescribed in the standard.

We agree that if any anomaly is found in the test report submitted by us to BIS for licence at any time after grant of licence, then the licence so granted to us on the basis of the test report and this undertaking would be liable to be cancelled by BIS.

Signature and Seal:

Name (Applicant/authorised representative of Indian entity filling application)

Date:

Place:

Form - III A

(Refer clause (f) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of Scheme II)

Model Affidavit Cum Undertaking (To be furnished by Manufacturer's Branch Office/Liaison Office located in India, before Grant of Licence)

(On Rs 100/- non-judicial stamp paper, duly notarised)

I, , aged about years, by occupation CEO/MD/Proprietor/authorised employee (designation.....) of M/s (the liaison office / subsidiary firm/ branch office, in India), having its Registered Office/Head Office at (address in India), do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That M/s.....(the liaison office /subsidiary firm/ branch office, in India) has been set up in India by M/s(foreign applicant) having its factory/manufacturing address at (address of foreign applicant) for the purpose of grant of licence applied under Application ID/ licence No.:_____ and compliance to sub-section (6) and (7) of section 18 and section 31 of the Act.
2. That I have been duly authorised to give this affidavit cum undertaking (authorisation appended herewith).

3. That M/s (the liaison office / subsidiary firm/ branch office, in India) does hereby undertake to meet all liabilities and obligations with respect to the BIS Act, 2016, and the rules and regulations framed there under, on behalf of M/s (foreign applicant) for the purpose of all licence granted / to be granted by BIS. M/s (the liaison office / subsidiary firm/branch office, in India) further undertakes that this undertaking shall not be revoked during the operation of any of the licence without prior consent of the Bureau.
4. That without prejudice to the generality of the foregoing declaration, M/s (the liaison office / subsidiary firm/ branch office, in India) accepts and undertakes to be responsible for compliance of all terms and conditions of the licence and to be liable to meet all outstanding financial dues to BIS that may arise at any stage in connection with any of the licence.
5. That M/s (the liaison office / subsidiary firm/branch office, in India) accepts and undertakes full liability in case of violation of any provision of the Act, rules and regulations framed thereunder, arising out of any act or omission on the part of the foreign applicant.
6. That I declare that M/s (the liaison office / subsidiary firm/ branch office, in India) has no commercial or business relationship with any laboratory affecting the interest of BIS and that it will not engage in any activity that is in conflict with the interest of BIS in general and i fully understand that any violation of this may lead to cancellation of the licences, apart from other actions as per law.
7. That M/s (the liaison office/subsidiary firm/ branch office, in India) as well as the undersigned i.e. deponent, undertake to fully indemnify BIS from any loss arising out of any of the licences granted / to be granted, jointly and severally, on behalf of the foreign applicant.

In witness whereof, I do hereby sign and execute this affidavit cum undertaking on this theday of, 20....

Signed, sealed and delivered by the above named.

(Deponent)

(Signature with seal and stamp)

(Signature, stamp and seal of Notary Public)

Form - III B

(Refer clause (f) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of Scheme II)

Model affidavit cum undertaking (to be furnished by the brand owner; or proprietor/registered user/ subsidiary firm/ liaison office of brand/trademark; or any other entity located in India, before grant of licence)

(On rupees one hundred only non-judicial stamp paper, duly notarised)

I, , aged about years, by occupation CEO/MD/Proprietor/authorised employee (designation.....) of M/s (the nominated Company/Firm/Proprietorship in India), having its Registered Office/Head Office at (address in India), do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That M/s..... (foreign applicant) having its factory/manufacturing address at (address of foreign applicant) has nominated M/s (the nominated Company/Firm/Proprietorship in India) as its authorised representative located in India for the purpose of grant of licence of its article.....(details of article along with brand and Indian Standard concerned) as applied under Application ID/ licence No.: _____ and compliance to sub-section (6) and (7) of section 18 and section 31 of the Act.
2. That I have been duly authorised to give this affidavit cum undertaking (authorisation appended herewith).
3. **That I hereby declare that M/s (the nominated Company/Firm/Proprietorship in India) is the Brand Owner/Proprietor/Registered User/subsidiary office/ liaison office of the Brand/Trademark appearing on said article.

OR

**That I hereby declare that M/s (the nominated Company/Firm/Proprietorship in India) is the major importer/distributor/ entity having marketing tie-up with the brand owner and /or the manufacturer of the said article.

4. That M/s (the nominated Company/Firm/Proprietorship in India) does hereby unconditionally accept the nomination and give consent to be responsible for compliance to the provisions of the Act, rules and regulations framed thereunder, on behalf of

M/s (foreign applicant) for the purpose of Registration of the said article(s). M/s (the nominated Company/Firm/Proprietorship in India) further undertakes that this consent shall not be revoked during the operation of the licence without prior consent of the Bureau.

5. That without prejudice to the generality of the foregoing declaration, M/s (the nominated Company/Firm/Proprietorship in India) accepts and undertakes to be responsible for compliance of all terms and conditions of the Registration and to be liable to meet all outstanding financial dues to BIS that may arise at any stage in connection with the licence.
6. That M/s (the nominated Company/Firm/Proprietorship in India) accepts and undertakes full liability in case of violation of any provision of the Act, rules and regulations framed thereunder, arising out of any act or omission on the part of the foreign applicant.
7. That I declare that M/s (the nominated Company/Firm/Proprietorship in India) has no commercial or business relationship with any laboratory affecting the interest of BIS and that it will not engage in any activity that is in conflict with the interest of BIS in. I fully understand that any violation of this may lead to cancellation of the licence, apart from other actions as per law.
8. That M/s (the nominated Company/Firm/Proprietorship in India) as well as the undersigned i.e. deponent, undertake to fully indemnify the BIS from any loss arising out of the licence to be granted, jointly and severally, on behalf of the foreign applicant.

In witness whereof, I do hereby sign and execute this affidavit cum undertaking on this theday of , 20.....

Signed, sealed and delivered by the above named

(Deponent)

(Signature with seal and stamp)

(Signature, stamp and seal of Notary Public)

** Strike off whichever is not applicable.

Form - III C

(Refer clause (f) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of Scheme II)

Model affidavit cum undertaking

(To be furnished by Manufacturer located in India, before Grant of Licence)

(On Rs 100/- non-judicial stamp paper, duly notarised)

I, , aged about years, by occupation CEO/MD/Proprietor/authorised employee (designation.....) of M/s , having its Registered Office/Head Office at (complete address) and manufacturing unit located at(complete address), do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I have been duly authorised to give this affidavit cum undertaking (authorisation appended herewith) for Application ID/licence No.: _____.

2. That M/s does hereby undertake to meet all liabilities and obligations with respect to the sub-section (6) and (7) of section 18 and section 31 of Act, for the purpose of all licence granted / to be granted by BIS. M/s further undertakes that this undertaking shall not be revoked during the operation of any of the registrations without prior consent of the Bureau.

3. That without prejudice to the generality of the foregoing declaration, M/s..... accepts and undertakes to be responsible for compliance of all terms and conditions of the registrations and to be liable to meet all outstanding financial dues to BIS that may arise at any stage in connection with any of the licence.

4. That M/s accepts and undertakes full liability in case of violation of any provision of the Act, rules and regulations framed thereunder, arising out of any act or omission.

-
5. That I declare that M/s has no commercial or business relationship with any laboratory affecting the interest of BIS and that it will not engage in any activity that is in conflict with the interest of BIS in general and the Compulsory Registration Scheme in particular. I fully understand that any violation of this may lead to cancellation of the licences, apart from other actions as per law.

 6. That M/s as well as the undersigned i.e. deponent, undertake to fully indemnify BIS from any loss arising out of any of the licences granted / to be granted, jointly and severally.

In witness whereof, I do hereby sign and execute this affidavit cum undertaking on this theday of , 20.....

Signed, sealed and delivered by the above named.

(Deponent)

(Signature with seal and stamp)

(Signature, stamp and seal of Notary Public)

Form - IV

(Refer clause (g) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of Scheme-II)

Nomination of Authorised Indian Representative

(To be issued on company letter head, in original)

1. I,.....,CEO/MD/Proprietor/authorized employee (designation.....)
of M/s (foreign applicant) having its manufacturing unit at
..... (complete address), hereby declare that

* (a) M/s..... (foreign applicant) have a liaison office /
subsidiary firm/ branch office M/slocated at(complete
address in India).

OR

* (b) M/s..... (foreign applicant) do not have a liaison office/
subsidiary firm/ branch office located in India, but Proprietor/Registered user/subsidiary
firm/liaison office of the Brand/Trademark appearing on the article is located in India by
the name and Title M/s at(complete address of
brand owner).

OR

* (c) M/s..... (foreign applicant) do not have a liaison office /
subsidiary firm/ branch office located in India and there is no Proprietor / Registered
User/subsidiary firm/branch office/ liaison office of the Brand/Trademark appearing on
the article, located in India. Therefore, we nominate the major importer/distributor/ entity
having marketing tie-up with the brand owner and /or the manufacturer, as our authorised
Indian representative.

2. Accordingly, M/s , referred above, will act as our authorised representative, and will
sign Affidavit cum undertaking (Form-III A / Form-III B) and other documents relating to
registration.

* Strike off whichever is not applicable.

Yours faithfully,

Details of Authorised Indian Representative:

Signature of applicant

M/s

Name:

Address:

Designation:

Phone:

Address:

E-mail:

Phone:

Date:

E mail:

Application ID/licence No.: _____

Date:

Enclosures: As given overleaf

Documents to be submitted in case

I. 1 (a) is applicable

- (i) Certificate issued by the Registrar of Companies or any other relevant document from Government/Statutory Authorities which establish proof of its liaison office or branch office in India
- (ii) Affidavit cum undertaking (on rupees one hundred only non-judicial stamp paper, duly notarised) from the CEO/MD/authorised employee of said liaison office/branch office as per Form–III A along with the authorisation letter mentioned at 2 of Form–III A.

OR

II. 1 (b) is applicable

- i) Document establishing the nominee as the Brand Owner or Proprietor/Registered User/ subsidiary firm/liaison office of the Brand/Trademark in question;
- ii) Document authenticating the identity of the nominee (such as Certificate issued by Registrar of Companies, etc); and
- iii) An affidavit cum undertaking (on rupees one hundred only non-judicial stamp paper, duly notarised) from the said Brand Owner or Proprietor/ Registered User/ subsidiary firm/liaison office of the Brand/Trademark located in India or its CEO/MD/authorised employee, as per Form–III B along with the authorisation letter mentioned at 2 of Form–III B.

OR

III. 1 (c) is applicable

- i) Document establishing legal status of the entity (Company, Firm, or Proprietorship) as the such as Certificate issued by Registrar of Companies, Registered Partnership Deed, etc;

- ii) Document establishing the entity as the major importer/distributor/ entity having marketing tie-up with the brand owner and /or the manufacturer.
- iii) Declaration from Brand owner that they do not have Proprietor/ Registered User/ subsidiary firm/liaison office of the Brand/Trademark located in India and that the nominated representative is the major importer/distributor/ entity having marketing tie-up with the brand owner.
- iv) An affidavit cum undertaking (on rupees one hundred only non-judicial stamp paper, duly notarised) by the CEO/MD/authorised employee of the said entity located in India, as per Form-III B along with the authorisation letter mentioned at 2 of Form-III B.

Form - V

[Refer sub-paragraph (5) of paragraph 3 of Scheme-II]

Our Ref:

Date:

Subject : Licence document

MANUFACTURING UNIT :	<Name of Manufacturer> <Complete address of manufacturer> <e-mail of manufacturer> <Contact number of manufacturer>
----------------------	--

Dear Sir,

1. With reference to your Application, we are pleased to inform you that it has been decided to grant you licence through registration based on self-declaration of conformity as per details given below:

Product :	
IS No :	
Brand :	
Model(S) :	
Manufacturing Address :	

2. The licence is being granted to the unit located at the address and for the brand and models mentioned at serial no 1 above.

-
3. The number assigned to this licence is R-<R-Number> which has been made operative from <Registration Date> and is valid upto <Valid upto date> and licence number should invariably be referred to in your future correspondence.
 4. The rights and privileges under the licence shall not be exercised by any other factory / organisation at any other location and in the event of shifting of the manufacturing machinery from the registered premises to some other place use of the licence number shall be stopped and BIS shall be informed.
 5. The licensee shall comply with the provisions of the Act, rules and regulations framed thereunder and as amended from time to time.
 6. The licensee shall follow the guidelines for the use of Standard Mark and labeling requirements as per Annexure.
 7. The licensee shall not use the licence in any manner which contravenes the provisions of Act, rules and regulations framed thereunder and as amended from time to time.
 8. Upon expiry of validity, stoppage or suspension or cancellation of licence, the licensee shall discontinue forthwith the self-declaration of conformity to the relevant Indian Standard(s) and withdraw all promotional and advertising matter which contains any reference thereto.
 9. *As per the declaration, <Name of person and designation/Name of entity and address>, is authorised representative and any intended change in the name of the Indian representative ought to be brought to our notice immediately along with requisite fee and document.
 10. For renewal of licence, the licensee shall have to apply to BIS three months in advance before expiration of the licence and application form for renewal is available on BIS website.
 11. The licence is not transferable.

Thanking you,
Yours faithfully,

(<Name of the Officer>)

<Designation>

* Applicable to foreign manufacturers.

Form - VI

[Refer sub-paragraph (1) of paragraph 9 of Scheme II]

Application for Renewal of Licence

(To be issued on company letter head)

The Director General

Bureau of Indian Standards

New Delhi

Dear Sir,

I/We _____;(Name of manufacturing unit) having office at _____ and factory at _____

1. We are applying for renewal for a period of five years of the licence number R-XXXXXXX granted to us under clause (b) of sub-section (2) of section 13 of the Act for use of Standard Mark on articles being manufactured by us conforming to this Indian Standard.
2. We shall abide by the provisions of the Act, rules and regulations framed thereunder as amended from time to time and all the terms and conditions for continuing with the licence.
3. The details and quantity of article covered under the licence are given overleaf, duly self-attested by the Chief Executive Officer/ Authorised person of the manufacturing unit.
4. Payment Details:

Amount in Rs.	Payment Gateway receipt number	Date of payment receipt	Remarks

5. Application date _____ day of _____ two thousand _____

Seal of office:

Signature (CEO/Authorised person of manufacturing unit)_____

Name_____

Designation_____

Counter signed by the Indian Representative:

Name of Signatory_____

Designation_____

Firm's Name_____

Address_____

Email:_____

Mobile No.:_____

Telephone/landline No.:_____

Note: Renewal application shall be submitted before three months of the expiration of the licence.

Production Report

(Attachment to Form VI)

(To be issued on company letter head)

(Reported for the period *..... to

[*i) from date of grant of licence to three months before validity date (for first renewal);
ii) for the period three months before the last validity date to three months before the current validity date(for subsequent renewals)]

1. Name of Licensee:
2. Licence No.
3. Name of Article (Product):
4. IS No. :
5. Model Number and Brand Name of the article under scope of the licence:
6. Quantity marked (in numbers) with Standard Mark:
7. Names and addresses of major distributors/ dealers/purchasers of the article:

Declaration

I/We further declare

- (i) That the information given in this declaration are true to the best of my knowledge and belief.
- (ii) If any misleading information has been found in this declaration, the application for renewal of licence shall be liable for rejection which may lead to expiry/cancellation of licence.
- (iii) If the renewal of licence is granted on the basis of information given above, which is found to be incorrect later, the licence shall be liable for cancellation.

Seal of office:

Signature (CEO/Authorised person of manufacturing unit) _____

Name_____

Designation_____

Counter signed by the Indian Representative:

Name of Signatory_____

Designation_____

Firm's Name_____

Address_____

Email: _____

Mobile No.: _____

Telephone/landline No.: _____

Form - VII

[Refer sub-paragraph (2) of paragraph 9 of Scheme III]

Our Ref:

Dated:

ID:

Subject : Renewal of licence R-<R-number> as per IS <IS number>

M/s <Name of the manufacturing unit>

<Address of manufacturing unit>

Sir/ Madam,

With reference to your application dated <hard copy receipt date> for renewal of the above mentioned licence; this is to inform you that the same has been renewed from <One day after Previous valid upto date> to <Valid upto date>.

It may be noted that the said licence granted under clause (b) of sub-section (2) of section 13 of the Act shall *lapse* at the end of the period for which it is granted unless renewed or its renewal is deferred. You are, therefore, requested to apply for next renewal to BIS at least three months before the expiration of the licence.

Yours faithfully,

(Name of officer)

<Designation>

Form - VIII A

[Refer sub-paragraph (1) of paragraph 10 of Scheme II]

Application for Inclusion/Withdrawal of Model(s) from scope of licence

(To be issued on company letter head)

1. Licence No. :
2. Name of Licensee:
3. Address of Licensee:
4. IS No.:
5. Product:
6. Brand:
7. Valid upto:
8. Models covered in scope of licence:
9. Inclusion/Withdrawal ID:
10. Models to be included in scope/ withdrawn from scope/ updation of critical component list:
11. Details of test report(s) of the product for inclusion/updation of critical component list applied for:

Sl. No.	Name of Laboratory	Test Report No.	Date of Issue of Test Report	Model Number	Brand

12. Payment Details:

Amount in Rs.	Payment Gateway receipt number	Date of payment receipt	Remarks

13. Manufacture – Does the manufacturing unit have complete manufacturing facility for the product and its models and series for which the licence is applied for? : Yes / No

(In case ‘No’, provide details of manufacturing processes outsourced)

14. Testing - Does the manufacturing unit have complete testing facility installed in-house for ascertaining the conformity of product as per Indian Standard? : Yes / No

(In case ‘No’, provide details of the tests for which there is no in-house test facility and how these tests are arranged)

Date:

Place:

Seal of the Manufacturer

Signature _____

Name _____

Designation _____

Date of application _____

Important: Application should be signed by Chief Executive Officer of the manufacturer producing goods (product manufactured by) or his authorised representative in the manufacturing unit (enclose letter of authorisation).

Counter signature of Authorised Indian Representative (in case of Application from Foreign Manufacturer):

Name of the Organisation, if Branch / Liaison Office is established /Brand Owner/ Any third party nominated as Authorised Indian representative: _____

Name and Designation of authorised signatory: _____

Signature and Date _____

Address: _____

Telephone No.: _____

Mobile No.: _____

Email: _____

Form - VIII B

(Refer sub-paragraph (1) of paragraph 10 of Scheme II)

Application for change of other details in the licence

(To be issued on company letter head)

Application form for intimating			
A. Request for the changes as per details below (Please tick the appropriate)			
1. Change in name of unit (pl see col B below)	Yes	No	proof of change of name to be mandatorily submitted
2. Change in address (pl see col C1 and C2 below)	Yes	No	proof of change of address to be mandatorily submitted
3. Change in management composition (pl see col D below)	Yes	No	proof of change of management to be mandatorily submitted along with the affidavit and nomination , if applicable
4. Division of the firm (pl see col E below)	Yes	No	proof of change of division to be mandatorily submitted
5. Merger or extension of facilities (pl see col F below)	Yes	No	proof of change of merger to be mandatorily submitted
6.Whether submitted for all the registrations in the premises	Yes	No	Should be submitted for all the registrations together
7. Change in authorised Indian representative	Yes	No	Should be submitted for all the registrations together
8. Any other service	Yes	No	Should be submitted for all the registrations together

All Existing Registration Numbers:	
A. Old unit name and address	
B. New manufacturing unit details:	

Manufacturing unit name: (please enclose copy of proof of change)			
C1. New office details: (please enclose copy of proof of change)			
Address 1:			
Address 2:			
Address 3:			
City		State:	
Pin Code:		Country:	
e-mail Id:		Ph. No.:	
C2. New factory details: (please enclose copy of proof of change)			
Address 1:			
Address 2:			
Address 3:			
City		State:	
Pin Code:		Country:	
e-mail Id:		Ph. No.:	
D. Change in management composition: (Name of new CEO/MD/Partners)			
Name 1:			
Name 2:			
Name 3:			
E. Division of the firm (please specify the nature of change and submit applicable supporting documents)			
F. Merger or extension of facilities (please specify the nature of change and submit applicable supporting documents)			

G. Payment details:

Amount in Rs.	Payment Gateway receipt number	Date of payment receipt	Remarks

H. Declaration:

I hereby declare and agree:

1. That all the information given in this form are true, correct, updated and no information has been withhold/concealed in this respect.
2. In case of information is found to be false/incomplete/misleading Bureau of Indian Standards (BIS) shall reserve the rights to reject my request for change of status in case of deficiencies are not cleared by me.
3. There has been no other change than the changes indicated above.
4. I understand that licence numbers are not transferable and shifting of factory is only allowed.
5. I understand it is my responsibility to inform BIS in case of subsequent change of status of the company as may be required by BIS.
6. I undertake that there is no change in the manufacturing process/components/manufacturing machinery, test equipments.*
7. I hereby certify that I am authorised to verify and sign this declaration.

Name of CEO/MD/Partners

Signature

Authorised Signatory

*(in case there is change kindly provide additional information to BIS separately)

Please note:

Use this form to notify BIS of any updates to information.

This form is available at <http://crsbis.in/BIS/>.

All changes must be informed to BIS immediately.

Please note that BIS will not be able to process changes to legal entity addresses or that are not accompanied by supporting documents and application form with an original signature.

Form – IX A

(Refer sub-paragraph (3) of paragraph 10 of Scheme-II)

Our Ref:

Date:

Inclusion Id: <Incl. ID>

Subject : Inclusion of Additional Model(s)

Manufacturing unit :	<Name of Manufacturing unit> <Address of manufacturing unit> <e-mail ID> <Telephone No.>
----------------------	--

Dear Sir,

1. This has reference to your request for inclusion of models of '<Product Name>' as per IS <IS Number> in licence No. R-<R-Number> already granted to you which is valid upto <Valid upto date>.
2. It is intimated that the additional Models as per details given below have been agreed to be included in your scope of licence. R-<R-Number> w.e.f. <Endorsement Date>:

Product	<Product Name>
IS No.	IS <IS Number>
Brand	<Brand Name>
Inclusion of Additional Models (w.e.f. < Endorsement Date>)	<Models granted for Inclusion>
Factory Address	<Address of manufacturing unit>

3. Other terms and conditions of the licence shall remain same.
4. This letter is being issued with the approval of competent authority. Kindly acknowledge the receipt of this letter.

Thanking you,

Yours faithfully,

(<Name of Officer> <Designation>)

Form – IX B

(Refer sub-paragraph (3) of paragraph 10 of Scheme II)

Our Ref:

Dated:

Subject: Change in _____

MANUFACTURING UNIT:

<Name of Manufacturing unit>

<Address of manufacturing unit>

<e-mail ID>

<Telephone No.>

Dear Sir,

This has reference to BIS licence(s) held by your company as given in the table below and further reference to your request regarding change in _____:..

On the basis of documents submitted by the firm, the following changes have been made in the scope of licence:

Licence No.	
Service Request	
Old details	
New details	
Date of decision	

Other terms and conditions of the licence remain the same.

Thanking you,

Yours faithfully,

(<Name of Officer>)

<Designation>

Scheme - III

Conformity assessment scheme for Grant of licence to use Standard Mark  or certificate of conformity for management system as per Indian Standard

(based on scheme Type ‘G’ as per Schedule-I)

Scope

- 1.** (1) Under this Scheme which is based on Type ‘G’, a person may be granted -
 - (a) licence to use Standard Mark for demonstration of conformity of system (s) to all requirements of the relevant Indian Standard(s);
 - (b) certificate of conformity for demonstration of conformity to specified requirement given in standard(s) or part of standard or essential requirement, as applicable.
- (2) The grant of licence or certificate of conformity and their operation shall be done in accordance with the processes provided under paragraph 3 of this Scheme.

Definitions

- 2.** (1) “audit” means systematic, independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which the audit criteria are fulfilled;
- (2) “audit criteria” means set of policies, procedures or requirements used as a reference against which audit evidence is compared;
- (3) “audit evidence” means records, statements of fact or other information which are relevant to the audit criteria and verifiable;
- (4) “certification audit” means audit carried out independently for the purpose of certifying the client’ management system.

Processes of the Scheme

- 3.** (1) Selection.- (a) For grant of licence or certificate of conformity, an applicant may apply in the Form-I annexed to this Scheme, to the Bureau;
 - (b) every applicant shall make separate application for different Management Systems in the Form-I along with necessary documents and fee as specified in paragraph 5;
 - (c) the applicant shall be responsible for the conformity of the Management System to the relevant Indian Standard for which the licence or certificate of conformity is applied for;

(d) the Bureau may require evidence to be produced by the applicant that the Management System in respect of which a licence or certificate of conformity has been applied for conform to the relevant Indian Standard;

(2) Determination.- (a) The Bureau may call for required documents or any supplementary information or any documentary evidence from the applicant in support of or to substantiate any statement made in the application, within such time as may be directed by the Bureau and non-compliance with such direction may result in the application being summarily rejected by the Bureau;

(b) if the document or information or evidence furnished by the applicant is found to be satisfactory, the application may be processed for grant of licence or certificate of conformity;

(c) the applicant shall, within reasonable time, arrange for certification audit of the premises as prescribed by Bureau from time to time to ascertain whether the Management System conform to the relevant Indian Standard and the applicant shall provide all reasonable facilities to the auditor;

(d) audit report shall be prepared and any inadequacy observed during the audit shall be communicated in writing to the applicant;

(e) the Bureau may require the applicant to carry out such alteration or addition on the basis of scrutiny of documents or on the basis of audit carried out;

(f) (i) an application which is not complete in all respect or does not conform to the requirements of sub-paragraphs (1) and (2) of paragraph 3 shall be rejected by the Bureau;

(ii) before rejecting an application under clause (a), the applicant shall be given an opportunity to remove, within thirty days of the date of receipt of relevant communication from the Bureau, such objections as may be indicated by the Bureau;

(iii) the Bureau may, on sufficient reason being shown, extend the time for removal of objections by such further time, not exceeding thirty days, as the Bureau may consider fit to enable the applicant to remove such objections.

(3) Review.- The audit report shall be reviewed for its correctness and conformity to the relevant Indian Standard and other requirements, if any.

(4) Decision.- The decision on grant of licence or certificate of conformity shall be taken by the Bureau,-

(a) on payment of fee as specified in sub-paragraphs (1) of paragraph 5 of this Scheme; and

(b) if the Bureau is satisfied that the applicant has implemented the Management System requirements as per the relevant Indian Standard and having established the evidence of conformity through certification audit as per the relevant Indian Standard.

(5) Attestation.- The Bureau on taking decision to grant a licence or certificate of conformity to the applicant in Form-III or IV annexed to this Scheme, as the case may be, indicating the details of information provided in the licence or certificate of conformity as prescribed by the Bureau and it shall indicate the licence or certificate of conformity number, address of the applicant, validity, details of the Indian Standard and the designated Standard Mark given in paragraph 6.

(6) Surveillance.- Upon grant of licence or certificate of conformity, Bureau may carry out surveillance audits.

Complaints

4. (1) The Bureau shall acknowledge and investigate any complaint received regarding conformance of the system to the Indian Standard or specified requirements.

(2) The actions for closure of complaint shall be completed within ninety days.

(3) If complaint is established and holder of licence or certificate of conformity has indulged in any of the activity leading to establishment of any of the conditions specified in sub-paragraph (1) of paragraph 12 of this Scheme, licence or certificate of conformity may be cancelled.

Fee

5. (1) Every application for grant of licence or certificate of conformity shall be accompanied by application fee specified in Annexure-1 annexed to this Scheme.

(2) The fee specified in Annexure-1 shall be payable before grant of licence or certificate of conformity or re-certification, as the case may be.

(3) In case of cancellation or suspension of licence or certificate of conformity, fee shall not be refunded.

Labelling and Marking requirements

6. (1) The Standard Mark in relation to this Conformity Assessment Scheme shall be of such design and contain such particulars as may be specified by the Bureau for each Management System and shall be used in a manner specified by the Bureau.

(2) The design of Standard Mark, whenever used in relation to the Management System covered under this conformity assessment scheme, shall be as specified in Annexure – II, annexed to this Scheme.;

(3) The dimensions of the standard mark shall be as specified in Annexure III or IV annexed to this Scheme, as applicable,

(4) The photographic reduction and enlargement of the Standard Mark as specified in Annexure-II, is also permitted.

Conditions of Licence or certificate of conformity

7. (1) The holder of licence or certificate of conformity shall,-

(a) at all times, remain responsible for conformance of the system in respect of which licence has been granted;

(b) not use the licence in any manner which in the opinion of the Bureau may be misleading or use or apply the Standard Mark in any manner not permitted by the Bureau;

(c) upon expiry of its period of validity, suspension or cancellation of the licence, discontinue its use forthwith and withdraw all promotional and advertising material which contains any reference thereto;

(d) return the licence document to the Bureau in the event of licence being surrendered, suspended or cancelled;

(e) inform the Bureau of any changes in management or address of the firm or conditions which were declared earlier;

(f) implement the provisions of amendment to Indian Standard or revised Indian Standard, as the case may be, upon issue of amendment or revision within the stipulated time as specified by the Bureau;

(g) inform the Bureau in writing of discontinuance of operations exceeding three months;

(h) comply with any directions issued by the Bureau from time to time;

(2) maintain records as specified by the Bureau from time to time.

(3) The liability of the holder of licence or certificate of conformity, incase complaints about non-conforming system are established, shall be as provided in the Act and rules made thereunder.

(4) The Bureau shall have the right to amend the conformity assessment scheme or any of the conditions by giving a notice of at least one month to the holder of licence or certificate of conformity, as the case may be.

(5) The conformity assessment activities relating to grant and operation of licence or certificate of conformity may be carried out or witnessed by the auditors authorised by the Bureau in this regard during an audit as per the requirements of conformity assessment schemes.

(6) The Bureau may suspend the licence or certificate of conformity based on evidence of non-conformance to the specified requirements or conditions or non-payment of dues.

(7) Any violation of conditions of the licence or certificate of conformity may lead to cancellation of licence or certificate of conformity.

Validity of licence or certificate of conformity

8. (1) The licence or certificate of conformity to use Standard Mark shall normally be granted for a period of three years.

(2) The period may be extended or reduced in case of revision or superseding of applicable Management System standard.

(3) The licence or certificate of conformity to use Standard Mark is normally re-certified for a period of three years and shall be effective from the date specified in the order.

(4) The re-certification period may be extended or reduced depending on the re-certification decision or revision of the applicable management system standard.

(5) The validity period of the licence or certificate of conformity may be reduced based on the request of applicant or holder of licence or certificate of conformity, as the case may be.

Re-certification of licence or certificate of conformity

9. (1) The holder of licence or certificate of conformity shall submit an application for re-certification in Form-II annexed to this Scheme to facilitate completion of re-certification within five month of the validity.

(2) The re-certification of the licence or certificate of conformity to use the Standard Mark shall be granted,-

(a) if the recertification application is found to be complete;

(b) on payment of fee as specified in Annexure-I to this Scheme; and

(c) if the Bureau is satisfied that the applicant has implemented the Management System requirements as per the relevant Indian Standard and having established the evidence of conformity through re-certification audit as per the relevant Indian Standard.

(3) The provisions of paragraph 3 of this Scheme shall also be applicable for re-certification of licence or certificate of conformity, as the case may be.

(4) Upon re-certification of licence or certificate of conformity, surveillance audits shall be planned in accordance with the guidelines of this Scheme and shall be carried out by the Bureau from time to time.

(5) The re-certification of licence shall be done in accordance with the provisions given in regulation 8 of these regulations.

(6) The re-certification of certificate of conformity shall be done in accordance with the provisions given in regulation 16 of these regulations.

Change in scope of licence or certificate of conformity

10. The scope of the licence or certificate of conformity may be extended or reduced upon a request by the licensee after certification audit.

Suspension

11. (1) If, at any time, the Bureau has sufficient evidence that the Management System for which the licence or certificate of conformity has been granted may not be conforming to the relevant Indian Standard, the Bureau may suspend the licence or certificate of conformity and direct the holder of licence or certificate of conformity, as the case may be, to stop using the Standard Mark and evidence is not limited to, but may include one or more of the following, namely:-

- (a) using Standard Mark in a manner not permitted by the Bureau;
- (b) discontinuance of operation for more than three months;
- (c) corrective actions are not taken within the time frame specified by the Bureau;
- (d) relocation of premises, without prior intimation to the Bureau;

(e) false declaration in relation to the licence or certificate of conformity or indulged in falsification of records or unfair trade practices;

(f) failure to cooperate with the Bureau or its authorised representative for any such audit(s) as may be required during the operation of the licence or certificate of conformity;

(2) The decision taken by the Bureau under sub-paragraph (1) shall be communicated to the holder of licence or certificate of conformity, as the case may be, through e-mail or any other suitable means of written communication along with reasons thereof.

(3) The holder of licence or certificate of conformity whose licence or certificate of conformity has been placed under suspension shall take corrective actions and inform the Bureau.

(4) On receipt of information on action taken, a special audit, if required, may be carried out by the Bureau to verify such action.

(5) The Bureau may revoke the suspension after satisfying itself that the holder of licence or certificate of conformity has taken corrective actions with sufficient evidence to the Bureau to establish conformity of the Management System to the relevant Indian Standard.

(6) The Bureau may suspend the licence or certificate of conformity and direct the holder of licence or certificate of conformity not to use Standard Mark after issuing a notice of twenty-one days when requisite fee is not paid.

(7) The Bureau may revoke suspension under sub-paragraph 6 on receipt of dues.

(8) The suspension issued under sub-paragraph (6) shall not exceed one year.

Cancellation or refusal of re-certification of licence or certificate of conformity

12. (1) The Bureau may cancel or refuse re-certification of a licence or certificate of conformity, if,-

(a) the holder of licence or certificate of conformity has indulged in misuse of Standard Mark;

(b) has made false declaration in relation to the licence or certificate of conformity or indulged in falsification of records or unfair trade practices;

(c) suspension of licence or certificate of conformity exceeds more than one year;

(d) the holder of licence or certificate of conformity has relocated the premises and has resumed operation of the licence or certificate of conformity at the new premises without approval of the Bureau;

(e) the holder of licence or certificate of conformity has violated any conditions of licence or certificate of conformity.

(2) Before cancellation or refusal of re-certification of licence or certificate of conformity, the Bureau shall give the holder of licence or certificate of conformity a written notice of not less than twenty one days through e-mail or any other suitable means of communication, informing its intention of cancellation or refusal of re-certification of licence or certificate of conformity, along with the grounds, with provision for submitting his written explanation and for personal hearing to the holder of licence or certificate of conformity, if sought.

(3) If the licence or certificate of conformity is not under suspension, the notice shall contain instructions to the holder of licence or certificate of conformity directing him to stop operation of the licence or certificate of conformity and stop using the Standard Mark.

(4) In case of non-receipt of a written explanation within a period of twenty-one days from the date of issue of the notice, the Bureau may cancel or refuse to re-certify the licence or certificate of conformity.

(5) If an explanation is submitted, the Bureau may take into consideration the explanation and give a personal hearing, if sought, to the holder of licence or certificate of conformity or his authorised representative, as the case may be, before taking a decision in this regard.

(6) The decision taken by the Bureau for cancellation or refusal of re-certification under sub-paragraph (4) and (5) above shall be communicated to the holder of licence or certificate of conformity through e-mail or any other suitable means of written communication along with the grounds.

(7) When an Indian Standard is withdrawn and not superseded by any other Indian Standard, any licence or certificate of conformity granted in respect thereof shall be deemed to have been cancelled from the date of withdrawal of such Indian Standard and any licence or certificate of conformity shall be surrendered to the Bureau by the holder of licence or certificate of conformity forthwith.

(8) For licence or certificate of conformity cancelled under sub-paragraph (7), the Bureau shall refund the part of the licence fee or the certificate of conformity fee if paid in advance, proportionate to the unexpired period of the licence or certificate of conformity, as the case may be.

Annexure - I

(Refer sub-paragraph (1) and (2) of paragraph 5 of Scheme-III)

Fee Structure

1. Application Fee*

(a) Large Industrial Enterprises-	Rs.15, 000/-
(b) Medium, Micro and small Industrial Enterprises-	Rs. 7,000/-
(c) Central/State Govt. Organisations:	
(i) upto 100 employees:	Rs. 7,000/-
(ii) above 100 employees:	Rs. 15,000/-

All ‘Libraries, Laboratories, Schools, Colleges, Polytechnics, Training Institutes and health Care Establishments’ of the Central/State/Local government irrespective of their size shall be considered as small enterprises.

2. Audit fee:*

(a) For units located within India:

- (i) Rs. 12,000/- per manday shall be chargeable.
- (ii) Travel limited to a distance of 250 km from the location of the unit and stay of auditors on actual basis shall be borne by the applicant or licence holder or certificate of conformity holder.

(b) For units located outside India:

- (i) Rs. 12,000/- per manday shall be chargeable.
- (ii) The holder of licence or certificate of conformity shall bear all expenses, including cost to BIS of the man-days spent by BIS certification officer(s) in connection with the audit (from the time of departure from the place of posting till return thereto), as decided by BIS in its absolute discretion.

3. Licence or certificate of conformity fee*/re-certification fee for three years

(a) Large Enterprises	-	Rs. 60,000/-
(b) Medium, Micro and Small Enterprises	-	Rs. 30,000/-

4. Flexibility in Fee - Discount of up to 50% in Licence or certificate of conformity Fee can be given by the Bureau

Note: (i) For each subsequent systems certification licence to first licence, the application fee shall be Rs. 7000/-

(ii) 20% discount in licence fee for subsequent Licences and licence holders of other Conformity Assessment schemes of Bureau.

(iii) For organisations with multiple service outlets - For each additional site (with similar activities) to be covered under the scope, additional licence fee to be paid for each site shall be as follows:

Up to 10- @ Rs.12,000/- per site

11 and above - Rs. 1,20,000 + Rs.8,000 for each additional site above 10






*

- Taxes Extra

- Classification of enterprises will be based on 'The Micro, Small and Medium enterprises Development (MSMED) Act, 2006(27 of 2006).


Annexure - II
(Refer sub-paragraph (2) of paragraph 6 of Scheme-III)

Standard Mark for different Management Systems



Annexure- IV

(Refer sub-paragraph (3) of paragraph 6 of Scheme-III)

PREFERRED SIZES OF THE STANDARD MARK FOR
QUALITY SYSTEMS CERTIFICATION

All dimensions in millimetres.

Size H	H_1	H_2	H_3	H_4	H_5	H_6	$L = H$	L_1	L_2	T
	$\sim 0.01H$	$\sim 0.03H$	$\sim 0.1H$	$\sim 0.3H$	$\sim 0.03H$	$\sim 0.03H$	$\sim 0.75H$	$\sim 0.5H$	$\sim 0.11H$	
100	80	3	10	30	3	3	100	75	50	11
80	64	2.4	8	24	2.4	2.4	80	60	40	8.8
63	50.4	1.9	6.3	19.9	1.9	1.9	63	47.25	31.5	6.93
50	40	1.5	5	15	1.5	1.5	50	37.5	25	5.5
40	32	1.2	4	12	1.2	1.2	40	30	20	4.4
25	20	0.75	2.5	7.5	0.75	0.75	25	18.75	12.5	2.75
20	16	0.6	2	6	0.6	0.6	20	15	10	2.2
16	12.8	0.5	1.6	4.8	0.5	0.5	16	12	8	1.76

For multicolour Standard Mark the colour scheme shall be as follows:

- a) For printing purposes, colours for letter "Q" shall be "Oriental Blue" and letter "S" in "Monopol Red" as per IS 1222 : 1992 'Ink, duplicating for twin cylinder rotary machines (*third revision*)'
- b) For sign board purposes, colours for letter "Q" shall be "French Blue" (No. 166) and letter "S" in "Signal Red" (No. 537) as per IS 5 : 1994 "Colours for ready mixed paints and enamels (*fourth revision*)".

For single colour Standard Mark, there is no restriction in the choice of the colour.

Form - I

(Refer clause (a) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of Scheme-III)

The Deputy Director General
 Bureau of Indian Standards
 Regional Office (Address)

1. I/We carrying on business at _____ (full business address) under the style of _____ (full name of individual or firm) hereby apply for grant of licence for Management Systems Certification under the Bureau of Indian Standards Act, 2016, in respect of _____ System(s) in accordance with IS _____. The description of products/range of products/services/range of services/processes/activities are detailed below:

2. The above products/range of products/services/range of services/processes /activities are rendered by our factory/unit/office _____ (Name of factory/unit/ office) in the premises situated at _____ (address).

3. (a) The Composition of the top Management of my/our factory/unit/office is as follows:

Sr.No.	Name	Designation

(b) I/We undertake to intimate to the Bureau any change in the above composition as soon as it takes place.

4. I/We hereby enclose photo copy of the Certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies/Directorate General of Technical Development/ Director of Industries or similar other documents authenticated the name of firm and its premises.

5. I/We have necessary consents/clearances as per the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 respectively under the Environment (Protection) Act, 1986. (If applicable)

6. Details of Technical Personnel/experts employed:

Sr. No.	Name	Qualification	Job

7. I/We have designed and developed necessary documentation required (copy enclosed).
8. I/We further undertake to modify, amend or alter my/our documented information to bring it in line with the requirements of the relevant standard and/or as required by BIS from time to time.
9. I/We agree to pay fee prescribed by the Bureau as applicable and as given in the scheme and/or as per the agreement/quotation letter No. _____ dated _____
10. I/We have read the conditions of licence and hereby undertake to abide by them as mentioned in the guidelines for applicants and the regulations framed under the BIS Act, 2016.
11. Should any initial enquiry be made by the Bureau, I/We agree to extend to the Bureau all reasonable facilities at my/our command and I/We also agree to pay all expenses of the said enquiry, as and when required by the Bureau.
12. I/ We request that the visit for audit of my/our factory /unit/office may be carried out by _____ (indicate date).
OR
I/We shall intimate the time, date, suitable for carrying out the visit for audit as soon as I/We are ready for the same.

13. Certified that I/We had earlier applied for a licence to BIS for _____ on _____ which could not mature.

14. I/We undertake that should any of the information supplied above in the application form is found to be wrong, the application may be rejected forthwith.
15. I/We have not been convicted under the Bureau of Indian Standards Act in any court of law and neither any prosecution is pending.

OR

The details of convictions/prosecutions pending under the BIS Act are as under:

16. I/We have never been warned/advised by BIS for any of our actions violative of the Bureau of Indian Standards Act/

OR

The details of warning/advice received by me/us for violating the BIS Act are as under:

17. Should the licence be granted and as long as it will remain operative I/We hereby undertake to abide by all the conditions of licence and the regulations specified under the aforesaid

Dated this _____ day of _____ Two thousand _____

(Signature): _____

(Name): _____

(Designation): _____

(Seal of the firm)

(For and on behalf of) _____

Documents attached:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Form - II

(Refer sub-paragraph (1) of paragraph 9 of Scheme-III)

**Application for Re-certification of Licence to use the Standard Mark for Management Systems
Certification under the Bureau of Indian Standards Act, 2016**

The Deputy Director General
Bureau of Indian Standards
_____ Regional Office
(Address)

1. I/We carrying on business at _____ (full business address)
under the style of _____ (full name of individual or
firm) hereby apply for recertification of _____
system(s) Certification licence _____ dated

granted by Bureau of Indian Standards in respect of
_____ system(s) in accordance with IS _____ for a further period
of three years, subject to the conditions of licence as stipulated in my/our aforesaid licence, and/or such
other conditions as may be stipulated by the Bureau.

2. Name of Contact Person and Designation: _____
2.1 Contact Person's Phone No., Fax No. and
Email: _____
3. Number of Shifts (with timings of each shift): _____
4. Number of Personnel

- 4.1 Number of part-time personnel covered in the scope of certification converted to full time personnel (based on 8 hours/day working):_____
- 4.2 Number of personnel partially involved in the scope of certification converted to full time personnel (based on 8 hours/day working) :_____
- 4.3 Number of personnel in simple functions (Finance, Admin, Security, Transport, Drivers, Canteen, Gardening, etc):_____
- 4.4 Total number of personnel in general shift/shift 1:_____
- 4.4 Total number of personnel in other shifts:_____
- 4.5 Total Number of personnel in other shifts for mutually exclusive operations/functions other than that in general shift/shift 1:_____
5. Status of the Unit
Large/Small Scale Industry/Ancillary/Tiny units/Small Scale Service and Business (Industry Related) Enterprises/ small enterprise (see Note)
Note: Please enclose Registration letter from the concerned authority and also see BIS 'Guidelines for Applicants'.
6. *The scope of certification would be same as given in the existing licence document.

OR

*The scope of certification may be modified as follows:

~~*Strike out whichever is not applicable~~

7. Change(s) in the firm's structure and Management Systems/System from those mentioned in the existing licence.

8. Changes affecting the context of the organisation (e.g. changes in legislation, etc.)

9. I/We propose to continue to use the documentation prepared by us or the revised documentation prepared by us is enclosed. If changes in documentation, please give the details:

10. (a) The composition of the top Management of my/our factory is the same or has changed from as given in the earlier application for the aforesaid licence and is as follows:

Sr. No.	Name	Designation

(b) I/We undertake to intimate to the Bureau any change in the above composition as soon as it takes place.

11. I/We enclose a photo copy of the Certificate of incorporation issued by the Registrar of Organisations or Societies/Directorate General of Technical Development/Director of Industries or similar other documents authenticating the name of organisation and its manufacturing premises (only in case of changes in the name and/or address of the organisation from the earlier submitted to BIS).

12. I/We have read the conditions of licence and hereby undertake to abide by them as mentioned in the ‘Guidelines for Applicants’ as relevant to the Management System/System and the current regulations specified under the Act.

13. Should any initial enquiry be made by the Bureau, I/we agree to extend to the Bureau all reasonable facilities at my/our command and I/We also agree to pay all expenses of the said enquiry, as and when required by the Bureau.

14. I/We request that the recertification audit of my/our factory/unit may be carried out by _____ (indicate date).

15. Certified that I/We had earlier applied for a licence to BIS for _____ which could not mature

16. I/We undertake that should any of the information supplied above in the application form is found to be wrong, the application may be rejected forthwith.

17. I/We have not been convicted under the Act in any court of law and neither any prosecution is pending.

OR

The details of convictions/prosecutions pending under the Act are as under:

18. I/We have never been warned/advised by BIS for any of our actions violative of the Act.

OR

The details of warning/advice received by me/us for violating the Act are as under:

19. Should the licence be renewed and as long as it will remain operative I/We hereby undertake to abide by all the conditions of licence and the regulations specified under the aforesaid Act. In the event of the licence being suspended or cancelled, I/We also undertake to cease with immediate effect to use all the facilities to us in respect of the licence and return the licence and related documents to the Bureau.

Dated this _____ day of _____ Two thousand _____

(Signature): _____

(Name): _____

(Designation): _____

(Seal of the firm) (For and on behalf of) _____

For Office Use Only

Licence No. _____

20. PLANNING FOR RECERTIFICATION AUDIT

- a) Details of Significant changes informed in the Re-certification Application Form, if any
- b) Evaluation for the need for conducting a Stage 1 audit (give justification)

Result of evaluation: Stage 1 required / Stage 1 not required

- c) Date (s) indicated by licensee for recertification audit
- d) Time available for completing recertification activities before expiration of validity
- e) Recommended Plan [If 20 b) indicates requirement of Stage 1, both Stage 1 and Stage 2 to be planned otherwise plan for Stage 2 Audit only] – Attach system generated Time Scale Estimation
- f) Decision of Approving Authority : Approved / Not approved

Form-III
[Refer Sub-para (5) of para 3 of Scheme-III]

Bureau of Indian Standards
Licence for the _____ Management Systems Certification
[Accredited by (Name of the Accreditation Body, if accredited)]

Licence No.

By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Bureau hereby grants/recertifies to

(hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's list(s) of Licensees of _____ Management Systems Certification in respect of the products and/or services or processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/provided/carried out by the Licensee at only the address(es) given above, and under the _____ Management Systems in accordance with IS

_____ The licence is granted/recertified subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made thereunder governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

This licence shall be valid from _____ to _____ and may be recertified as prescribed in the Regulations.

Signed, Sealed and Dated this _____ day of _____

For Bureau of Indian Standards

Name and Signature of Designated authority

Schedule to Licence No. _____

Issued to:

Products/services/processes with respect to which the firm has been granted/recertified the licence :
for _____ Management Systems Certification:

For Bureau of Indian Standards

Name and Signature of Designated authority

Form-IV

(Refer Sub-para (5) of para 3 of Scheme III)

Bureau of Indian Standards

Certificate of conformity for the _____ Management Systems Certification
(Accredited by *(Name of the Accreditation Body, if accredited)*)

Certificate No.

By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Bureau hereby grants/recertifies to

(hereinafter called the certificate holder) the right and certificate of conformity to be listed in the Bureau's list(s) of certificate holders of _____ Management Systems Certification in respect of the products and/or services or processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this certificate. Such products and/or services or processes shall be manufactured/provided/carried out by the certificate holder at only the address given above, and under the _____ Management Systems in accordance with IS _____

The certificate holder is granted/recertified subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made thereunder governing the certificates referred to above, and the certificate hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said rules and regulations.

This certificate shall be valid from _____ to _____ and may be recertified as prescribed in the regulations.

Signed, sealed and dated this _____ day of _____

For Bureau of Indian Standards

Name and signature of designated authority

Schedule to certificate No. _____

Issued to:

Products/services/processes with respect to which the firm has been granted/recertified the certificate :
for _____ Management Systems Certification:

For Bureau of Indian Standards

Name and Signature of Designated authority

Scheme - IV

Conformity assessment scheme for Grant of certificate of conformity for goods and articles as per any standard (based on scheme Type ‘E’ as per Schedule-I)

Scope

1. (1) Under this Scheme which is based on Type ‘E’, certificate of conformity may be granted by the Bureau for goods or articles, hereinafter referred to as products, manufactured in a manufacturing premises and conforming to specified requirements given in standard or part of standard or essential requirements, as applicable.

Explanation.- For the purpose of sub-paragraph (1), manufacturing premise means the premises, either owned by the applicant or otherwise, where a part of the manufacturing activity takes place and include the premises where the final manufacturing activity is carried out and where certificate of conformity is to be used.

- (2) The grant of certificate of conformity shall be done in accordance with the processes specified in paragraph 3.

Definitions

2. (1) “Inspection and Testing Plan” means a plan to be adopted by the manufacturer for exercising control at different stages in the production process. The plan specifies the level of control and the frequency of inspection and testing so as to ensure that the final product conforms to the specified requirements given in standard(s) or part of standard or essential requirements, as the case may be.

(2) “third party laboratory” means a laboratory established, maintained or recognised by the Bureau or Government laboratories empaneled by the Bureau or any other laboratory decided by the Executive Committee of the Bureau.

Processes of the Scheme

3. (1) Selection.- (a) The manufacturer shall identify that,-
 - (i) specified requirements given in the standard or part of standard or essential requirements, as applicable, and relating to the product against which it intends to obtain a certificate of conformity;
 - (ii) the machinery available in manufacturing premise and prepare a list in Form –I annexed to this Scheme and if any part of the manufacturing activity is outsourced, details of machinery used for that activity shall be indicated in a separate form;

(iii) the test equipment required to carry out testing in accordance with the Indian Standard and prepare a list of the available equipment in Form –II annexed to this Scheme.

(iv) test facility outside the factory where tests, which the manufacturer cannot perform in-house, can be carried out and inform the same to the Bureau.

(b) final decision for relaxation of in-house test facility in case of clause (iv) of sub-paragraph

(1) shall be taken by the Bureau;

(c) the minimum number of sample(s) required for testing shall be ascertained by the manufacturer keeping in view the nature of the product, intended scope of the certificate of conformity or in accordance with the sampling guidelines:

Provided that if the sampling guidelines are available on the website of Bureau, it shall be followed by the manufacturer.

(d) the manufacturer shall prepare an inspection and testing plan in Form –III annexed to this Scheme which it proposes to implement in its day to day production so as to ensure that the final product conform to the specified requirement;

(e) the manufacturer shall ensure that the product has been tested for conformity against the specified requirements, and shall prepare test report in Form –IV annexed to this Scheme;

(f) the manufacturer may apply for grant of certificate of conformity in Form –V annexed to this Scheme and the Bureau shall follow any one of the following procedure or any combination thereof, for grant of certificate of conformity, namely:-

(i) (I) the applicant shall submit complete test report of the product which is issued from third party laboratory against specified requirement given in standard or part of standard or essential requirement along with the application;

(II) in case of non-availability of test facilities in any third party laboratory for some of the specified requirement, test report of such requirement tested in the factory may be considered;

(III) the Bureau shall arrange a factory visit for verification of production process and drawal of verification sample for third party laboratory testing;

(IV) the certificate of conformity shall be granted without waiting for the test report of the verification sample;

(V) review of the certificate of conformity shall be made on receipt of the test report;

- (ii) (I) the Bureau shall arrange a visit to factory for verification of production process and testing of the product in the factory;
- (II) the certificate of conformity shall be granted based on the testing of the samples in the factory;
- (g) in case of foreign manufacturers, an authorised Indian representative based in India shall be nominated in Form-VI annexed to this Scheme.
- (2) Determination.- (a) The Bureau on receipt of an application shall examine that all the required documents have been submitted with the application.
- (b) if the application under clause (a) is complete, the Bureau shall finalise the date of the factory visit in consultation with the applicant;
- (c) during factory visit the following activities shall be carried out by the Bureau, namely:-
- (i) verification of documents submitted by the manufacturer;
 - (ii) discussion on the adequacy of the Inspection and testing plan;
 - (iii) verification of the plant layout and manufacturing process with levels of control exercised at various stages as proposed in the inspection and testing plan;
 - (iv) verification of available infrastructure including manufacturing machinery and test equipment, competence of person(s) in-charge of quality control, storage facilities and hygienic conditions, if applicable;
 - (v) verification of test equipment calibration status;
 - (vi) testing for specified requirements given in standard(s) or part of standard or essential requirements.
 - (vii) drawal of sample for third party laboratory testing, in case of sub-clause (i) of clause (e) of sub-paragraph (1) or otherwise, if required.
- (d) when certificate of conformity is to be granted as per sub-clause (i) of clause (e) of sub-paragraph (1), such requirements shall be tested for which test facilities are not available in any third party laboratory;
- (e) if certificate of conformity is to be granted as per sub-clause (ii) of clause (e) of sub-paragraph (1), complete factory testing shall be carried out;
- (f) any inadequacy observed during the preliminary inspection shall be communicated in writing to the manufacturer in Form –VII annexed to this Scheme.

(3) Review.- (a) The report of the factory visit shall be reviewed on the basis of the activities specified under clause (c) of sub-paragraph (2) of paragraph 3;

(b) the test results of the product shall be reviewed for their correctness and conformance to the specified requirement given in standard or part of standard or essential requirement.

(4) Decision.- The decision on grant of certificate of conformity shall be taken when the Bureau is satisfied that the manufacturer has necessary infrastructure for manufacturing quality products on a continuous basis and the test results indicate conformity of the product to the specified requirements.

(5) Attestation.- (a) The Bureau shall grant a certificate of conformity in Form – VIII annexed to this Scheme, indicating the scope of the certificate of conformity, certificate of conformity number, address of the manufacturer and validity of certificate of conformity;

(b) in case of foreign manufacturers, the Bureau shall issue the agreement for grant of certificate of conformity, and indemnity bond, duly executed on a non-judicial stamp paper of rupees one hundred submitted by the foreign manufacturer or his authorised Indian representative, as the case may be;

(c) a performance bank guarantee (PBG) for US Dollars ten thousand issued by any bank having Reserve Bank of India approved branch in India shall be submitted by the foreign manufacturer.

(6) Surveillance. - (a) The Bureau may carry out inspection at the premises of holder of certificate of conformity either with or without prior intimation;

(b) the need for carrying out the inspection shall be decided keeping in view the risk associated with the product and any variation observed during such inspection shall be communicated to the holder of certificate of conformity in Form –VII annexed to this Scheme;

(c) the Bureau may draw samples during inspection for testing;

(d) the Bureau may draw samples from market and send the samples for testing to a third party laboratory along with the test request and in case drawal of market sample is not possible due to any reason, samples may be drawn from the despatch point;

(e) when sampling is not possible even from despatch point, feedback preferably from organised buyers shall be taken.

Complaint

4. (1) The Bureau shall acknowledge and investigate any complaint received regarding quality of the product covered under a certificate of conformity.

(2) The actions for closure of complaint shall be completed within ninety days, excluding the testing time, where testing of the product is involved.

Fee

5. (1) The application fee and renewal application fee shall be rupees one thousand each.
- (2) The annual certificate of conformity fee for the use of certificate of conformity shall be paid in advance which shall be rupees fifty thousand for large scale industries per year:

Provided that a concession of twenty percent shall be given to micro small and medium enterprises.

Explanation.- For the purpose of this proviso, the expression micro small and medium enterprises shall have the meaning assigned to it in the Micro Small Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006).

(3) The annual certificate of conformity fee shall not be refunded if certificate of conformity is cancelled.

(4) In case of extension of scope, an amount of rupees five thousand shall be chargeable per endorsement.

(5) For any inspection other than surveillance inspection or inspection carried out for complaint investigation, an inspection fee rupees seven thousand per day shall be levied from the applicant;

(6) The cost of the samples and the testing fee of samples drawn for surveillance or complaint investigation, shall be borne by the applicant or the holder of certificate of conformity.

Labelling and marking requirements

6. (1) Each product or the package, as the case may be, shall be marked with certificate of conformity number.

(2) The product details, as per the requirement of the standard, which may include variety, lot or batch number, date or week of manufacturing, complete address of manufacturer and shall be marked on either the product or the packaging or contained in a label attached to the product.

(3) The marking details shall contain reference to the website of the Bureau so that consumer may verify the authenticity of the product.

(4) If the certificate of conformity number cannot be applied on the product or the packaging physically, it shall be given on the test certificate.

(5) For any specific product, additional labelling and marking requirements may be specified by the Bureau to which the holder of certificate of conformity shall comply with.

Conditions of certificate of conformity

7. The conditions of certificate of conformity shall be as provided in regulation 14 of these regulations.

Validity of certificate of conformity

8. (1) The certificate of conformity shall be granted initially for not less than one year and up to two years.

(2) The certificate of conformity may be renewed for a further period of not less than one year and up to five years.

Renewal of certificate of conformity

9. (1) An application for renewal of certificate of conformity shall be made before three months of expiration of certificate of conformity to the Bureau in Form –IX annexed to this Scheme.

(2) The Bureau shall renew the certificate of conformity in Form –X annexed to this Scheme.

(3) The renewal of certificate of conformity shall be done in accordance with the regulation 16 of these regulations.

Change in scope of certificate of conformity

10. (1) An application for change in scope of certificate of conformity shall be made to the Bureau in Form –XI along with fee prescribed in sub-paragraph (4) of paragraph 5.

(2) For extension in scope of certificate of conformity, application shall be made either along with a complete test report of the product issued by a third party laboratory or along with a request to Bureau to draw the samples for testing.

(3) The Bureau shall change the scope of certificate of conformity in Form –XII.

Suspension

11. (1) The holder of certificate of conformity on its own shall suspend its use under intimation to the Bureau if, at any time, there is difficulty in maintaining the conformity of the product to the specified requirements covered under certificate of conformity or any test equipment goes out of order or due to natural calamities such as flood, fire, earthquake, lock out declared by the management, closure of operations directed by a competent court or statutory authority.

(2) The revocation of suspension may be done as soon as the deficiencies are removed and information shall be sent to the Bureau immediately but not later than seven days from the date of revocation.

(3) The holder of certificate of conformity on its own shall suspend its use under intimation to the Bureau on relocation of manufacturing unit to a new premises.

(4) The revocation of suspension may be done by the Bureau after verification of the old premises and verification of production process at new premises.

(5) (a) The Bureau may suspend the certificate of conformity and direct the holder of certificate of conformity to stop its use if, at any time, there is sufficient evidence that the product may not be conforming to the specified requirements covered under the certificate of conformity and such evidence is not limited to, but may include one or more of the following, namely:-

- (i) consecutive test reports indicating non-conformity of the product;
- (ii) major deviation observed in the implementation of manufacturer's inspection and testing plan;
- (iii) major modification(s) in the manufacturing process without prior evaluation of the Bureau;
- (iv) relocation of manufacturing unit to a new address without intimation;
- (v) closure of manufacturing unit for more than six months without intimation;
- (vi) non-compliance of any instruction issued by the Bureau from time to time.

(b) The holder of certificate of conformity, whose certificate of conformity has been put under suspension, shall stop using the same, dispatching the product covered under the certificate of conformity and shall send confirmation in this regard to the Bureau immediately.

(c) The Bureau may arrange a visit to the factory to verify the corrective actions and may allow revocation of suspension after satisfying itself that the holder of certificate –

- (i) has taken necessary corrective actions; and
- (ii) has provided sufficient evidence of conformity of the product to the specified requirements.

(6) The Bureau may suspend the certificate of conformity after issuing a notice of twenty one days and direct its holder to stop use of the certificate of conformity when requisite fee is not paid by the applicant.

(7) The Bureau may revoke the suspension issued under sub-paragraph (6) on receipt of the dues.

Cancellation of certificate of conformity

12. The Bureau shall cancel the certificate of conformity in accordance with regulation 19 of these regulations.

Form - I

[Refer sub-clause (ii) of clause (a) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of Scheme IV]

DECLARATION REGARDING MANUFACTURING MACHINERY

No entry to be crossed

1. Application/Certificate of Conformity No.
2. Name/Address

Sr. No.	Machinery	Make/ Identification No.	Production capacity per day, if applicable	Number	Remarks

Note: Attach extra sheet, if required

<p>I hereby declare that the machinery details of which given above are available with us</p> <p>I also declare that I will send prior intimation to Bureau of Indian Standards whenever any machinery is not available due to any reason.</p> <p>Signature of Firm's Representative _____</p> <p>Name _____</p> <p>Designation _____</p> <p>Date _____</p> <p>*If any part of the manufacturing activity is outsourced, details of machinery used for outsourced activity shall be indicated in a separate form along with complete address of the outsourced premises.</p>	<p>I have verified the availability of the above mentioned machinery during my inspection.</p> <p>Sig. of Bureau of Indian Standards Certification Officer _____</p> <p>Name _____</p> <p>Designation _____</p> <p>Date of verification _____</p>
--	---

Form - II

[Refer sub-clause (iii) of clause (a) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of Scheme IV]

DECLARATION REGARDING TEST EQUIPMENT

No entry to be crossed

1. Application/Certificate of Conformity No.

2. Name/Address

Sr. No.	Test Equipment/Chemicals and Identification Numbers (Where applicable)	Least Count and Range (Where applicable)	Valid Calibration (Where required) Yes/No	Tests Used in with Clause Reference	Remarks (Indicate number of Equipment)

Note: Attach extra sheet, if required

I hereby declare that the testing equipment details of which given above are available with us I also declare that I will send prior intimation to Bureau of Indian Standards whenever any testing equipment is not available due to any reason. Signature of Firm's Representative _____ Name Designation Date	I have verified the availability of the above mentioned testing equipment during my inspection. Sig. of Bureau of Indian Standards Certification Officer _____ Name Designation Date of verification
---	--

Form - III
 [Refer clause (d) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of Scheme IV]
 Scheme of Inspection and Testing (SIT)

Name of Applicant/Holder of certificate: M/s.

Application/Certificate of Conformity No.

Address of Applicant/Holder of certificate

Essential Requirement(s) Product.....	SIT No.
--	---------

Test details			Levels of control*			Remarks	
Sr. No.	Requirement	Test method		No. of samples	Lot size	Frequency	
		Clause	Reference				

Note: Attach extra sheet, if required

* Levels of control means inspection and tests mentioned in above table shall be carried out on all quantities of product intended to be covered under Bureau of Indian Standards product certification Scheme - IV and appropriate records shall be maintained

Seal of Firm

Signature
Name
Designation
Date

Form - IV
[Refer clause (e) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of Scheme IV]

Test Report

Name of Applicant/Holder of certificate: M/s.

Application/Certificate of Conformity No.

Certificate of Conformity valid up to

Address of Applicant/Holder of certificate

Product

Grade/Type/Variety/Class etc.

Declared values, if any

Batch/Lot No.

Sr. No.

Date of Manufacturing

Any other information

Date of start of testing

Date of completion of testing

Sr. No.	Tests	Clause/ Essential requirement, as applicable	Reference	Specified Requirement	Observation(s)	Remarks

Note: Attach extra sheet, if required

The above mentioned sample manufactured and tested at our premises is conforming/non-conforming to standard(s)/ requirements of Standard(s)

Seal of Firm

Signature

Name

Designation

Date

Form - V

(Refer clause (i) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of Schedule IV)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Product Certification Scheme

Application for obtaining Certificate of Conformity

1. Name of Firm			
2. Address			
3. Telephone No.			
4. Post Box No.			
5. State/City			
6. Pin Code			
7. Product			
8. Reference			
9. Unit of Production	Present Installed Capacity	Quantity	Value (₹)
Fee Details	Amount (₹)	Invoice No. with date	
PAN no. of Firm	Signature Name _____ Designation _____ _____ PAN no. (for other cases)		

Note: Application should be submitted by OIC or the managing director or authorized representative.

Indicate availability of the following documents:
These documents are required to be submitted along with the application

Serial	Documents	Yes	No	N.A.
१	Name and Address Proof of Factory or Certificate from Registrar of Firm or Certificate from Directorate of Industries or Certificate from Industries Centre or Memorandum of Articles or Valid Lease deed showing lawful occupancy of the firm			
२				
३				
४				
५				
६				
७				
८				
९				
१०				

Note: For more details you may please refer our website www.mca.gov.in

Form - VI

[Refer clause (g) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of Scheme IV]

Form for nomination by manufacturer

To

The Director General,
 Bureau of Indian Standard,
 9, Bahadur Shah Zafar Marg,
 New Delhi-110 002.

Subject: Nomination of Authorized Indian Representative

Dear Sir/Madam,

In terms of the clause (g) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of Scheme IV of BIS (Conformity Assessment) Regulations, 2018, we, M/s_____, the manufacturer, do hereby nominate and appoint Mr./Ms._____, son / daughter of Mr._____, resident _____, INDIA, as our Authorized Indian representative.

Mr./Ms. _____, would be the person responsible for and on our behalf under the clause (g) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of Scheme IV of BIS (Conformity Assessment) Regulations, 2018 for compliance of terms and conditions of certificate of conformity and also provisions of the BIS Act 2016, Rules and Regulations. The form also contains his / her signatures in token of his / her acceptance, consent and confirmation of the terms and conditions of the certificate of conformity. Please be advised that the nomination in favour of the authorized India representative shall continue for the purpose of this certificate of conformity till such time that some other person is appointed in his / her place in accordance with the terms of clause (g) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of Scheme IV of BIS (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

Yours faithfully,

Signature of Authorized
Indian Representative:

Name:

Signature:

Name:

Designation:

Designation:

Contact details: -

Contact details:-

Mob. No.:

Mob. No.:

Email:

Email:

Complete postal Address:

Date:

Seal:

Form - VII

[Refer clause (d) of sub-paragraph (2) of paragraph 3 of Scheme IV]

Bureau of Indian Standards
 _____ Branch Office
 (Discrepancy-cum-Advisory Report)

Name of Applicant/Holder of Certificate: M/s

Application/Certificate of Conformity No.
 Certificate of Conformity valid upto

Nature of visit
 (verification/surveillance/others)

Product

Date(s) of visit

Sr. No.	Discrepancies/Advices rendered	Essential requirement(s) or any other reference

Comments/ agreed action (by Applicant/Holder of certificate)

I have fully explained the contents of this report

- i) I have fully understood the contents of this report
- ii) Confirmation of the actions on discrepancy-cum-advisory shall be made to Bureau of Indian Standards within ____days.

Signature _____

Name _____

Designation _____

(Bureau of Indian Standards Representative)

Signature _____

Name _____

Designation _____

(Firm's representative)

Note: It is advised that a copy of this report be enclosed by the firm in the certificate of conformity file for necessary follow up actions and future reference.

Form - VIII

[Refer clause (a) of sub-paragraph (5) of paragraph 3 of Scheme IV]

Bureau of Indian Standards

Certificate of Conformity

Certificate of Conformity No._____

By virtue of the power conferred on it by the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) the Bureau hereby grants to

M/s

(hereinafter called 'the Holder of Certificate) this Certificate of Conformity for the product set out in the first column of the Schedule hereto, upon or in respect of the scope set out in the second column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the specified requirement(s) referred to in the second column of the said Schedule as from time to time amended or revised.

2. This Certificate of Conformity carries obligations on part of the holder of certificate as conditions of Certificate of Conformity which are given in Annexure attached herewith. This certificate shall be valid for the Name, Factory Address and period as mentioned in the Schedule and may be renewed as prescribed in the scheme.

SCHEDULE
 (Certificate of conformity No_____)

Name

Factory Address

Validity from to

Product (1)	Scope of certificate of conformity (2)

Signed, Sealed and Dated this day of month of year

for Bureau of Indian Standards

Name and signature of designated authority

Annexure
(Certificate of Conformity No._____)

Conditions of the certificate of Conformity

- (1) The holder of certificate of conformity shall be responsible for the conformity of the goods, article, process, system or service to specified requirements in relation to which certificate of conformity is issued.
- (2) The holder of certificate of conformity shall not use the certificate of conformity in relation to goods, articles, process, system or service which are non-conforming or outside the scope of the certificate of conformity.
- (3) Certificate of conformity shall not be used in relation to any goods, article, process, system or service during deferment or suspension, or, after expiry or cancellation of the certificate of conformity.
- (4) The holder of certificate of conformity shall comply with the provisions of the conformity assessment scheme under which certificate of conformity is granted, including labelling and marking requirements.
- (5) The holder of certificate of conformity shall maintain records as specified by the Bureau from time to time.
- (6) The holder of certificate of conformity shall provide the Bureau all assistance in connection with carrying out inspection or audit at its premises.
- (7) The holder of certificate of conformity shall provide information relating to production covered under certificate of conformity as and when it is required by the Bureau.
- (8) If the certificate of conformity is granted in relation to goods or articles, the holder of certificate of conformity shall provide the list of consignees, distributors, dealers or retailers to whom goods or articles under certificate of conformity is supplied.
- (9) The certificate of conformity shall not be transferred to any person without prior approval of the Bureau.
- (10) If a complaint regarding quality of any goods, article, process, system or service covered under certificate of conformity is established, the holder of certificate of conformity shall take suitable corrective actions so as to eliminate recurrence of such complaints in future.
- (11) The Bureau shall have the right to amend any of the conditions of certificate of conformity by giving a notice of at least one month to the holder of certificate of conformity.

Form - IX
(Refer sub-paragraph (1) of paragraph 9 of Scheme IV)

Application for renewal of certificate of conformity

Head Branch Office
Bureau of Indian Standards

Dear Sir/Madam,

I/we, carrying on business at
..... (Full factory and office address) apply for renewal of Certificate of Conformity No. granted by the Bureau under Bureau of Indian Standards Act, 2016, rules and regulations framed thereunder, as amended from time to time, for a further period from to, the conditions being the same as stipulated in the aforesaid certificate and amended from time to time.

2. Details of production of goods effected under the certificate are given in the report of performance placed overleaf duly authenticated by CEO/authorised signatory of our company.

3. I/We are enclosing herewith Receipt No. _____ dated _____ for
₹_____ towards the following dues:

- | | | |
|------|--|-----------------|
| i) | Renewal application fee | ₹ |
| ii) | Annual certificate of conformity fee | ₹ per year rate |
| iii) | Previous dues/Other fee (as per Bureau of Indian Standards notice) if any. | |
| iv) | Total amount ₹ | |

Seal of Firm

Signature
Date
Name
Designation
For and on behalf of

Report of Performance

(Period to be covered by the Report being to

Name of Product

Certificate of Conformity No. -

1. Total production of the article(s)
2. Production covered under the certificate of conformity and its approximate value
 - 2.1 Quantity _____
 - 2.2 Value(₹) _____
3. Quantity not covered under certificate of conformity,
if any, and the reasons for such non-coverage
4. Names and addresses of all purchasers of goods
covered under certificate of conformity including
Central Government/State Government Ministry/Department/
undertaking etc. (if applicable)
5. Month-wise production statement for the period mentioned

Note : Attach separate sheet, if required

Form - X
 (Refer sub-paragraph (2) of paragraph 9 of Scheme IV)

Attachment to Certificate of Conformity (CoC) No.

CoC No.-	Name of the holder of certificate with the Factory Address	Name of the Product

Endorsement No. Dated

Whereas, the certificate was valid upto,

*And, whereas the renewal was deferred till and holder of certificate was not allowed to use the certificate from to (*Strike out, if not applicable),

Now, consequent upon renewal, the validity of the certificate given in schedule of the original certificate/ endorsement No. has been extended from to

Other conditions of the certificate remain the same.

Signature of designated authority
 (Name of designated authority)

Form - XI

(Refer sub-paragraph (1) of paragraph 10 of Scheme IV)

Application for change in scope of certificate of conformity

Head Branch Office
Bureau of Indian Standards

Dear Sir/Madam,

I/we, carrying on business at
..... (Full factory and office address) apply for inclusion of new varieties/requirements (as applicable) mentioned as detailed below in Certificate of Conformity No. granted by the Bureau of Indian Standards.

2. Product Title

Existing scope of certificate of conformity

Extension/Reduction desired in scope of certificate of conformity

3. Test report(s), enclosed Yes/ No/ Not Applicable
4. List of additional manufacturing machinery
and/or test equipment's required, if any
5. I/We have made the payment of ₹ _____ vide Receipt No. _____ dated
_____ towards the above application.

Seal of Firm

Note : Attach separate sheet, if required

Signature
Date
Name
Designation
For and on behalf of

Form - XII
(Refer sub-paragraph (3) of paragraph 10 of Scheme IV)

Attachment to Certificate of Conformity (CoC) No.

CoC No.-	Name of the holder of certificate with the factory address	Name of the Product

Endorsement No. Dated

The following addition/deletion in the scope of certificate of conformity has (have) been approved by the Bureau with effect from

Consequent upon the above changes, the revised scope of the certificate of conformity in column (2) of the table in schedule of the certificate of conformity is amended as follows:

Other conditions of the certificate remain the same.

Signature of designated authority
 (Name of designated authority)

Scheme - V

Conformity assessment scheme for Grant of certificate of conformity for a batch or lot of goods and articles as per any standard (based on scheme Type ‘B’ as per Schedule-I)

Scope

1. (1) Under this Scheme which is based on Type ‘B’, certificate of conformity may be granted by the Bureau to a person for batch or lot of goods or articles, hereinafter referred to as products, conforming to specified requirements given in standard or part of standard or essential requirements, as applicable.

(2) The grant of certificate of conformity shall be done in accordance with the processes provided under paragraph 3 of this scheme.

Definitions

2. (1) “third party laboratory” means a laboratory established, maintained or recognised by the Bureau or Government laboratories empaneled by the Bureau or any other laboratory decided by the Executive Committee of the Bureau.

Processes of the scheme

3. (1) Selection.- (a) The person shall identify that,-

- (i) the quantity of the product or size of the batch or lot and specified requirement (s) applicable to such product against which it intends to obtain a certificate of conformity;
- (ii) the site where the batch or lot is to be offered for inspection and availability of required resources for carrying out inspection at such site;
- (iii) the test certificate or reports issued by the manufacturer’s quality assurance department;
- (iv) whether a complete test report issued from a third party laboratory indicating conformity of the product to the specified requirement is available;
- (v) the laboratory where the product may be tested for specified requirements;

(b) the application for grant of certificate of conformity shall be submitted in Form –I annexed to this Scheme either with the test report under sub-clause (iv) of clause (a) of sub-paragraph (1) or with a request to Bureau to draw the sample, during the visit to the site, from the lot or batch for its testing in a third party laboratory.

(2) Determination.- (a) The Bureau on receipt of an application shall examine that all the required documents have been submitted with the application.

(b) If a test report indicating conformity is enclosed with the application, the Bureau shall finalise the date of verification of the lot or batch of product in consultation with the applicant.

(c) During verification visit, the Bureau shall verify the following on the product, namely:-

- (i) variety/grades/type/size;
- (ii) quantity/lot size;
- (iii) lot/batch number;
- (iv) manufacturer's complete address; and
- (v) date or week of manufacturing.

(d) If the application has been submitted without the test report of third party laboratory, the Bureau shall determine the name of the laboratory where specified requirements can be tested and the sample size required by the laboratory for complete testing.

(3) Review.- (a) The verification report shall be reviewed for its completeness with respect to the parameters provided under sub-paragraph (2).

(b) In case of drawal of sample by the Bureau, the test report received from third party laboratory shall be reviewed for its correctness and conformance to the specified requirements.

(4) Decision.- The decision on grant of certificate of conformity shall be taken by the Bureau on the basis of findings of verification report and conformity of the product to the specified requirement.

(5) Attestation.- (a) The Bureau shall grant a certificate of conformity in Form –II annexed to this Scheme indicating the scope of the certificate of conformity including the specified requirements and certificate of conformity number.

(b) The certificate of conformity shall be a onetime certificate and renewal of certificate of conformity is not possible.

Complaints

4. (1) The Bureau shall acknowledge and investigate any complaint received regarding quality of the product covered under a certificate of conformity.

(2) The action for closure of complaint shall be completed within ninety days, excluding the testing time, where testing of the product is involved.

Fee

5 (1) The application shall be accompanied by fee of rupees one thousand.

(2) The inspection fee shall be chargeable in advance at the rate of rupees seven thousand per man-day.

(3) The fee shall be one per cent of value of lot or batch subject to a minimum of rupees ten thousand for each lot or batch shall be payable to the Bureau.

(4) If the certificate of conformity is cancelled, no fee shall be refunded.

Labelling and marking requirements

6 (1) Each product or the package or both shall be marked with certificate of conformity number.

(2) The product details, as per the requirement of the standard, which may include variety, lot or batch number, date or week of manufacturing and complete address of manufacturer shall be marked on either the product or the packaging or contained in a label attached to the product.

(3) The marking details shall contain reference to the website of the Bureau so that consumer may verify the authenticity of the product.

(4) If the certificate of conformity number cannot be applied on the product or the packaging physically, it can be given on the test certificate.

(5) For any specific product, additional labelling and marking requirements may be specified by the Bureau to which the holder of certificate of conformity shall comply with.

Conditions of certificate of conformity

7. The conditions of certificate of conformity shall be as provided in regulation 14 of these regulations.

Cancellation of Certificate of conformity

8. The Bureau shall cancel the certificate of conformity in accordance with regulation 19 of these regulations.

Form - I
 (Refer clause (b) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of Scheme V)
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Product Certification Scheme
 Application for obtaining Certificate of conformity

Full Name of Individual or Firm				
Address				
[Redacted] [Redacted]		[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted] [Redacted]		[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
Address				
[Redacted] [Redacted]		[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted] [Redacted]		[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
Management (Head Office)				
[Redacted]		[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]				
This application is being made for obtaining certificate of conformity for:				
Product				
Requirements Reference				
[Redacted] [Redacted] [Redacted]				
[Redacted] [Redacted] [Redacted]				
[Redacted] [Redacted] [Redacted]				
[Redacted] [Redacted] [Redacted]				
[Redacted] [Redacted] [Redacted]				
[Redacted] [Redacted] [Redacted]				
[Redacted] [Redacted] [Redacted]				

Important : Application should be signed by Individual/ CEO of the firm, or in his absence by authorized representative

Indicate availability of the following documents:

These documents are required to be submitted along with the application

Sr. No.	Document(s)	Yes/ No/ N.A.
1	Name and Address (in) of the registered firm	
2	Authorized representative letter, in case application signed by person other than the individual CEO of the firm	
3	Authentication of quantity and wholesale value of lot or batch offered by Chartered accountant	
4	Third party laboratory test report(s), if applicable	

Note: For more details, you may please visit our website <http://www.bis.gov.in>

Form - II
 (Refer sub-paragraph (5) of paragraph 3 of Scheme V)

Bureau of Indian Standards

Certificate of Conformity

Certificate of Conformity No. -

By virtue of the power conferred on it by the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) the Bureau hereby grants to

Mr./Ms./M/s

(hereinafter called 'the Holder of Certificate') this Certificate of Conformity for the product set out in the first column of the Schedule hereto, upon or in respect of the scope set out in the second column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the specified requirement(s) referred to in the second column of the said Schedule as from time to time amended or revised.

2. This Certificate of Conformity carries obligations on part of the holder of certificate as conditions of Certificate of Conformity which are given in Annexure attached herewith. This certificate shall be valid only for the Name and Address as mentioned in the Schedule.

Schedule
(Certificate of Conformity No_____)

Name

Address

(1)	(2)
Product	Scope of certificate of conformity

Signed, Sealed and Dated this day of month of year.....

for Bureau of Indian Standards

Name and Signature of Designated authority

Annexure
(Certificate of Conformity No._____)

Conditions of the certificate of conformity

- (1) The holder of certificate of conformity shall be responsible for the conformity of the goods, article, process, system or service to specified requirements in relation to which certificate of conformity is issued.
- (2) The holder of certificate of conformity shall not use the certificate of conformity in relation to goods, articles, process, system or service which are non-conforming or outside the scope of the certificate of conformity.
- (3) Certificate of conformity shall not be used in relation to any goods, article, process, system or service during deferment or suspension, or, after expiry or cancellation of the certificate of conformity.
- (4) The holder of certificate of conformity shall comply with the provisions of the conformity assessment scheme under which certificate of conformity is granted, including labelling and marking requirements.
- (5) The holder of certificate of conformity shall maintain records as specified by the Bureau from time to time.
- (6) The holder of certificate of conformity shall provide the Bureau all assistance in connection with carrying out inspection or audit at its premises.
- (7) The holder of certificate of conformity shall provide information relating to production covered under certificate of conformity as and when it is required by the Bureau.
- (8) If the certificate of conformity is granted in relation to goods or articles, the holder of certificate of conformity shall provide the list of consignees, distributors, dealers or retailers to whom goods or articles under certificate of conformity is supplied.
- (9) The certificate of conformity shall not be transferred to any person without prior approval of the Bureau.
- (10) If a complaint regarding quality of any goods, article, process, system or service covered under certificate of conformity is established, the holder of certificate of conformity shall take suitable corrective actions so as to eliminate recurrence of such complaints in future.
- (11) The Bureau shall have the right to amend any of the conditions of certificate of conformity by giving a notice of at least one month to the holder of certificate of conformity.

Scheme - VI

Conformity assessment scheme for Grant of certificate of conformity for services as per any standard
(based on scheme Type 'F' as per Schedule-I)

Scope

1. (1) Under this Scheme which is based on Type 'F', certificate of conformity may be granted by the Bureau to an organisation providing service to a person or an organisation on demonstration of conformity of service and provision of services to the specified requirements.
- (2) The grant of certificate of conformity and their operation shall be done in accordance with the processes provided under paragraph 3 of this scheme.

Definition

2. "service" means the result generated by activity at the interface between an organisation and a customer and by organisation's internal activities, to meet customer requirements.

Processes of the Scheme

3. (1) Selection.- (a) The service provider shall identify that,-
 - (i) the service and the applicable specified requirements against which it intends to obtain a certificate of conformity;
 - (ii) the resources to be used in the delivery of services and provide the details to the Bureau; and
 - (iii) the elements of the service delivery to be contracted or outsourced, if allowed in the specified requirements.
 (b) the service provider shall offer sufficient sample to the Bureau for successful evaluation of services and provision of services keeping in view intended scope of the certificate of conformity;

 (c) the service provider shall prepare a service manual which it proposes to implement for demonstration of conformity of service and provision of services to the specified requirements;

 (d) the service provider may apply for grant of certificate of conformity in Form-I annexed to this scheme along with necessary documents and fee;

 (e) the applicant shall be responsible for the conformity of service and provision of service to the specified requirement, for which the application is being made;

(f) the Bureau may require evidence to be produced by the applicant that the service and provision of service in respect of which certificate of conformity has been applied for conform to the specified requirement.

(g) the applicant, before making an application to the Bureau, shall have been in operation for at least three months, providing the same service for which the application is being made.

(2) Evaluation.- (a) The Bureau may call for required documents or any supplementary information or any documentary evidence from the applicant in support of or to substantiate any statement made in the application, within such time as may be directed by the Bureau;

(b) if the applicant is not providing the documents or supplementary information or any documentary evidence under clause (a), application shall be summarily rejected by the Bureau;

(c) if the documents or information or evidence furnished by the applicant are found to be satisfactory, the application may be processed for grant of certificate of conformity;

(d) for evaluation of the service and service provider, the Bureau shall arrange visit to the service provider to carry out necessary evaluation that can include the following activities, namely:-

(i) verification of documents submitted by the service provider;

(ii) discussion on the adequacy and appropriateness of the service manual;

(iii) validation of the design of the service delivery process, if applicable;

(iv) testing and evaluation of service delivery processes and service outputs;

(v) assessment of the resources used in the delivery of services;

(vi) interview and communication with the service personal and assessment of their competence;

(vii) assessment of contractors, subcontractors, franchisees, where the service delivery is contracted or outsourced;

(viii) assessing the management and control of documentation, including any necessary aspects to address the confidentiality and privacy requirements;

(ix) on-site or remote visits, at the physical location at which the service is being provided, or at any virtual locations where the services are provided;

(x) anonymous observation or witnessing of the service being delivered; and

(xi) obtaining and assessing feedback on the service being delivered and customer experience.

(e) any inadequacy or non-conformity observed during the evaluation process shall be communicated in writing to the service provider in Form –II annexed to this Scheme.

(3) Review.- The evaluation report shall be reviewed with respect to clause (d) of subparagraph (2) of paragraph 3 for their correctness and conformance to the specified requirement.

(4) Decision.- (a) Before taking the decision on grant of certificate of conformity, the Bureau shall invite public comments for a period of one month after successful review of evaluation activities and this may include collection of information from customers, including complaints;

(b) the Bureau shall grant certificate of conformity after completing the public announcement period with no major customer complaints and resolving the feedback from the customers satisfactorily;

(5) Attestation.- The Bureau shall grant a certificate of conformity in Form III annexed to this Scheme indicating the scope of the certificate of conformity, certificate number, address of the service provider, validity of certificate, details of the specified requirements to the manufacturer.

(6) Surveillance.- (a) The Bureau may carry out surveillance evaluation of the certificate holder either with or without prior intimation;

(b) the need for carrying out the surveillance evaluation shall be decided keeping in view the risk associated with the service provided and any variation observed during such evaluation shall be communicated to the licensee in Form –II annexed to this Scheme.

Complaints

4. (1) Whenever any complaint regarding nonconformity of the service and provision of service to the specified requirement, the same shall be investigated and investigation at complainant end shall precede the investigation at the certificate holder.

(2) In case the complaint is established, –

(a) steps shall be taken to advise the certificate holder to arrange redressal;

(b) certificate of conformity may be suspended and certificate holder may be advised to take corrective actions and resumption may be permitted after satisfactory verification of corrective action;

(c) in case it is established that certificate holder has indulged in any of the activity leading to establishment of any of the conditions given in sub paragraph (1) of paragraph 12 of this Scheme, certificate of conformity may be cancelled.

Fee

5. (1) The application for grant of certificate of conformity shall be accompanied by fee of rupees fifteen thousand.

(2) The following fee shall be payable before grant of certificate of conformity or re-certification as prescribed by the Bureau from time to time, namely:-

(a) evaluation visit fee of rupees twelve thousand per man-day; and

(b) annual certificate of conformity fee of rupees fifty thousand per year.

(3) If the certificate of conformity is cancelled, no fee shall be refunded.

Labelling and marking requirements

6. (1) A service provider shall use certificate of conformity number only in conjunction with the certified service.

(2) The certificate of conformity number may be used on sales literature or promotional material.

Conditions of certificate of conformity

7. The conditions of certificate of conformity shall be as provided in regulation 14 of these regulations.

Validity of certificate of conformity

8. (1) The certificate of conformity shall be granted for a period of three years and the period may be extended or reduced in case of revision of applicable specified requirements.

(2) The certificate holder is normally re-certified for a period of three years and re-certification period may be extended or reduced depending on the recertification decision or revision of applicable specified requirements.

(3) The validity period of the certificate may be reduced based on the request of applicant or certificate holder.

Re-certification of certificate of conformity

9. (1) The certificate holder shall submit an application for re-certification in the prescribed Form-II annexed to this Scheme to facilitate completion of re-certification within five month of its validity.

(2) The re-certification of the certificate shall be done, -

(a) if the re-certification application is found to be complete;

(b) on payment of fee as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 5; and

(c) if the Bureau is satisfied that the certificate holder has successfully demonstrated conformity of service and provision of services to the specified requirement.

(3) The provisions under sub-paragraphs (1) to (6) of paragraph 3 of this Scheme shall also be applicable for re-certification.

(4) Upon re-certification, surveillance evaluation shall be planned in accordance with the guidelines of this Scheme and shall be carried out.

(5) The re-certification shall be done in accordance with the regulation 8 of these regulations.

Change in scope of certificate of conformity

10. The scope of the certificate of conformity may be extended or reduced upon a request made by the certificate holder in this regard.

Suspension

11. (1) If, at any time, the Bureau has sufficient evidence that the services and provision of services for which certificate of conformity has been granted, are not conforming to the specified requirement, the Bureau may suspend the certificate of conformity and direct the holder to stop its use and evidence is not limited to, but may include one or more of the following, namely:—

- (a) using certificate of conformity in a manner not permitted by the Bureau;
- (b) discontinuance of operation for more than three months;
- (c) corrective actions are not taken within the time frame specified by the Bureau;
- (d) relocation of premises, without prior intimation to the Bureau;
- (e) false declaration in relation to the certificate of conformity or indulged in falsification of records or unfair trade practices;
- (f) failure to cooperate with the Bureau or its authorised representative for any such evaluation as may be required during the operation of the certificate of conformity.

(2) The decision taken by the Bureau under sub-paragraph (1) shall be communicated to the certificate holder through e-mail or any other suitable means of written communication along with reasons thereof.

(3) The certificate of conformity has been placed under suspension, its holder shall take corrective actions and inform the same to the Bureau.

(4) On receipt of information on action taken, a special evaluation visit, if required, may be carried out by the Bureau to verify such action.

(5) The Bureau may revoke the suspension after satisfying itself that the certificate holder has taken corrective actions with sufficient evidence to the Bureau to establish conformity of the relevant specified requirements.

(6) If the suspension of the certificate is due to non-payment of necessary fee, the Bureau may direct the holder against its use by issuing a notice of twenty-one days and suspension may be revoked on receipt of the dues.

(7) The period of suspension under sub-paragraph (1) shall not exceed one year.

Cancellation or refusal of re-certification of certificate of conformity

12. (1) The Bureau may cancel or refuse recertification, if -
(a) the certificate holder has indulged in misuse of the certificate of conformity;
(b) has made false declaration in relation to the certificate or indulged in falsification of records or unfair trade practices;
(c) suspension of certificate exceeds more than one year;
(d) the certificate holder has re-located the premises and has resumed the use of certificate at the new premises without approval of the Bureau;
(e) the certificate holder has violated any conditions of the certificate.

(2) Before cancellation or refusal of recertification, the Bureau shall give the certificate holder a written notice of not less than twenty one days through e-mail or any other suitable means of communication, informing its intention of cancellation or refusal of re-certification, along with the grounds, with provision for submitting his written explanation and for personal hearing to the certificate, if sought.

(3) If the certificate is not under suspension, the notice shall contain instructions to certificate holder directing him to stop use of certificate.

(4) In case of non-receipt of a written explanation within a period of twenty-one days from the date of issue of the notice, the Bureau may cancel or refuse to re-certify the certificate of conformity.

(5) If an explanation is submitted, the Bureau may take into consideration the explanation so submitted and give a personal hearing, if sought, to the certificate holder or his authorised representative, as the case may be, before taking a decision in this regard.

(6) The decision taken by the Bureau for cancellation or refusal of re-certification under sub-paragraphs (4) and (5) of this Scheme shall be communicated to the certificate holder through e-mail or any other suitable means of written communication along with the grounds.

(7) When a specified requirement is withdrawn and not superseded by any other requirements, any certificate granted in respect thereof shall be deemed to have been cancelled from the date of withdrawal of such specified requirement and any certificate of conformity shall be surrendered to the Bureau by the certificate holder forthwith.

(8) For certificate of conformity cancelled under sub-paragraph (7), the Bureau shall refund the part of the certificate fee if paid in advance, proportionate to the unexpired period of the certificate.

Form - I
 (Refer clause (d) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of Scheme VI)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Service(s) Certification Scheme

Application for obtaining Certificate of conformity

Full Name of Firm:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Address:

Address:

Title / Designation:

Title / Designation:

Management:

--	--	--	--

Services and Charges:

--	--	--	--

Communication:

--	--	--	--

Seal:

--	--

Correspondence Address:

--	--

--	--

--	--	--	--

--	--	--

Signature:

--	--

Signature

Name

Designation

Date of application

DD/MM/YY in case of letterhead

EE/CL/CC/MS/CS/RS/DS/BS

--	--

Stamp:

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicate availability of the following documents:
These documents are required to be submitted along with the application

Sr. No.	Document(s)	Yes/ No/ N.A.
1	[REDACTED]	
2	[REDACTED]	
3	[REDACTED]	
4	[REDACTED]	
5	[REDACTED]	
6	[REDACTED]	
7	[REDACTED]	
8	[REDACTED]	

Note: For more details, you may please visit our website <https://www.bis.gov.in/>

Form - II
[Refer clause (e) of sub-paragraph (2) of paragraph 3 of Scheme VI]

Bureau of Indian Standards

Branch Office
(Discrepancy-cum-Advisory Report)

Name of Applicant/Holder of Certificate: M/s

Application/Certificate of Conformity No.
Certificate of Conformity valid upto

Nature of visit
(initial/surveillance evaluation/others)

Service(s)/Provision of service(s)

Date(s) of visit

Sr. No.	Discrepancies/Advices rendered	Specified requirement(s) or any other reference

Comments/ agreed action (by Applicant/Holder of certificate)

I have fully explained the contents of
this report

- (i) I have fully understood the contents of this report
- (ii) Confirmation of the actions on discrepancy-cum-advisory shall be made to Bureau of Indian Standards within ____ days.

Signature_____

Name

Designation

(Bureau of Indian Standards Representative)

Signature_____

Name

Designation

(Firm's representative)

Note: It is advised that a copy of this report be enclosed by the firm in the certificate of conformity file for necessary follow up actions and future reference.

Form - III
[Refer sub-paragraph (5) of paragraph 3 of Scheme VI]

Bureau of Indian Standards

Certificate of Conformity

Certificate of Conformity No.

By virtue of the power conferred on it by the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) the Bureau hereby grants to

M/s

(hereinafter called 'the holder of Certificate) this Certificate of Conformity for the service(s)/provision of service(s) set out in the first column of the Schedule hereto, upon or in respect of the scope set out in the second column of the said schedule which is provided in accordance with/conforms to the specified requirement(s) referred to in the second column of the said Schedule as from time to time amended or revised.

2. This Certificate of Conformity carries obligations on part of the holder of certificate as conditions of Certificate of Conformity which are given in Annexure attached herewith. This certificate shall be valid for the Name, Address and period as mentioned in the Schedule and may be recertified as prescribed in the scheme.

Schedule
(Certificate of Conformity No_____)

Name

Address

Validity from to

Service(s)/Provision of service(s)	Scope of certificate of conformity
(1)	(2)

Signed, Sealed and Dated this day of month of year

for Bureau of Indian Standards

Name and signature of designated authority

Annexure
(Certificate of Conformity No._____)

Conditions of the Certificate of Conformity

- (1) The holder of certificate of conformity shall be responsible for the conformity of the goods, article, process, system or service to specified requirements in relation to which certificate of conformity is issued.
- (2) The holder of certificate of conformity shall not use the certificate of conformity in relation to goods, articles, process, system or service which are non-conforming or outside the scope of the certificate of conformity.
- (3) The certificate of conformity shall not be used in relation to any goods, article, process, system or service during deferment or suspension, or, after expiry or cancellation of the certificate of conformity.
- (4) The holder of certificate of conformity shall comply with the provisions of the conformity assessment scheme under which certificate of conformity is granted, including labelling and marking requirements.
- (5) The holder of certificate of conformity shall maintain records as specified by the Bureau from time to time.
- (6) The holder of certificate of conformity shall provide the Bureau all assistance in connection with carrying out inspection or audit or evaluation at its premises.
- (7) The holder of certificate of conformity shall provide information relating to services covered under certificate of conformity as and when it is required by the Bureau.
- (8) If the certificate of conformity is granted in relation to goods or articles, the holder of certificate of conformity shall provide the list of consignees, distributors, dealers or retailers to whom goods or articles under certificate of conformity is supplied.
- (9) The certificate of conformity shall not be transferred to any person without prior approval of the Bureau.
- (10) If a complaint regarding quality of any goods, article, process, system or service covered under certificate of conformity is established, the holder of certificate of conformity shall take suitable corrective actions so as to eliminate recurrence of such complaints in future.
- (11) The Bureau shall have the right to amend any of the conditions of certificate of conformity by giving a notice of at least one month to the holder of certificate of conformity.

Scheme - VII

Conformity assessment scheme for grant of certificate of conformity for type approval of goods and articles (based on scheme Type A as per Schedule-I)

Scope

1. (1) Under this Scheme which is based on Type A, certificate of conformity may be granted by the Bureau to a person for type approval of goods or articles, hereinafter called products, based on design review or type testing.
- (2) The right to use certificate may indicate that products manufactured on an individual basis or under continuous production with similar material, design and process under manufacturer's own quality assurance system meet the specified requirements indicated in the certificate.

Definitions

2. (1) 'third party laboratory' means a laboratory established, maintained or recognised by the Bureau or government laboratories empanelled by the Bureau or any laboratory decided by the Executive Committee of the Bureau.

Processes of the scheme

3. (1) Selection.- (a) The person shall identify the sample and the specified requirement applicable to the product against which it intends to obtain a certificate of conformity and the following details pertaining to the sample shall be submitted in Form – I annexed to this Scheme, namely:-
 - (i) variety/grades/type/size;
 - (ii) photograph (s) for identification of the sample(s) tested;
 - (iii) manufacturer's complete address;
 - (iv) date (s) of manufacturing;
 - (v) design;
 - (vi) description of manufacturing process; and
 - (vii) raw material.
 (b) the person shall submit test report for the specified requirement as provided in clause (a) of sub-paragraph (1) of the product which is issued from a third party laboratory along with an application.
- (2) Determination.- (a) The Bureau on receipt of the application shall examine the completeness of the information given in the application;

(b) when the application is complete, the Bureau shall examine the conformity of the product to the specified requirement.

(3) Review.- The test report and the details of the sample shall be reviewed for the correctness and conformance to the specified requirement.

(4) Decision.- The decision on grant of certificate of conformity shall be taken by the Bureau based on the findings of the review and conformity of the product to the specified requirement.

(5) Attestation.- (a) The Bureau shall grant the certificate of conformity to a person in Form –II annexed to this Scheme;

(b) in case of foreign manufacturers, an agreement for grant of certificate of conformity, and indemnity bond duly executed on a non-judicial stamp paper of rupees one hundred submitted by the foreign manufacturer or his authorised Indian representative, as the case may be.

(c) the foreign manufacturer shall submit a performance bank guarantee for US Dollars ten thousand issued by any Bank having its branch in India approved by the Reserve Bank of India.

Complaint

4. (1) The Bureau shall acknowledge and investigate any complaint received regarding quality of the product covered under a certificate of conformity.

(2) The action for closure of complaint shall be completed within ninety days, excluding the testing time, where testing of the product is involved.

Fee

5. (1) The application fee and renewal application fee shall be rupees one thousand each.

(2) The annual certificate of conformity fee for the use of certificate of conformity shall be rupees fifty thousand for large scale industries per year and twenty percent concession for micro small and medium enterprises, which shall be paid in advance.

Explanation.- For the purposes of sub-paragraph (2), the expression micro, small and medium enterprises shall have the same meaning assigned to it in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006).

(3) The annual certificate of conformity fee shall not be refunded if certificate of conformity is cancelled.

Labelling and marking requirements

6. (1) Each product or the package or both shall be marked with certificate of conformity number.

(2) The product details, as per the requirement of the standard, which may include variety, lot

or batch number, date or week of manufacturing, complete address of manufacturer shall be marked on either the product or the packaging or contained in a label attached to the product.

(3) The marking details shall contain reference to the website of the Bureau so that consumer may, verify the authenticity of the product.

(4) If the certificate of conformity number cannot be applied on the product or the packaging physically, it shall be given on the test certificate.

(5) For any specific product, additional labelling and marking requirements may be specified by the Bureau to which the holder of certificate of conformity shall comply with.

Conditions of certificate of conformity

7. (1) The conditions of certificate of conformity shall be as provided in regulation 14 of these regulations.

Validity of certificate of conformity

8. (1) The certificate of conformity shall be granted initially for not less than one year and upto two years.

(2) The certificate of conformity may be renewed for a further period of not less than one year and upto five years.

(3) Notwithstanding the fact that the certificate of conformity has been renewed, it shall be deemed cancelled as soon as the specified requirement are amended or revised.

Renewal of certificate of conformity

9. (1) An application for renewal of certificate of conformity shall be made before three months of expiration of certificate of conformity to the Bureau in Form – III annexed to this Scheme.

(2) The Bureau shall renew the certificate of conformity in Form –IV annexed to this Scheme.

(3) The renewal of certificate of conformity shall be done in accordance with regulation 16 of these regulations.

Suspension

10. (1) (a) The holder of certificate of conformity on its own shall suspend its use under intimation to the Bureau if, at any time, there is difficulty in maintaining the conformity of the product to the specified requirements covered under certificate of conformity or any test equipment goes out of order or due to natural calamities such as flood, fire, earthquake, a lock out declared by the management, or, closure of operations directed by a competent court or statutory authority;

(b) the revocation of suspension may be done as soon as the deficiencies are removed and information shall be sent to the Bureau immediately but not later than seven days of such revocation;

(c) the holder of certificate of conformity on its own shall suspend its use under intimation to the Bureau on relocation of manufacturing unit to a new premises.

(2) (a) The Bureau may suspend the certificate of conformity and direct the holder of certificate of conformity to stop its use if, at any time, there is sufficient evidence that the product may not be conforming to the specified requirements covered under the certificate of conformity and evidence is not limited to, but may include one or more of the following, namely:-

- (i) modification in the manufacturing process, design and raw material; and
- (ii) non-compliance of any instruction issued by the Bureau from time to time.

(b) the holder of certificate of conformity, whose certificate of conformity has been put under suspension, shall stop using the same and he shall also stop dispatch of the product covered under the certificate of conformity;

(c) a confirmation with regard to the action taken under clause (a) shall be sent to the Bureau immediately followed by confirmation of having taken corrective actions;

(d) the Bureau may allow revocation of suspension after satisfying itself that the holder of certificate has taken necessary corrective actions.

(3) The Bureau may suspend the certificate of conformity after issuing a notice of twenty one days and direct its holder to stop use of the certificate of conformity when requisite fee is not paid and the suspension may be revoked on payment of dues by the certificate holder.

Cancellation of certificate of conformity

11. The Bureau shall cancel the certificate of conformity in accordance with regulation 19 of these regulations.

Form - I
(Refer clause (a) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of Scheme VII)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS**Product Certification Scheme**

Application for obtaining Certificate of conformity

Full Name of Firm						
Office	Address			Tel.		
Village/City	District	State	Country	Post Code	Pin No.	Fax
Factory	Address			Tel.		
Village/City	District	State	Country	Post Code	Pin No.	Fax
Management	Name	Designation	Quality Control Incharge	Name	Designation	
Contact Person						
Scale:	<input type="checkbox"/> Large <input type="checkbox"/> M/S/M	Correspondence Address			<input type="checkbox"/> Office Factory	<input type="checkbox"/> Secy Public Private
This application is made for obtaining certificate of conformity to:						
Specified Requirements:	<input type="checkbox"/> Requirement		<input type="checkbox"/> Reference			
Self Declaration:						
Comments:						
I declare that the information given above is true and correct to the best of my knowledge and belief.						

Indicate availability of the following documents:
These documents are required to be submitted along with the application

Sr. No.	Document(s)	Yes/ No/ N.A.
1	[REDACTED]	
2	[REDACTED]	
3	[REDACTED]	
4	[REDACTED]	
5	[REDACTED]	
6	[REDACTED]	
7	[REDACTED]	
8	[REDACTED]	
9	[REDACTED]	
10	[REDACTED]	
11	[REDACTED]	

Note: For more details, you may please visit our website <https://www.bis.gov.in/>

Form - II
[Refer sub-paragraph (5) of paragraph 3 of Scheme VII]

Bureau of Indian Standards

Certificate of Conformity

Certificate of Conformity No._____

By virtue of the power conferred on it by the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) the Bureau hereby grants to

M/s

(hereinafter called 'the Holder of Certificate) this Certificate of Conformity for the product set out in the first column of the Schedule hereto, upon or in respect of the scope set out in the second column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the specified requirement(s) referred to in the second column of the said Schedule as from time to time amended or revised.

2. This Certificate of Conformity carries obligations on part of the holder of certificate as conditions of Certificate of Conformity which are given in Annexure attached herewith. This certificate shall be valid for the Name, Factory Address and period as mentioned in the Schedule and may be renewed as specified in the scheme.

Schedule
(Certificate of conformity No_____)

Name

Factory Address

Validity from to

This certificate of conformity is granted on account of examination of specimen sample (s) of the product submitted by the manufacturer to M/s, the attested results of which are enclosed. The attested design, manufacturing process, raw materials and photograph (s) of the said sample (s) are also enclosed.

Product	Scope of certificate of conformity
(1)	(2)

Signed, Sealed and Dated this day of month of year

for Bureau of Indian Standards

Name and signature of designated authority

Annexure
(Certificate of Conformity No. _____)

Conditions of the Certificate of Conformity

- (1) The holder of certificate of conformity shall be responsible for the conformity of the goods, article, process, system or service to specified requirements in relation to which certificate of conformity is issued.
- (2) The holder of certificate of conformity shall not use the certificate of conformity in relation to goods, articles, process, system or service which are non-conforming or outside the scope of the certificate of conformity.
- (3) The certificate of conformity shall not be used in relation to any goods, article, process, system or service during deferment or suspension, or, after expiry or cancellation of the certificate of conformity.
- (4) The holder of certificate of conformity shall comply with the provisions of the conformity assessment scheme under which certificate of conformity is granted, including labelling and marking requirements.
- (5) The holder of certificate of conformity shall maintain records as specified by the Bureau from time to time.
- (6) The holder of certificate of conformity shall provide the Bureau all assistance in connection with carrying out inspection or audit at its premises.
- (7) The holder of certificate of conformity shall provide information relating to production covered under certificate of conformity as and when it is required by the Bureau.
- (8) If the certificate of conformity is granted in relation to goods or articles, the holder of certificate of conformity shall provide the list of consignees, distributors, dealers or retailers to whom goods or articles under certificate of conformity is supplied.
- (9) The certificate of conformity shall not be transferred to any person without prior approval of the Bureau.
- (10) If a complaint regarding quality of any goods, article, process, system or service covered under certificate of conformity is established, the holder of certificate of conformity shall take suitable corrective actions so as to eliminate recurrence of such complaints in future.
- (11) The Bureau shall have the right to amend any of the conditions of certificate of conformity by giving a notice of at least one month to the holder of certificate of conformity.

Form - III

[Refer sub-paragraph (1) of paragraph 9 of Scheme VII]

Application for renewal of certificate of conformity

Head Branch Office
Bureau of Indian Standards

Dear Sir/Madam,

I/we, carrying on business at (Full factory and office address) apply for renewal of Certificate of Conformity No. granted by the Bureau under Bureau of Indian Standards Act, 2016, and the rules and regulations framed thereunder, as amended from time to time, for a further period from to, the conditions being the same as stipulated in the aforesaid certificate and amended from time to time.

2. Details of production of goods effected under the certificate are given in the report of performance placed overleaf duly authenticated by CEO/authorised signatory of our company.

3. I/We are enclosing herewith Receipt No. _____ dated _____ for ₹ _____ towards the following dues:

- | | | |
|------|--|-----------------|
| i) | Renewal application fee | ₹ |
| ii) | Annual certificate of conformity fee | ₹ per year rate |
| iii) | Previous dues/Other fee (as per Bureau of Indian Standards notice) if any. | |
| iv) | Total amount ₹ | |

Seal of Firm

Signature
Date
Name
Designation
For and on behalf of

Report of Performance

(Period to be covered by the Report being to)

a
Name of Product

Certificate of Conformity No. -

1. Total production of the article(s)
2. Production covered under certificate of conformity and its approximate value
 - 2.1 Quantity _____
 - 2.2 Value(₹) _____
3. Quantity not covered under certificate of conformity,
if any, and the reasons for such non-coverage
4. Names and addresses of all purchasers of goods
covered under certificate of conformity including
Union/State Government Ministry/Department/
Undertaking etc. (if applicable)
5. Month-wise Production statement for the period mentioned

Note: Attach separate sheet, if required

Form - IV
(Refer sub-paragraph (2) of paragraph 9 of Scheme VII)

Attachment to Certificate of Conformity (CoC) No.

CoC No.-	Name of the holder of certificate with the Factory Address	Name of the Product

Endorsement No. Dated

Whereas, the certificate was valid up to,

*And, whereas the renewal was deferred till and holder of certificate was not allowed to use the certificate from to (*Strike out, if not applicable),

Now, consequent upon renewal, the validity of the certificate given in schedule of the original certificate/ endorsement No. has been extended from to

Other conditions of the certificate remain the same.

Signature of designated authority
 (Name of designated authority)

H.L. UPENDAR, Scientist G & DDG(CA & PP&C)
 [ADVT.-III/4/Exty./89/18-19]